FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

I माला, खंड 13, अंक 25

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2000
1 पौष, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 13 में अंक 21 से 25 तक हैं)

51
8/1/02

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

अंक 25, शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2000/1 पौष, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 500	1-24
अतारांकित प्रश्न संख्या 5244 से 5455	25-246
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	246
सभा पटल पर रखे गए पत्र	247-272
लोक लेखा समिति	273
अठाहरवां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	273
दसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	
वित्त संबंधी स्थायी समिति	273-274
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	274-275
दक्षिण दिल्ली में पृथ्वीराज का किला राय पिथौड़ा/लाल कोट का विकास	
श्री जगमोहन	274:275
नियम 377 के अधीन मामले	275-282
(एक) महाराष्ट्र में नासिक और दहानु के बीच रेल लाइन शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री चिंतामन वनगा	275-276
(दो) उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	276
(तीन) भैसाझाल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	276-277
(चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में बुद्धिस्ट सर्किट को रेल, सड़क और वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री रामपाल सिंह	277

विषय		कॉलम
(पांच)	बिहार में सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम टहल चौधरी	277-278
(छह)	आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुद्दानूर और कुडप्पा के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी	278
(सात)	केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि. का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. मुरलीधरन	278-279
(आठ)	अरुणाचल प्रदेश में स्टिलवेल इंटरनेशनल रोड को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजकुमार वांग्चा	279
(नौ)	केरल में मछुआरों को मिट्टी के तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वरकला राधाकृष्णन	279
(दस)	उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सागर रावत	279
(ग्यारह)	चेन्नई एयर टर्मिनल का यथाशीघ्र उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	280
(बारह)	बिहार में आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिहेटा रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम प्रसाद सिंह	280-281
(तेरह)	नई वस्त्र नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	डा. सुशील कुमार इंदौरा	281
(चौदह)	तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में थोप्पर और हौसूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 को चार लेन बनाने संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.डी. एलानगोवन	281
(पन्द्रह)	पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को पर्यटक स्थल घोषित करने और इसके विकास के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	281-282
विदाई उल्लेख		282-289
	अध्यक्ष महोदय	282-284
	श्रीमती सोनिया गांधी	284-286
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	286-289
राष्ट्र गीत		290

लोक सभा

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2000/1 पौष, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

***481. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र के दिए जा रहे ऋणों की धनराशि में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में से कितने प्रतिशत ऋण वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए; और

(ग) इन बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋणों की धनराशि में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खाद्येतर बैंक ऋण, जिसमें वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण शामिल हैं, ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(राशि करोड़ रुपए)

	मार्च, 1998	मार्च, 1999	मार्च, 2000	*दिसम्बर, 2000
खाद्येतर ऋण बकाया	238890	270569	310466	332121
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	30161	31679	39896	21655
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	14.5	15.3	14.7	7.0
कुल बैंक ऋण में से खाद्येत्तर ऋण का प्रतिशत हिस्सा	95.1	94.2	92.5	90.1
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से प्रतिशत हिस्सा	79.6	79.3	78.1	77.3

*मार्च, 2000 की तुलना में 1 दिसम्बर, 2000 को हुई प्रतिशत वृद्धि।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने पिछले कुछ समय में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक दर में कटौती, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) में कटौती, सांविधि चल निधि अनुपात में कटौती, ब्याज दरों का अविनियमन और देश में शाखा नेटवर्क में वृद्धि करना शामिल है। इन उपायों से वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों से संपर्क रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना

***482. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकरण पर प्रतिबंध लगाने का है जिन्हें आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों द्वारा धन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 2000 के 'दि पायनियर' में 'टॉप टेरॉरिस्ट्स इनवेस्टिंग इन एम.एन.सीज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इस प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में निगमित किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का वित्तपोषण आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) यथेष्ट छानबीन के पश्चात् मामले को संबंधित सरकारों के साथ या तो उठाया गया है या उठाया जाएगा।

फिल्मों में भारतीय महिलाओं का चित्रण

***483. श्री नरेश पुगलिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्मों में भारतीय महिलाओं के गलत चित्रण को रोकने हेतु केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) को कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5-ख(2) के अंतर्गत जारी फिल्मों के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में फिल्मों में महिलाओं के किसी भी तरह के अपमानजनक एवं अवमानित करने वाले दृश्यों और उनके प्रति कामुक हिंसा जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ वाले दृश्यों के प्रस्तुतीकरण को हतोत्साहित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रमाणन बोर्ड हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

1. प्रमाणन प्रक्रिया में और अधिक लैंगिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से जांच तथा पुनरीक्षण समितियों में 50% महिला सदस्यों की व्यवस्था;

2. मार्गदर्शी सिद्धांतों को समुचित रूप से लागू किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बारंबार उल्लंघन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्याख्या के बारे में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी किया जाना; और

3. प्रमाणन बोर्ड के मामले में और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फिल्मों को प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों पर जाँच/पुनरीक्षण समिति और फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों के नाम प्रदर्शित करना जिनकी सिफारिशों पर संबंधित फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रतिव्यक्ति विदेशी कर्ज

***484. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री सुबोध राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार प्रति व्यक्ति कितना विदेशी कर्ज बकाया है; और

(ख) इस कर्ज का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 4332 रु. होना अनुमानित है। कुल मिलाकर देश की विदेशी ऋण की स्थिति में हाल के वर्षों में काफी अधिक सुधार हुआ है। इस प्रकार, विदेशी ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात मार्च, 1992 के अंत में 38.7 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2000 के अंत में 22.0 प्रतिशत रह गया और चालू प्राप्तियों से ऋण शोधन का अनुपात 1990-91 में 35.3 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 16.0 प्रतिशत रह गया। स्थिति में यह सुधार सरकार द्वारा अपनाई गई एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति के कारण संभव हुआ है, जो निर्यातों की उच्चवृद्धि दर, परिपक्वता ढांचे तथा कुल वाणिज्यिक ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने, अल्पावधिक ऋण को सीमित करने और गैर-ऋण सृजक आय-प्रवाहों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

विदेशी मुद्रा भंडार

***485. श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा धनराशि के रूप में हैं;

(ख) क्या हाल के महीनों में रुपए के मूल्य में आई अचानक भारी कमी के मद्देनजर अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा धनराशि को भारी मात्रा में निकालने की होड़ मच गई है;

(ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा की जमा राशि वापस लेने से आई कमी को हमारा निर्यात किस हद तक पूरा करने की स्थिति में है; और

(घ) सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार जो समय के साथ-साथ बढ़ता गया है, भुगतान संतुलन के चालू व पूँजी, दोनों खातों पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों के निवल परिणाम को दर्शाता है। अतः विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार को एन.आर.आई. जमाराशियों सहित किसी एक या सामूहिक लेन-देनों में संविभाजित करना उचित नहीं होगा। तथापि अक्टूबर, 2000 के अंत में विभिन्न अनिवासी जमा राशि स्कीमों के तहत बकाया शेष राशियां 23.46 बिलियन अमरीकी डालर थीं।

(ख) जी नहीं। इसके विपरीत, अप्रैल-अक्टूबर, 2000 के दौरान एन.आर.आई. जमाराशियों में हुई निवल वृद्धि 1331 मिलि. अमरीकी डालर थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1171 मिलि. अमरीकी डालर की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) और विदेशी निगमित निकायों (ओ.सी.बी.) ने भी भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) द्वारा 21 अक्टूबर और 6 नवम्बर, 2000 के बीच जारी इंडिया मिलेनियम डिपोजिट (आई.एम.डी.) में 5.51 बिलि. अमरीकी डालर का भारी अंशदान किया है।

(ग) अमरीकी डालर के रूप में भारत के निर्यात में 1999-2000 में 13.2 प्रतिशत का सुदृढ़ सुधार दर्ज किया गया है और 2000-01 के पहले सात महीनों के दौरान वृद्धि दर में 20.5 प्रतिशत की तेजी आई है।

(घ) भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण तथा एस.डी.आर. सहित) 8 दिसम्बर, 2000 को 39.48 बिलि. अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर संतोषजनक है। फिर भी स्थिति को बारीकी से मानीटर किया जाता है और निर्यात संवृद्धि और अदृश्य आय को बढ़ाने व पूँजी प्रवाह, विशेषकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं।

बीड़ियों का निर्यात

*486. **श्री अबुल हसनत खाँ** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से बीड़ियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों को बीड़ियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कितनी मात्रा और कितने मूल्य की बीड़ियों का निर्यात किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे भारत द्वारा कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) बीड़ियों के निर्यात में किन-किन राज्यों की बड़ी हिस्सेदारी रही है; और

(च) बीड़ियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बीड़ी निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हाँ।

(ख) जिन प्रमुख देशों को बीड़ी का निर्यात किया जा रहा है वे हैं – यू.ए.ई., यू.एस.ए., सिंगापुर, यमन, अफगानिस्तान, जोर्डन, कुवैत, मलेशिया, स्विटजरलैंड, ओमान, दक्षिण अफ्रीका।

(ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यातित बीड़ी की मात्रा एवं मूल्य विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा रुपए और अमरीकी डालर के रूप में बीड़ी से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	रुपए (लाख में)	अमरीकी डालर (मिलियन)
1997-98	2004.67	5.14
1998-99	3069.64	7.58
1999-2000	3717.84	8.69

(स्रोत : तंबाकू बोर्ड)

(ङ) बीड़ी का निर्यात अधिकांशतः तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से किया जाता है।

(च) तंबाकू बोर्ड शुरू से ही बीड़ी विनिर्माताओं को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं कर रहा है। तथापि, बीड़ी के निर्यातक भारत सरकार से तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के अन्य निर्यातकों के बराबर एम.डी.ए. सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं।

विवरण

(मात्रा : टनों में एवं मूल्य लाख में)

देश	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अफगानिस्तान	77	136.96	44	95.56	56	129.39
आस्ट्रेलिया	4	9.68	1	6.51	1	1.92
बार्बाडोस	2	9.24	2	8.89	A	1.82
ब्राजील	1	3.19	-	-	A	1.21
जिबौती	-	-	19	42.34	-	-
कनाड़ा	-	-	A	2.52	A	5.25
फ्रांस	-	-	A	0.18	A	2.75
जर्मनी	5	16.00	-	-	-	-
जापान	A	4.26	A	3.95	A	0.94
जोर्डन	36	101.63	16	54.17	-	-
कुवैत	5	14.35	10	31.83	13	41.16
कोरिया	-	-	A	1.22	1	2.42
मलेशिया	10	39.59	12	41.97	10	42.75
मैक्सिको	1	3.31	2	5.81	-	-
नीदरलैंड	-	-	1	0.78	-	-
नेपाल	6	4.46	1	0.74	-	-
न्यूजीलैंड	1	2.62	-	-	-	-
ओमान	22	54.04	18	59.59	-	-
दक्षिण अरेबिया	89	254.23	50	155.55	2	7.19
सिंगापुर	32	107.10	31	132.10	68	252.75
श्रीलंका	18	2.08	-	-	-	-
दक्षिण आफ्रीका	-	-	A	0.07	1	3.13
सेंट मार्टिन	A	0.59	1	3.41	-	-
स्विटजरलैंड	8	40.34	5	10.33	5	17.62
यू.ए.ई.	380	1051.78	709	2155.05	932	2889.94
यू.एस.ए.	63	148.72	47	166.88	31	100.22
यू.के.	A	0.40	-	-	A	0.06
यमन	-	-	30	90.19	54	246.27
पुर्तगाल	-	-	-	-	A	0.08
रियूनियन	-	-	-	-	A	1.02
योग	761	2004.67	998	3069.64	1174	3717.84

A=500 कि.ग्रा. से कम (स्रोत : तंबाकू बोर्ड)

स्टाक बाजार में जोड़-तोड़

*487. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एम.आई.आई.) बड़े दलालों की सहायता से स्टाक बाजार में जोड़-तोड़ में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों और दलालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में जाँच की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) स्टाक बाजार में ऐसी हेराफेरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि स्टाक एक्सचेंजों द्वारा असामान्य प्रवृत्ति दर्शाने वाली स्क्रिपों के कारोबार का विश्लेषण किया जाना तथा यथापेक्षित आवश्यक कार्रवाई करना अपेक्षित है। सेबी के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा स्टाक बाजार में कोई जोड़-तोड़ नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठतार।

(च) बाजारों की सुरक्षा तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने अनेक निगरानी तथा जोखिम नियंत्रण उपायों की व्यवस्था की है। जोखिम नियंत्रण उपायों में पूँजी पर्याप्तता, मार्जिन प्रणाली, एक्सपोजर नियंत्रण तथा मूल्य वर्ग शामिल हैं। क्रियान्वित किए गए निगरानी उपायों में स्टाक निगरानी प्रणाली, स्टाक एक्सचेंज स्तर पर एक आटोमेटिड आन लाइन प्रणाली शामिल है जिससे निगरानी क्षमताओं के वर्धन तथा संभावी बाजार दुरुपयोग क्रियाकलापों का तत्काल पता लगाना सुकर बनने की संभावना है। एक्सचेंजों द्वारा असामान्य प्रवृत्तियाँ दर्शाने वाले शेयरों के कारोबार का विश्लेषण किया जाना तथा यथापेक्षित आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। एक्सचेंज भी उपयुक्त मामलों में मामला सेबी को भेजते हैं।

[हिन्दी]

दीर्घकालीन वचनबद्धता के आधार पर विदेशी निवेश

*488. डा. अशोक पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों को यह बात स्पष्ट कर दी है कि यदि उनकी भारत में निवेश करने में रुचि है, तो यह निवेश दीर्घकालीन यचनबद्धता के आधार पर ही होना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी निवेशकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) प्रायः विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी (एफ.डी.आई.) को दीर्घकालिक निवेश के रूप में माना जाता है। भारत में एफ.डी.आई. को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक छोटी सूची को छोड़कर, सभी मदों/कार्यकलापों के लिए 100% तक एफ.डी.आई. किए जाने हेतु स्वतः मार्ग के जरिए प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। एफ.डी.आई. का अंतःप्रवाह निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है और यह देश के भीतर की आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक परिस्थितियों, निवेश संचालन संबंधी नीतिगत व्यवस्था और विश्व आर्थिक प्रवृत्तियां जैसे कारकों से निर्देशित होता है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह

*489. **श्री बी.के. पार्थसारथी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह हेतु क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष के क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए;

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलताओं के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह में वृद्धि के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। तथापि, सरकार द्वारा यथा संभव अधिकाधिक एफ.डी.आई. आकर्षित करने के लिए अथक प्रयास निरंतर बनाए रखा जाता है। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के क्षेत्रवार वार्षिक अंतर्वाह को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) विदेशी निवेश के अंतर्वाह विभिन्न कारकों पर निर्भर होते हैं, जिनमें घरेलू आर्थिक परिस्थितियां, विदेशी निवेश को नियंत्रित करने संबंधी नीतिगत व्यवस्था, वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियां तथा वैश्विक निवेशकों की निवेश संबंधी रणनीतियां शामिल हैं। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से, एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर, शेष सभी कार्यकलापों के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए स्वतः मार्ग के जरिए प्रवेश करने की अनुमति दे रखी है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-नीति के उसे निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दृष्टि से निरंतर समीक्षा की जाती है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से

करने और निवेशकों के सामने निवेश करने के बाद आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की गई है जिसमें केन्द्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा 22.12.2000

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम.सं.	क्षेत्र	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	कुल
1.	धातुकर्मी	0.16	24.92	14.02	17.00	58.14	127.58	101.44	125.90	164.18	61.32	694.66
2.	ईंधन	1.67	9.74	53.99	88.50	312.16	349.33	1524.59	563.55	748.46	490.22	4112.20
3.	ऑस्कर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.00	0.13	0.00	2.88	1.40	2.60	2.15	6.29	0.29	0.00	15.74
4.	ब्राइम मूवर्स विद्युत के अलावा	0.00	0.00	0.00	1.37	27.79	44.33	16.13	9.45	6.26	0.00	105.33
5.	वैद्युत उपकरण	7.22	91.05	158.97	291.74	505.01	767.05	1331.24	486.59	703.61	1112.28	5754.76
6.	दूरसंचार	0.00	0.00	1.66	14.02	127.45	752.98	1185.00	1741.02	215.56	295.52	4333.20
7.	परिवहन उद्योग	4.01	108.15	57.96	130.87	230.74	499.39	1513.83	1476.92	1130.20	1084.28	6236.34
8.	औद्योगिक मशीनरी	0.70	7.48	12.98	37.24	57.56	29.62	103.96	16.92	99.34	29.73	392.52
9.	मशीन औज़ार	0.32	0.61	0.81	6.27	6.29	74.64	36.95	23.60	9.99	10.37	171.84
10.	कृषि मशीनरी	0.00	0.00	0.15	0.82	136.26	0.05	0.00	0.00	51.07	15.65	203.99
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.15	23.64	0.40	0.00	27.79
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग	19.93	56.11	62.84	70.05	158.50	88.41	214.25	19.11	62.91	26.76	877.88
13.	वाणिज्यिक, कार्य. एवं घरेलू उत्पा.	0.00	0.50	53.47	20.28	318.18	54.41	8.15	17.95	67.77	15.69	536.40
14.	चिकित्सीय तथा शल्य उपकरण	0.00	0.21	2.36	2.49	1.47	7.23	24.60	39.11	9.17	7.53	94.17
15.	औद्योगिक उपकरण	0.00	3.54	1.06	14.13	2.88	11.68	5.73	0.13	0.63	0.00	39.80
16.	वैज्ञानिक उपकरण	0.00	0.07	0.33	0.51	4.00	2.45	3.86	00.4	3.14	23.71	38.11
17.	उर्वरक	0.00	24.6	3.54	0.25	8.86	1.10	32.04	0.00	0.00	0.50	70.16
18.	रसायन (उर्वरक के अलग)	37.31	71.44	229.93	425.85	272.64	588.08	821.26	1064.00	475.62	420.33	4406.46
19.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्मस व पेपर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.71	0.00	0.24	0.00	28.95
20.	रंजक सामग्री	0.00	0.00	2.09	0.00	0.98	19.98	17.77	5.68	0.00	4.50	50.91
21.	औषध तथा भेषज	11.23	6.04	132.70	39.13	42.67	242.69	188.15	83.84	75.73	207.55	1029.73
22.	वस्त्र (रंजित, मुद्रित सहित)	0.28	18.65	35.42	140.77	147.88	152.07	159.03	50.35	124.88	8.10	837.44
23.	कागज उत्पाद सहित कागजी लुग्दी	0.00	0.02	0.00	13.70	111.43	308.08	147.17	234.17	51.36	259.95	1125.89
24.	चीनी	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.07	24.40	0.00	0.00	0.00	26.01
25.	किण्वन उद्योग	0.00	0.00	0.00	29.20	6.72	12.53	32.02	0.00	0.00	57.78	138.25
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2.12	58.09	142.81	209.48	154.73	641.15	517.74	236.88	404.70	201.12	2568.81
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	0.00	0.68	0.00	37.14	0.83	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	46.94
28.	साबुन, कोस्मेटिक व टॉयलेट प्रिपरेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	2.42
29.	रबड़ की वस्तुएँ	0.00	9.93	3.62	24.11	4.06	47.66	162.55	36.20	17.76	16.20	322.09
30.	चमड़ा, चमड़े का सामान तथा पिकर्स	0.13	0.00	29.43	5.35	8.08	8.20	55.42	5.32	0.15	1.32	113.42
31.	ग्लू तथा जिलेटिन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	118.00
32.	काँच	0.00	0.00	57.50	0.26	105.66	19.82	64.61	145.48	171.81	94.16	659.30

क्रम.सं.	क्षेत्र	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	कुल
33.	सिरेमिक	0.14	1.93	10.26	35.06	8.01	59.44	46.44	6.92	9.75	8.23	180.22
34.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	0.00	0.68	14.60	35.49	56.27	10.23	11.82	27.93	9.34	317.83	484.09
35.	परामर्शदायी सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	21.42	10.83	32.83
36.	सेवा क्षेत्र	0.03	4.83	121.49	94.31	1101.49	1010.69	541.14	767.98	402.38	181.06	4225.41
37.	होटल एवं पर्यटन	0.00	0.74	0.29	53.30	21.91	44.43	103.19	39.95	40.54	51.91	356.06
38.	ट्रेडिंग	0.00	0.19	5.50	24.09	332.01	65.07	94.51	52.00	98.05	113.03	784.45
39.	विविध उद्योग** एन.आर.आई., आर.बी.आई.#	18.09	38.70	72.76	408.78	612.97	2292.01	6265.18	5154.86	11337.57	10052.61	36253.53
40.	एन.आर.आई. स्कीम	162.30	153.00	579.41	1145.26	1987.84	2062.06	1039.62	359.48	348.83	261.02	8098.22
	कुल	265.63	691.20	1861.96	3149.66	6935.14	10397.02	46423.82	13339.86	16867.81	15411.12	85615.23

* 1.1.91 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित विशेष एन.आर.आई. योजनाएँ और विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय आंकड़े अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः अनुमोदन मार्ग के संदर्भ में अनुमोदनों/अंतर्वाहों को संबंधित क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया है।

** विविध उद्योगों में विविध क्षेत्र, यूरो डब्ल्यू. के ए.एम.टी. (जी.डी.आर./एफ.सी.सी.बी.) और निवासी के अनिवासी को शेयरों के हस्तांतरण पर अंतर्वाह शामिल हैं।

क्षेत्रवार आंकड़े अनंतिम हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के समाधान के अध्यधीन हैं।

यू.एस.-64 बेलआउट डील

*490. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्वामित्व वाले विभिन्न शेयर खरीदने में 2,200 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है जिसे 'यू.एस.-64 बेलआउट डील' का नाम दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस जबरन खरीद के पीछे क्या विवशता थी;

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट किस हद तक म्यूचुअल फंड के रूप में अपनी भूमिका का संचालन करने में सक्षम रहा है;

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विभिन्न निवेशों से अप्रत्यक्ष घाटे हुए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरे क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा अपनी देखरेख को और सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) यू.एस.-64 के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्टों के परिणामस्वरूप भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने यू.एस.-64 के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा करने तथा निवेशकों का विश्वास बनाए रखने हेतु उपायों की संस्तुति करने के लिए अक्तूबर, 1998 में श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में यू.एस.-64 संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की कि एक विशेष यूनिट योजना (एस.यू.एस.-99) का सृजन करके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्टाकों को भारत सरकार को अंतरित किया जाए। तदनुसार, एस.यू.एस.-99 जून, 1999 में प्रारंभ की गई जिसमें भारत सरकार ने दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा योजना के लिए 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके साथ ही, यू.एस.-64 की पी.एस.यू. धारिताएं 3300 करोड़ रुपए के बही मूल्य पर एस.यू.एस.-99 को अंतरिम की गईं जिनका बाजार मूल्य 28 जून, 1999 को 1526.91 करोड़ रुपए था। 7 दिसम्बर, 2000 तक यह घटकर 1369.48 करोड़ रुपए पर आ गया।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना बचत तथा निवेश एवं प्रतिभूतियों में निवेशों से इसे उपार्जित होने वाली आय, लाभ तथा फायदों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह 75,159 करोड़ रुपए के कुल पोर्टफोलियो की प्रबंध व्यवस्था तथा 54 शाखाओं, 3 यू.एफ.सी., 288 मुख्य प्रतिनिधियों तथा लगभग 75,000 एजेंटों के सर्विसिंग तथा वितरण नेटवर्क वाली 93 म्यूचुअल फंड योजनाओं के तहत 4.3 करोड़ निवेशकों की सेवा करता है।

(घ) लाभ तथा हानि स्थितियां संबंधित योजना के निवल परिसंपत्ति मूल्य में दर्शाई जाती हैं तथा निवेश करने वाली जनता के सूचनार्थ लेखों संबंधी वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं।

(ङ) ऊपर (घ) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय यूनिट ट्रस्ट संसद के अधिनियम द्वारा सृजित एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार न्यासी बोर्ड अपने कार्यों का निर्वहन करते समय यूनिट धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कारोबार सिद्धांतों पर कार्य करता है। जुलाई, 1994 के

पश्चात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा आरंभ की गई सभी योजनाएँ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियामक क्षेत्राधिकार में आती हैं। 1994 से पूर्व आरंभ की गई अधिकांश योजनाओं को भी स्वेच्छा से सेबी के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तथा म्यूचुअल फंडों के लिए इसके दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन लाया गया है। जुलाई, 2000 में, सरकार के सुझाव पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों तथा म्यूचुअल फंड उद्योग में घटनाक्रम के प्रकाश में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक तथा वाणिज्यिक स्थिति की पुनरीक्षा के लिए कारपोरेट स्थिति संबंधी समिति का गठन किया है।

उपभोक्ता आंदोलन

*491. **श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कमजोर है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन से क्या अनुभव हुआ; और

(घ) इस कार्य में संलिप्त बिचौलियों और अन्य एजेंसियों को हटाकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) भारत में उपभोक्ता आंदोलन जड़ें जमा रहा है और समान स्थिति वाले अन्य देशों की बराबरी कर रहा है।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता विवादों के तुलनात्मक रूप में तुरंत और किफायती प्रतितोष के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक तीन स्तरीय तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस समय 569 जिला मंच, 32 राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग है। इन मंचों का उपभोक्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा है। इन मंचों में इनकी स्थापना काल में कुल 16,02,706 मामले दायर किए गए हैं जिनमें से 78.8% मामले निपटा दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी भंडारों तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की सर्वप्रिय जैसी स्कीमों के जरिए उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर बारीकी से निगरानी रखती है और जब भी आवश्यक होता है बाजार दखल कार्रवाई करती है।

घरेलू म्यूचुअल फंड

*492. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वव्यापी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने हेतु घरेलू म्यूचुअल फंड्स को भी अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस हेतु कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निवेशकों द्वारा इसका किस सीमा तक स्वागत किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों वाली पूँजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने भारतीय कंपनियों द्वारा निर्गम किए गए ए.डी.आर./जी.डी.आर. में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंडों को अनुमत करने हेतु अगस्त, 1998 में निर्णय लिया।

(ख) और (ग) म्यूचुअल फंडों को 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा तथा प्रत्येक म्यूचुअल फंड के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर अथवा प्रबंधनाधीन निवल संपत्तियों के 10 प्रतिशत की उप-सीमा, जो भी कम हो, के अध्यधीन, भारतीय कंपनियों द्वारा निर्गत ए.डी.आर./जी.डी.आर. में निवेश करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) सेबी को ए.डी.आर./जी.डी.आर. में निवेश की अनुमति देने के लिए पांच म्यूचुअल फंडों से आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं तथा उसने उन्हें समाशोधित कर दिया है।

गन्ने की मूल्य निर्धारण नीति

*493. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गन्ने के मूल्यों के अयथार्थवादी स्तर पर निर्धारण के कारण चीनी उत्पादक राज्यों में वर्ष-दर-वर्ष किसानों के पास गन्ने के भंडार में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, राज्यवार गन्ने के भंडार और निर्धारित-मूल्यों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को गन्ने की तर्कसंगत मूल्य निर्धारण नीति बनाने के संबंध में चीनी उत्पादक राज्य सरकारों, चीनी मिलों की संस्थाओं/संघों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने सूचित किया है कि उत्पादकों के पास उपलब्ध गन्ना स्टॉक के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, फसल वर्ष 1999-2000 के दौरान गन्ने का उत्पादन 3093.07 लाख टन के स्तर पर होने का अनुमान है जबकि फसल वर्ष 1998-99 और 1997-98 के दौरान क्रमशः 2957.25 लाख टन और 2795.41 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। राज्यवार गन्ना उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

भारत सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने के फैक्ट्रीवार न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के न्यूनतम मूल्यों की रेंज निम्नानुसार है:

चीनी मौसम	न्यूनतम मूल्य की रेंज (रुपए प्रति क्विंटल में)
1997-98	48.45-79.05
1998-99	52.70-83.08
1999-2000	56.10-85.80
2000-2001	59.50-96.60

भारत सरकार गन्ने के न्यूनतम मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करती है। यह आयोग कृषि उत्पादों के मूल्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकाय है।

(ग) और (घ) सरकार को भारतीय चीनी मिल संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना मूल्य को युक्तियुक्त बनाने और गन्ना मूल्य नीति संबंधी महाजन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का सुझाव दिया है। महाजन समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

गन्ने का राज्यवार उत्पादन

1997-98 से 1999-2000 के दौरान उत्पादन के अनुमान
(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	139.55	166.846	187.93
असम	12.785	12.236	12.45
बिहार	49.599	52.188	54.3
गोवा	0.624	0.64	0.65
गुजरात	118.632	135.663	143.09
हरियाणा	75.5	68.8	81.36
हिमाचल प्रदेश	1.391	1.202	1.24
जम्मू व कश्मीर	0.065	0.06	0.01
कर्नाटक	283.327	284.54	297.29
केरल	5.481	4.064	4.36
मध्य प्रदेश	16.317	19.73	21.73
महाराष्ट्र	381.743	471.511	567.44
मणिपुर	0.154	0.154	0.15
मेघालय	0.023	0.02	0.02
मिजोरम	0.075	0.079	0.08
नागालैंड	0.5	0.68	0.61
उड़ीसा	11.44	14.695	10.98
पंजाब	71.5	61.3	68.85
राजस्थान	11.587	40.783	8
तमिलनाडु	301.836	466.728	392.03
त्रिपुरा	0.58	0.43	0.5
उत्तर प्रदेश	1292.667	1163.028	1220.09
पश्चिम बंगाल	18.257	20.019	18.06
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.048	0.047	0.05
पांडिचेरी	1.913	1.812	1.8
अखिल भारत	2795.414	2957.255	3093.07

किसानों को ऋण

*494. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतंत्र स्कंध स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक इस समय किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं की सही ढंग से निगरानी नहीं कर पा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश को किस ढंग से लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्राथमिकता क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा बैंकों से प्राप्त छमाही विवरणों के माध्यम से की जाती है। इन विवरणियों के आधार पर उन बैंकों को अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए कहा जाता है जो कि लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं। 40 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले सरकारी क्षेत्र में बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र को उधार मार्च, 2000 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उनके निवल बैंक ऋण का 43.63 प्रतिशत था। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर भी अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत ब्लाक/जिला/राज्य के स्तर पर विचार किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। लक्ष्य के अनुसार कृषि क्षेत्र को उधार देने में किसी प्रकार की कमी के बदले बैंकों से ग्रामीण आधारिक विकास निधि में अंशदान करवाया जाता है।

आयकर की 'छह में से एक' शर्त वाली योजना में सुधार

*495. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'छह में से एक' शर्त वाली आयकर योजना में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर वसूली के बारे में योजना के प्रभाव की समीक्षा की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) और अधिक संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) और (ख) छः में से एक योजना में किसी संशोधन के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक होगा। योजना में संशोधन सहित संविधि में संशोधन से संबंधित सुझाव सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। इन पर आगामी बजट प्रक्रिया के दौरान सम्यकरूप से विचार किया जाएगा और सरकार के निर्णय को वार्षिक बजट प्रस्तावों में दर्शाया जाएगा।

(ग) और (घ) उक्त योजना द्वारा संभावित करदाताओं की पहचान की गई है जो छः आर्थिक मानदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करते हैं और इसीलिए वे आय की विवरणी दायर करने के लिए उत्तरदायी हैं, भले ही कराधेय आय होने के नाते वे ऐसी विवरणी दायर करने के लिए उत्तरदायी न हों। चूँकि आर्थिक मानदंडों से संबंधित सूचना के आधार पर व्यक्तियों को लक्ष्य बनाना अपेक्षाकृत सरल है, अतः यह योजना एक निवारक के रूप में भी कार्य करती है तथा कराधेय आय वाले व्यक्तियों को सामान्य अवधि के दौरान आय की विवरणियां दायर करने और इस पर कर की अदायगी करने के लिए उन्हें बाध्य करती हैं। बढ़ते हुए कर आधार पर योजना के प्रभाव की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा इस संबंध में करदाताओं की संख्या में वृद्धि जो अप्रैल, 1997 में 116.45 लाख से बढ़कर अक्टूबर, 2000 में 230.11 लाख हो गई इसकी सफलता का प्रमाण है।

प्रत्यक्ष कर वसूलियों पर योजना के प्रभाव के संबंध में इस प्रकार वसूल किए गए कर पर कोई अलग से आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि उक्त योजना के सकारात्मक प्रभाव को वर्ष 1997-98 में 17,101 करोड़ रुपए से वर्ष 1999-2000 में 25,655 करोड़ रुपए की निजी आय कर वसूलियों की वृद्धि में और ऐसी वसूलियों में चालू वर्ष में वृद्धि, जो गत वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में नवम्बर, 2000 तक वास्तविक वसूली की तुलना में 40.03 प्रतिशत अधिक है, में दर्शाया गया है।

(ङ) छः में से एक स्कीम के अलावा, कर दायरे में और अधिक व्यक्तियों को लाने के लिए निम्नलिखित कानूनी उपाय किए गए हैं:

1. कतिपय विनिर्दिष्ट उच्च मूल्य के लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों में स्थायी खाता संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया गया है।

2. सामान्य कारोबार पहचान संख्या के रूप में स्थायी खाता संख्या के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि वे व्यक्तियों के कतिपय वर्ग अथवा वर्गों को अधिसूचित कर सकें जिनके लिए स्थायी खाता संख्या हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। प्रारंभ में इस प्रयोजनार्थ एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली और सेवा कर नियमावली के अंतर्गत निर्धारण योग्य व्यक्तियों तथा निर्यातकों और आयातकों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. सिविल निर्माण, परिवहन और खुदरा व्यापार के कारोबार में लगे व्यक्तियों के संबंध में एक अनुमानित आय नामक योजना का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को विकसित किया गया है और विभिन्न एजेंसियों से एकत्र की गई सूचना के साथ वर्तमान आयकर निर्धारितियों के आंकड़ा आधार का कारगर ढंग से मिलान किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न शहरों में प्रचार अभियानों को भी चलाया जा रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम का संस्थापना व्यय

*496. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय जीवन बीमा निगम के संस्थापना व्यय को कम करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम की दावा प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम के स्थापना व्यय में मुख्यतया कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी तथा कार्यालय परिसरों पर होने वाला व्यय इत्यादि शामिल है। ये नियत खर्चे हैं और इन्हें तत्काल कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, एजेंटों के कमीशन के भुगतान पर भी व्यय किया जाता है। जीवन बीमा निमग ने गत कई वर्षों से नई भर्ती करने तथा नए कार्यालय खोलने पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है। इस संगठन में लगभग संपूर्ण कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होने के परिणामस्वरूप भी कर्मचारियों की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है। इससे स्थापना व्यय पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। सरकार ने उत्पादकता से सम्बद्ध एक मुश्त राशि की एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक भाग नए कारोबार तथा प्रीमियम आय में वृद्धि से जुड़ा होगा। इसे प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में प्रबंध व्यय में कमी आने की संभावना है।

(ग) जीवन बीमा निगम दावा निपटान प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा करता है। इस प्रक्रिया को पर्याप्त उदार बनाया गया है और पहले अपेक्षित मानी जाने वाली अनेक औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया गया है। दावों के शीघ्र निपटान के लिए प्रचालन-कार्यालयों को अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। शाखाओं के कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग मे भी दावों के शीघ्र निपटान में मदद की है। विवादग्रस्त दावों के लिए गठित दावा समीक्षा समितियों को और मजूबत बनाया गया है।

उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु कृतिक बल

*497. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवसंरचना क्षेत्र, पूँजी बाजार, प्रशासनिक और कानूनी सुधारों और अन्य क्षेत्रों हेतु सरकार द्वारा गठित कृतिक बलों के लिए बने निदेश पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कृतिक बलों ने अपनी रिपार्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कृतिक बलों की रिपोर्टों के आधार पर क्या कार्ययोजना तैयार की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) व्यापार और उद्योग से संबंधित प्रधानमंत्री की परिषद् व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र के प्रमुख चैंबरों के प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों का एक नामित निकाय है, जो समय-समय पर प्रधानमंत्री से मिलता रहता है। यह परिषद् एक परामर्शदाता निकाय है तथा इसके विचार-विमर्श अनौपचारिक सलाह-मशवरे के रूप में होते हैं जिससे मुख्य आर्थिक मामलों के संबंध में व्यापार तथा उद्योग के दृष्टिकोण के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा सके। इस निकाय के पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं तथा सरकार के रोजमर्रा के कार्यों में इसकी कोई औपचारिक भूमिका नहीं होती।

कुछ विषयों की गहराई से जांच करने तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न नीति संबंधी विकल्पों को प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त परिषद् ने 1998 में अपने सदस्यों में से छः विषय समूहों का गठन किया:

1. खाद्य व कृषि उद्योग प्रबंध नीति।

2. आधारभूत ढांचा।

3. पूँजी बाजार तथा वित्तीय क्षेत्र संबंधी पहल।

4. ज्ञान पर आधारित उद्योग।

5. सेवा उद्योग।

6. प्रशासनिक और कानूनी सरलीकरण।

छः विशेष विषय समूहों की रिपोर्टों का पूरा पाठ प्रधानमंत्री कार्यालय के वेबसाइट (एचटीटीपी//डब्ल्यू.डब्ल्यू.एनआईसीआईएनपीएम काउंसिल/टी.आई.सी.) पर उपलब्ध है। व्यापार तथा उद्योग परिषद् की एक संपूर्ण बैठक में इन रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया गया था। प्रस्तुत रिपोर्टों की मुख्य सिफारिशों का सारांश भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। बाद में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समीक्षा समिति का भी गठन किया गया जिससे उपरोक्त सिफारिशों पर, जहाँ आवश्यक हो, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की आवधिक रूप से समीक्षा की जा सके।

विषय समूहों की रिपोर्टों तथा परिषद् के विचार-विमर्श नीति निर्धारण के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। विशेष विषय समूहों द्वारा की गई सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

इस्पात संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*498. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन इस्पात संयंत्रों के राज्य सहित नाम क्या हैं जिनमें अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है;

(ग) क्या विदेशी साम्य पूँजी के लिए कुछ प्रतिशत अनुपात निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी इक्विटी कितने प्रतिशत है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस्पात सहित धातुकर्मी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए राज्य-वार अनुमोदनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा निकाले जाने वाले मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसका सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालन किया जाता है।

(ग) और (घ) इस्पात क्षेत्र में नया उद्यम लगाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उपबंधों की शर्तों के अध्यधीन 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति स्वतः मार्ग के तहत दी जाती है। इस समय, केन्द्र सरकार का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

अगस्त, 1991 से अक्टूबर, 2000 तक अनुमोदित किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

धातुकर्मी उद्योग के लिए

राज्य	अनुमोदनों की संख्या वित्तीय	अनुमोदित वि.प्र.नि. की राशि (रुपए करोड़ में)	कुल का %
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	14	1008.34	7.04
बिहार	5	17.10	0.12
गुजरात	19	796.37	5.56
हरियाणा	10	86.75	0.61
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00
कर्नाटक	15	1040.69	7.26
केरल	1	0.32	0.00
मध्य प्रदेश	4	1529.35	10.67
महाराष्ट्र	36	1279.13	8.93
मेघालय	3	46.96	0.33
उड़ीसा	22	2066.97	14.42
पंजाब	2	17.13	0.12
राजस्थान	7	122.16	0.85
तमिलनाडु	30	512.38	3.58
उत्तर प्रदेश	5	8.05	0.06
पश्चिम बंगाल	11	39.66	0.28
दादर और नगर हवेली	1	2.00	0.01
दिल्ली	18	831.01	5.80
गोवा	6	65.60	0.46
दमन और दीव	0	0.00	0.00
दर्शाए नहीं गए राज्य	89	4859.99	33.91
कुल	298	14329.96	

बैंकों की ऋण पर मुख्य ब्याज दर

*499. **श्री रामजी मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक द्वारा देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों का मुकाबला करने के लिए बैंकों को ऋण की मुख्य ब्याज दर (पी.एल.आर.) के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप को रोकने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व स्तर पर कारोबार करने हेतु बैंकों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार को यह अनुमति न देने में क्या आशंका दिखाई देती है; और

(ङ) विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों से कारोबार/ग्राहकों का कितने प्रतिशत हिस्सा छीन लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात ऋण के मामले को छोड़कर बैंकों की उधार दरें निर्धारित नहीं करता। बैंक अपनी निधियों की लागत, लेनदेन की लागतों आदि पर विचार करने के बाद, मूल उधार दर (पी.एल.आर.) सहित अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को, अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अध्यधीन, मूल उधार दर (पी.एल.आर.) की घोषणा करनी होती है जो बैंक द्वार 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली न्यूनतम दर होनी चाहिए।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों का विभिन्न देशों में कार्यरत विदेशी शाखाओं का नेटवर्क पहले से है। वे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, वे देश में कार्यरत बहुत से विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

(ङ) 31 मार्च, 1999 और 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों तथा सरकारी क्षेत्र में बैंकों, विदेशी बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्सों को देशाने वाला विवरण संलग्न है। यद्यपि 1999-2000 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्सों में 0.68 प्रतिशत की मामूली सी कमी आई है। तथापि, इस कमी की विदेशी बैंकों की जमाराशियों के हिस्से में किसी भी वृद्धि से तुलना नहीं की जा सकती है। वस्तुतः इसी अवधि के दौरान विदेशी बैंकों के हिस्से में भी 0.68 प्रतिशत की गिरावट आई है। परंतु, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने बाजार के हिस्से में तदनुरूप वृद्धि करने में सफल रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ 1999-2000 के दौरान, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में 1.02 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं विदेशी बैंकों के तद्नुरूप हिस्से में केवल 0.04 प्रतिशत की नगण्य वृद्धि हुई। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने बाजार के हिस्से में 0.98 प्रतिशत की वृद्धि करने में सफल रहे हैं, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में आई अधिकांश गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं।

विवरण

31 मार्च, 1999 और 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		सरकारी क्षेत्र के बैंक				विदेशी बैंक				गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक			
	1999	2000	1999	2000	अनुसूचित बैंकों की तुलना में %	अनुसूचित बैंकों की तुलना में %	1999	2000	अनुसूचित बैंकों की तुलना में %	अनुसूचित बैंकों की तुलना में %	1999	2000	अनुसूचित बैंकों की तुलना में %	अनुसूचित बैंकों की तुलना में %
जमाराशियां	771129	900307	636810	737313	82.58	81.90	47464	49324	6.16	5.48	86855	113670	11.26	12.63
अग्रिम	369272	443469	296959	352109	80.42	79.40	29523	35617	7.99	8.03	42790	55743	11.59	12.57

जर्मनी के साथ व्यापार संबंध

***500. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार जर्मनी के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो किन क्षेत्रों में भारत-जर्मन व्यापार को सुदृढ़ बनाया गया है;

(ग) भारत-जर्मन व्यापार के विस्तार हेतु किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन/समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत जर्मन व्यापार में वृद्धि से संबंधित क्षेत्रों में शामिल हैं—जर्मनी को किए जाने वाले निर्यातों के संबंध में आर.एम.जी. कॉटन/सहायक सामग्री, हस्तनिर्मित कालीन, कॉटन वाई.एफ.एम., मशीनरी एवं उपकरण तथा चमड़े की वस्तुएँ और जर्मनी से होने वाले आयातों के संबंध में इलेक्ट्रानिक सामान, रासायनिक उत्पाद, लोहा एवं इस्पात के उत्पाद, कृत्रिम रेजिन/प्लास्टिक सामग्री, परिवहन उपकरण और औषधीय/भेषजीय उत्पाद।

द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं—भारत से होने वाले निर्यातों के लिए औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन, मानव निर्मित फाइबर का आर.एम.जी., हस्तशिल्प, ऑटो पार्टस और आई.टी. क्षेत्र तथा जर्मनी से होने वाले आयातों के संबंध में मशीनरी, व्यावसायिक उपकरण, परियोजना सामान और यांत्रिक औजार इत्यादि।

(घ) और (ङ) हाल ही में किसी समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-जर्मन संयुक्त आयोग का 14वां सत्र अप्रैल, 2000 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। 11 अप्रैल, 2000 को बैठक के दौरान जारी किए गए संयुक्त व्यक्तव्य में द्विपक्षीय व्यापार में सुधार लाने के लिए जिस कार्य योजना की रूपरेखा दी गई है उसमें शामिल हैं—एस.एम.ई. क्षेत्र में सहयोग, व्यापार मेलों में भागीदारी, व्यापारी यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को प्रभावित करने वाली बाधाओं को हटाना, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, दूर संचार और ज्ञान आधारित अन्य उद्योगों के क्षेत्रों के आगे और सहयोग करना।

[हिन्दी]

भारतीय निवेश केन्द्र को बंद करना

5244. श्री ए. नरेंद्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय निवेश केंद्र को बंद करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार भारतीय निवेश केंद्र के कर्मचारियों को कहीं और आत्मसात् करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार इस समय भारतीय निवेश केंद्र को चालू रखने अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय लेने के उद्देश्य से उसके कार्यकरण की समीक्षा कर रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में दृष्टिकोण ऊपर (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

निलंबित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता देना

5245. श्री चंद्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2000 में यह निर्णय दिया है कि निलंबित कर्मचारियों को निलंबन की अवधि के दौरान नियमों/कानून के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलना उनका अधिकार है;

(ख) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने नियमों/कानूनों के अनुसार अपने निलंबित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता नहीं दिया है; और निर्वाह भत्ता बढ़ाने के बाद उन्होंने निलंबित कर्मचारियों से इस आधार पर उसे वापस ले लिया है/बंद कर दिया है कि उन्होंने जांच के साथ सहयोग नहीं दिया है; और

(ग) सरकार का यह जांच करने हेतु कि सरकारी/गैर-सरकारी बैंकों की कार्यवाही कितनी और किस हद तक युक्तिसंगत है, क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बैंक कर्मचारियों को उनके निलंबन की अवधि के दौरान अधिकारी सेवा विनियमों/द्विपक्षीय समझौतें में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाता है।

(ख) भारतीय बैंक संघ, जो सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अपने सदस्य बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है, ने सूचित किया है कि उन्हें सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों, जो औद्योगिक स्तर पर समझौते के एक पक्षकार हैं, में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत अधिकारियों से संबंधित ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एफ.एम. रेडियो से आय

5246. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ.एम. रेडियो से प्राप्त होने वाली आय/राजस्व लक्ष्य से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खरीद नीति

5247. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अपनी खरीद नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार आंध्र प्रदेश के किसानों की सहायता किस हद तक करने के लिए सहमत हो गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी हाँ। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से धान की वसूली शुरू करने का अनुरोध किया है जो विगत में नहीं की जाती थी।

(ग) और (घ) यह निर्णय लिया गया है कि चालू खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा क्रमशः 30% और 70% के अनुपात में 10 लाख टन तक धान की वसूली की जाएगी।

बीमा दावे

5248. श्री अशोक अर्गल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किन पंद्रह शीर्ष कंपनियों को दावे के रूप में अधिकतम राशि का भुगतान किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों को प्राप्त हुए इंश्योरेंस प्रीमियम का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें दावे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) किन सर्वेक्षकों ने इन कंपनियों का सर्वेक्षण किया था और उन्हें दावा राशि प्रदान करने के क्या कारण थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अधिकारियों के प्रशिक्षण दौरे

5249. श्री चिंतामन वनगा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने वाले अधिकारियों के शैक्षिक, प्रबंधकीय, प्रशासनिक और तकनीकी कौशल में सुधार करने की कोई प्रक्रिया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्षवार कितने अधिकारियों को नामित किया गया और प्रत्येक अधिकारी के प्रशिक्षण पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अधिकारी भी शामिल थे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	क्या अ. जाति/ अ.ज. जाति से हैं	किया गया व्यय (रु.)
1	2	3	4
	1997-98		
1.	अनिल कुमार राम सहा.के.नि., एस.टी.आई. (पी), दिल्ली	–	शून्य
2.	आर.के. बुद्धीराजा अधीक्षण अभियंता, आकाशवाणी, जैसलमेर	–	शून्य
3.	सुश्री उज्वला बाबजी, कार्यक्रम निष्पादक	–	शून्य
4.	सुश्री सुषम कोहली कार्यक्रम निष्पादक	–	शून्य
5.	अमीत चक्रवर्ती केंद्र निदेशक	–	शून्य
6.	सुश्री नरून नक्वी केंद्र निदेशक	–	शून्य
7.	एल.पी. योलमो केन्द्र निदेशक	एस.टी.	शून्य
8.	वी.के. शर्मा, अवर सचिव	–	300
9.	ए.एन. शेट्टी, निदेशक	–	300
10.	सुश्री गायत्री शर्मा, उ.नि. प्रशा. दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली	–	300
11.	पी.एस. रंगा, अवर सचिव	एस.सी.	300
12.	जे. राजाशेलवंतन, स.अनु.अभि. फिल्म प्रभाग, मुम्बई	एस.सी.	300
13.	डी. नंदा, सहा. के. अभियंता दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर	–	150
14.	डी. वी.एस. रंगा, उप महानिदेशक दूरदर्शन महानिदेशालय	एस.सी.	300
15.	ए. सैक्यिा, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी	–	300
16.	सुश्री अपर्णा गुप्ता, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	300
17.	सुश्री कंचन प्रसाद, सहा.अनु.अभि. दूरदर्शन महानिदेशालय	–	शून्य
18.	मुकेश शर्मा, उप निदेशक कार्यक्रम, मुंबई	–	300
19.	आर.एन. मिश्रा, निर्माण दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर	–	300

1	2	3	4
20.	पी.के. सेठ, उप महानिदेशक दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली	–	300
21.	देबु चटर्जी, कनिष्ठ कलाकार कार्यक्रम निर्माण केंद्र, नई दिल्ली	–	300
22.	ए.आर. सुरेश, कनिष्ठ कलाकार दूरदर्शन केंद्र, बंगलौर	–	300
23.	के.आर. राममूर्ति वरिष्ठ अभियंता, दिल्ली	–	500
1998-99			
1.	आर.सी. गोपाल, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी, तिरूवनंतपुरम	–	750
2.	सुश्री रत्नाबाली, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी, दिल्ली	–	750
3.	सुश्री उर्वशी जोशी, निदेशक (सेल्स) सी.एस.यू., आकाशवाणी, मुंबई	–	शून्य
4.	डा. आर. श्रीधर, केंद्र निदेशक	–	शून्य
5.	एम.डी. गायकवाड़, उप महानिदेशक	एस.सी.	शून्य
6.	जे.के. दास, कार्यकारी निर्माता	–	शून्य
7.	ओ.आर. नाइजिया, सहा. निदे. (कार्यक्रम) आकाशवाणी, नई दिल्ली	–	शून्य
8.	इंदिवर सचीदेव, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी दिल्ली	–	शून्य
9.	ए.के. अग्रवाल, निदे. (अभि.) (स्टूडियो डिजाइन), आ. महा., नई दिल्ली	–	शून्य
10.	आर.के. सिंह, निदेशक, एस.टी.आई. (टी) आकाशवाणी दिल्ली	–	36,000
11.	आर.टी. चारी, मुख्य अभि. (एस.जेड.) आकाशवाणी, चेन्नई	–	शून्य
12.	एस.आर. कार, सहा. निदेशक (न्यूज) नई दिल्ली	–	शून्य
13.	एम.डी. नेगी, प्रवक्ता एफ.टी.आई.आई., पुणे	एस.टी.	300
14.	मनोज पांडे, जे.ए.जी., आई.आई.एस. दिल्ली	–	शून्य
15.	भाषारत अहमद, डी.सी.पी. दूरदर्शन केंद्र	–	500
16.	दीपा चंद्रा, डी.सी.पी. दूरदर्शन केंद्र	–	500

1	2	3	4
17.	सुश्री अनन्या बनर्जी डी.सी.पी., दूरदर्शन केंद्र	–	500
18.	ए.एस. कोहली, डी.ई. दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	शून्य
19.	मधु नाग, ए.एन.ई. दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	35,000
20.	सुश्री ननू घसीन, ए.एन.ई. दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	35,000
21.	दीपक शर्मा, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी	–	500
22.	के. ज्योतिष कुमार, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, त्रिवेंद्रम	–	500
23.	सुश्री दीपिका कच्छल, ए.एन.ई. दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	500
24.	सुश्री रूपा आर. मेहता, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, अहमदाबाद	–	500
1999-2000			
1.	आर.के. सिंह, निदेशक एस.टी.आई. (टी), दिल्ली	–	26,090
2.	सुश्री मल्लिका करूप, कार्यक्रम निष्पादक तिरूवनंतपुरम	–	शून्य
3.	सुश्री निर्मला टी. आनंद, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी, बंगलौर	–	शून्य
4.	सुश्री सुनिता, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी, नई दिल्ली	एस.सी.	शून्य
5.	लक्ष्मी शंकर बाजपई उप निदेशक, आकाशवाणी	–	शून्य
6.	एस.सी. रुद्र, उप निदेशक (ई.) मुख्य इंजी. (ई.जेड.), कलकत्ता	–	71,000
7.	आर.के. सिन्हा, निदेशक (ई.) मुख्य अभियंता (ई.जेड.), कलकत्ता	–	शून्य
8.	पी. दास, डी.डी.ई. (एफ.ए.), आकाशवाणी	–	शून्य
9.	सजू वेन्नीयाओर, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी, पणजी	–	शून्य
10.	जे.पी. चक्रवर्ती, उप निदेशक, आकाशवाणी	–	शून्य
11.	सुश्री. एस. उषालता, कार्य निष्पादक, आकाशवाणी	–	शून्य
12.	सुश्री लिंडा मुखर्जी, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी	एस.टी.	शून्य
13.	वी.के. बनर्जी, उप निदेशक, आकाशवाणी	–	शून्य

1	2	3	4
14.	सुश्री मीनू खरे, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी	–	शून्य
15.	सुश्री अरविंद मनजीत सिंह उ.प्र.सू.आ., पत्र सूचना कार्यालय	–	शून्य
16.	जी.एस. रैना, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	500
17.	सुश्री सूरत मिश्रा, ए.आर.ओ. आकाशवाणी महानिदेशालय	–	525
18.	वी.जी. वासुकी, ए.आर.ओ. दूरदर्शन केंद्र, मुंबई	–	525
19.	सुश्री सरोज शर्मा, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	–	500
20.	ए.के. वर्मा, सहा. निदे. अभियंता आकाशवाणी महानिदेशालय	–	500
21.	पी.के. वेणुगोपाल, कार्यक्रम निष्पादक दूरदर्शन केंद्र, त्रिवेंद्रम	–	500
22.	लोकमन सिंह, सहायक अभियंता कार्यक्रम निर्माण केंद	एस.सी.	शून्य

बासमती चावल का पेटेंट

5250. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास डाटाबेस न होने के कारण वह विदेशों से बासमती चावल का पेटेंट किए जाने के लिए अपना दावा करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा बासमती चावल के संबंध में डाटाबेस तैयार करने और भारत में पाई जाने वाली बासमती चावल की लगभग 12 किस्मों को निर्धारित करने के लिए नए गदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस (यू.एस.पी.टी.ओ.) में एक याचिका दायर की है, जिसमें मै. राइस टैक इंक, यू.एस.ए. को बासमती चावल लाइनों और अनाजों के संबंध में प्रदान किए गए पेटेंट के 15-17 दावों को चुनौती दी गई है। इस याचिका के जवाब में मै. राइस टेक ने उक्त पेटेंट के दावे 4 और 15-17 को वापस लेते हुए यू.एस.पी.टी.ओ. में एक विवरण प्रस्तुत किया है। अन्य दावों के बारे में चुनौती देना उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर आधारित होगा जोकि यू.एस.पी.टी.ओ. में एकतरफा कार्रवाईयों को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित हैं।

कर्नाटक के किसानों को सहायता

5251. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री के साथ एक शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की थी और कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी कमी आने की वजह से उन किसानों को जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं सहायता करने की वकालत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सभी प्रकार की मदद देने और सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक के किसानों से सभी खाद्यान्नों की खरीद कर ली गई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) कर्नाटक के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में वहाँ का एक शिष्टमंडल दिनांक 28 नवम्बर 2000 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से मिला था और अनुरोध किया था कि राज्य में मक्का की विनिर्दिष्टियों को शिथिल किया जाए और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही वसूली में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

किसानों की कठिनाइयों को कम करने और मक्का की मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने विनिर्दिष्टियों को शिथिल बनाया है और कर्नाटक में निम्न प्रकार की मक्का की वसूली करने का निर्णय लिया है :

(i) एक समान विनिर्दिष्टियों के अधीन 1.5% से अधिक क्षतिग्रस्त अनाज के लिए पूर्ण कीमत कटौती की व्यवस्था है, अब 1.5% क्षतिग्रस्त की बजाय अधिकतम 2% तक के क्षतिग्रस्त अनाज की वसूली करना।

(ii) एक समान विनिर्दिष्टियों के अधीन 4.5% से अधिक मामूली रूप से क्षतिग्रस्त, बदरंग और लगे हुए अनाज में पूर्ण कीमत कटौती की व्यवस्था है अब इस अधिकतम सीमा को 4.5% की बजाए 6% किया गया है।

(ङ) और (च) 16 दिसम्बर, 2000 को स्थिति के अनुसार वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रा वसूल की है :

(i) मक्का - 36,000 टन

(ii) चावल - 25,690 टन

(iii) धान - 204 टन

[हिन्दी]

आकाशवाणी की लोकप्रियता रेटिंग

5252. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी के कार्यक्रमों की लोकप्रियता रेटिंग कम हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए समय-समय पर भरसक प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रूस के साथ किए जाने वाले व्यापार में गिरावट

5253. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-रूस व्यापार में गिरावट का रुझान दर्शाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों की सरकारों द्वारा भारत-रूस व्यापार में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वित्तीय वर्ष 1998-99 को छोड़कर, पिछले तीन वर्षों में भारत-रूस व्यापार में गिरावट का कोई रुख प्रदर्शित नहीं हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार रहा है :

(करोड़ रुपए में)

1996-97 (अप्रैल-मार्च)	1997-98 (अप्रैल-मार्च)	1998-99 (अप्रैल-मार्च)	1999-2000 (अप्रैल-मार्च) (अनंतिम)
5110.52	6062.21	5279.71	6798.53

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

(ख) वित्तीय वर्ष 1998-98 के दौरान गिरावट, अन्य बातों के साथ-साथ रूस के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त् संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण आई थी।

(ग) और (घ) वर्तमान भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार से इसकी सही संभाव्यता प्रदर्शित नहीं होती। जनवरी, 2000 में नई दिल्ली में आयोजित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूस कार्यदल के छठे सत्र के दौरान यह महसूस किया गया था कि भारत से मसाला, तेज खाद्य, ट्रापिकल-फ्रूड्स और खाद्य जूस जैसे कृषि उत्पादों के निर्यातों में, नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार विशेषतः उच्च गुणवत्ता और हाइ-टैक मदों के विविधीकरण की संभावना विद्यमान है। भारत सरकार ने सहयोग के नए क्षेत्रों को अभिज्ञात करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- रूसी पक्ष के साथ बातचीत को बढ़ाना जिसमें उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श भी शामिल हैं;
- संयुक्त आयोग संबंधी तंत्र के जरिए उसके व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी कार्यदल और परिवहन, बैंकिंग और वित्तीय मामलों, कृषि संबंधी विभिन्न उप-समूहों के साथ द्विपक्षीय व्यापार की सतत् रूप से समीक्षा करना;
- द्विपक्षीय विचार विमर्शों के जरिए रूस को प्रदत्त ऋण का वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के रूप में त्वरित उपयोग करना; और
- प्रतिनिधिमंडलों, संयुक्त व्यापार परिषदों के आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों के आयोजन, मेलों में भागीदारी इत्यादि के जरिए प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क को बढ़ाना।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण

5254. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेष रूप से बिहार को आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं हेतु कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन परियोजनाओं पर उक्त धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गत तीन वर्षों के दौरान, बिहार सहित विभिन्न राज्यों को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं। गत तीन वर्षों के लिए आर.आई.डी. एफ. के अंतर्गत किए गए राज्यवार संवितरणों के विवरण संलग्न हैं।

(ग) आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य सरकारों ने मुख्य, मध्यम और गौण कृषि परियोजनाओं में उपयोग किया है।

(घ) और (ङ) आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया ऋण परियोजना विशिष्ट है और राज्य सरकारों को मामले की प्रकृति के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2000-2001 के लिए 4500 करोड़ रुपए के कुल कारपस में से, नाबार्ड ने 15 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, 1950.77 करोड़ रुपए का ऋण पहले ही मंजूर कर दिया है जिसमें से 596.53 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं के लिए थे। सिंचाई परियोजना के लिए ऋणों की और मंजूरी, राज्य सरकारों के प्रस्ताव के प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए संवितरणों का राज्यवार विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	संवितरित राशि
1.	असम	49.97
2.	आंध्र प्रदेश	131.37
3.	बिहार	4.8
4.	गोवा	—
5.	गुजरात	112.5
6.	हरियाणा	51.83
7.	हिमाचल प्रदेश	16.57
8.	जम्मू और कश्मीर	7.36
9.	कर्नाटक	10.49
10.	केरल	8.44
11.	महाराष्ट्र	—
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	मिजोरम	2.18
15.	मध्य प्रदेश	72.02
16.	नागालैंड	—
17.	उड़ीसा	84.81
18.	राजस्थान	74.34
19.	तमिलनाडु	1.67
20.	उत्तर प्रदेश	111.19
21.	पश्चिम बंगाल	15.00
	कुल	754.54

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नियम व विनियमन

5255. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकलापों को शासित करने के लिए कुछेक विशिष्ट नियम और विनियमन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे कुछेक अवैध व्यापारिक कार्यकलापों का पता चला है जो देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 1956 के तहत भारत में सम्मिलित किए जाने के बाद उन्हें भारतीय कंपनियों के बराबर समझा जाता है और देश के सभी कानून उनके लिए भी लागू हैं।

(ग) और (घ) किसी भी कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अवैध कार्य से उस कंपनी पर लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाही की जा सकती है।

[हिन्दी]

बहु-राष्ट्रीय कंपनियां

5256. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री पुष्प जैन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्षेत्रवार और राज्यवार कौन-कौन-सी कंपनियाँ स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या इससे निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या कुछेक विदेशी कंपनियों ने देश के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में जोर-शोर से प्रवेश किया है;

(ङ) क्या भारत में इन कंपनियों की स्थापना करने के परिणामस्वरूप देश को हुए लाभ या होने वाले लाभ के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (घ) जनवरी, 1998 से अक्टूबर, 2000 तक वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति के अनुसार उद्योग और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 4,411 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें 91811.47 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है। परियोजना-वार ब्यौरे मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसे सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। परियोजना विशिष्ट निर्यात संबंधी ब्यौरे केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को, आवश्यक घरेलू पूँजी का पूरक होने के साथ-साथ नई और प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध कौशल को लाने का साधन माना जाता है।

[अनुवाद]

'सेबी' की सिफारिशें

5257. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेबी' की गौण विपणन सलाहकार समिति ने देश में 'सुपुर्दगी-नहीं' अवधि संबंधी मानदंडों को निरस्त करने, दो लेखा-समापन अवधियों के बीच अंतर को कम करने और सतत् सूचीबद्धता प्राप्त करने के लिए कंपनियों द्वारा न्यूनतम चल-स्टाक्स बनाए रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'सेबी' ने स्टाक एक्सचेंजों को अंकीय हस्ताक्षर के द्वारा कांट्रेक्ट नोटों और ग्राहकों की पुष्टि की अनुमति देने के बारे में समुचित स्पष्टीकरण जारी किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समिति द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की द्वितीयक बाजार समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि प्रतिभूतियों हेतु ऐसे लाभांश और बोनस शेयर जारी करने जैसी कंपनी कार्रवाइयों के लिए कोई सुपुर्दगी अवधि-समाप्त न की जाए जिनकी तिजारत अनिवार्य 'डिमैट' रूप में की जाती है। यह भी सिफारिश की गई है कि दो खाता समापन/रिकार्ड तारीखों के बीच समय अंतराल 90 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया जाए। इसके अलावा सूचीबद्ध कंपनियों के चल स्टाक (फ्लोटिंग स्टाक) की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह सिफारिश की गई है कि न्यूनतम गैर-प्रवर्तक धारिता स्तर होने चाहिए।

(ग) और (घ) सेबी ने अपने 15.12.2000 के परिपत्र द्वारा यह सूचित किया है कि शेयर बाजारों को यह स्पष्ट किया गया है कि अंकीय हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणित संविदा नोट जारी करने के लिए दलालों को अनुमति दी गई है बशर्ते दलाल ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणित कराए हों। ग्राहक द्वारा पुष्टि का तरीका वही होगा जिसका निर्धारण दलाल और ग्राहक के बीच करार में किया गया हो।

(ङ) समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) 1 जनवरी, 2001 तक शेयर बाजारों द्वारा अनिवार्य ग्राहक कोड की आवश्यकता का कार्यान्वयन;

(ii) लाभांश, बोनस, अधिकारों की घोषणा या किसी अन्य महत्त्वपूर्ण मामले के बारे में निर्णय लेने के 15 दिनों के अंदर कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा करना;

(iii) दलालों के वर्तमान 'अपने ग्राहक को पहचानिए' वाले स्वरूप की पुनरीक्षा करना ताकि छोटे निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके; और

(iv) दलालों और उनके उप-दलालों के बीच वर्तमान करार की पुनरीक्षा आदि।

[हिन्दी]

कारों के निर्यात में गिरावट

5258. श्री पुष्प जैन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में कारों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यु. (एस.आई.ए.एम.) से अप्रैल से अक्टूबर, 2000 तक के उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि कोई गिरावट नहीं आई है। उपरोक्त अवधि के दौरान 11207 कारों का निर्यात किया गया है जो कि गत वर्ष की उसी अवधि से अधिक हैं जिसमें 10223 कारों का उल्लेखनीय निर्यात हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर भोजपुरी कार्यक्रम

5259. श्री जय प्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के किन क्षेत्रीय चैनलों से इस समय भोजपुरी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है और प्रसारण किए जा रहे इन कार्यक्रमों की केंद्रवार अवधि कितनी है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में पारित किए गए एक संकल्प में सरकार से यह मांग की गई थी कि सरकारी मीडिया से प्रसारित किए जाने वाले भोजपुरी कार्यक्रम में अशिष्टता को रोका जाए और इन कार्यक्रमों के लिए और अधिक समय आवंटित किया जाए;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी कर्मचारी संघ की शिकायतें

5260. श्री एन.आर.के. रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी उद्घोषक संघ ने अपनी शिकायतों का निवारण कराने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) आकाशवाणी उद्घोषक संघ मुख्यतया अपनी सेवा शर्तों के बारे में समय-समय पर अपने अभ्यावेदन सरकार को प्रस्तुत करता आ रहा है। सरकार ऐसे अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और इन मुद्दों पर गुणावगुण तथा मौजूदा निर्देशों के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

पी.आर.बी.एस. योजना

5261. श्री नेपाल चंद्र दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, मेरठ, उत्तर प्रदेश ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. कर्मचारी संघ, कलकत्ता की शिकायत को ध्यान में रखते हुए पी.आर.बी.एस. योजना संबंधी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत कर में छूट को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम, लि. के कर्मचारियों की व्यक्तिगत सहमति के बिना उनके मासिक वेतन से जबरन कटौती से आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 88(2) (सात) के अंतर्गत उन्हें लाभ मिल सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो आयकर आयुक्त, मेरठ द्वारा कर में छूट को रद्द करने में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) और (ख) जी, हाँ। ओ.एन.जी.सी. की पी.आर.बी.एस. स्कीम की मान्यता को रद्द करने के लिए कार्यवाहियां 13.8.1999 को प्रारंभ की गई है। मामला विचाराधीन है।

(ग) पी.आर.बी.एस. स्कीम जैसी अब तक मान्यताप्राप्त निधियों में किए गए सभी अंशदान आयकर अधिनियम, 1991 की धारा 88(2) (सात) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं।

(घ) संबंधित मामले तकनीकी और पेचीदा स्वरूप के हैं और आयकर आयुक्त मेरठ द्वारा इनकी गहराई से जांच की जा रही है।

अभिनेताओं द्वारा फेरा का उल्लंघन

5262. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान भरी संख्या में फिल्मी सितारों ने कथित रूप से विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी फिल्म अभिनेता के विरुद्ध फेरा उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जाली किसान विकास पत्र

5263. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या वित्त मंत्री 4 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की दिल्ली स्थित शाखाओं ने 'जाली किसान विकास पत्रों' की प्रतिभूतियों से संबंधित ऋणों के कई मामलों को अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी बैंकवार और शाखावार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में बट्टे खाते में डाली गई अशोध्य ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सहयोगी बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या जाली विकास पत्रों को स्वीकार करने के लिए जिम्मेवार स्टाफ/अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिवर्ज बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार वसूली की संदिग्धता वाले सभी उधार खातों, जिसमें कोई प्रतिभूति नहीं है, को 'हानि वाली आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत करना होता है। जहाँ कहीं भी बैंक के लाभ से पूर्ण प्रावधान उपलब्ध होता है, वहाँ ऐसे खातों को बट्टे खाते में डाला जा सकता है। परन्तु बट्टे खाते में डालना केवल एक लेखा प्रक्रिया है और उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक की कार्रवाई तथा वसूली करने का अधिकार बना रहता है और प्रभावित नहीं होता है। अनुषंगी बैंकों में से स्टेट बैंक आफ इंदौर की कनाट सर्कस, नई दिल्ली स्थित शाखा ने 1998 में दो खातों में फर्जी किसान विकास पत्रों को गिरवी रखने से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले की सूचना दी थी, इन दोनों मामलों में अंतर्ग्रस्त रकमें बाद में बैंक द्वारा बट्टे खाते में डाल दी गई थीं।

(घ) से (च) केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिन्हें बैंक द्वारा यह मामला जांच के लिए संदर्भित किया गया था, ने भी सूचित किया है कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है और अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। स्टेट बैंक आफ इंदौर ने भी सूचित किया है कि चार अधिकारियों की ओर से जिसमें दो शाखा प्रबंधक और उनकी कनाट सर्कस, नई दिल्ली शाखा में तैनात दो अधिकारी शामिल हैं, चूकें पाई गई थीं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

राज्यों की वित्तीय स्थिति

5264. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान राजस्व घाटे की बढ़ती प्रवृत्ति से कई राज्यों की, विशेषकर महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्व घाटे में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस स्थिति के लिए कोई वित्तीय कुप्रबंधन जिम्मेदार है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) प्राप्तियों और व्यय के दरम्यान असंतुलन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों की वित्तीय हालत खस्ताहाल हुई है। सकल घाटे के प्रतिशत के रूप में हाल के वर्षों में राजस्व घाटा बढ़ा है। राजस्व घाटे के प्रमुख कारण गैर-योजनागत व्यय, खासकर स्थापना व्यय में तेजी से इजाफा, प्राप्तियों में निरंतर कमी और बढ़ती हुई देनदारियां हैं। राज्यों

की वित्तीय हालत पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यथा-निहित सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		आर.डी./जी.एफ.डी.%	
	सभी राज्यों का*	महाराष्ट्र	सभी राज्यों का*	महाराष्ट्र	सभी राज्य*	महाराष्ट्र
1997-98	16333	2579.90	44200	6442.2	37.0	40.0
1998-99(स.अ.)	40491	2741.60	75256	6971.8	53.8	39.3
1999-00(ब.अ.)	40724	7251.90	77893	1101.6	52.3	65.2

*रा.रा. क्षेत्र दिल्ली शामिल है।

(ङ) और (च) संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वायत्तशासी हैं और वित्तीय प्रबंधन प्रथमतः उन्हीं की जिम्मेदारी है। ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों और संघों की वित्तीय हालत की पुनर्समीक्षा और वे अर्थोपाय सुझाए जाने अपेक्षित थे जिनसे सरकारें अलग-अलग और सामूहिक रूप से सार्वजनिक वित्त का पुनर्गठन कर सकें ताकि बजटीय संतुलन बरकरार रखा जा सके और व्यापक आर्थिक स्थायित्व कायम रखा जा सके। भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और राज्यों से राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार किए जाने की अपेक्षा की जा रही है।

(छ) और (ज) कुछ राज्य सरकारें भारत सरकार से समय-समय पर सामान्य और विशेष राहत के लिए अनुरोध करती रहीं हैं। राज्यों के नकद प्रवाह में असंतुलन को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों की आवश्यकता के आधार पर भारत सरकार ने योजना सहायता, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी और लघु बचत ऋण अग्रिम रूप से जारी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भी अनेक राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम सहायता प्रदान की है।

बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट

5265. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित पड़ी है और वह कितने समय से लंबित है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक उन निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन बैंकों के लिए दूसरा निरीक्षण दल गठित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का इन निरीक्षण रिपोर्टों को सार्वजनिक करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1998-99 की अवधि के लिए कोई निरीक्षण रिपोर्ट उनके पास लंबित नहीं है और 1999-2000 को समाप्त हुई अवधि के लिए कुछ बैंकों के निरीक्षण चल रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए कोई निरीक्षण दल गठित नहीं किया है।

(घ) और (ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(1) की शर्तों के अनुसार, रिजर्व बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई और अनुवर्तन के लिए संबंधित बैंक को उपलब्ध कराए। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य तकनीकी परामर्श संगठनों का पुनर्गठन

5266. श्री राजेन गोहेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य तकनीकी परामर्श संगठनों के पुनर्गठन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्वोत्तर उद्योग तथा तकनीकी संगठन के पुनर्गठन और पुनर्जीवन का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का पूर्वोत्तर उद्योग और तकनीकी परामर्श संगठन को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अलग करने तथा इसके संचालन के उद्देश्य से इसे राज्य औद्योगिक विकास बैंक के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सभी तकनीकी परामर्श संगठनों (टी.सी.ओ.) का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए एक प्रसिद्ध परामर्शदाता की नियुक्ति की थी। परामर्शदाता ने अब अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट में टी.सी.ओ. के पुनर्गठन के लिए अनेक विकल्पों पर विचार किए हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटीपण और टी.सी.ओ. का क्षेत्रीय/अखिल भारत आधार पर विलयन शामिल है। आई.डी.बी.आई. इन सिफारिशों की जांच कर रहा है।

पूँजीगत लाभों का समायोजन

5267. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को उन सार्वजनिक उद्यमों जिनका पुनर्गठन किया जा रहा है के संबंध में संचित हानियों को पूँजीगत लाभ के साथ समायोजित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कोई प्रावधान शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार द्वारा वार्षिक बजट प्रकिया के भाग के रूप में प्रत्यक्ष कर उपबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, तो उसे वर्ष 2001-2002 के वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा।

निवेशक शिक्षण केंद्र

5268. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राजैया मल्याला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रमुख शहरों में निवेशक शिक्षण केंद्र स्थापित करने में मदद देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके साथ पंजीकृत निवेशक संघों को अदायगी करने हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सेबी का मान्यताप्राप्त निवेशक संघों को अतिरिक्त राशि की अदायगी करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रतिपूर्ति बाजार में निवेशक शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रमुख शहरों में मुख्य महाविद्यालयों में निवेशक शिक्षण केंद्रों की स्थापना को सुकर बनाने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों में विद्यार्थियों तथा निवेशकों के लिए समर्पित इंटरनेट संयोजकता, पुस्तकें, समाचार पत्र तथा अन्य ज्ञानप्रद सामग्री जैसी सुविधाएँ होंगी।

(ग) से (ङ) सेबी ने सेबी के पास पंजीकृत निवेशक संघों की प्रतिपूर्ति के लिए एक करोड़ रुपए की राशि नामोद्दिष्ट करने का निर्णय किया है ताकि वे सेमिनार आयोजित करने, निवेशक शिक्षण सामग्री के प्रकाशन तथा परिचालन पर अपने व्यय, कंप्यूटर टर्मिनल स्थापित करने, कंपनियों संबंधी डाटाबेस तथा इंटरनेट सेवाएँ स्थापित करने के एक समय पूँजी व्यय को पूरा कर सकें।

(च) सेबी ने निवेशक शिक्षा संवर्धन के अनेक उपाय किए हैं जिनमें निवेशकों में जागरूकता संवर्धन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्रों में निवेशक शिक्षा संबंधी विज्ञापन/सार्वजनिक सूचनाएँ, निवेशकों के लिए संदर्भ पुस्तिकाओं का प्रकाशन तथा वितरण तथा निवेशक संघों का पंजीकरण शामिल है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

5269. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगले पांच वर्षों के लिए महंगाई भत्ते को रोकने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस निर्णय के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि रोकने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रित रखना एक अनवरत और प्रगामी प्रक्रिया है तथा मुद्रास्फीति रोकने संबंधी सरकारी नीति का एक अभिन्न अंग है।

निधियों को दूसरी मदों में खर्च करना

5270. श्री रघुनाथ झा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने सरकार से प्राप्त धन तथा कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि को किन्हीं अन्य शीर्षों में लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच.ई.सी. ने कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासीय फ्लैटों को बेचकर उससे प्राप्त धन को कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि भुगतान करने के बजाय उसका कहीं और उपयोग किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नाबार्ड का पुनर्गठन

5271. श्री राम सिंह कस्वां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नाबार्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव रखा है, ताकि इसके कार्य संचालन हेतु एवं संसाधन जुटाने में अधिक लोच प्रदान की जा सके। प्रस्तावित संशोधनों से नाबार्ड अपने ऋण उत्पादों में विविधता लाने, विभिन्न विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करने, विभिन्न स्थानों से संसाधन जुटाने और ग्रामीण विकास में लगी संस्थाओं को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने में समर्थ होगा। यदि एक बार ये संशोधन कर दिए जाएँगे तो नाबार्ड आवश्यक पुनर्गठन कर पाएगा।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों को हुई हानि

5272. श्री आर.एस. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का प्रमुख बीमा कंपनियों द्वारा भ्रष्टाचार और नियमों और विनियमनों का पालन न करने की जांच करने के लिए तटस्थ निर्धारक और सर्वेक्षक नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कदाचार के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों को कितनी हानि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आती हैं।

(घ) मार्च, 2000 को समाप्त गत तीन वर्षों के संबंध में बीमा कंपनियों के प्रचालन परिणामों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। बीमा कंपनियों द्वारा 'कदाचार' शीर्ष के तहत हानियां दर्शाने वाला कोई अलग खास शीर्ष नहीं रखा जाता।

विवरण

मार्च, 2000 को समाप्त गत तीन वर्षों के संबंध में साधारण बीमा निगम और अनुषंगी कंपनियों के प्रचालन परिणामों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

	जी.आईसी.			नेशनल			न्यू इंडिया			ओरियंटल			यूनाइटेड इंडिया		
	1999-00	1998-99	1997-98	1999-00	1998-99	1997-98	1999-00	1998-99	1997-98	1999-00	1998-99	1997-98	1999-00	1998-99	1997-98
लाभ/हानि (-)	(-)229.53	(-)101.65	(-)63.53	(-)231.91	(-)212.85	(-)92.81	(-)177.98	15.18	57.14	(-)298.50	(-)257.26	(-)112.69	(-)276.63	(-)128.03	(-)172.34
सकल निवेश आय	649.61	615.96	522.06	340.20	312.73	281.50	685.74	635.95	573.90	367.53	341.22	312.25	444.46	416.01	364.69
अन्य आय घटाकर अन्य बहिर्गमन	14.41	23.89	18.22	7.84	16.43	2.83	72.44	84.44	10.37	8.23	16.87	15.86	17.42	26.57	0.52
कर-पूर्व लाभ	405.67	490.44	440.31	100.45	83.45	185.86	435.32	564.69	620.66	60.80	67.09	183.68	150.41	261.41	192.88

कारों की तस्करी

5273. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारों की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो 1998, 1999 और चालू वर्ष में अभी तक कारों की तस्करी के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) कारों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) और (ख) जी, हाँ। निर्यात-आयात नीति का उल्लंघन करके कारों का गैर-कानूनी आयात करने तथा मूल्य के संबंध में गलत घोषणा करने के कुछ ऐसे मामले जानकारी में आए हैं जिन्हें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन तस्करी कहा जाता है। वर्ष 1998, 1999 और 2000 (15.11.2000 तक) के दौरान, गैरकानूनी रूप से आयातित ऐसी

कारों की संख्या, जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत् जब्त किया गया था, नीचे दी गई है :

वर्ष	जब्त कारों की संख्या
1998	109
1999	96
2000 (15.11.2000 तक)	31

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित, सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, कारों सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सदैव चौकस रहते हैं।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा रेलवे को जारी कारण बताओ नोटिस

5274. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता–दो केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय ने नवम्बर, 1986 में जारी छूट के संबंध में जारी अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रेलवे मालडिब्बों पर छूट के लाभ का दोषपूर्ण दावा करने पर कर निर्धारिती (रेलवे) को नवम्बर, 1986 और अगस्त, 1992 में 34.05 करोड़ रुपए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नोटिस जारी करने के बाद भी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 1993 से मार्च, 1998 के बीच 34.05 करोड़ रुपए के ब्याज की राशि की वसूली नहीं की जा सकी;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

5275. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में राज्य-वार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर तथा न्यूतनम समर्थन मूल्य के नीचे की दर पर कितनी मात्रा में चावल तथा गेहूँ की खरीद की गई;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी स्थानीय चावल मिल वालों के साथ मिलीभगत करके किसानों द्वारा लाए गए चावल को जान-बूझकर कम बताकर तथा कम प्रमाणित करके किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं;

(ग) क्या चावल और गेहूँ के मूल्य को जान-बूझकर बहुत कम बताने तथा कम आंकने में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों तथा चावल मिल वालों की मिलीभगत नर नजर रखने, रोकने और टालने के लिए कोई निरीक्षण एजेंसी है;

(घ) क्या ऐसे उल्लंघन के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों तथा चावल मिल वालों के विरुद्ध कोई मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) ऐसी सांठगांठ रोकने के लिए क्या निवारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) संबंधित राज्यों के लेवी नियंत्रण आदेशों के अनुसार मिल मालिकों से चावल की वसूली भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाती है। चावल के लेवी मूल्य राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होते हैं। विभिन्न राज्यों में वसूली किए गए लेवी चावल की वर्षवार मात्रा विवरण-I और II में दर्शाई गई है।

गेहूँ की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी राज्यों के लिए एक समान है। सरकार द्वारा घोषित उचित औसत किस्म संबंधी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ और धान, जो किसानों द्वारा मंडियों/वसूली केंद्रों पर लाई जाती है, की वसूली भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। विभिन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूल किए गए गेहूँ की मात्रा दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है। आंध्र प्रदेश में गेहूँ की कोई वसूली नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं। ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों की वसूली प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा मुख्यालय/आंचलिक क्षेत्रीय/जिला स्तरों पर विशेष दल/स्क्वायड का गठन किया जाता है। किसी शिकायत की दृष्टि में, खाद्यान्नों की वसूली में होने वाली किसी अनियमितताओं को राकने के लिए स्थल पर सत्यापन करने के लिए उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वायड) भी तैनात किए जाते हैं।

विवरण-I

1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 खरीफ विपणन मौसम के दौरान लेवी चावल (रॉ और सेला) का वसूली मूल्य

(लेवी चावल का मूल्य : रुपए प्रति क्विंटल)

क्षेत्र	1997-1998				1998-1999				1999-2000				2000-2001			
	साधारण		ग्रेड 'ए'		साधारण		ग्रेड 'ए'		साधारण		ग्रेड 'ए'		साधारण		ग्रेड 'ए'	
	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब	736.60	740.20	786.00	788.80	788.40	791.20	838.00	840.10	870.90	872.50	920.40	921.30	903.60	904.70	953.70	954.00
हरियाणा	729.40	733.10	778.20	781.20	780.70	783.60	829.80	831.90	864.20	865.90	913.30	914.20	904.20	905.30	954.30	954.70
उत्तर प्रदेश	707.20	711.20	754.50	757.80	757.20	760.40	804.60	807.20	838.00	840.10	885.50	886.80	868.90	970.60	917.00	918.00
राजस्थान	720.20	724.00	768.40	771.50	767.70	770.80	815.90	818.20	849.70	851.60	897.90	899.10	881.30	882.70	930.00	930.70
दिल्ली	729.40	733.10	778.20	781.20	780.70	783.60	829.80	831.60	864.20	865.90	913.30	914.20	896.50	897.70	946.20	946.60
चंडीगढ़	716.50	720.40	764.40	767.60	765.90	766.90	811.60	814.10	845.30	847.30	893.20	894.50	876.70	878.20	925.10	925.90
आंध्र प्रदेश	733.10	738.70	784.40	787.20	783.40	786.30	782.70	834.80	867.30	868.90	916.50	917.40	899.80	900.90	949.60	950.00
कर्नाटक	679.40	683.80	724.60	728.80	724.30	728.10	769.60	772.60	801.40	804.00	846.70	848.60	830.40	832.60	876.20	877.70
मध्य प्रदेश	679.49	683.80	724.60	728.80	724.30	728.10	769.60	772.60	802.90	805.50	848.20	850.10	839.70	841.70	886.00	887.70
महाराष्ट्र	680.50	684.90	725.70	729.40	725.50	729.20	770.60	773.70	802.50	805.10	847.10	849.60	831.50	833.70	877.20	878.70
पं. बंगाल	676.30	680.70	721.30	725.00	721.00	724.80	766.00	769.20	797.80	800.40	824.80	844.80	826.60	828.80	872.10	873.70
पांडिचेरी	673.20	677.70	717.90	721.80	717.80	721.60	762.50	765.70	794.10	796.80	838.90	841.00	822.70	825.00	868.00	869.70
उड़ीसा	710.30	714.30	757.80	761.60	757.20	760.40	804.60	807.20	838.00	840.10	885.50	886.80	869.00	870.60	917.00	917.90
असम	691.80	696.00	737.90	741.40	737.50	741.00	783.60	786.40	816.10	818.50	862.50	863.90	845.60	847.80	892.50	893.80
बिहार	704.20	708.20	751.20	754.80	-	-	-	-	830.70	832.90	877.70	879.20	861.20	863.00	908.80	909.80
गुजरात	-	-	-	-	721.00	724.80	766.00	769.20	792.80	800.40	842.80	844.60	826.60	828.80	872.10	873.70

विवरण-II

लेवी चावल की वसूली राज्यवार/वर्षवार दर्शाने वाला विवरण

(आँकड़े टन में)

राज्य का नाम केंद्रीय खाता (क)	वसूल की गई मात्रा		
	1998-1999	1999-2000	2000-2001
पंजाब	413669	1279604	371631
हरियाणा	223025	753751	240599
उत्तर प्रदेश	861244	1379514	33099
राजस्थान	3081	16106	-
चंडीगढ़	-	3505	-
दिल्ली	-	5685	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-
आंध्र प्रदेश	5051661	5497866	694160
कर्नाटक	100442	111028	-
पांडिचेरी	8005	8587	1431
मध्य प्रदेश	271715	791299	3076
महाराष्ट्र	5015	52335	-
बिहार	-	19311	-
असम	-	-	-
उड़ीसा	480865	897119	47385
पश्चिम बंगाल	140625	351094	-
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-

विवरण-III

गेहूँ की वास्तविक वसूली

(आँकड़े टन में)

क्षेत्र	1998-1999	1999-2000	2000-2001 (9.10.2000 को स्थिति के अनुसार) रबी
पंजाब	61.46	78.31	94.27
हरियाणा	31.45	38.69	44.93
उत्तर प्रदेश	21.41	12.61	15.45
राजस्थान	6.67	6.37	5.39
मध्य प्रदेश	5.30	5.42	3.50
अन्य	0.10	0.02	-
जोड़	126.39	141.42	163.54

निवेशकों के धन का भुगतान न किया जाना

5276. डा. मंदा जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स महाकौशल प्लांटेशन लिमिटेड, मै. ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पेरूटेक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निवेशकों के धन का भुगतान न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनिमय, 1999 जिन्हें अक्टूबर, 1999 में अधिसूचित किया गया था, के तहत कोई मौजूदा सी.आई.एस. संस्था कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती अथवा मौजूदा योजनाओं के तहत भी निवेशकों से धन नहीं जुटा सकती जब तक कि उसे सेबी द्वारा कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र न प्रदान किया जाए। ऊपर उल्लिखित तीन कंपनियों ने सेबी के पास पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। सेबी ने उक्त सहित उन सभी सी.आई.एस. संस्थाओं को, जो सेबी के पास पंजीकरण के लिए आवदेनपत्र भेजने में असफल रही हैं, अपने निवेशकों को भुगतान करने के लिए अपनी योजनाएँ बंद करने की सलाह देते हुए अलग-अलग पत्र भेजें हैं। चूँकि ये कंपनियाँ ऐसा नहीं कर सकीं, उन्हें यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कि अपने निवेशकों को भुगतान करने के लिए योजनाओं को बंद करने के लिए उन्होंने उपाय क्यों नहीं किए क्योंकि वे सेबी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन देने में असमर्थ रहीं थी। सेबी ने इन तीन कंपनियों सहित 605 सी.आई.एस. संस्थाओं के विरुद्ध निवेशकों को भुगतान न कर पाने के कारण परिसमापन कार्यवाहियां आरंभ करने की अनुशंसा की है।

सेबी ने अन्यों के अलावा मै. ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लि. के विरुद्ध लोकहित मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने निवेशकों को भुगतान करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगते हुए एक याचिका दायर की है।

शेयरों के लिए अनिवार्य रोलिंग फार्मूला

5277. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके शेयर दैनिक अनिवार्य रोलिंग स्टाक के अंतर्गत लाए गए हैं;

(ख) इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का क्या औचित्य है;

(ग) क्या इस अनिवार्य रोलिंग फार्मूला के परिणामस्वरूप इन कंपनियों की शेयर कीमत 90 प्रतिशत तक घट गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन कंपनियों के शेयरों को अन्य कंपनियों के समान साप्ताहिक निपटारे के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि आज की तिथि के अनुसार सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की 163 स्क्रिपों आनवार्य चल निपटान के लिए अधिदेशित हैं। इन कंपनियों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सेबी ने यह भी सूचित किया है कि चल निपटान के तहत शामिल स्क्रिपों को लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की दैनिक बिक्री सहित नकदी के तर्कसंगत अंश, अनिवार्य अभौतिकीकृत कारोबार, दोनों निक्षेपागारों के साथ संयोजकता इत्यादि जैसे प्राचलों के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों तथा बाजार भागीदारों से युक्त एक समिति द्वारा अभिज्ञात किया गया है। सेबी के अनुसार चल निपटान के तहत स्क्रिपों के विस्तार को चरणों में बढ़ाया जाएगा।

(ग) और (घ) इन कंपनियों की स्क्रिपों की बाजार कीमत में गिरावट हुई है। किंतु शेयरों का कीमत निर्धारण बाजार निर्धारित होता है जो कंपनी के आधारभूत सिद्धांतों तथा प्रचलित आर्थिक परिस्थितियों का कार्य है। इस प्रकार स्क्रिपों की कीमतों में गिरावट के लिए अनिवार्य चल निपटान में स्क्रिपों की शुरुआत को पूर्णतः उत्तरदायी नहीं माना जा सकता।

(ङ) और (च) सेबी सभी एक्सचेंजों में चरणबद्ध तरीके से सभी स्क्रिपों में चल निपटान की शुरुआत के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान में सेबी अनिवार्य चल निपटान में स्क्रिपों को लेखा अवधि/साप्ताहिक निपटान के अंतर्गत अंतरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा।

विवरण

जनवरी, 2000 से प्रभावी अनिवार्य चल निपटान हेतु स्क्रिपें

1. बी.एफ.एल. साफ्टवेयर लिमिटेड
2. सिटिकार्प सिक्योरिटीज लिमिटेड
3. साइबर टेक सिस्टम्स एंड साफ्टवेयर
4. हाइटेक ड्रिलिंग सर्विसेज (इं.)
5. ल्यूपिन लेबोरेटरीज़
6. मार्स साफ्टवेयर इंटरनेशनल
7. मोरेपान लैब लिमिटेड
8. श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलि.
9. टाटा इन्फोटेक लिमिटेड
10. विज्युल सोफ्ट (इं.) लिमिटेड

21, मार्च, 2000 से प्रभावी अनिवार्य चल निपटान हेतु स्क्रिपें

1. एफ.टेक. इन्फोसिस
2. आर्चीज ग्रीटिंग्स
3. अशोक लेलैंड फाइनेंस
4. बिड़ला ग्लोबल
5. ब्लू स्टार

6. चंबल फर्टिलाइजर्स
7. चेमिनोर इग्स
8. कंटेनर कार्पोरेशन
9. इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स
10. एस्सार स्टील
11. एक्सेल इंडस्ट्रीज
12. फेडरल बैंक
13. गेल
14. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक
15. इंडो रामा सिंथेटिक लि.
16. इंडूसिंड बैंक
17. आई.टी.डब्ल्यू. सिग्नोड
18. जिंदल आयरन
19. जिंदल स्ट्रिप्स
20. के.एल.जी. सिस्टेल्स
21. कोटक महिंद्रा
22. कृष्णा फिलामेंट
23. मारिको इंडस्ट्रीज़
24. मोरारका फाइनेंस लिमिटेड
25. मोरगन स्टेनले
26. एमआरपीएल
27. नवनीत पब्लिकेशन
28. आर्चिड कैमिकल्स
29. पेटा कम.
30. प्रिज्म सीमेंट
31. श्रीसीमेंट
32. सुंदरम क्लियेटन
33. टोरेंट फार्मा.
34. यूनिकैम लैब्स

8 मई, 2000 से प्रभावी अनिवार्य चल निपटान हेतु स्क्रिपें

1. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मैनेजमेंट
2. ए. इन्फो कंज्युमेबल्स लिमिटेड
3. ए.सी.आई. इंफोटिक लि.
4. एलायंज कैपिटल
5. एलायंज सिक्योरिटीज
6. एलोसोफ्ट कार्पो. लि.
7. आल्पस इंफोसिस लि.
8. अंबुजा शिपयार्डस एंड साफ्टवेयर लि.
9. एंसेंट साफ्टवेयर लि.
10. एपेक्स इंटरटेक लि.
11. अर्चना साफ्टवेयर
12. एटको टेक्नोलीज लि.
13. ए.टी.एन. इंटरनेशनल
14. ऑटोराइडर इंड.
15. बी.टी. टेक्नेट लि.
16. बी.एस.ई.एल. इंफार्मेशन सिस्टम लि.
17. कानान इंटरनेशनल सिस्टम्स लि.
18. केनोपी सिक्योरिटीज
19. कैट टेक्नोलॉजी
20. शिकागो साफ्टवेयर लि.
21. चितालिया इंफोटेक (इं.) लि.
22. चोक्श इंफोटेक लि.
23. सिफ्को फाइनेंस
24. सी.एल.आई.ओ. इंफोटेक लि.
25. सी.एम.एस. इंफोटेक लि.
26. कार्काप इंफोसिस लि.
27. साइबरमेट इंफो
28. साइबर स्पेस इफोसिंस लि.
29. डी.आर. साफ्टेक एंड इंडस्ट्रीज लि.
30. दामनिया कैपिटल
31. ईडर इंफोटेक लि.
32. इनाराय फाइनेंस
33. एनकोर साफ्टवेयर लि.
34. एनरिच इंटस्ट्रीज
35. ई.आर.पी. साफ्टसिल्टम्स
36. ई जेड-कार्म्स ट्रेड टेक्नोलॉजी लि.
37. गामा इंफोवे एक्साल्ट लि.
38. जी.एम.आर. वासावी इंफो लि.
39. जी.एम.एस. कंप्यूटर्स (इं.) लि.
40. ग्रो-टेक साफ्टवेयर सर्विसेज लि.
41. गुजरात कैपिटल
42. आईसेज साफ्टवेयर लि.
43. आई.ई.सी. साफ्टवेयर लि.
44. इंडियन इंफो एंड साफ्टवेयर लि.
45. इडेस ई. सोल्यूशंस लि.
46. इन्ना रेड्डी कांप साफ्टवेयर एसो (इं.) लि.
47. कुशाग्र साफ्टवेयर लि.
48. लाल भाई फाइनेंस
49. एल.सी.सी. इंफोटिक लि.
50. लीफिन इंडिया

51. लिबोर्ड इंफोटेक लि.
52. लिंक इंटरनेशनल
53. लियोंस इंडस्ट्री
54. मधुमिलन फाइनेंस
55. महादेव कार्पोरेशन
56. मैजेस्टिक सिक्योरिटीज
57. मेस्कोन ग्लोबल
58. मीडिया वीडियो
59. मिलेनियम इंफासिज टेक्नो. लि.
60. मिनिसोफ्ट लि.
61. मोनालिसा इंफोटेक लि.
62. नेक्ससेन साफ्टेक लि.
63. नेटविस्टा इंफोर्मेशन टेक. लि.
64. एन.एफ.एल. इंफोटेक एल. लि.
65. ओडिसी टेक्नोलीज
66. ओडिसी लि.
67. ओमेगा इंटरएक्टिव टेक्नोलोजी लि.
68. ओनिडा फाइनेंस
69. पेंटियम इंफोटेक लि.
70. फिनिक्स मिल्स
71. पिट्टी फाइनेंस
72. प्लैटिनम फाइनेंस
73. प्रकाश फार्ट्रान साफ्टेक लि.
74. प्रीमियम इंटरनेशनल
75. प्रोलीन साफ्टवेयर एंड फाइनेंस लि.
76. राजेश एक्सपोर्ट्स
77. रांसी साफ्टवेयर (इं.) लि.
78. रौनक फाइनेंस
79. रविलीला फाइनेंस
80. रिलेक्सो फुटवियर
81. रूसो डे एंड कंपनी
82. सार्क नेट लि.
83. सन्माक मोटर
84. सनवान साफ्टवेयर लि.
85. सवाका कम्युनिकेशंस
86. सवाका फाइनेंस
87. शालिभद्र इन्फोसेक लि.
88. शिल्पा साफ्टवेयर कार्पो.
89. शापर्स इंवेस्टमेंट्स
90. श्री एम.एम. साफ्टेक
91. श्याम साफ्टबेयर लि.
92. सिलिकान वैली इंफोटिक लि.
93. सिप इंडस्ट्रीज
94. सोनी इंडस्ट्रीज लि.
95. सर्न इंफोसिस लि.
96. श्रीवेन मल्टीटेक लि.
97. सन बीम इंफोटेक लि.
98. सनस्टार साफ्टवेयर सिस्टम्स लि.
99. सुराना टेली
100. सिनर्जीलोजिन सिस्टम्स लि.
101. टिल इंफोटेक
102. ट्रिलेनियम टेक लि.
103. यूनीसीज साफ्टवेयर्स एंड होल्डिंग लि.
104. यकरंकजी साफ्टवेयर्स लि.
105. वन्स इंफो एंड इंवे.
106. वत्स इंफोटेक लि.
107. विनिट्रोन इंफोर्मेटिक्स लि.
108. वी.एम.सी. साफ्टवेयर लि.
109. वी.एम.एफ साफ्टेक लि.
110. वाशिंगटन साफ्टवेयर
111. वेबसिटी इंफोसिस लि.
112. वर्ल्डवाइड टेल
113. यश मैनेजमेंट
114. इन्नोसोफ्ट टेक्नोलोजीज लि.
115. आई.टी. माइक्रोसिस्टम्स (इं.) लि.
116. किर्लोस्कर इंवे.
117. कोलर इंफो टेक लि.
118. कोटायाला सिक्योरिटीज
119. के.टी.एल. इंफोसिज्ज लि.

[हिन्दी]

दूरदर्शन का आधुनिकीकरण

5278. श्री जगदंबी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन केंद्र द्वारा 'लघु वृत्तचित्रों' के निर्माण और प्रसारण हेतु प्रसार भारती ने क्या नियम निर्धारित किए हैं;

(ख) दो वर्ष पूर्व, 1998 में दिल्ली के अग्रसेन बाबली पर निर्मित फिल्म के प्रदर्शन शुल्क का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली दूरदर्शन केंद्र के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में दूरदर्शन के कर्मचारियों द्वारा लघु वृत्तचित्रों का विभागीय तौर पर निर्माण किया जा रहा है।

(ख) किसी बाह्य निर्मित कार्यक्रम के लिए भुगतान उस कार्यक्रम के प्रसारण के बाद ही किया जाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम को अभी प्रसारित नहीं किया गया है इसलिए अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली में सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इस बारे में समय-समय पर विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है। हाल ही में 13.96 करोड़ रु. के पूँजीगत परिव्यय वाली प्ले बैक सुविधाओं के स्वचलन, स्टूडियो और पश्च-निर्माण हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान संबंधी स्कीमों को अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

बैंक ऋणों की वसूली

5279. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्टूबर, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'टाटाज् डीफाल्ट फारन लोन, लूज सूट इन एन वाई कोर्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या न्यूयार्क सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया और केनरा बैंक की विदेशी शाखाओं को अब टाटा संवर्धित कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी से भारतीय करेंसी में 74 करोड़ रुपए की वसूली करनी है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार कंपनी से इस राशि को किस तरह वसूल करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हाँ। भारतीय स्टेट बैंक समेत बैंकों के एक सहायता संघ (कंसर्शियम) ने टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनीज लि. (आई.एच.सी.एल.) द्वारा प्रवर्तित ताज लंका होटल को ऋण मंजूर किए थे। तथापि, श्रीलंका में जारी जातीय संघर्ष से कंपनी को हुई हानि के कारण बैंकों को वापसी अदायगी होने में चूक हुई तथा बैंकों को कंपनी/प्रतिभूतिकर्ता के विरुद्ध न्यूयार्क में वाद दायर करना पड़ा जिनकी डिक्री बैंक के पक्ष में हुई। तथापि, आई.एच.सी.एल. ने देयराशियों की वापसी अदायगी करने के लिए बैंकों के साथ एक समझौता किया है। मुकदमें के माध्यम से वसूलियों से संबद्ध अनिश्चितता और देरी, श्रीलंका आदि में संपत्तियों की उगाही की कम कीमत को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक तथा वित्तपोषण करने वाले अन्य बैंकों की समिति ने समझौता प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों का निरीक्षण

5280. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री 17 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2916 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन बैंकों का निरीक्षण किया गया था उन्होंने निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्रवाई करके तत्संबंधी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने बैंकों का निरीक्षण किया गया और इनमें से कितने बैंकों ने की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकिंग कंपनियों की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत उनका वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित बैंकों को भेजी जाती हैं और उस पर बैंकों की टिप्पणियां मँगाई जाती हैं। बैंकों के निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है। निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर प्रमुख पर्यवेक्षी मामलों की सूचना बैंकों के शीर्ष प्रबंधन तंत्र को दी जाती है। निरीक्षण रिपोर्टों को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्षों पर बैंकों के शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सुधार के लिए विशिष्ट निगरानी योग्य कार्य योजना (एम.ए.पी.) भी निर्धारित करता है और निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर एक ज्ञापन वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

निरीक्षित सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या नीचे दी गई है :

श्रेणी	1997-98	1998-99	1999-2000
सरकारी क्षेत्र के बैंक	27	26	27
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	35	35	33

इन सभी बैंकों ने अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

'सीडी-रोम' के आयात पर प्रतिबंध

5281. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'काम्पटन 1998 एनसाइक्लोपीडिया' शीर्षक वाले 'सीडी-रोम' के आयात पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं का गलत चित्रण किए जाने और आपत्तिजनक विषयगत संदर्भ शामिल करने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें दी गई गलत सूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सामान को किन परिस्थितियों में जब्त किया गया था?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न में आए सीड़ी-रोम के बारे में यह पाया गया था कि इसमें कुछ ऐसे मानचित्र दिए गए हैं जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की बाहरी सीमाएँ भारतीय सर्वेक्षण के प्रकाशित मानचित्रों के संगत नहीं हैं और इसके मूल पाठ में कश्मीर के विलय के मुद्दे से संबंधित तथ्यों को विकृत करने का प्रयास किया गया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि सीडी-रोम में कथित विश्वकोष के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाए।

(ग) इस खेप को तब जब्त किया गया था जब सीमाशुल्क निकासी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री सरकार की जानकारी में आई।

स्वसक्रियता (आटोमेशन) न होने के कारण बैंक का घाटा

5282. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वसक्रियता (आटोमेशन) के अभाव में राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम लागत और कुशल परिचालन के लिए अपनी शाखाओं को एक-दूसरे से सहबद्ध करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रौद्योगिकीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए की गई/प्रस्तावित नई पहल का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 61.45 प्रतिशत कारोबार को 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1 जनवरी, 2001 से पूर्व अपने कारोबार का 70 प्रतिशत कंप्यूटरीकृत कर दिए जाने की संभावना है। स्वचलकरण के अभाव में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटे, यदि कोई हो, का मूल्यांकन कर पाना कठिन है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंक अधिकाधिक शाखाओं को कंप्यूटरीकृत करने, अधिक ए.टी.एम. खोलने तथा शाखा नेटवर्क को परिचालन में लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों द्वारा पेमेंट सिस्टम जेनरिक आर्किटेक्चर माडल के क्रियान्वयन तथा इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों में सुधार पर जोर दे रहा है।

चाय, कॉफी और रबड़ पैदावार के अंतर्गत क्षेत्र

5285. श्री पी.आर. किंडिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में राज्य-वार चाय, रबड़ और कॉफी पैदावार के अंतर्गत कितना क्षेत्र है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के उत्पादकों को चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड द्वारा वर्षवार पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में चाय, रबड़ और कॉफी बागान के संवर्धन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) उत्पादकों को इस संबंध में दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में चाय, रबड़ एवं कॉफी की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

(क्षेत्र : हे. में)

राज्य	चाय	कॉफी	रबड़
असम	231942	1792	11644
त्रिपुरा	6548	907	25380
अरुणाचल प्रदेश	2520	733	244
मणिपुर	415	726	1610
नागालैंड	284	2665	1615
मेघालय	380	1350	3683
मिजोरम	450	452	543
सिक्किम	173	**	**
पूर्वोत्तर के लिए कुल	242712	8625	44719

स्रोत : वस्तु बोर्ड। ** उपलब्ध नहीं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड तथा रबड़ बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के उपजकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि निम्नानुसार है :

(लाख रु. में)

वस्तु बोर्ड	1998-99	1999-2000
चाय बोर्ड	1473.40	1473.10
कॉफी बोर्ड	344.84	179.20
रबड़ बोर्ड	1156.34	1164.66

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों में चाय, कॉफी तथा रबड़ की खेती का संवर्धन करने के उद्देश्य से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संबंधित वस्तु बोर्डों द्वारा अनेक विकासात्मक योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। इन योजनाओं के द्वारा उपजकर्ताओं को नए रोपण, विकसित किस्मों के पुनर्रोपण, रोपे गए मौजूदा क्षेत्रों को नवीकरण एवं समेकन, पुरानी एवं घिसी-पिटी मशीनरी के बदलने, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, परामर्शी कार्यक्रमों के आयोजन, बाजार सहायता, अनुसंधान तथा विस्तार सहायता इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अप्रत्यक्ष करों की गणना

5284. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता-1) पर हस्ताक्षर करने के बावजूद सरकार निर्बाधित विद्युत आपूर्ति को बिक्रीकर, उत्पाद, शुल्क और सीमा शुल्क हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद नहीं मान रही है हालांकि कंप्यूटरीकरण की पहचान एक 'महत्त्वपूर्ण क्षेत्र' के रूप में की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने बिक्री कर हेतु निर्बाधित विद्युत आपूर्ति की पहचान सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में की है;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) से (ङ) आटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीनों और उनकी इकाइयों के लिए स्टेटिक परिवर्तक सूचना प्रौद्योगिकी करार-I अनसूची में शामिल किए जाते हैं। यह अनुसूची केवल मूलभूत सीमा शुल्क दरों से संबंधित है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी करार-I के अंतर्गत आने वाली बाध्यताओं के अनुसार निर्धारित किया गया है। अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी करार-I अनुसूची उत्पाद शुल्क या बिक्री कर दरों को शामिल नहीं करती या उनसे संबंधित नहीं है तथापि, स्टेटिक परिवर्तकों पर अन्य सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पादों के लिए लागू यथा मूल्य 16% की समान उत्पाद शुल्क दर लगती है।

जहाँ तक बिक्री कर का संबंध है, बिक्री कर सुधारों की निगरानी करने के लिए गठित की गई राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बिक्री कर की समान न्यूनतम दरों की सूची में रखे जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की एक सूची प्राप्त हुयी है। निर्बाधित विद्युत आपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की इस सूची का एक भाग है।

अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

5285. श्री वाई.जी. महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त उन प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अभियंताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आकाशवाणी की सिविल निर्माण स्कंध में गंभीर आरोप पत्र दिए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने अभियंताओं के पास क्षेत्र कार्यों का प्रभार है; और

(ग) इन प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अभियंताओं को अपने विरुद्ध लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को हल्का करने के लिए किसी प्रभाव का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दिल्ली से बाहर स्थानांतरित न किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी में सिविल स्कंध के निम्नलिखित अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की कमी के लिए आरोपत्र दिया गया है :

श्री पी.के. दास, अधिशासी अभियंता (सिविल)

श्री डी.एस. मनचंदा, मुख्य अभियंता (सिविल)-2

श्री ललित कुमार, अधिशासी अभियंता (विद्युत)

श्री जगदीश भगत, अधिशासी अभियंता (प्रशि.)

श्री एस.के. दास, अधीक्षण अभियंता (सिविल)

श्री एस.एन. दास, एस.डब्ल्यू. (सिविल)

श्री एल.के. सलगत, अधि. अभि. (वै.)

श्री वी.के. सिंह, अधीक्षण अभियंता (वै.)

श्री ए.के. वोहरा, अधीक्षण अभियंता (सिविल)

श्री सुरेश कुमार, अधि. अभि. (वै.)

श्री ए.के. मुखोपाध्याय, अधीक्षण अभियंता (सिविल)

श्री एस.आर. मंडल, एस.डब्ल्यू.

(ख) उपरोक्त में से सात अधिकारियों के पास क्षेत्रीय कार्यों का प्रभार है।

(ग) दो अधिकारियों के पास दिल्ली स्थित मुख्यालय के कार्यों का प्रभार है। छः अधिकारी दिल्ली से बाहर तैनात हैं और चार अधिकारी योजना और सर्वेक्षण का कार्य देख रहे हैं जो संवेदनशील प्रकृति के नहीं हैं।

सोडे का विज्ञापन

5286. श्री खारबेल स्वाइं : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सोडे के विज्ञापन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) मौजूदा वाणिज्यिक प्रसारण संहिता दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सोडे के विज्ञापन के प्रसारण को निषिद्ध नहीं करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में सुनोला रिफाइंड तेल का अनुपयुक्त भंडार

5287. डा. संजय पासवान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड से खरीदे गए सुनोला रिफाइंड आयल के 1000 डिब्बे मई, 2000 तक न बिकने के कारण मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो गए हैं;

(ख) क्या इस उपभोग हेतु अनुपयुक्त भंडार में खाद्य उपमिश्रण निवारण नियमों का उल्लंघन करते हुए दुबारा मुहर लगाई गई/लेबल बदले गए हैं;

(ग) सुपर बाजार में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा वस्तुओं की निर्धारित अवधि के बाद बिक्री को रोकने में क्या भूमिका निभाई जाती है; और

(घ) सुपर बाजार द्वारा इसमें संलिप्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. से खरीदे गए 'सुनोला रिफाइंड ऑयल के एक लीटर के जिन पाउचों पर 'बेस्ट बिफोर मई, 2000' का लेबिल लगा हुआ है, उनके केवल 558 डिब्बे मई, 2000 तक नहीं बिक पाए। इन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा गया है। विनिर्माता को उसके अनुरोध पर तेल के पाउचों पर फिर से लेबिल लगाने की अनुमति दी गई।

(ग) और (घ) सुपर बाजार के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की भूमिका केवल वस्तु का इस बात के लिए परीक्षण करने तक सीमित है कि वह वस्तु अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों में निर्धारित विशिष्टियों तथा साथ ही सुपर बाजार की स्वयं की विशिष्टियों के अनुरूप है या नहीं। मै. तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. द्वारा सप्लाई किए गए तेल की सुपर बाजार के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा पिछली बार 2.8.2000 को जांच की गई थी और उसे सही पाया गया।

कर्नाटक में गोदामों का निर्माण

5288. श्री एच.जी. रामुलू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 'आर.आई.डी.एफ.' योजना के अंतर्गत राज्य में गोदामों के निर्माण हेतु 'नाबार्ड' को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो 'नाबार्ड' ने किन-किन स्थानों पर गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है;

(ग) 1999-2000 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) कर्नाटक में बाकी स्थानों पर गोदामों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में गोदामों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ)-V के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नाबार्ड ने तालुका नागलगुंड (जिला धारवाड़), तालुका होजपेट (जिला बेल्लारी), तालुका हासन (जिला हासन), तालुका गुलबर्गा (जिला गुलबर्गा), तालुका गंगावती (जिला कोप्पल), तालुका चित्तपुरा (जिला गुलबर्गा), तालुका बेल्लारी (जिला बेल्लारी) और भद्रावती (जिला शिमोगा) में गोदामों के निर्माण के लिए आठ प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक राज्य में गोदामों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए ऋण की राशि 243.99 लाख रुपए थी।

(घ) नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि कर्नाटक में गोदामों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव उनके पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

5289. डा. बलिराम :
श्री जय प्रकाश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में कितनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां काम कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कितने व्यक्तियों ने अपना धम जमा कराया और उनके द्वारा जमा कराई गई धनराशि कितनी है;

(ग) उक्त कंपनियों में से कितनी कंपनियां जमा राशि के साथ लापता हो गई और इस राशि का उक्त राज्यों में निवेश भी नही किया;

(घ) ऐसी गैर-बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जिन गैर-बैंकिग कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या निम्नलिखित है :

1. नई दिल्ली	7113
2. उत्तर प्रदेश	1403
3. उत्तरांचल	72

(ख) नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचना देने वाली गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत वार्षिक विवरण के अनुसार, लगभग 354694 जमा खाते थे, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 1999 को 526.81 करोड़ रुपए की कुल सार्वजनिक जमाराशि बकाया थी। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के संबंध में ऐसी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से यह सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(घ) और (ङ) जमाकर्ताओं से कुछ ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं जो उनकी जमाराशि वापस करने में असफल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को जब जमाराशि की वापसी अदायगी में चूक के संबंध में शिकायतें मिलती हैं अथवा निरीक्षणों या अन्यथा अन्य गंभीर अनियमितताएँ मिलती हैं तो वह चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंधक आदेश जारी करने, कंपनी को जमाराशि स्वीकार करने एवं अपनी आस्तियों के अन्य संक्रामण से रोकने, समापन याचिका दायर करने और आपराधिक शिकायतें शुरू करने जैसी आवश्यक कार्रवाई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ समस्यात्मक कंपनियों में जमाराशि की वापसी अदायगी की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है।

सरकार ने संसद में एक नया विधेयक भी रखा है। आशा की जाती है कि नए विधयेक के उपबंधों से इन कंपनियों को और अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित किया जा सकेगा और जमाकर्ताओं को बेहतर संरक्षण मिल सकेगा।

[अनुवाद]

भारत में निवेश स्थलों के बारे में सी.आई.आई. का अध्ययन

5290. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में निवेश स्थलों के कार्य निष्पादन को दर्शाने वाले सी.आई.आई. के अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अध्ययन में पश्चिम बंगाल को किस स्थान रैंक में दर्शाया गया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के खराब कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं और पश्चिम बंगाल के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, हाँ।

(ख) 'राज्य कैसा कह रहे हैं?' नामक अध्ययन में दर्शाए गए पश्चिम बंगाल का समग्र मिश्रित दर्जा ग्यारहवां है।

(ग) औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकारों की है। पश्चिम बंगाल अब पेट्रो-रसायन, इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी में आधुनिक उद्योगों के साथ औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। केंद्र औद्योगिक विकास को प्रोत्सोहित करने के लिए समय-समय पर समुचित नीतिगत सुधारों के जरिए सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अनेक उपाय करता है।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम

5291. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2000 को 27 सितम्बर, 2000 को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा भविष्य में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2000 और केबल टेलीविजन संशोधन नियमावली, 2000 पर तत्काल रोक लगाने और इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया था। माननीय न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2000 को मामला खारिज कर दिया।

लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरें

5292. श्री राधा मोहन सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो 1994 से आवेदन शुल्क, नवीकरण आवेदन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों को लागू करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे राज्यों को कितने राजस्व का घाटा हुआ है;

(घ) क्या मामले की जांच की गई है और उत्तरदायित्व तय किया जाएगा;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने आवेदन शुल्क, नवीकरण आवेदन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करने के बारे में 27.9.1994 को एक अधिसूचना जारी की थी। तथापि, ये बढ़ी हुई दरें ब्यूरो द्वारा सितम्बर, 1997 से लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों और लाइसेंसधारियों से 2.38 करोड़ रुपए की कम वसूली हुई। इसमें से लगभग 1.87 करोड़ रुपए की वसूली पहले ही की जा चुकी है।

(ग) राज्यों को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ये शुल्क ब्यूरो मानक चिह्न के उपयोग के लिए मंजूर किए गए लाइसेंसों के संबंध में लिए जाते हैं।

(ख), (घ) से (च) शुल्क की संशोधित दरों को लागू न किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योगों को बन्द किया जाना

5293. श्री जस कौर मीणा :
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने हाल ही में राजस्थान के बंद/रुग्ण उद्योगों के बारे में कतिपय निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने सवाई माधोपुर (राजस्थान) स्थित बंद हो चुके जयपुर उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों को भुगतान और रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई निर्णय दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है और इस हेतु कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा और इन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उचित व्यवस्था कब तक कर ली जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बी.आई.एफ.आर. ने चालू वर्ष 2000 (दिनांक 31.10.2000 तक) के दौरान राजस्थान राज्य से उनके पास पंजीकृत 22 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं। लिए गए निर्णयों से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित है :

धारा 18(4) के अंतर्गत मंजूर पुनर्वास योजना	- 01
रख-रखाव योग्य न मानकर खारिज किए गए	- 06
प्रारूप योजनाएँ परिचालित	- 01
धारा 20(1) के अंतर्गत परिसमापन की सिफारिश किए गए	- 11
परिसमापन नोटिस जारी	- 01
असफल और पुनः खोले गए	- 02
कुल	22

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 24.11.2000 की अपनी सुनवाई में, कंपनी के परिसमापन संबंधी अपने प्रारम्भिक निष्कर्ष की पुष्टि करते समय तथा अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए

अपने विचार संबंधित उच्च न्यायालय को भेजते समय कर्मचारियों को अपनी देयराशियों की वसूलियों के लिए संबंधित न्यायालयों में मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। बी.आई.एफ.आर. के पास अपने पंजीकरण के समय इस कंपनी में लगभग 5500 कर्मचारी नियोजित थे। बी.आई.एफ.आर. या सरकार को कर्मचारियों को देयराशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

अमरावती हेतु कम शक्ति ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केंद्र

5294. श्री अनंत गुढ़े : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक कम शक्ति ट्रांसमीटर और एक शक्तिशाली आकाशवाणी केंद्र की अधिष्ठापना हेतु अनुमोदन दिया गया है;

(ख) क्या इस स्टेशन हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और इस प्रयोजन हेतु पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के वार्षिक बजट में इस प्रयोजन हेतु पृथक्-पृथक् कितनी राशि के आवंटन का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन का अमरावती जिले में टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आकाशवाणी का नौवीं योजना के दौरान अमरावती में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ एक स्थानीय रेडियो केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित रेडियो केंद्र की स्थापना के लिए 2.5 एकड़ का प्लॉट अधिग्रहीत कर लिया गया है और इसके चारों ओर बाड़ा लगा दिया गया है। इस परियोजना पर अब तक 61.21 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान अमरावती की स्कीम के लिए बजट में 0.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

चीनी पर शुल्क वापसी

5295. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी.पी.ई.बी. योजना के अंतर्गत चीनी के एस.पी.सी. और एफ.ओ.बी. मूल्य पर लगे शुल्क को वापिस करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे हमारे चीनी के निर्यात को किस हद तक बढ़ावा मिलेगा;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी चीनी का निर्यात किया गया;

(घ) क्या पाकिस्तान ने इस बार भारत से अधिक चीनी का आयात किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) महानिदेशक विदेश व्यापार ने दिनांक 1.11.2000 से शुल्क छूट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम के तहत सफेद चीनी के निर्यात के लिए पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत की क्रेडिट दर अधिसूचित की है।

(ख) इस सुविधा से देश से चीनी के निर्यात में सुधार होने की संभावना है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 (अप्रैल 2000, सितम्बर, 2000) के दौरान 23.59 करोड़ रुपए की चीनी का निर्यात किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में भारत से कोई चीनी आयात नहीं की है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2000) में पाकिस्तान ने भारत से 12.68 करोड़ रुपए की चीनी का आयात किया है।

रांची दूरदर्शन केंद्र से क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण

5296. प्रो. दुखा भगत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी की तरह रांची दूरदर्शन केंद्र से क्षेत्रीय समाचार प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केंद्र पटना से प्रसारित दो क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों को इस समय दूरदर्शन केंद्र, रांची द्वारा रिले किया जा रहा है।

तंबाकू उत्पादन की अधिकतम सीमा को बढ़ाना

5297. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंबाकू बोर्ड ने वर्ष 2000-2001 के लिए कर्नाटक में तंबाकू उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने सरकार से वर्ष 2000-2001 के लिए अपनी तंबाकू उत्पादन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) तंबाकू बोर्ड ने वर्ष 2000-2001 के लिए कर्नाटक में तंबाकू उत्पादन के लिए 25 मिलियन किग्रा. का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ख) से (घ) जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से फसल की मात्रा को बढ़ाकर 35 मिलियन किग्रा. करने का अनुरोध किया था। बोर्ड के निर्णय को देखते हुए, जिसने व्यापार की जरूरत और अधिशेष स्टॉक को ध्यान में रखकर लिया था, कर्नाटक के लिए फसल की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं की गई।

गुजराती समाचार पत्रों का पंजीकरण

5298. श्री जी.जे. जावीया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवंबर, 2000 तक समाचार पत्रों के पंजीयक के पास कितने गुजराती समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पंजीकृत थीं;

(ख) इनमें से कितनों को सरकारी विज्ञापन मिलते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजराती समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) गुजराती सरकार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 30.11.2000 तक पंजीकृत गुजराती समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या 1951 है।

(ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल समाचारपत्रों को ही विज्ञापन जारी किए जाते हैं। 1.4.2000 से 30.11.2000 की अवधि के दौरान, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को सूची में शामिल 85 गुजराती समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन जारी किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा गुजराती समाचारपत्रों को दी गई कुल राशि क्रमशः 1,43,54,971 रुपए, 2,30,38,276 रुपए, 3,02,46,669 रुपए हैं।

(घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय सरकार की प्रचार अपेक्षाओं, निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और विज्ञापन नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करता है।

[हिन्दी]

बिहार में वित्तीय निवेश

5299. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में वित्तीय संस्थाओं ने बिहार में बहुत कम निवेश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मार्च, 1997 तक इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता का केवल 1.3 प्रतिशत ही बिहार को उपलब्ध कराया गया;

(ग) यदि हाँ, तो इन संस्थाओं द्वारा बिहार में कम निवेश करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं द्वारा बिहार में आनुपातिक निवेश करने हेतु ठोस कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (ए.आई.एफ.आई.) द्वारा बिहार के लिए मंजूर एवं संवितरित सहायता देश में अनेक राज्यों की तुलना में कम रही है।

(ख) बिहार में उद्योगों को मार्च, 1997 के अंत तक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर संचयी सहायता कुल 3928.7 करोड़ रुपए थी, जो सभी राज्यों की कुल सहायता का 1.23 प्रतिशत बैठती है। तथापि, बिहार में संवितरण सभी राज्यों के कुल संवितरण का 1.4 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) वित्तीय संस्थाएँ सभी अर्थक्षम औद्योगिक परियोजनाओं को उनकी अवस्थिति को ध्यान में रखे बिना वित्तीय सहायता देती हैं। तथापि, किसी राज्य विशेष को सहायता देना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें लाभप्रद निवेश प्रस्तावों का प्रवाह, आधारिक सुविधा का स्तर, राज्य सरकार से प्रोत्साहन, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल श्रम, बाजार से निकटता, ऋण खपत क्षमता और राज्य में उद्यमिता का स्तर शामिल है।

रेशमी कालीनों पर शुल्क वापसी

5300. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशमी कालीनों पर शुल्क वापसी बहुत अधिक होने के कारण जम्मू और कश्मीर के कालीन उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : (क) से (ग) जी, नहीं। मौजूदा शुल्क प्रतिअदायगी दर के कारण जम्मू और कश्मीर के कालीन उद्योग पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शुल्क प्रतिअदायगी की दरें निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली निविष्टियों पर सहन किए गए शुल्कों के आयात के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

[अनुवाद]

सी.सी.आई. के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

5301. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 28 नवम्बर,2000 को एक बड़ी रैली का आयोजन किया और सरकार से कंपनी का पुनरुद्धार करने हेतु एक व्यापक पैकेज की माँग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हाँ। ज्ञापन में सी.सी.आई. का पुनरुद्धार, वेतन एवं मजदूरी आदि का भुगतान करने की मांग शामिल है।

(ग) सी.सी.आई. एक रुग्ण कंपनी है तथा एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है। सी.सी.आई. नगदी की समस्याओं का सामना कर रही है जिससे कर्मचारियों के वेतन/मजदूरियों का भुगतान करने में विलंब हुआ है। सरकार वेतन/मजदूरियों के भुगतान के लिए संभव समय सीमा तक कंपनी को गैर-योजना सहायता मुहैया कराती रही है। इसके लिए कंपनी प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

तंबाकू बोर्ड में पंजीकृत तंबाकू उत्पादक

5302. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य से तंबाकू बोर्ड के पास कितने तंबाकू उत्पादक पंजीकृत हैं;

(ख) क्या ऐसे किसान जो तंबाकू बोर्ड में पजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा तंबाकू का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे किसानों द्वारा उत्पादित मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन अपंजीकृत किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में अनुमानतः कितने तंबाकू का उत्पादन किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) तंबाकू बोर्ड में प्रत्येक राज्य के पंजीकृत तंबाकू उपजकर्ताओं की संख्या नीचे दी गई है :

आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	कर्नाटक
44446	60	126	18123

(ख) और (ग) जी हाँ।

(घ) वर्ष 1999-2000 के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में तथा वर्ष 2000-2001 के मौसम के दौरान कर्नाटक में बिना पंजीकरण के उपजाए गए तंबाकू की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार है :

(मिलियन किग्रा. में)

आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	कर्नाटक
11.662	-	0.084	11.140

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोनों के लिए प्रोत्साहन

5303. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आर्थिक जोनों को क्या वरीयताएँ और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या इस कार्य हेतु राज्य सरकारों को कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) की इकाइयों को प्रदत्त हकदारी में शामिल हैं—पूँजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्री इत्यादि पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट, आयकर अधिनियम के अनुसार कर-अवकाश, राज्य से बाहर की गई खरीद पर भुगतान किए गए केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, कुछेक विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र में 100% की विदेशी इक्विटी भागीदारी, पूर्णशुल्क पर घरेलू बाजार में बिक्री करने की सुविधा, सरलीकृत सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क संबंधी प्रक्रिया और उन्नत बुनियादी सुविधाएँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वरीयता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देना

5304. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु निर्धारित वरीयता प्राप्त क्षेत्रों की सूची को विस्तृत बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कौन-कौन से नए उद्योग शामिल किए गए हैं;

(ग) वर्तमान में वरीयता प्राप्त क्षेत्र में कौन-कौन से उद्योग शामिल हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र में नए उद्योगों को शामिल करने के निर्णय के पश्चात् इस क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण के प्रतिशत को बढ़ाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्तमान और पिछला प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार के प्रयोजन के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का कार्य क्षेत्र वर्ष 1998-99 के दौरान व्यापक बनाया गया था, ताकि उसमें इन क्षेत्रों को दिए गए बैंक ऋणों को शामिल किया जा सके: (i) एक करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा वाली साफ्टवेयर इकाइयां; (ii) खाद्य और कृषि प्रसंस्करण उद्योग; (iii) पात्र लघु सड़क और जल परिवहन प्रचालकों और लघु उद्योग क्षेत्र को आगे उधार देने के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; (iv) अति लघु क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों, हथकरघा बुनकरों को आगे उधार देने के लिए ऋण सहायता के रूप में अथवा आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा जारी किए गए विशेष बांडों में निवेश के रूप में आवास एवं शहरी विकास निगम और (v) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.टी.) किंतु इस शर्त के अध्यधीन कि निधियों का उपयोग वर्तमान में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रयोजनों के लिए सहकारिता क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए किया जाता है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था: बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को दिए गए ऋण (i) शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में 10 लाख रुपए प्रति आवासीय इकाई तक आवास क्षेत्र और बिना किसी सीमा के आवास के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक तथा हुडको द्वारा जारी किए गए विशेष बांडों में निवेश; (ii) कृषि को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; (iii) 15 लाख रुपए की संशोधित अधिकतम सीमा (5 लाख से बढ़ाकर) के साथ कृषि के संबंधित गतिविधियों के लिए निविष्टियों के आपूर्तिकार (सप्लायर); (iv) सीधे अथवा किसी मध्यस्थ के जरिए बैंकों द्वारा प्रदान किए गए व्यष्टि ऋण।

(ग) प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत निम्नलिखित नए खंडों को बैंक ऋण में शामिल किया गया है :

(i) लघु उद्योग (लघु उद्योग एकक वे हैं, जो वस्तुओं के विनिर्माण, संसाधन या प्रतिरक्षण में लगे हैं और संयंत्रों एवं मशीनरी में जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है);

(ii) औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना;

(iii) बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा वाले साफ्टवेयर उद्योग; और

(iv) कृषि एवं कृषि आधारित संसाधान क्षेत्र।

(घ) और (ङ) नए उद्योगों को शामिल करने के बाद प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए निर्धारित ऋण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने से संबंधित लक्ष्य नीचे दर्शाए गए हैं:

	अग्रिमों की श्रेणी	घरेलू बैंक	भारत में स्थित विदेशी बैंक
(i)	प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 40%	निवल बैंक ऋण का 32%
(ii)	कृषि को अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 18%	कोई लक्ष्य नहीं
(iii)	कमजोर वर्गों को अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 10%	कोई लक्ष्य नहीं
(iv)	लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	कोई लक्ष्य नहीं	निवल बैंक ऋण का 10%
(v)	निर्यात वित्त	घरेलू बैंकों के लिए निर्यात वित्त प्राथमिकता क्षेत्र का भाग नहीं है।	निवल बैंक ऋण 12%

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कदाचार

5305. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से आज तक के दौरान संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी और अच्छी क्वालिटी के खाद्यान्न घटिया क्वालिटी के खाद्यान्न से बदलने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर इसके गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी और घटिया किस्म के खाद्यान्नों के बदले अच्छे खाद्यान्नों को बदलने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खाद्यान्नों की चोरी रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा दोषी कर्मचारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है और उस पर कार्यवाही की जाती है। चोरी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5306. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और ये कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ख) ऐसे बैंकों की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और बैंक खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) आंध्र प्रदेश सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की राज्य-वार संख्या और स्थान विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) के उपबंधों के अनुसार स्थापित किए गए थे जिसमें यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करती है, यदि प्रायोजक बैंक द्वारा ऐसा किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या और उनके स्थान

क्र. सं.	राज्य का नाम	आर.आर.बी. की सं.	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	16	खमाम, कुडापाह, श्रीकाकुलम, अनंतपुर, चित्तौड़, अदीलाबाद, महबूब नगर, सांगारेड्डी, निल्लौर, वारंगल, तेनाली, करीनगर, हैदराबाद, निजामाबाद, गुड्डीबडा, राजामुदरी
2.	असम	5	नलबाड़ी, गोलाघाट, सिलचर, दिफू, लखीमपुर
3.	बिहार तथा झारखंड	22	आरा, मोतीहारी, गया, पर्णिया, मुज्जफ्फरपुर, मुँगेर, डूमका, मधुबनी, बिहार शरीफ, छहबासा, दरभंगा, समस्तीपुर, डालटनगंज, रांची, छपरा, सिवान, गोपालगंज, गिरीडीह, हजारीबाग, पटना, भागलपुर, बेगूसराय।
4.	गुजरात	9	जामनगर, भुज, पाटन, गोदरा, सुरेंद्रनगर, वलसाड़, हिम्मतनगर, जूनागढ़, भरूच
5.	हरियाणा	4	भिवानी, गुड़गांव, हिसार, अंबाला
6.	हिमाचल प्रदेश	2	मंडी, चंबा
7.	जम्मू एंड कश्मीर	3	श्रीनगर, सूपोर, जम्मू

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	कर्नाटक	13	बेलारी, धारवाड़, मैसूर, गुलबर्गा, चित्रदुर्ग, टूमकूर, कोलार्क, बिजापुर, चिंकमगलूर, शिमोगा, मंगलूर, कूमटा, मंध्या
9.	केरल	2	मंल्लापुरम, कर्णूर
10.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	24	होशंगाबाद, बिलासपुर, रीवा, टिकमगढ़, सतना, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनंदगाँव, झाबुआ, रायगढ़, शिवपुरी, दामोह, देवास, खरगोन, मंडला, छिंदवाड़ा, राजगढ़, शहडोल, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, उज्जैन, दतिया, विदिशा
11.	महाराष्ट्र	10	नांदेड़, औरंगाबाद, चंद्रापुर, अंकोला, रतनागिरी, शोलापुर, भंडारा, यवतमाल थाणे, बुलधाड़ा
12.	मणिपुर	1	इंफाल
13.	मेघालय	1	शिलॉंग
14.	नागालैंड	1	कोहिमा
15.	उड़ीसा	9	पिपली, बोलमगिर, कटक, जयपोर, गोलाघाट, बरीपाड़ा, बेलासुर, बेहरामपुर, धनकलान
16.	पंजाब	5	होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, संगरूर, भटिंडा
17.	राजस्थान	14	जयपुर, पाली, सीकर, चुरू, भरतपुर, माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बूँदी, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर
18.	तमिलनाडु	3	संतूर, धर्मपुरी, चूड़ालोर
19.	त्रिपुरा	1	अगरतला
20.	उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल	40	मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, फरुखाबाद, सीतापुर, बलिया, सुलतानपुर, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, इटावा, बदायूँ, मैनपुरी, वाराणसी, बस्ती, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद, फहतपुर, बरेली, अलीगढ़, गोंडा, बांदा, एटा, जौनपुर, उरई, झांसी, बिजनौर, शाहजहाँपुर, नैनीताल, मिर्जापुर, लखीमपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी, गाजियाबाद
21.	पश्चिम बंगला	9	मालदा, बांकुरा, सूरी, कूच बिहार कृष्णा नगर, अमताला, वर्धमान, हावड़ा, बेहरामपुर
22.	मिजोरम	1	एजोल
23.	अरुणाचल प्रदेश	1	पासीघाट

राजस्थान को विश्व बैंक से ऋण

5307. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने जैसलमेर (राजस्थान) का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने राजस्थान के थार मरुस्थल में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण उपलब्ध कराने की पेशकश की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो थार मरुस्थल में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों हेतु ऋण की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

5308. श्री राम मोहन नायडू :
श्री एम. वी. वी. एल. प्रसाद :
श्री रामचन्द्र बैंदा :
श्री विन्सा पटेल :
श्री शिवाजी माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंडिया इकोनॉमिक शिखर वार्ता को सम्बोधित करते समय भारत को सकल घरेलू उत्पाद की आठ से नौ प्रतिशत वृद्धि हासिल करने हेतु चार सूत्री एजेंडा सुझाया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिखर वार्ता में क्या-क्या सुझाव/अनुशंसाएँ की गई हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) संकल घरेलू उत्पाद में आठ से नौ प्रतिशत वृद्धि हासिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) इंडिया इकोनॉमिक शिखरवार्ता, 2000 (26-28 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित) में वर्ल्ड इकोनामिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार थे : बुनियादी ढांचे का सृजन करने के लिए सुधारों में तेजी लाना, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों का उदारीकरण, सरकारी घाटे को कम करना और विनिवेश व निजीकरण पर अधिक बल देना। शिखर वार्ता में नीति निर्धारण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने, श्रम और दिवालिया कानूनों में आमूल-चूल बदलाव करने, कानूनी ढांचे में देरी को कम करने, अन्य देशों में बेहतर बाजार पहुँच का पता लगाने तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने और सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के बीच उत्पादक परस्पर-क्रियाकलाप के संवर्धन की भी सिफारिश की गई।

(घ) और (ङ) सरकार नीतियों का निर्माण करते समय विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखती है। अर्थव्यवस्था के औद्योगिक, वित्तीय और वैदेशिक क्षेत्रों में विभिन्न विकास प्रेरक सुधार उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। विकास को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए इन सुधारों को जारी रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

5309. श्री जोरा सिंह मान :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों की एजेंसियों से खाद्यानों की खरीद में सहयोग लेता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनसे सहयोग के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्य के लिए निर्धारित भुगतान की दर का पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस मामले पर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझाने की कोई पहल की है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियां एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए खाद्यान्नों की वसूली करते हैं। भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा वसूली की जाती है और गेहूँ के मामले में स्टाक को केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है। जहाँ तक धान का सम्बन्ध है भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकारों/ एजेंसियों द्वारा धान की वसूली की जाती है और मिलिंग के बाद इसे चावल में बदला जाता है और केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल की सुपुर्दगी की जाती है। इन सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक खर्चों के रूप में भुगतान किया जाता है।

(घ) से (छ) राज्य सरकारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनके दावों का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों से और सूचना मांगी गई है।

समाचार इकाइयां

5310. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में स्थान-वार कितनी समाचार इकाइयां हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में कुछ और समाचार इकाइयां खोलने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो राजस्थान और अन्य राज्यों में इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार एककों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विवरण-III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार चरणबद्ध रूप से दूरदर्शन के 14 समाचार एकक खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते आधारभूत सुविधाएं जनशक्ति आदि उपलब्ध हों।

आकाशवाणी का एफ. एम. जयपुर सहित 12 स्थानों में समाचार सेवा शुरू करने का भी विचार है।

विवरण I

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकक	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1. हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
2. विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश
3. गुवाहाटी	असम
4. डिब्रूगढ़	असम
5. सिलचर	असम
6. ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
7 पटना	बिहार
8. पणजी	गोवा
9. अहमदाबाद	गुजरात
10 भुज	गुजरात
11. चण्डीगढ़	हरियाणा, पंजाब एवं चण्डीगढ़
12. शिमला	हिमाचल प्रदेश
13. श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
14. जम्मू	जम्मू और कश्मीर
15. लेह	जम्मू और कश्मीर
16. बेंगलूर	कर्नाटक
17. धारवाड़	कर्नाटक
18. तिरुवन्नतपुरम	केरल
19. कोजीकोड	केरल
20 भोपाल	मध्य प्रदेश
21. इन्दौर	मध्य प्रदेश
22. मुम्बई	महाराष्ट्र
23. औरंगाबाद	महाराष्ट्र
24. नागपुर	महाराष्ट्र
25. पुणे	महाराष्ट्र
26. इम्फाल	मणिपुर
27. शिलांग	मेघालय
28. एजवाल	मिजोरम
29. कोहिमा	नागालैण्ड
30. कटक	उड़ीसा
31. पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी
32. पोर्टब्लेयर	अण्डमान एवं नि. द्वीप समूह
33. जयपुर	राजस्थान
34. गेंगटोक	सिक्किम
35. अगरतला	त्रिपुरा
36. लखनऊ	उत्तर प्रदेश
37. गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
38. कलकत्ता	प. बंगाल
39. कुर्सियाग	प. बंगाल
40. चेन्नई	तमिलनाडु
41. तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
42. रायपुर	छत्तीसगढ़
43. देहरादून	उत्तरांचल
44. रांची	झारखण्ड
45. दिल्ली	दिल्ली

विवरण II

दूरदर्शन में समाचार एकक	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1. अहमदाबाद	गुजरात
2. भोपाल	मध्य प्रदेश
3. भुवनेश्वर	उड़ीसा
4. बंगलौर	कर्नाटक
5. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
6. चैन्नै	तमिलनाडु

दूरदर्शन में समाचार एकक	राज्य/संघ शासित प्रदेश
7. गुवाहाटी	असम
8. हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
9. जयपुर	राजस्थान
10. जालन्धर	पंजाब
11. जम्मू	जम्मू और कश्मीर
12. लखनऊ	उत्तर प्रदेश
13. मुम्बई	महाराष्ट्र
14. पटना	बिहार
15. शिमला	हिमाचल प्रदेश
16. श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
17. तिरुअनन्तपुरम	केरल
18 नई दिल्ली (मुख्यालय)	दिल्ली

विवरण III

दूरदर्शन के प्रस्तावित समाचार एकक	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1. पणजी	गोवा
2. पाण्डिचेरी	यू. टी.
3. शिलांग	मेघालय
4. इम्फाल	मणिपुर
5. ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
6. कोहिमा	नागालैण्ड
7. एजवाल	मिजोरम
8. अगरतला	त्रिपुरा
9. चण्डीगढ़	हरियाणा
10. पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान और निकोबार
11. गंगटोक	सिक्किम
12. रांची	झारखण्ड
13. बरेली/देहरादून	उत्तरांचल
14. रायपुर	छत्तीसगढ़

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा के डीलर

5311. श्री राम शकल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने विदेशी मुद्रा डीलर हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी डीलरों ने सरकार से लाइसेन्स लिया हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार/भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय-वार प्राधिकृत डीलर शाखाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण में बताई गई है।

(ख) ऐसे लाइसेन्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्यवार/भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय-वार प्राधिकृत डीलर शाखाओं की कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय	प्राधिकृत डीलरों की संख्या
1.	गुजरात/अहमदाबाद	1576
2.	कर्नाटक/बंगलौर	2947
3.	मध्य प्रदेश/भोपाल	834
4.	उड़ीसा/भुवनेश्वर	400
5.	सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्य/कलकत्ता	1129
6.	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ राज्य/चंडीगढ़	2654
7.	तमिलनाडु और पाण्डिचेरी संघ राज्य/चेन्नई	3714
8.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा/गुवाहाटी	195
9.	आन्ध्र प्रदेश/हैदराबाद	2419
10.	राजस्थान/जयपुर	955
11.	जम्मू और कश्मीर/जम्मू और श्रीनगर	120
12.	उत्तर प्रदेश/कानपुर	2642
13.	केरल और लक्ष द्वीप संघ राज्य/कोची	2574
14.	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दीप संघ राज्य/मुम्बई	2963
15.	दिल्ली संघ राज्य, फरीदाबाद के जिले, गुड़गांवा, हरियाणा राज्य का सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में नोएडा/नई दिल्ली	1268
16.	बिहार/पटना	860
17.	गोवा/पणजी	309
	कुल जोड़	27559

नालको और राउरकेला इस्पात संयन्त्र में विनिवेश

5312. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा के नालको और राउरकेला इस्पात संयन्त्र में विनिवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) नालको या राउरकेला इस्पात संयंत्र में सरकार की इक्विटी के विनिवेश के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों के गैर-सरकारी और नामित निदेशक

5313. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बैंकों के निदेशक मण्डल और वित्तीय संस्थाओं से कुछ गैर-सरकारी और नामित निदेशकों को हटा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने नामित निदेशकों को हटाया गया और वे अपनी-अपनी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में बैंक-वार और वित्तीय संस्था-वार निर्धारित अवधि से कितनी अधिक अवधि तक पदों पर बने रहे;

(ग) बैंकों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी नामित निदेशक और क्षेत्रीय नामित निदेशकों की नियुक्ति के लिए क्या दिशानिर्देश प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) सरकार ने बैंकों के निदेशक मण्डल में उच्च निष्ठावान और अनुभवी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपलब्ध) योजना, 1970/1980 को 20 जनवरी, 2000 को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक निदेशक के पद पर स्वत: बने रहने का प्रावधान हटा दिया गया है। इसके फलस्वरूप वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन सभी अंशकालिक गैर-सरकारी एवं नामित निदेशकों, जिन्होंने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था और जो उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बने हुए थे, को उस तारीख से निदेशक पद पर नहीं रहने दिया गया था।

(ख) इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड से 113 निदेशकों को निदेशक पद पर नहीं रहने दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धित संविधियों में निहित उपबन्धों एवं मानदण्डों के अनुसार की जाती है। बैंकिंग प्रभाग में उपलब्ध आंकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त संदर्भों से व्यक्तियों के नामों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

(घ) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों एवं अन्य नामित निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास सम्बन्धी प्रस्ताव

5314. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री जय प्रकाश :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से औद्योगिक विकास सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) जनवरी, 1998 से नवम्बर, 2000 तक विभिन्न राज्य सरकारों

के उपक्रमों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की सूची नीचे दी गई है :

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	
	लाइसेन्स योग्य क्षेत्र	लाइसेंस मुक्त क्षेत्र
असम	-	1
गुजरात	1	1
केरल	-	3
मध्य प्रदेश	1	-
महाराष्ट्र	-	2
पंजाब	-	16
उत्तर प्रदेश	-	4
पश्चिम बंगाल	-	2

(ग) लाइसेंस योग्य क्षेत्र के लिए प्राप्त हुए दो आवेदनों को आशय पात्र मंजूर किए गए हैं। लाइसेन्स मुक्त क्षेत्र में, उद्यमी उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के पास एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करते हैं और किसी अन्य अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

[अनुवाद]

बालको लिमिटेड में विनिवेश

5315. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2000 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "कैश स्टार्व्ड गवर्नमेंट सैल्स इन कैश रिच पी. एस. यू." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और लाभ अर्जित करने वाली, लाभांश प्रदान करने वाली और 437 करोड़ रुपए के प्रभावी नकद अधिशेष वाली कम्पनी में विनिवेश किए जाने का क्या औचित्य है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हाँ। यह समाचार भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) से सम्बन्धित था।

(ख) विनिवेश आयोग ने 'बालको' को गैर महत्त्वपूर्ण के रूप में श्रेणीकृत किया था और इसके विनिवेश करने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात, बालको में किसी अनुकूल साझीदार के पक्ष में सरकारी इक्विटी के विनिवेश करने का निर्णय मार्च, 1990 में लिया गया था। यह सामान्य मामलों में गैर अनुकूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या इससे नीचे लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार ही है। निजी क्षेत्र की मौजूदगी के कारण एल्युमिनियम क्षेत्र में पहले ही अच्छी-खासी प्रतिस्पर्द्धा है। इस तरह बालको के लाभार्जन को इसके विनिवेश के विरुद्ध किसी प्रकार औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है।

[हिन्दी]

आयात सम्बन्धी पैनल

5316. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात पर निगरानी हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पैनल के सदस्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इस पैनल के कार्यकरण के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त पैनल ने अब तक कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (च) सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाए जाने के सम्भावित प्रभाव का आकलन करने और समुचित सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए दिनांक 28-07-2000 को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी दल का गठन किया है।

इस दल में कृषि एव सहकारिता विभाग, उपभोक्ता मामलों से संबन्धित विभाग, लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रसायन एवं पैट्रोल रसायन विभाग, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग तथा पशु पालन एवं डेयरी विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

इस दल की दिनांक 17-8-2000, 8-9-2000 तथा 14-12-2000 को पहले ही तीन बैठकें हो चुकी हैं और इसने अपनी अंतरिम सिफारिशें की

हैं। इन सिफारिशों के आधार पर आयातों को विनियमित करने के लिए दिनांक 24-11-2000 की अधिसूचना सं. 44 (आरई-2000)/97-2000 के माध्यम से निम्नलिखित कदम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं:

1. सभी डिब्बा बन्द वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा-प्रभावी मानक भार एवं माप (डिब्बा बन्द वस्तु) आदेश 1977 की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा गया है।

2. 131 उत्पादों के आयात को घरेलू वस्तुओं पर यथा-प्रभावी अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारत को इन उत्पादों के भारतीय मानक ब्यूरो में स्वयं को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इन 131 उत्पादों की सूची में शामिल हैं—विभिन्न खाद्य परिरक्षक एवं अभिवर्धक, दुग्ध पाउडर, शिशु दुग्ध खाद्य, कुछेक प्रकार की सीमेन्ट घरेलू एवं इसी प्रकार के बिजली के उपकरण, गैस सिलिण्डर और बहु-उद्देशीय शुष्क बैटरियां।

वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस दल द्वारा अपनी अन्तिम सिफारिशें किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

5317. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपनः
श्री रघुनाथ झाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामलों का पता चला और इनमें बैंक-वार कितनी राशि संलिप्त थी;

(ख) कितने मामलों में कर्मचारियों पर जिम्मेवारी निर्धारित की गई है और कितने व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता के मामले लम्बित हैं;

(ग) सी. बी. आई. ने बैंक-वार कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए हैं;

(घ) शेष मामलों में कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष अप्रैल 1999 से मार्च 2000 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि क्रमशः विवरण I और II में दी गई है। वर्ष 1999 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त उनके 4713 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ग) 31.1.99 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामलों जिनमें केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने आरोप पत्र दायर किया है की बैंक-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(घ) और (ङ) स्टाफ की जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक का निदेशक मण्डल ऐसे मामलों की नियमित आधार पर निगरानी करता है। धोखाधड़ियों को रोकने के सम्बन्ध में बैंक, भा. रि. बैंक द्वारा जारी व्यापक मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को सुदृढ़ बनाना, धोखाधड़ी के मामलों की सतत समीक्षा करना, बैंक कारोबार का 50 प्रतिशत कवर करने वाली शाखाओं को समवर्ती लेखा-परीक्षा करना, 10 लाख रु. और इससे अधिक की नकद जमा राशि एवं आहरणों की छानबीन करना, आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था को सुधारना तथा परिचालन सम्बन्धी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। जब कभी बैंक द्वारा किसी धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है तो प्रारम्भिक जांच की जाती है। निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि मामले की विभाग द्वारा पूर्ण जांच की जाए या इसे स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए। आन्तरिक जांच या पुलिस या सीबीआई से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर बैंक, जहाँ कहीं आवश्यक हो, नियमित विभागीय कार्रवाई करते हैं और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पाए गए पदाधारियों को दण्ड देते हैं। पुलिस एवं सीबीआई भी न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक मामले दायर करते हैं।

विवरण I

वर्ष अप्रैल 1999 से मार्च 2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ियों की बैंक-वार संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की सं.	राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	546	29.73
		*07	20.19
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	17	3.85
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	26	32.42
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	11	1.21
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	33	0.89
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	27	40.71
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	06	0.06

क्र.सं.	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की सं.	राशि
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	36	3.52
9.	इलाहाबाद बैंक	42	1.00
10.	आन्ध्रा बैंक	43	13.75
11.	बैंक आफ बड़ौदा	75	2.05
12.	बैंक आफ इंडिया	146	27.21
		*12	95.35
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	10	1.54
14.	केनरा बैंक	265	14.20
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	78	4.47
16.	कारपोरेशन बैंक	16	0.86
17.	देना बैंक	35	2.48
18.	इंडियन बैंक	62	11.46
19.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	48	7.70
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	16	11.71
21.	पंजाब नेशनल बैंक	42	22.19
22.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	14	2.79
23.	सिंडिकेट बैंक	95	3.99
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	78	1.41
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	41	1.62
26.	यूको बैंक	49	1.44
27.	विजया बैंक	21	19.36

* भारत के बाहर। (आँकड़े अनन्तिम)

विवरण-II

वर्ष अप्रैल 1999 से मार्च 2000 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ियों की बैंक-वार संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की सं.	राशि
1.	बैंक आफ मधुरा लि.	08	3.90
2.	बैंक आफ पंजाब लि.	03	0.25
3.	बैंक आफ राजस्थान लि.	10	0.43
4.	बरेली कारपोरेशन बैंक लि.	00	0.00
5.	बनारस स्टेट बैंक लि.	08	2.04
6.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	06	0.13
7.	कैथोलिक शीरेन बैंक लि.	07	0.53
8.	सेंचुरीयन बैंक लि.	00	0.00
9.	सिटी यूनियन बैंक लि.	01	0.00
10.	डिवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	04	0.73
11.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	12	0.56
12.	फैडरल बैंक लि.	34	14.58
13.	गलोबल ट्रस्ट बैंक लि.	07	0.12
14.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	06	0.43
15.	आई. सी. आई. सी. आई. बैंकिंग का. लि.	11	0.35
16.	आई. डी. बी. आई. बैंक लि.	02	0.02
17.	इण्डसन्ड बैंक लि.	04	12.44
18.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	18	0.55
19.	कर्नाटक बैंक लि.	23	2.33
20.	करूर वैश्य बैंक लि.	11	0.36
21.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	09	0.13
22.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	03	0.58
23.	नैनीताल बैंक लि.	03	012
24.	नेदूनग डी बैंक लि.	32	1.72
25.	पंजाब का. बैंक लि.	00	0.00
26.	रत्नाकर बैंक लि.	00	0.00
27.	सांगली बैंक लि.	17	0.11
28.	साउथ इंडियन बैंक लि.	10	4.37
29.	तमिलनाड मरकैन्टायल बैंक लि.	09	1.30
30.	टाइम्स बैंक	05	3.16
31.	युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि.	07	0.30
32.	यू टी आई बैंक लि.	02	0.10
33.	वैश्य बैंक लि.	21	0.56

आँकड़े अनन्तिम।

विवरण-III

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उन मामलों की बैंक-वार संख्या का ब्यौरा जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं

क्र.सं.	बैंक का नाम	मामलों की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	06
2.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	04
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	01
4.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	01
5.	इलाहाबाद बैंक	05
6.	आन्ध्रा बैंक	02
7.	बैंक आफ बड़ौदा	07
8.	बैंक आफ इण्डिया	05
9.	केनरा बैंक	02
10.	सेंन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	05
11.	कार्पोरेशन बैंक	03
12.	देना बैंक	01
13.	इंडियन बैंक	04
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	01
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	02
16.	पंजाब नेशनल बैंक	06
17.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	01
18.	सिंडिकेट बैंक	01
19.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	04
20.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	01
21.	यूको बैंक	06
22.	विजया बैंक	03
	कुल	71

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की खरीद

5318. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पिछले छह महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश से चावल और गेहूँ की खरीद कम कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने गत वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से चावल और गेहूँ की कुल कितनी मात्रा की खरीद की;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश से अधिक मात्रा में चावल/धान और गेहूँ की खरीद हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गेहूँ और धान/चावल की वसूली 'विकेन्द्रीकृत वसूली योजना' के अधीन की जा रही है। चालू विपणन मौसम 2000-2001 (18.12.2000 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 12851 टन गेहूँ की वसूली की है।

(ग) पिछले विपणन मौसम 1999-2000 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वसूल किए गए गेहूँ और चावल की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

चावल	शून्य
धान	34 टन
गेहूँ	60507 टन

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एक दृश्य को हटाया जाना

5319. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी फिल्म 'मोहब्बतें' में भारतीय संस्कृति, परम्परा और गुरुकुल प्रणाली का अनादर किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) फिल्म में पवित्र 'गायत्री मंत्र' के अनादर के बावजूद सेंसर बोर्ड द्वारा इस फिल्म को पास किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) फिल्म 'मोहब्बतें' (हिन्दी) की जांच करने वाली जांच समिति ने चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रामाणन) नियमावली, 1983 के प्रावधानों के अनुसार फिल्म को 'अ' प्रमाण-पत्र देने की बहुमत से सिफारिश की थी। समिति ने फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया था। जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को प्रमाणित किया था।

(घ) और (ङ) फिल्म 'मोहब्बतें' से किसी भी दृश्य को हटाने के लिए सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा की परियोजनाओं के लिए ए.डी.बी./आई.डी.ए. द्वारा ऋण

5320. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) और आई.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों की मदद से कितनी परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) ये परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं और इनमें कितना निवेश किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उड़ीसा में आई.डी.ए. से सहायता-प्राप्त कार्यान्वयनाधीन 13 परियोजनाएँ हैं। इसमें 11 केन्द्रीय क्षेत्र तथा बहु-राज्यीय परियोजनाएँ शामिल हैं जिनमें उड़ीसा एक भागीदार राज्य है। उड़ीसा में एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त कोई भी परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा में चल रही विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएँ

(दिनांक 30/10/2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मुद्रा	ऋण राशि	संवितरण की अंतिम तारीख	संचई अहरण मिलियन दाता मुद्रा में करोड़ रुपए में
1	2	3	4	5	6
1.	2801-इन उड़ीसा जल संसाधन समेकन दिनांक 5.1.1996	अमरीकी डालर	290.90	30/9/02	141.40 561.51
2.	041-इन उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना दिनांक 13.8.1998	अमरीकी डालर	76.40	31/3/04	5.14 22.25
	बहु-राज्यीय और केन्द्रीय परियोजनाएँ जिनमें उड़ीसा एक भागीदार राज्य है				
केन्द्रीय परियोजनाएँ					
3.	3048-इन राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना दिनांक 22.06.1998	अमरीकी डालर	100.00	31/12/03	11.17 48.40
4.	2611-इन मोतिया बिन्द अन्धता नियंत्रण दिनांक 19.05.1994	अमरीकी डालर	117.80	30/6/01	47.25 189.93
5.	2936-इन क्षयरोग नियंत्रण दिनांक 14.03.1997	अमरीकी डालर	142.40	31/12/02	18.41 78.82

1	2	3	4	5	6
6.	018-इन प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना दिनांक 30.07.1997	अमरीकी डालर	248.30	31/3/03	74.21 323.42
7.	2964-इन मलेरिया केन्द्रीय परियोजना दिनांक 30.07.1997	अमरीकी डालर	164.80	31/3/03	29.56 127.19
8.	3242-इन राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण परियोजना दिनांक 14.9.1999	अमरीकी डालर	194.75	31/7/04	26.03 118.57
9.	3340-इन प्रतिरक्षण व्यवस्था को मज़बूत करने की परियोजना दिनांक 19.5.2000	अमरीकी डालर	81.92	30/6/04	4.00 18.70
बहु-राज्यीय परियोजनाएँ					
10.	2329-इन झींगा और मत्स्य पालन दि. 29.01.1992	अमरीकी डालर	96.49	31/12/00	22.05 8138
11.	2365-इन द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 18.06.1992	अमरीकी डालर	163.63	30/6/01	160.34 594.05
12.	2774-इन भारत में जल-विद्युत दिनांक 22.09.1995	अमरीकी डालर	122.40	31/3/02	50.82 212.85
13.	2876-इन द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना दि. 15.07.1996	अमरीकी डालर	425.20	30/6/03	199.93 854.19

निवेशकों द्वारा दावा न की गई जमाराशि और लाभांश

5321. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डीः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेशकों द्वारा न ली गई जमाराशियों और लाभांश के प्रबन्ध के लिए एक गैर-सरकारी न्यास के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में ऐसी कुल कितनी जमाराशि और लाभांश है, जिसका कोई दावेदार नहीं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) निवेशकों द्वारा न ली गई जमाराशियों और लाभांशों आदि के प्रबन्ध के लिए एक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) निवेशकों की शिक्षा, जानकारी एवं संरक्षण करने से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य इस निधि द्वारा किए जाने की आशा है : जनप्रचार माध्यमों के जरिए सीधे शिक्षा कार्यक्रम, गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों का आयोजन, निवेशकों के संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन एवं निधि पोषण, अनुसंधान क्रियाकलाप, निवेशक संरक्षण क्रियाकलापों में लगे हुए स्वैच्छिक संघों को मान्यता देना एवं उनका निधि पोषण, वास्तविक निवेशक मुकदमाकर्त्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करना और निवेशक शिक्षा जानकारी एवं संरक्षण क्रियाकलापों में संलग्न ऐसी संस्थाओं के साथ समन्वय करना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के पास पड़े दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांशों की सरकार को अंतरित राशि लगभग 85.73 करोड़ रुपए है।

बैंकों के निरीक्षण हेतु कार्यदल

5322. श्री दिन्शा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों में जोखिम सम्बन्धी आन्तरिक निरीक्षण शुरू करने के मामले में निगरानी रखने के लिए एक सात सदस्यीय बहु-विषयक कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भा. रि. बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारत में बैंकों

से जोखिम सम्बन्धी आन्तरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा प्रारम्भ करने की जांच करने के लिए एक बहु-विषयक कार्यदल भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) के अध्यक्ष श्री जी. सीतारामन की अध्यक्षता में गठित किया है। कार्यदल के विचारार्थ विषय ये हैं :

(i) जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा-परीक्षा को लागू करने की जांच करने और लेन-देन से जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करने की कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करना;

(ii) जोखिम आधारित मूल्यांकन कार्य-प्रणाली और लेखा-परीक्षा योजना के सम्बन्ध में बैंकों को जारी किए जाने वाले मार्ग निर्देश तैयार करना;

(iii) बैंकों में विद्यमान आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के आशोधन के सम्बन्ध में सुझाव देना जो जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान देने सम्बन्धी परिवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित है।

(iv) कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा और अपेक्षित उपायों का क्रम निर्धारण सम्बन्धी रूपरेखा तैयार करना; और

(v) कोई अन्य मामला जिसे कार्यदल बैंकों में जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में विचार करें।

(ग) आशा है कि दल अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2001 तक प्रस्तुत करेगा।

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

5323. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर. एस. पाटिल:
श्री अनन्त नायक:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नवगठित उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों में और अधिक दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना में कितना समय लगने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी हाँ। नव गठित राज्यों, उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयनाधीन प्रस्तावित आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके 2001-2002 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्थान	परियोजना
आकाशवाणी			
1.	उत्तरांचल	चमोली	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा.एम.वी. स्टुडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित रेडियो स्टेशन
2.	छत्तीसगढ़	सराईपल्ली	1 कि.वा. एफ.एम. ट्रा., एम. पी. स्टुडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र
3.	झारखंड	-	-
		(झारखंड पूरी तरह रेडियो संकेतों से कवर है)	
दूरदर्शन			
1.	उत्तरांचल	देहरादून	स्टूडियो
		धूनाघाट, खेतीखान और गोणेश्वर	अ.श.ट्रा.
		चमोली, दोगड्डा, केदारनाथ, मनीला, अरोली	अ.अ.श.ट्रा.
		मसूरी (डीडी-2)	ट्रांसपोजर
2.	छत्तीसगढ़	अम्बिकापुर	उ.श.ट्रा.
		चम्बा, खरोद, कोन्टा और पंडारिया	अ.श.ट्रा.
		पथलगांव	अ.अ.श.ट्रा.
3.	झारखंड	जमशेदपुर	उ.श.ट्रा.
		चतरा, जमशेदपुर (डीडी-2) और धनबाद (डीडी-2)	अ.श.ट्रा
		रामगढ़ हिल	अ.अ.श.ट्रा.

'आउट टर्न रेश्यो' का निर्धारण

5324. श्री जे.एस. बराड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान और सेला चावल की 'आउट टर्न रेश्यो' के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव किस तारीख से लम्बित पड़ा है;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

डी.ए.वी.पी. में दिहाड़ी मजदूर

5325. श्री अनादि साहू: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) वर्तमान में डी.ए.वी.पी. नई दिल्ली में कितने दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं और कितने व्यक्तियों ने सात साल से अधिक समय से कार्य किया है;

(ग) उपरोक्त में से डी.ए.वी.पी. में समूह 'घ' के कितने व्यक्तियों की सेवाएँ समाप्त/नियमित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न संसद सदस्यों की ओर से दिहाड़ी मजदूरों की सेवाएँ नियमित करने/ऐसे मजदूरों को पुनः काम पर रखने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के (डी. ओ. पी. टी.) के दिनांक 10.9.93 के निर्देशों के अनुसार अस्थाई दर्जा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिक, जब भी रिक्तियाँ होती हैं, मौजूदा रिक्तियों पर समूह 'घ' पदों में नियमित किए जाने के पात्र हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों में यह निर्धारित है कि ये निर्देशों को जारी करने की तारीख अर्थात 10.9.93 को जो भी नैमित्तिक श्रमिक रोजगार में थे और जिन्होंने इस तारीख को कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा की है, को अस्थायी दर्जा दिया जाएगा। इन निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार अस्थायी दर्जा प्राप्त ऐसे श्रमिकों को समूह 'घ' पदों के लिए नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए उनका चयन हो जाने के बाद उन्हें स्थायी स्थापना में लाया जाएगा।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नकदी फसलों का उत्पादन

5326. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में प्रतिवर्ष नकदी फसलों का फसल-वार, राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अविध के दौरान प्रतिवर्ष नकदी फसलों की कितनी मात्रा का फसल-वार, राज्य-वार और संघ राज्य-वार निर्यात/आयात किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक फसल का वर्ष-वार बाजार मूल्य कितना रहा;

(घ) क्या देश के विभिन्न राज्यों में नकदी फसलों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार किसी विशेष योजना को तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना के तहत राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) सूचना कृषि मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) देश के लिए निर्यात आयात आँकड़े समग्र रूप से रखे जाते हैं न कि राज्य वार। गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कुछ नकदी फसलों की मात्रा और उनकी बाजार कीमतें निम्नानुसार हैं :

फसल	वर्ष	निर्यात (मात्रा: मी. टन में)	आयात (मात्रा मी. टन में)	औसत बाजार कीमतें
1	2	3	4	5
मसाले	1997-98	230531	34079	औसत बाजार कीमत
	1998-99	209829	61124	मशाला-वार बदल जाती है
	1999-00	195793	29671	मशाले
काजू	1997-98	81348	246204	35 (रु./कि.ग्रा.) कच्ची गिरी)
	1998-99	76169	243347	42 (रु./कि.ग्रा. कच्ची गिरी)
	1999-00	93215	200584	48 (रु./कि.ग्रा. कच्ची गिरी)
चीनी	1997-98	173282	346905	1472 (रु./क्विंटल)
	1998-99	12735	900471	1454 (रु./क्विंटल)
	1999-00	7043	1114940	1491 (रु.क्विंटल)
चाय	1997-98	193700	2610	66.89 (रु./कि.ग्रा.)
	1998-99	210395	8930	76.43 (रु./कि.ग्रा.)
	1999-00	183807	9770	72.80 (रू./कि.ग्रा.)
कॉफी	1997-98	160272	N.A.	114 (रु./कि.ग्रा.)
	1998-99	193610	1684	106.50 (रु./कि.ग्रा.)
	1999-00	165309	1647	97 (रु./कि.ग्रा.)

1	2	3	4	5
कपास	1997-98	157534	4.13 (लाख बेल में)*	2198 (रु./क्विंटल)
	1998-99	41960	7.87 (लाख बेल में)*	2091 (रु./क्विंटल)
	1999-00	16750	22.01 (लाख बेल में)*	1969 (रु./क्विंटल)
रबर	1997-98	1415	32070	3580 (रु./क्विंटल)
	1998-99	1840	29534	2994 (रु./क्विंटल)
	1999-00	5989	16436	3099 (रु./क्विंटल)
तम्बाकू	1997-98	144697	350	37.29 (रु./कि.ग्रा.)
	1998-99	88964	350	38.46 (रु./कि.ग्रा.)
	1999-00	138022	310	44.77 (रु./कि.ग्रा.)

*1 बेल = 170 किलोग्राम ।

(घ) और (ङ) नकदी फसलों सहित कृषि उत्पादों के उत्पादन/निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कुछ कदमों में शामिल हैं :

(1) अच्छी क्वालिटी के रोपण, सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएँ लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने बागानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(2) उन्नत पैकेजिंग, गुणवक्ता नियंत्रण के सदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना और महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता;

(4) डाटा-बेस विकसित करने और बाजार सूचना का प्रसार करने के लिए सहायता प्रदान करना;

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित करने, संदूषण को खत्म करने और जीवाणु एवं फफूँदी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करना ; और

(6) क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा बीज, उपकरण इत्यादि जैसी महत्त्वपूर्ण निविष्टयों के इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जल संरक्षण उपायों के लिए सहायता जैसे कि कपास और गन्ना ड्रिप योजनाएँ, गन्ना में ग्वाइस्ट हीट ट्रीड ट्रीटमेंट यूनिट इत्यादि।

(च) और (छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाजार सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के सुधार से संबन्धित प्रौद्योगिकी मिनि मिशन III के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए सरकार बाजार यार्डों के विकास हेतु निर्धारित सीमा के अधीन व्यय का 60% मुहैया करा रही है और शेष व्यय की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकार के एपीएमसी द्वारा किया जाता है। ओटाई और पेराई फैक्टरियों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित मिनि मिशन IV के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रति फैक्टरी 20 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अधीन आधुनिकीकरण की लागत का 25% की दर से पूँजीगत प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 2000-01 के लिए कपास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के मिनि मिशन II के लिए भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को 4869.49 लाख रु. की निधि आबंटित की है। इसी प्रकार गन्ना आधारित फसल प्रणालो के स्थाई विकास के लिए केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों को 748.925 लाख रु. की निधि आबंटित की है।

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु निधियां

5327. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए बांड जारी करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बैंकों में भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए भी कोई पैकेज कार्यक्रम तैयार किया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सार्वजनिक उद्यम विभाग, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रशासनिक विभाग है, ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना मुआवजें उपलब्ध हैं। लाभ वाले उद्यम स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का खर्च अपने संसाधनों से पूरा करेंगे और उन उद्यमों, जो अपने संसाधनों से इस खर्च को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, को प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा बजट संबन्धी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निधियों की आवश्यकता सम्बन्धी स्थिति केन्द्रित रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) मानव संसाधन प्रबन्धन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 31.8.2000 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की एक योजना उनके विचारार्थ और अपनाने हेतु परिचालित की है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

पात्रता

15 वर्ष की सेवा वाले 40 वर्ष की आयु वाले सभी स्थाई कर्मचारी।

अपात्र :

विशेषज्ञ अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेवा बांड प्रस्तुत किया है लेकिन इसे पूरा नहीं किया है, कर्मचारी/अधिकारी जो विशेष व्यवस्था/बांडों के अन्तर्गत विदेश में कार्यरत हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के पात्र नहीं होंगे। तथापि निदेशक मण्डल बॉंड/अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन इससे छूट दे सकता है।

कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है/लम्बित है या जो निलम्बनाधीन है।

करार के आधार पर नियुक्त कर्मचारी।

कर्मचारियों की कोई अन्य श्रेणी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

अनुग्रह राशि

प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 60 दिन का वेतन (वेतन के साथ-साथ गत्यावरोध वेतनवृद्धि तथा विशेष भत्ते एवं महँगाई राहत) या उतने महीनों का वेतन जितनी सेवा बची हो, उनमें से जो भी कम हो।

अन्य लाभ

I. ग्रेच्यूटी अधिनियम/सेवा ग्रेच्यूटी के अनुसार ग्रेच्यूटी जैसा भी मामला हो।

II. पेंशन (पेंशन के संराशीकृत मूल्य सहित) पीएफ के पक्ष में बैंक का अंशदान, जैसा भी मामला हो।

III. नियमानुसार छुट्टी की भुनाई।

अन्य विशेषताएँ

1. बैंक की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक के प्रबन्धन के लिए वीआरएस के अनुरोध को स्वीकार करना या उसे अस्वीकार कर देना उसका विशेषाधिकार होगा।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि उच्च दक्षता और अर्हता वाले कामगारों और कर्मचारियों को यह विकल्प न दिया जाए।

3. वीआरएस के कारण हुई रिक्तियों के बदले कोई भर्ती नहीं की जाएगी।

4. वीआरएस लागू करने से पूर्व बैंकों की अपनी श्रमशक्ति की योजना को अवश्य पूरा कर लेना चाहिए और उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का पता लगा लेना चाहिए जिन पर इस योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

5. वीआरएस और किसी नई भर्ती की मंजूरी श्रमशक्ति योजना के अनुसार ही होनी चाहिए।

योजना का निधियन

(क) अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी के प्रवाह के अनुरूप बैंक आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक रूप से बांडों या किस्तों में भुगतान का निर्णय ले सकते हैं लेकिन न्यूनतम 50 प्रतिशत नकदी का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए और शेष 50% का निर्धारित अवधि के भीतर।

(ख) इस योजना का निधियन बैंकों द्वारा स्वयं या तो अपनी स्वयं की निधि से या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या किसी अन्य स्रोत से ऋण लेकर किया जाएगा।

आवधिकता

इस योजना को दिनांक 31.3.2001 तक खुला रखा जा सकता है।

परती भूमि विकास परियोजनाओं के लिए 'नाबार्ड' से ऋण

5328. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'नाबार्ड' द्वारा परती भूमि विकास परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का संवितरण किया गया;

(ख) क्या सरकार के पास इन विकास परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीय निगरानी एजेन्सी है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 'नाबार्ड' से ऋण संवितरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, देश में परती भूमि विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संवितरित की गई राशि के, राज्य-वार ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) नाबार्ड मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी जिला उन्मुख निगरानी अध्ययनों, निवेश विशिष्ट अध्ययनों, आदि के माध्यम से करता है।

(ग) नाबार्ड ने वर्ष 2000-2001 के लिए देश में विभिन्न कृषि और कृषितर कार्यकलापों के लिए 6000 करोड़ रु. का पुनर्वित्त बजट आबंटित किया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण–I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बंजर भूमि विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा संवितरित राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-200
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
आन्ध्र प्रदेश	168.9	108.1	51.6
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
असम	9.0	-	-
बिहार	-	-	-
चण्डीगढ़	-	-	-
दादरा और नागर हवेली	-	-	-
गोवा	-	-	-
गुजरात	-	-	-
हरियाणा	535.1	523.1	497.4
हिमाचल प्रदेश	0.3	-	1.8
जम्मू और कश्मीर	-	-	-
कर्नाटक	11.0	-	218.9
केरल	-	0.9	0.6
लक्षद्वीप	-	-	-
मध्य प्रदेश	18.7	-	142.2
महाराष्ट्र	1.2	-	0.4
मणिपुर	-	-	-
मेघालय	-	-	-
मिजोरम	-	-	-
नागालैण्ड	-	-	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	-	-	-
उड़ीसा	76.0	118.5	79.2
पाण्डिचेरी	-	0.6	-
पंजाब	6.7	103.0	72.0
राजस्थान	-	1.3	-
सिक्किम	-	-	-
तमिलनाडु	71.7	89.4	173.7
त्रिपुरा	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-
पश्चिम बंगाल	6.4	-	-
कुल	1074.0	944.9	1237.8

विवरण–II

वर्ष 2000-2001 के लिए नाबार्ड द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित राशि

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र	आबंटित राशि
लघु सिंचाई	774.12
भूमि विकास	86.06
कृषि यंत्रीकरण	1644.54
शुष्क भूमि	2.10
पौध रोपण/बागवानी	227.01
दुग्धशाला विकास	642.59
मत्स्य पालन	7.62
मत्स्य पालन	30.42
संग्रहण बाजार प्रांगण	152.81
वनखण्ड	18.06
बायोगैस	1.03
मुर्गीपालन	136.03
भेड़/बकरी/सुअर पालन	117.23
अ.जा./अ.ज.जा. कार्य योजना	146.56
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	709.13
गैर कृषि क्षेत्र	951.37
स्व-सहायता समूह .	175.93
कृषि/बीज	15.25
वाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएँ	38.33
अन्य	123.85
कुल	6000.00

भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकों का स्थानान्तरण

5329. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या वित्त मंत्री 25 अगस्त, 2000 के आतांराकित प्रश्न संख्या 4951 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि बैंक में लागू नीति के अनुसार लिपिकीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी शाखा/कार्यालय में पांच वर्ष पूरे करने के बाद उसी केन्द्र की अन्य किसी शाखा में किया जा सकता है। बैंक में कर्मकारों के लिए कैरियर प्रगति योजना में भी उच्च पद पर प्रोन्नत होने पर अन्य कार्यालय/शाखा में स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक में लागू एक और नीति में लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा अपने पसंद के स्थान पर स्थानान्तरण हेतु किए गए अनुरोधों पर कुछ शर्तों और प्रशासनिक विचारों के अध्यधीन विचार करने की व्यवस्था की गई है। वे कर्मचारी जिनके पति/पत्नी अन्य राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत हैं, इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। प्रत्येक सर्किल ने स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए मान्यता प्राप्त कर्मचारी महासंघों के स्थानीय सम्बद्ध संघों के साथ परामर्श करके नीतियां तैयार की हैं। हालांकि कुछ सर्किलों ने नियमित सेवा की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की है, अन्य सर्किलों ने ऐसे स्थानान्तरण के लिए किसी कर्मचारी के अनुरोध पर विचार करने से पहले अलग-अलग सेवा अवधि निर्धारित की है। बैंक की ये स्थानान्तरण नीतियां सामान्य वर्ग और इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग से संबन्धित सभी लिपिकीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

बैंक द्वारा विवरण I में दी गई स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन वर्ष से कम की सेवा पूरी करने वाले कुल 118 लिपिकीय कर्मचारियों को विभिन्न सर्किलों से बाहर स्थानान्तरित किया जा चुका है।

तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लिपिकीय कर्मचारी, जिनके पति/पत्नी अन्य राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत है, से प्राप्त कुल 90 आवेदन (सामान्य वर्ग 21; अनुसूचित जाति-3; तथा अनुसूचित जनजाति-6) भारतीय स्टेट बैंक के पास लंबित हैं जिसकी सूचना विवरण II में दी गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि लंबित पड़े सभी आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है और आवश्यक आदेश प्रतीक्षा सूची में दिए गए वरिष्ठता के क्रम में एवजी की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक विचारों के अध्यधीन जारी किए जाएँगे।

विवरण–I

उन लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या जिन्हें तीन वर्ष की सेवा पूरी न करने पर सर्किल से बाहर स्थानांतरित किया गया था

सर्किल	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
अहमदाबाद	-	-	-	-
बंगाल	2	16	13	31
मुम्बई	11	24	02	37
चेन्नई	-	-	2	2

सर्किल	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
दिल्ली	28	6	5	39
लखनऊ	-	2	-	2
हैदराबाद	1	-	1	2
पटना	-	-	-	-
भोपाल	3	1	-	4
भुवनेश्वर	1	-	-	1
चण्डीगढ़	-	-	-	-
गुवाहाटी	-	-	-	-
बंगलूर	-	-	-	-
कुल	46	49	23	118

विवरण-II

तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या, जिनका अभी स्थानान्तरण किया जाना है

सर्किल	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	कुल
अहमदाबाद	1	-	-	1
बंगाल	-	-	-	-
मुम्बई	-	-	-	-
चेन्नई	-	-	-	-
दिल्ली	4	-	-	4
लखनऊ	-	-	-	-
हैदराबाद	-	-	-	-
पटना	-	-	-	-
भोपाल	7	2	4	13
भुवनेश्वर	6	-	1	7
चण्डीगढ़	-	-	-	-
गुवाहाटी	3	-	-	3
बंगलूर	-	1	1	2
कुल	21	3	6	30

भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5330. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को आरम्भ किए जाने हेतु बहुत पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद यह योजना अभी तक इन बैंकों में लागू नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे भारतीय स्टेट बैंक में लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 31.8.2000 को उनके विचार और अंगीकार करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक योजना परिचालित की है। हालांकि कतिपय बैंकों ने इस योजना को पहले ही लागू कर दिया है जबकि भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक उनकी योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

केनरा बैंक के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का मामला

5331. श्री रामजी माँझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनरा बैंक की सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया शाखा ने मै. प्रीमियर विनायल फ्लोरिंग लिमिटेड से निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना 91 करोड़ रु. मूल्य के जाली 'दस्तावेज' खरीदे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त बैंक और कम्पनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने लेखा में की गई गम्भीर अनियमितताओं का पता लगने के तुरन्त बाद मैसर्स प्रीमियर विनायल फ्लोरिंग लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ शिकायत दर्ज की है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में दो मामले दर्ज किए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन मामलों पर अपनी जांच पूरी करने के बाद केनरा बैंक के एक अधिकारी और कम्पनी के 5 कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की सिफारिश की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की भी सिफारिश की है।

इक्विटी होल्डिंग की बिक्री

5332. प्रो. उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट को विभिन्न कंपनियों से संबन्धित अपनी अंशधारिता को महत्त्वपूर्ण भागीदारों को बेचने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो 'महत्त्वपूर्ण भागीदारों' की परिभाषा क्या है;

(ग) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपनी अंशधारिता की बिक्री के समुचित संचालन से संबन्धित स्पष्ट मार्गनिर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसे इक्विटी शेयरों का मूल्य खुले आम और सार्वजनिक रूप से निर्धारित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेश कार्यों अर्थात प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद को भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और साथ ही 'सेबी' के म्यूचुअल फण्ड विनियमों द्वारा शासित किया जाता है।

यूएस-64 पर दीपक पारिख समिति की एक सिफारिश में यह सुझाव दिया गया है कि जहां सम्भव हो सबसे अधिक बोलीदाता को बातचीत द्वारा महत्त्वपूर्ण इक्विटी धारिताओं की महत्वपूर्ण बिक्री की जाए, न कि किसी महत्वपूर्ण भागीदार को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जहां सम्भव हो, वर्तमान सुप्रबन्धित कंपनियों को अस्थिर किए बिना अन्य वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से इस सुझाव के कार्यान्वयन पर विचार कर रहा है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत उसे यूनिट धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक सिद्धान्तों पर अपने कार्य करने होते हैं। अतः प्रतिभूतियों की बिक्री और/या खरीद के बारे में यूटीआई को सरकार ने कोई अलग मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं।

(घ) और (ङ) यूटीआई के अनुसार मूल्य का मोल-भाव मानक बाजार पद्धतियों एवं इससे संबन्धित विद्यमान मार्ग-निर्देशों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा। यूटीआई द्वारा धारित इक्विटी की प्रस्तावित बिक्री के पीछे इरादा यह है कि मूल्य खोज प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए और बोलियां आमंत्रित करके सुस्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से यह कार्य किया जाए।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बैंक का अधिग्रहण

5333. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को बैंकों का अधिग्रहण करने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक निजी बैंक का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय किए जाने के कारण और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यकुशलता बढ़ाने में इससे किस तरह से सहायता मिलने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि निजी क्षेत्र के किसी बैंक को अधिग्रहीत करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुपूरक अनुदान

5334. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को किया गया बजट आवंटन वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में खर्च कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनुपूरक अनुदान मांगे की जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा क्या अनुपूरक अनुदान मांगे रखी गई हैं;

(ग) क्या सरकार समय-समय पर मितव्ययता उपाय हेतु दिशा निर्देश जारी करती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या अधिकांश विभाग/मंत्रालय/स्वायत्त निकाय इन मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं और इन दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा मितव्ययता उपायों हेतु मानदण्डों/दिशा निर्देशों के सख्ती से अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी नहीं। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को किया गया आवंटन वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में सम्पूर्णतः खर्च नहीं किया जाता है। पूरक मांगें केवल भारत की आकस्मिकता-निधि से प्राप्त अग्रिम को वापस करने, न्यायालय-डिक्रियों के एवज में व्यय, बचतों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरी की जाने वाली नई सेवा/सेवा के नए साधनों की सीमाओं को आकर्षित करने वाले अतिरिक्त व्यय और विशेष परिस्थितियों के अधीन सम्मत बजट अनुमानों की तुलना में अपरिहार्य और अनिवार्य अतिरिक्त व्यय के मामलों में स्वीकृत की जाती हैं।

अनुदानों की पूरक मांगों का प्रथम और द्वितीय बैच क्रमशः अगस्त और दिसम्बर, 2000 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय/विभागवार अनुदानों की पूरक मांगों को दर्शाने वाले विवरण I और II में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) सरकारी व्यय में किफायत बरतने के अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को ईमानदारी से किफायत सम्बन्धी उपायों के इन अनुदेशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

विवरण-I

(अगस्त, 2000) अनुदानों की पूरक मांगें 2000-2001

(करोड़ रुपए)

मांग संख्या और शीर्षक		राजस्व	पूँजी	जोड़
कृषि मंत्रालय				
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	0.01		0.01
3. पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	स्वीकृत	2.58		2.58
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	स्वीकृत	10.94	...	10.94
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	...	150.00	150.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
8. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	5.01		5.01
10. आपूर्ति विभाग	भारित	0.01		0.10
संचार मंत्रालय				
11. डाक विभाग	स्वीकृत	9.78		9.78
13. दूरसंचार सेवा विभाग	स्वीकृत	0.01		0.01
विदेश मंत्रालय				
25. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	0.01		0.01
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
40. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत		3.00	3.00
गृह मंत्रालय				
45. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	0.95		0.95
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय				
54. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	38.14	302.71	340.85
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय				
58. विधि और न्याय	स्वीकृत	150.00	...	150.00
खान और न्याय मंत्रालय				
63. खान विभाग	स्वीकृत	...	0.01	0.01
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
64. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	स्वीकृत	2.00	...	2.00
योजना मंत्रालय				
68. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	0.01		0.01
विद्युत मंत्रालय				
69. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	0.01	460.00	460.01
ग्रामीण विभाग मंत्रालय				
71. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	0.01	...	0.01
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
73. विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	...	4.75	4.75
इस्पात मंत्रालय				
78. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	381.00	...	381.00
भूतल परिवहन मंत्रालय				
79. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	स्वीकृत	990.00	...	990.00
कपड़ा मंत्रालय				
81. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	...	1.05	1.05
शहरी विकास मंत्रालय				
85. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत		9.02	9.2
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
87. शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	स्वीकृत		4.00	4.00
परमाणु ऊर्जा विभाग				
90. परमाणु ऊर्जा	भारित	6.00	...	6.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
95. राज्य सभा	स्वीकृत	0.01		0.01
96. लोक सभा	स्वीकृत	5.55		5.55
कुल जोड़		1592.33	944.33	2536.66
	भारित	6.10	0.00	6.10
	स्वीकृत	1586.23	944.33	2530.56

विवरण-II

(दिसम्बर, 2000) अनुदानों की पूरक मांगें 2000-2001

(करोड़ रुपए)

मांग संख्या और शीर्षक		राजस्व	पूँजी	जोड़
कृषि मंत्रालय				
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	0.03	0.01	0.04

मांग संख्या और शीर्षक		राजस्व	पूँजी	जोड़
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	स्वीकृत		98.67	98.67
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
8. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	13.81		13.81
संचार मंत्रालय				
12. दूर संचार विभाग	स्वीकृत	0.01		0.01
13. दूर संचार सेवा विभाग	स्वीकृत		0.01	0.01
वित्त मंत्रालय				
28. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत		100.00	100.00
30. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	भारित		500.00	500.00
	स्वीकृत	500.00		500.00
33. व्यय विभाग	स्वीकृत	0.01		0.01
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
39. सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	200.00		200.00
40. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत		3.00	3.00
41. शर्करा और खाद्य तेल विभाग	स्वीकृत		45.00	45.00
गृह मंत्रालय				
47. पुलिस	*भारित*		*150.00*	*150.00*
	स्वीकृत	150.00		150.00
48. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	स्वीकृत	0.01	13.32	13.33
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
50. बनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	0.01		0.01
52. महिला और बाल विकास विभाग	स्वीकृत	0.01		0.01
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय				
54. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	16.42	300.00	316.72
सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
55. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	*भारित*	*1.26*		*1.26*
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
56. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत		8.42	8.42
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय				
58. विधि और न्याय	स्वीकृत	2.84		2.84
60. भारत का सर्वोच्च न्यायालय	*भारित*	*1.49*		*1.49*
विद्युत मंत्रालय				
69. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	314.33	5.21	319.54
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
75. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	14.92		14.92
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
77. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	184.66		184.66
वस्त्रोद्योग मंत्रालय				
81. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	0.02		0.02
शहरी विकास मंत्रालय				
84. शहरी विकास	*भारित*	*0.26*		*0.26*
	स्वीकृत		0.01	0.01
85. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत		0.02	0.02
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
87. शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	स्वीकृत		0.01	0.01
जल संसाधन मंत्रालय				
88. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	0.02	15.00	15.02
कुल जोड़	*भारित*	*1400.11*	*1238.98*	*2639.09*
	स्वीकृत	3.01	650.00	653.01
		1379.10	588.98	1986.08

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत

5335. डा. अशोक पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएँ देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूँकि छुट्टी यात्रा रियायत केवल छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को देय होती है, अतः सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इसके हकदार नहीं हैं।

यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा दावों का निपटान

5336. श्री अशोक अर्गल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले कितने दावों का निपटान किया गया;

(ख) इन मामलों में किन सर्वेक्षणकर्त्ताओं ने सर्वेक्षण किया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सर्वेक्षणकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार को लेवी चीनी की आपूर्ति

5337. श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लेवी चीनी की वर्तमान मांग कितनी है और उसकी तुलना में राज्य को कितनी मात्रा में चीनी की आपूर्ति की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को वर्ष-वार कितनी मात्रा में लेवी चीनी की आपूर्ति की गई और उसकी कितनी मांग थी;

(ग) क्या सरकार को उक्त राज्य में लेवी चीनी की कमी की जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त राज्य को आवश्यक मात्रा में चीनी की आपूर्ति करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए बिहार राज्य को 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर लेवी की चीनी का आबंटन करती है। 01.03.2000 से, केन्द्र सरकार ने लेवी चीनी के आबंटन करने के प्रयोजन के लिए 1991 की जनगणना की जनसंख्या की बजाय 01.03.1999 की अक्षेपित जनसंख्या को आधार मान लिया है। तद्नुसार बिहार राज्य का लेवी चीनी का मासिक कोटा 36707 मी. टन से बढ़ाकर 41707 मी. टन कर दिया गया था। तदोपरान्त 01.07.2000 से आयकर निर्धारितियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को लेवी चीनी की आपूर्ति से बाहर रखा गया है। तद्नुसार 01.07.2000 से बिहार के लेवी चीनी के मासिक कोटे को घटाकर 40545 मी. टन कर दिया गया था।

चूँकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन प्रति व्यक्ति प्रति माह के मानदण्ड पर आधारित है, इसलिए लेवी चीनी का आवंटन राज्य सरकार की लेवी चीनी की आवश्यकता से संबन्धित नहीं होता है।

(ग) और (घ) लेवी चीनी का उठान और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर इसका वितरण करने की जिम्मेदारी केवल संबन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की है। बिहार राज्य सरकार ने लेवी चीनी के आवंटन में किसी कमी के बारे में सूचित नहीं किया है।

[अनुवाद]

कागज का निर्यात

5338. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज के निर्यात में महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कागज के निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई काली मिर्च तथा काली मिर्च के उत्पादों का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1997-98	335.77
1998-99	355.70
1999-2000 (अनुमानित)	418.50

(स्रोतः कैपेक्सिल)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी ऋण संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियां

5339. श्री विनोद खन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अनुप्रयोज्य आस्थियां कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो सहकारी बैंकों को ऐसी सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सहकारी ऋण संस्थाओं को उनके अप्राप्य ऋणों से उऋण होने में सहायता करने हेतु कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के कार्यकरण का अध्ययन करने और उनके पुनरुज्जीवन/पुनर्गठन के लिए पैकेज का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनके तुलनपत्रों के परिमार्जन के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान सहित सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के पुनर्गठन की कार्रवाई पर सरकार द्वारा कृतिक बल की सिफरिशों पर निर्णय ले लिए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वित्तीय सहायता

5340. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु 1998 से कई प्रस्ताव भेज रखे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों, उनकी वर्तमान प्रास्थिति और उन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों, उनकी वर्तमान प्रास्थिति और इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई सम्बन्धी ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) "महाराष्ट्र जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजना चरण-II" विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। तदनन्तर, महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित प्रस्ताव भेजा। योजना आयोग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ii) "महाराष्ट्र वानिकी परियोजना-II" दिनांक 19.8.99 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। विश्व बैंक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iii) "ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना (20 जिले)" प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए कहा गया है।

(iv) "महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास" को अनुमोदित कर दिया गया है और यह दिनांक 24.2.1999 को प्रभावी हो गई है। यह छह वर्ष की परियोजना है जिसमें विश्व बैंक से 134.0 मिलियन डालर की सहायता प्राप्त हुई है।

(v) 1000 करोड़ रुपए की परियोजना "सड़कों को मज़बूत बनाना तथा उन पर कोलतार की परत चढ़ाना" के लिए राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(vi) 72.4 करोड़ रुपए की लागत वाली "सतारा ज़िला, महाराष्ट्र के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना" के लिए राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(vii) "पैथान आर.बी.सी. और माजलगाँव आर.बी.सी. कमान क्षेत्र, महाराष्ट्र में जल प्रबन्ध सुविधाओं और प्रचालन में सुधार" परियोजना फ्रांसीसी सरकार को मई, 1998 में प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने परियोजना का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव रखा है।

(viii) महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में "शहरी जलापूर्ति परियोजना" सहायतार्थ जर्मनों को प्रस्तुत की गई थी। उनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(ix) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में "जलापूर्ति योजना" टिप्पणी के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई है।

(x) 41.5 मिलियन अमरीकी डालर वाली "एवर्ट-एड्स/एच.आई.वी. कार्यक्रम" पर दिनांक 15.9.1999 को हस्ताक्षर किए गए थे।

चाय उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5341. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने छोटे चाय उत्पादकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सस्य-विज्ञान, नर्सरी तकनीकी और "यंग टी बुश" प्रबन्धन जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, हाँ। चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (कृषि विज्ञान केन्द्र), असम कृषि विश्वविद्यालय, चाय अनुसंधान संघ, हिमालय जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.) इत्यादि द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में छोटी चाय की झाड़ियों की कृषि पौधशाला-तकनीकों और प्रबन्धन के सम्पूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं। उपासी ने वर्ष 1998-99 के दौरान दक्षिण भारत में 2343 छोटे उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान किया इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों के 5300 छोटे चाय उत्पादकों को असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था।

आयकर बकाया

5342. श्री पुष्प जैन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राजस्थान के पाली, उदयपुर, और जयपुर से आयकर निर्धारितियों द्वारा क्रमशः आयकर बकाया की कितनी राशि देय है; और

(ख) उनसे यथाशीघ्र इस आयकर बकाया की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) 30 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार पाली, उदयपुर तथा जयपुर से राजस्थान के कर निर्धारितियों द्वारा देय आयकर और निगमकर की कुल बकाया धनराशि क्रमशः 1.20 करोड़ रुपए, 7.56 करोड़ रुपए और 134.46 करोड़ रुपए है।

(ख) आयकर अधिनियम में कर वसूली की सांविधिक प्रक्रिया विहित की गई है। बकाया कर की वसूली एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। मांग नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद मांग देय होने पर यह प्रक्रिया आरम्भ होती है। इसके पश्चात कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज लगाने, अर्थदण्ड लगाने, बैंक खातों की कुर्की आदि जैसी कार्रवाई करके स्थगित न की गई माँग के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है। कठिन मामलों में, मामले को कर वसूली अधिकारी को भेज दिया जाता है जो अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी और कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई वसूली की कार्रवाई पर उच्च आयकर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

दस लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों की उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर निगरानी की जाती है और बकाया मांगों की वसूली करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

रायवाला में उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर

5343. श्री जयप्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल में देहरादून के निकट रायवाला में स्थापित किए जाने वाले उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन स्टेशन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उतरांचल राज्य की सरकार ने केन्द्र सरकार से इस स्टेशन को यथाशीघ्र चालू करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त दूरदर्शन केन्द्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) देहरादून में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मसूरी स्थिति ट्रांसमीटर द्वारा इसे पहले ही कवर किया जा रहा है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देहरादून में एक अन्तरिम स्टूडियो स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है और इसके लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) देहरादून में प्रस्तावित स्टूडियो के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। दूरदर्शन को जगह देने के बाद स्टूडियो की स्थापना का कार्य शूरू किया जाएगा। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देहरादून के स्टूडियो को 2001 के दौरान तैयार किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है।

[अनुवाद]

राज्य सरकार के अधीन चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए विनिवेश योजना

5344. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विनिवेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के अधीन चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश की प्रक्रिया तेज करने के लिए एन. जे. कूरियन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि विनिवेश किए जाने के लिए वृहत दिशानिर्देश और ब्लू प्रिंट निर्धारित कर केन्द्र राज्यों को इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश दें;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की थीं; और

(ग) इनमें से अब तक कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मन्त्री तथा योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मन्त्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण शौरी) : (क) योजना आयोग ने योजना आयोग के सलाहकार डॉ. जे. कुरियन की अध्यक्षता में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निगमों के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल के केन्द्रीभूत क्षेत्रों को दर्शाते हुए इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों सहित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमों में संचयी तथा वर्ष-वार किए गए विनिवेश पर मौजूदा डाटाबेस प्रपत्रों की उपयुक्तता पर विचार करना और डाटाबेस को अद्यतन बनाना।

(ii) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वित्तीय संकेतों के संदर्भ में इन उद्यमों में कार्यनिष्पादन की पद्धति और प्रबन्धन व्यवहार का अध्ययन करना।

(iii) निजी क्षेत्र, कर्मचारियों या आम जनता के अन्य सदस्यों के पक्ष में विनिवेश सहित सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इन उद्यमों में किए गए सुधारों का अध्ययन करना।

(ख) और (ग) अध्ययन दल को अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट पस्तुत करनी है।

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, राजौरी गार्डन में अनियमितताएँ

5345. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री 24 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, दिल्ली की राजौरी गार्डन शाखा में बैंक कर्मचारियों द्वारा अपने सम्बन्धियों के नाम कितने खाते खुलवाए गए हैं;

(ख) क्या स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा उक्त खातों के औचित्य की जांच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने ये खाते खोले थे और इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त खातों के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर को यदि कोई नुकसान हुआ है, तो कितना नुकसान हुआ है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि कार्पोरेशन बैंक के एक कर्मचारी ने अपने रिश्तेदारों के नाम से 22 जमा खाते उनकी राजौरी गार्डन, नई दिल्ली शाखा में खोले हैं। सभी खाते खोलने के लिए शाखा प्रबन्धक द्वारा अनुमति दी गई थी। बैंक ने इस मामले में अपना कोई कर्मचारी शामिल हुआ नहीं पाया है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), जिसे कार्पोरेशन बैंक ने यह मामला सुपुर्द किया है, मामले की जाँच कर रहा है तथा उन्होंने सभी मूल दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर ने अब तक अलग से कोई जाँच नहीं की है तथा बैंक ने शाखा प्रबन्धक की ओर से किसी प्रकार की गलती हुई नहीं देखी है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें इस मामले में कोई हानि नहीं हुई है।

बंगलादेश को गेहूँ का निर्यात

5346. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम बंगालदेश को गेहूँ का निर्यात करता रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो बंगलादेश को किस मूल्य पर गेहूँ का निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उन्हें उसी मूल्य पर गेहूँ की आपूर्ति की जाए जिस मूल्य पर यह बंगलादेश को निर्यात किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम निर्यात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और प्रोजेक्टड एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन को गेहूँ उपलब्ध करा रहा है। राज्य व्यापार निगम और प्रोजेक्टड एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन ने सूचित किया है कि 110 अमेरिकी डालर प्रति टन से 120 अमेरिकी डालर प्रति टन मूल्य की रेंज में बाँग्लादेश को गेहूँ का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) जी, हाँ। पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग के पक्ष में 415 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूँ का आवंटन किया जाए।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करती है न कि किसी निजी संगठन को। अतः पश्चिम बंगाल या अन्यत्र चाय उद्योग को अथवा इसके पक्ष में गेहूँ का आवंटन करना सम्भव नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह चाय उद्योग को पश्चिम बंगाल राज्य के लिए लागू दरों पर खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ खरीदने के लिए कहे।

आन्ध्र प्रदेश को धन

5347. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 82 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत किए जाने हेतु वहां की सरकार द्वारा कोई आग्रह किया गया है, क्योंकि इस सम्बन्ध में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और गृह मन्त्रालय को भी इस बात से अवगत कराया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उक्त धनराशि कब तक निर्गत करने का है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत् आन्ध्र प्रदेश का बढ़ा हुआ हिस्सा आरम्भिक अवस्था में 82 करोड़ रुपए आंका गया है। व्यय में प्रगति और राज्यों द्वारा अनुरूपी बचत के अधीन और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पंचवर्षीय योजना परिदृश्य के आधार पर ये अन्तरण जारी किए जा रहे हैं।

'जेड' समूह की कम्पनियां

5348. श्री सदाशिवराव दादोबा मण्डलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जेड' समूह की कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या बम्बई शेयर बाजार ने 'जेड' समूह में शामिल कम्पनियों को बड़ी संख्या में शेयर व्यापार की सूची से निकालने/इससे निलम्बित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो कई वर्षों से 'जेड' समूह में शामिल होने के लिए जमा किए जाने वाले निर्धारित शुल्क को जमा नहीं कर रही हैं; और

(ङ) शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सेबी ने सूचित किया है कि 1486 कम्पनियां ऐसी हैं जिन्हें 'जेड' समूह में अंतरित किया गया है। मुम्बई शेयर बाजार (बीएसई) में सूचीबद्ध कम्पनियां जो शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के कुछ अनुच्छेदों जैसे सूचीकरण शुल्कों का भुगतान न किया जाना, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, तिमाही परिणाम प्रस्तुत न करना, का अनुपालन नहीं करती, को 'जेड' समूह में अंतरित किया गया है। मुम्बई शेयर बाजार ने सूचित किया है कि उसने 'जेड' समूह में बड़ी संख्या में कम्पनियों के असूचीकरण/कारोबार निलम्बन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि समस्यामूलक मामलों में निलम्बन का निर्णय लिया जाता है।

(घ) यह सूचित किया गया है कि मुम्बई शेयर बाजार ने 2 मई, 2000 से 471 कम्पनियों, जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की अवधि के लिए सूचीकरण शुल्कों का भुगतान नहीं किया है, की प्रतिभूतियों में कारोबार को निलम्बित कर दिया है। एक्सचेन्ज ने 25 कम्पनियों जिन्होंने वार्षिक सूचीकरण शुल्कों का भुगतान नहीं किया है, के विरुद्ध बन्द करने की याचिका भी दायर की है।

(ङ) 'जेड' समूह मे रखी गई स्क्रिपों के सम्बन्ध में एक्सचेन्ज के सदस्यों को 'जेड' समूह कम्पनियों में कारोबार निष्पादित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतने के लिए सक्षम बनाने हेतु मुम्बई स्टॉक एक्सचेन्ज आन आइन ट्रेनिंग स्क्रीन (बीओएलटी) पर एक चेतावनी सन्देश आता है।

बीमा सम्बन्धी दावों का भुगतान

5349. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मन्त्री 1 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2004 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा कम्पनियां बीमा सम्बन्धी दावों का भुगतान उसी दर पर करें जिस दर पर प्रीमियम जमा किया जाता है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना होने की स्थिति में इन दावों का भुगतान शत-प्रतिशत किया जाए, क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) प्रभारित प्रीमियम और तय की गई दावे की राशि के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रीमियम की दरें जोखिम की सीमा के अनुसार प्रभारित की जाती हैं जबकि दावों का भुगतान पालिसी की निबन्धनों और शर्तों, अपवर्जनों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बीमित व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि की सीमा के अनुसार किया जाता है।

(ख) प्रतिपूर्ति का भुगतान बाजार मूल्य अथवा बीमित मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाता है। बीमा कम्पनियों ने दुर्घटना दावों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में लोक अदालतों और जल्द-राहत योजना के जरिये निपटान करना, दावा निपटान प्रक्रियाओं को सरलीकरण और मानकीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थाई दावा समीक्षा समितियों का गठन करना इत्यादि शामिल है।

प्रौद्योगिकी का कोटि-उन्नयन

5350. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विद्युत कम्पनियों से इक्विटीगत सहयोग हासिल करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष के दौरान भेल को कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या भेल ने विदेशी सहयोग से अपनी प्रौद्योगिकी के कोटि-उन्नयन के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हाँ। बीएचईएल ने अपने उपस्करों और सेवाओं की आपूर्ति करने के उद्देश्य से चयनित (सेलेक्टिव) आधार पर पावर फर्मों में इक्विटी लेने में रुचि दिखाई है।

बीएचईएल ने आन्ध्र प्रदेश में गैस पावर कारपोरेशन लि., में इक्विटी ली है। इसके अलावा, इसने निम्नलिखित पावर उद्यमों में इक्विटी की भागीदारी में रुचि दिखाई है :

(i) यमुना नगर 2x250 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लान्ट के लिए बीएसईएस।

(ii) भटिंडा नापथा आधारित 150 मेगावाट पावर प्लान्ट के लिए आईओसी।

(iii) सावली 2X250 मेगावाट वैक्यूम अवशेष आधारित पावर प्लान्ट के लिए आईओसी।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, नवम्बर, 2000 माह के अन्त में, भेल को पावर उद्योग निर्यात व्यापार क्षेत्रों में 3937 करोड़ रुपए के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। भेल में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही के विगत में, कुछ प्रमुख समझौते हुए हैं जो नीचे दिए गए हैं :

(1) मैसर्स बैबकॉक बोर्सिंग पावर जीएमबीएच जर्मनी के साथ बन्स टू बायलर्स (सब-क्रिटिकल और सुपरक्रिटिकल श्रेणी)।

(2) मैसर्स रॉथ म्यूल, जर्मनी के साथ फेबरिक फिल्टर।

(3) मैसर्स मैक्स कन्ट्रोल इंक, अमेरिका के साथ नई जेनेरेशन नियन्त्रण और इंस्ट्रूमेन्टेशन प्रणाली।

[हिन्दी]

फिल्मों का आयात

5351. श्रीमती निवेदिता माने : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात की गई फिल्मों, वृत्तचित्रों, दूरदर्शन धारावाहिकों और एनीमेशन फिल्मों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनके आयात किए जाने के क्या कारण हैं और इनमें से प्रत्येक पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) फीचर फिल्मों के आयात को अधिसूचित करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय की दिनांक 31.3.97 की सार्वजनिक सूचना सं. 4 (पी.एन.)/97-02 के अनुसार फीचर फिल्मों और वीडियो फिल्मों का आयात बिना लाइसेन्स के किया जा सकता है बशर्ते कि आयातक सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करते हुए प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करे। इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई फिल्मों की संख्या के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं। तथापि फीचर फिल्मों के आयात के लिए जिन फिल्मों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनकी संख्या नीचे दी गई है :

1997	-	329
1998	-	234
1999	-	385

जहाँ तक वृत्त चित्र/टी. वी. धारावाहिक/एनीमेशन फिल्मों का सम्बन्ध है आयात नीति के अन्तर्गत इनके लिए के.फि.प्र. बोर्ड से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की आवश्यकता नहीं है। तथापि उन टी. वी. धारावाहिकों तथा एनीमेशन फिल्मों जिनके लिए के.फि.प्र. बोर्ड. द्वारा सेन्सर प्रमाणपत्र जारी किया गया है, इस प्रकार हैं :

वर्गीकरण	1997	1998	1999
वित्तचित्र	27	37	2
टी. वी धारावाहिक	-	-	-
एनीमेशन फिल्म	-	-	-

(ख) चूँकि आयातक मुख्यतया निजी व्यक्ति/कम्पनियां होती हैं, इसलिए यह मन्त्रालय प्रत्येक आयातित फिल्म पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के बारे में कोई सूचना नहीं रखता।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण

5352. **श्री रघुनाथ झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के कई बैंकों का निरीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों में किन-किन कमियों का पता चला है; और

(घ) इन बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी 33 बैंकों का निरीक्षण किया गया था।

(ख) और (ग) इन बैंकों के कार्य-संचालन में सामान्यतः जो प्रमुख कमियाँ जानकारी में आई हैं उनमें प्रत्यायोजित प्राधिकार प्रयोग तथा ऋण-प्रस्तावों के मूल्यांकन में कमियां, विदेशी मुद्रा व्यापार के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण/भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ/भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का अनुपालन, प्रणाली एवं नियंत्रण आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, ऋण की मंजूरी-पश्चात पर्यवेक्षण में ढिलाई, बहियों के संतुलन में बकाया राशि आदि शामिल हैं।

(घ) निरीक्षण रिपोर्टों के जाँच परिणामों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले को बैंक प्रबन्धकों के साथ उठाता है, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सकें कि पाई गई कमियां फिर न दोहराई जाएँ। निरीक्षण रिपोर्टों के मुख्य जाँच-परिणामों पर बैंकों की टिप्पणियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इसके बाद इन कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपायों की पहचान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सम्मत अनुवर्ती कार्रवाई के कार्यान्वयन और साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की निगरानी करता है।

विनिवेश के लिए पहचान की गई विद्युत कम्पनियां

5353. **श्री त्रिलोचन कानूनगो**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विनिवेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने पावर ग्रिड कारपोरेशन सहित सरकारी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों में विनिवेश हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो विनिवेश के लिए किन-किन कम्पनियों की पहचान की जा रही है और इसके कारण क्या हैं, और

(ग) विनिवेश के जरिए उगाहे गए धन को किस तरह उपयोग किए जाने की सम्भावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मन्त्री तथा योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मन्त्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूरे वर्ष के लिए ऋण नीति

5354. **श्री रामदास आठवले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.एच.डी. चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने वर्तमान में प्रचलित ऋण नीति की छमाही घोषणा की जगह पूरे साल के लिए एक स्व-सक्रिय, सकारात्मक और मौलिक नीति की माँग की है ताकि माँग का सृजन, निवेश को प्रोत्साहन और देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके;

(ख) यहि हाँ, तो क्या चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस समय उदारीकृत और प्रतिस्पर्धा-निवेश की अवधि में पूरे वर्ष के लिए एक ऋणि नीति की जरूरत है;

(ग) क्या इस चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के मुताबिक पूरे वर्ष के लिए एक लचीली और व्यावहारिक ऋणनीति अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन क्षेत्रों को तुलनात्मक लागत पर पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करेगी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में वित्तीय निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने व्यस्त अवधि ऋण नीति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सितम्बर, 2000 में अपने सुझाव भेजे। तथापि, ऋण नीति की छमाही घोषणा के स्थान पर पूर्ण वर्ष की घोषणा के बारे में कोई सुझाव नहीं था।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) जो देश का मौद्रिक प्राधिकरण है, मौद्रिक और ऋण नीति से जुड़े सभी मामलों से सम्बन्धित है। मौद्रिक और ऋण नीति में मूल्य स्थिरता, निवेश उत्पाद और रोजगार के उच्च स्तर व भुगतान संतुलन में साम्य जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से धन और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियमित करने के लिए केन्द्रीय बैंक के नियंत्रणाधीन आधिकारिक साधनों का प्रयोग शामिल है।

वर्ष 1997-98 तक भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के दौरान ऋण नीति पर अर्धवार्षिक विवरण की घोषणा करता है। अप्रैल, 1998 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल में वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति विवरण की घोषणा करना आरम्भ कर दिया जिसके बाद एक मध्यावधिक समीक्षा की जाती है जिसमें वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने और वित्तीय बाजार के विभिन्न खण्डों के कामकाज में सुधार लाने के लिए ढाँचागत उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सामान्यतः मध्यावधिक समीक्षा वर्ष की पहली छमाही में मौद्रिक घटनाक्रम की समीक्षा और ऐसे परिवर्तनों तक सीमित रहती है जो वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान मौद्रिक सम्भावनाओं में जरूरी समझे जाते हैं। वर्ष 2000-01 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति पर अपने विवरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीतिकारी दबावों को उत्पन्न किए बिना सभी युक्तियुक्त आवश्यकताओं हेतु बैंक ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए चालू नीतिगत दृष्टिकोण को जारी रखने के अपने आशय को स्पष्ट किया है।

पंजाब नेशनल बैंक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

5355. श्री सुबोध राय : क्या वित्त मन्त्री 28 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने की वचनबद्धता से मुकरने के मामले में ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें बैंक ने (पी.एन.बी. में दर्ज) नाबालिगों के बालिक होने पर, विशेषकर उन लोगों को जो अनाथ हैं या जिन्हें बैंक ने कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई थी, रोजगार देने की बात कही थी किन्तु दी नहीं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे जरूरतमन्द लोगों के लिए बैंक द्वारा पहले की गई वचनबद्धता का क्या हुआ;

(ग) क्या आवेदकों (नाबालिगों) ने बालिक होने पर नियम बनाए जाने से पहले रोजगार के लिए अनुरोध किया था; यदि हाँ, तो इन आवेदकों को विशेषकर अनाथों या जिन्हें बैंक ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी थी, इस नए नियम के दायरे में आने से अलग क्यों नहीं रखा गया;

(घ) क्या नया नियम बैंक द्वारा उक्त लोगों के प्रति की गई पहले की वचनबद्धता के आलोक में बनाया गया था;

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे कुछेक मामलों से मुकरने में बैंक का निहित स्वार्थ क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो 20 मार्च, 1997 से पहले के नियम के आधार पर पी.एन.बी. ऐसे जरूरतमन्द लोगों की सहायता के लिए कब तक पुनर्विचार करेगा और रोजगार देगा?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार उन्होंने संशोधित योजना के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के बालिग होने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों की जांच की है। चूँकि ये सभी आवेदक कर्मचारी की मृत्यु होने के चार वर्ष से अधिक समय के बाद ही बालिग हुए थे, अतः अनुकम्पा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया।

(ग) जी, हाँ। आवेदकों ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध संशोधित योजना के लागू होने से पहले ही किया था।

(घ) पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.5.1994 के अपने निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अपनी संशोधित योजना तैयार की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि 'अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एक उपयुक्त अवधि की समाप्ति के बाद नहीं की जा सकती है जिसे नियमों में अनिवार्य रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो। ऐसा नियोजन निहिताधिकार नहीं है जिसका भविष्य में कभी भी प्रयोग किया जा सके। इसका लक्ष्य किसी परिवार को उस वित्तीय संकट से उबारना है जो उसे एक मात्र रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु के पश्चात झेलना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अनुकम्पा के आधार पर रोजगार का दावा कभी भी और संकट समाप्त हो जाने पर भी किया जा सकता है।

(ङ) बैंक का कोई निहित स्वार्थ नहीं है क्योंकि मामलों की जांच/नामंजूरी बैंक की वर्तमान योजना को ध्यान में रखकर की गई थी।

(च) बैंक को निदेश दिया जा रहा है कि वह एक महीने के भीतर ऐसे मामलों की पुनः जांच करें।

भुगतान में विलम्ब

5356. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री वाई.वी. राव :
श्री डी.वी.जी. शंकर राव :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्रीमती मिनाती सेनः
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निजी कम्पनी, इन्टीग्रल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर प्रसार भारती का 6.5 करोड रु. बकाया है;

(ख) क्या इस कम्पनी द्वारा तैयार कार्यक्रम 'ट्रक धिना धिन' को आवेदन स्वीकृत होने के 72 घण्टों के भीतर दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने की अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कम्पनी से सरकार की बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में मै. इन्टेग्रल प्रोडक्शन प्राइवेट लि. कम्पनी की ओर बकाया देय 4.46 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि उक्त धारावाहिक का प्रस्ताव 3 मई, 1999 को प्राप्त हुआ था और इसे दिनांक 21.6.1999 को दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बकाया देयों का भुगतान करने के लिए कम्पनी को लगातार अनुस्मारक दिए जा रहे हैं और वे किस्तों में इस राशि का भुगतान कर रहे हैं।

सामूहिक रूप से देखे जाने वाले टीवी सेट

5357. श्री चिन्तामन वनगा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिन्हें गत वर्षों के दौरान उनके पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से देखे जाने वाले टी. वी. सेट लगाने के लिए वर्षवार धन मुहैया कराया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान देश के अति पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से देखे जाने वाले टी.वी. सेटों को लगाने के लिए और धन मुहैया कराने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सामुदायिक दर्शन टी.वी. सेटों की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सरसों के तेल के पैकों पर एम. आर. पी. सी. की मुहर लगाना

5358. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरसों के तेल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु इसके पैकों पर सरसों अनुसंधान विकास संघ (एम आर पी सी) की मुहर लगवाने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में निर्णय की प्रचालनात्मक प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) बीज अधिनियम, 1968 और 1981 के तहत भारतीय रेपसीड और सरसों में अर्जीमोन की अनुज्ञेय मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अर्जीमोन की मात्रा के सम्बन्ध में सरसों अनुसंधान विकास संघ और खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के बीच कोई विरोधाभास है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेपसीड और सरसों में आर्जीमोन बीज की अधिकतम अनुमेय सीमा कृषि बीज में 0.10 प्रतिशत और फाउंडेशन बीज में 0.05 प्रतिशत है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) सरसों तेल के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण विनियमन (ए17.06) में निर्दिष्ट है कि अर्जीमोन तेल के लिए परीक्षण 'नकारात्मक' हो।

इसका तात्पर्य है कि स्वास्थ्य सेवाएँ महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण में अन्ततः यह पुष्टि होनी चाहिए कि सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल जैसा कुछ नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय मैनुअल के अनुसार परीक्षण विधि की संवेदनशीलता (थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सहित) 1000 पी.पी.एम. से 50 पीपीएम तक है।

अभी तक ऐसी कोई निरपेक्ष परीक्षण विधि तैयार नहीं की गई है जो अर्जीमोन तेल की उपस्थिति के लिए अलग से 'नकारात्मक' निष्कर्ष दे सके।

आर्जीमोन तेल की उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए किसी अधिमान्य परीक्षण विधि के मौजूद न होने के कारण खाद्य अपमिश्रण निवारण निरीक्षकों के हाथों सरसों की खेती करने वाले किसान और उद्योग सताए जाते रहेंगे।

सरसों में आर्जीमोन का अनुमत स्तर और सरसों के तेल की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव।

बीज अधिनियम (1966) की धारा 9 (3) के उपबन्धों के अधीन न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक केन्द्रीय सरकार के पास हैं।

बीज संशोधन नियम, 1981 के माध्यम से बीज नियम, 1968 के भाग के अनुसार रेपसीड मानक 1988 खरीफ फसल 1988 से प्रभावी हुआ।

उपर्युक्त नियम के अधीन भारतीय रेपसीड और सरसों में आर्जीमोन बीज की अधिकतम अनुमेय सीमा कृषि बीज में 0.10% और फाउंडेशन बीज में 0.05 प्रतिशत है।

अन्य शब्दों में पौध और कटाई के उपरान्त की फसल में 100 ग्राम भारतीय सरसों और रेपसीड में अधिकतम 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक आर्जीमोन बीज हो सकता है।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा 'डीमेट' में विलम्ब

5359. डा. सी. कृष्णन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 सितम्बर, 2000 के 'दि इकानॉमिक टाइम्स' में 'इन्वेस्टर्स फेस हार्ड टाइम्स एज़ कम्पनीज डीले डीमेट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कम्पनियों से शेयरों के पन्द्रह दिन के भीतर अपने शेयरों को वास्तविक स्वरूप से 'डीमेट' में बदलने की अपेक्षा की जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो ये कंपनियाँ किन कारणों से समय पर इन शेयरों को बदलने में विफल रहती हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और वे कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और उनके शेयर कितने हैं और इन शेयरों में कितनी धनराशि लगी हुई है और प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शिकायतों के निपटान और पीड़ित निवेशकों को राहत देने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सेबी ने सूचित किया है कि शेयरों को 'डिमेट' करने में अनुचित विलम्ब की घटनाएँ उसके ध्यान में लाई गई हैं। सेबी ने निर्गमकर्ता कंपनियों/रजिस्ट्रारों और शेयर हस्तांतरण एजेन्टों को निर्देश जारी किए थे कि शेयरों को 'डिमेट' करने के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर 15 दिन के अन्दर कार्रवाई की जानी चाहिए। सेबी समय-समय पर सभी निवेशकों के लिए 'डिमेट' रूप में अनिवार्य तिजारत की लागू तारीख के साथ-साथ कम्पनियों की सूची की घोषणा करता आ रहा है। इसे लागू करने की तारीख की घोषणा के तुरन्त बाद निवेशकों से 'डिमेट' हेतु भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता/ट्रांसफर एजेन्टों के लिए इन भारी अनुरोधों को पूरा करना कठिन हो जाता है और 'डिमेट' के अनुरोधों पर कार्रवाई करने में विलम्ब हो रहा है। 'डिमेट' के अनुरोध फार्मों में त्रुटियाँ दस्तावेज में कमी और लम्बित मुकदमों के कारण न्यायालयों के हस्तक्षेप विलम्ब के अन्य कारण हैं।

(घ) सेबी ने सूचित किया है कि निवेशकों से 200 से अधिक कम्पनियों द्वारा शेयरों को 'डिमेट' कराने में विलम्ब से सम्बन्धित अभी तक लगभग 900 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश निवेशक सामान्यतः अपनी शिकायतों में शेयरों की संख्या और निहित धनराशि सम्बन्धी ब्यौरों का उल्लेख नहीं करते हैं। समाचारपत्र में उल्लिखित मैसर्स पदमिनी टेक्नोलाजी लिमिटेड का जहां तक सम्बन्ध है, सेबी के अनुसार कम्पनी को 'डिमेट' करने के लिए 4,36,42,275 शेयर प्राप्त हुए हैं जिसमें 4,29,64,442 शेयरों को 'डिमेट' कर दिया गया है। दिनांक 11.12.2000 को 'डिमेट' के लिए बकाया 6,77,833 शेयर थे। किन्तु इनमें से कोई भी शेयर 15 दिन से अधिक समय तक 'डिमेट' के लिए लम्बित नहीं है।

(ङ) सेबी ने सूचित किया है कि वह 'डिमेट' के अनुरोधों पर अनुचित रूप से विलम्ब कर रही कम्पनियों के साथ मासिक आधार पर बैठकें आयोजित कर रहा है, ताकि विलम्ब के कारणों पर चर्चा की जा सके और लम्बित 'डिमेट' के अकाया को पूरा करने के लिए अर्थोपाय निश्चित किए जा सकें। कम्पनियों को निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब की पुनरावृत्ति के लिए चेतावनी दी गई है।

सुपर बाजार में कदाचार

5360. डॉ. संजय पासवान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कम्प्यूटरों की वाई 2 के समस्या का समाधान सुनिश्चित करने में सुपर बाजार के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए गम्भीर कदाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हो, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस मामले से अवगत कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वाई2के (Y2K) के अनुपालन के लिए कंप्यूटर की खरीद से संबंधित मामले की सुपर बाजार के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई है।

(ख) से (घ) जिन चार अधिकारियों के इस मामले में लिप्त होने का संदेह है उनमें से दो अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। तीसरे

अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। चौथे अधिकारी के मामले को सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है।

[हिन्दी]

उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

5361. डा. बलिराम :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने आवेदन मंजूर किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उद्यमियों को वर्षवार और राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा उसकी प्रत्यक्ष वित्त योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष वित्त के लिए आई.डी.बी.आई. द्वारा प्राप्त राज्य-वार आवेदन पत्र

(संख्या)

क्र.सं.	राज्य	1977-98		1978-99		1999-2000	
		प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	164	126	131	32	135	49
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	6	6	10	3	8	3
4.	बिहार	14	8	17	8	14	11
5.	दिल्ली	46	24	30	15	35	19
6.	गोवा	6	4	12	5	5	1
7.	गुजरात	179	140	128	48	157	89
8.	हरियाणा	57	34	51	10	47	22
9.	हिमाचल प्रदेश	20	12	16	3	20	8
10.	जम्मू और काश्मीर	0	0	1	0	2	2
11.	कर्नाटक	94	62	67	31	76	51
12.	केरल	17	14	28	12	14	8
13.	मध्य प्रदेश	80	62	61	18	47	20
14.	महाराष्ट्र	306	235	277	100	303	168
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	1	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	21	16	10	2	23	7
20.	पंजाब	56	40	45	14	64	38
21.	राजस्थान	93	62	79	28	80	59
22.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	182	122	136	50	123	66
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	102	68	86	26	73	33
26.	पश्चिम बंगाल	100	69	59	11	83	35
27.	संघ राज्य संघ						
	(i) अण्डमान और निकोबार	1	1	0	0	0	0
	(ii) चंडीगढ़	3	2	3	1	4	3
	(iii) दादरा और नगर हवेली	17	15	19	5	10	6
	(iv) दीव और दमन	7	6	8	2	7	4
	(v) पाण्डिचेरी	3	2	7	3	5	3

टिप्पणी : राज्य-वार प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या कुल मंजूर आवेदन-पत्रों से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के दौरान कुछ आवेदन-पत्र अस्वीकृत, बन्द/रद्द/लम्बित किए गए होंगे।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित राज्य-वार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र.सं. राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1. आन्ध्र प्रदेश	2802.82	1785.64	1865.12	1234.76	4394.82	1692.61
2. अरुणाचल प्रदेश	5.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3. असम	14.56	14.71	48.12	26.30	43.43	29.92
4. बिहार	382.87	335.17	678.30	137.65	241.50	317.37
5. दिल्ली	404.88	480.71	2251.53	452.88	1927.18	1330.84
6. गोवा	86.10	41.93	187.09	113.78	71.47	103.41
7. गुजरात	3635.42	3186.00	2091.37	2340.55	4538.93	2457.47
8. हरियाणा	485.57	435.21	520.24	303.42	572.84	385.24
9. हिमाचल प्रदेश	268.97	196.68	68.70	95.13	373.01	362.33
10. जम्मू और काश्मीर	3.78	1.14	0.00	1.00	41.48	42.30
11. कर्नाटक	1485.69	1177.11	2319.70	1292.46	1262.31	955.61
12. केरल	164.01	102.60	367.36	174.93	222.00	117.96
13. मध्य प्रदेश	2469.68	677.86	700.83	718.36	1122.72	658.93
14. महाराष्ट्र	4446.56	2793.85	5539.41	2706.37	4878.45	3583.48
15. मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. उड़ीसा	313.01	140.01	142.40	236.41	46.33	202.87
20. पंजाब	354.21	338.19	546.81	525.76	1528.15	559.88
21. राजस्थान	995.66	644.63	1020.50	864.58	778.22	680.13
22. सिक्किम	12.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
23. तमिलनाडु	2839.56	1001.63	2532.01	1407.36	3367.34	1213.50
24. त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. उत्तर प्रदेश	819.34	794.10	2048.73	881.05	810.94	814.61
26. पश्चिम बंगाल	948.96	808.78	509.37	669.58	925.21	627.74
27. संघ राज्य संघ						
(i) अण्डमान और निकोबार	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) चंडीगढ़	2.90	8.17	22.70	17.60	42.36	27.86
(iii) दादरा और नगर हवेली	127.90	94.03	105.50	102.75	66.43	32.41
(iv) दमन और दीव	42.75	35.73	56.78	51.31	56.00	18.05
(v) लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) पाण्डिचेरी	12.93	12.27	28.70	21.14	5.00	16.96
कुल	23180.00	15111.00	23469.67	14375.13	27314.12	16211.48

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों द्वारा डी.टी.एच. से सम्बन्धित दिए गए सुझाव

5362. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार टी.वी. की स्वामी कम्पनी न्यूज टेलीविजन इन्डिया और अन्य विदेशी प्रसारण कम्पनियों ने सरकार को हाल ही में घोषित किए गए डी.टी.एच. से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन मौजूदा दिशा-निर्देशों से नए क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम प्रतिबन्धित हो जाएगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्रवाई किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) डी.टी.एच. प्रसारण में एफ. डी. आई./एन.आर.आई./ ओ. सी. बी./एफ. आई. सहित कुल विदेशी निवेश 49% से अधिक नहीं रखे जाने का प्रस्ताव है जिसमें एफ.डी.आई. का हिस्सा 20% से अधिक नहीं होगा। डी.टी.एच. प्रसारण की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को डी.टी.एच. सेवा के लाभ उपलब्ध कराना है। एफ डी आई आगम की मात्रा का महत्व गौण ही है।

उड़ीसा को विश्व बैंक की सहायता

5363. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने उड़ीसा में महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने उड़ीसा को अब तक कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार को समस्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) ने उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के उपायों के लिए 46.00 मिलियन डालर का ऋण अनुमोदित किया है। विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त उड़ीसा जल-संसाधन समेकन परियोजना में संशोधन-स्वरूप 19 दिसम्बर, 2000 को भारत सरकार, उड़ीसा सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा इस आशय के पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उसकी पुष्टि की गई है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार इस परियोजना के अन्तर्गत किए गए पात्र व्यय हेतु उनके द्वारा दाखिल किए गए प्रतिपूर्ति दावों के आधार पर ऋण की धनराशि प्राप्त करेगी। उड़ीसा सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 1999 को अथवा उसके बाद, लेकिन 19 दिसम्बर, 2000 से पूर्व, इस परियोजना के तहत किए गए समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक की अधिप्राप्ति-प्रक्रियाओं के अनुरूप विश्व बैंक द्वारा 4.6. मिलियन अमरीकी डालर (कुल ऋण प्राप्तियों का 10%) की सीमा के अधीन रहते हुए की जाएगी।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

5364. श्री अनन्त गुढ़े : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कितनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ पंजीकृत की गई हैं;

(ख) क्या सरकार को कई गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों से उनका धन हड़पे जाने की जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने 11887 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन-पात्रों को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) और (ग) जमाकर्ताओं से ऐसी कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो उनकी जमाराशियों को वापस करने में असफल रही हैं। जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर या निरीक्षणों के माध्यम से अथवा अन्यथा अन्य गम्भीर अनियमितताएँ ध्यान में आने पर, भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के खिलाफ प्रतिबन्धक आदेश जारी करने, कम्पनी को जमाराशियां स्वीकार करने और अपनी आस्तियों

का अन्य संक्रामण करने से रोकने, परिसमापन की याचिकाएँ दायर करने और आपराधिक शिकायतें शुरू करने जैसी आवश्यक कार्रवाई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ समस्या जनक कम्पनियों में जमाराशियों की वापसी अदायगी की निगरानी करने के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षोपायों का प्रावधान करने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय-III ख को जनवरी 1997 में संशोधित किया गया था। सरकार ने संसद में एक नया विधेयक भी पेश किया है। नए विधेयक के प्रावधानों से इन कम्पनियों का कड़ाई के साथ विनियमन करने और जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

के. यू. बैंड में वी-सैट के आयात पर सीमा शुल्क में छूट

5365. रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्यवर्धित सेवा, वी-सैट प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसैंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा आयातित उपग्रह संचार उपकरण पर सीमा शुल्क में छूट देने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार ने मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर के.यू.बैंड में वी-सैट के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) के.यू. बैण्ड में वी-सैट के आयात पर सीमा शुल्क में छूट लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस छूट को कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) उपग्रह संचार उपकरण (ग्राहकों के परिसरों वाले उपकरण को छोड़कर) तथा नेटवर्क प्रबन्धन प्रणाली मूल्यानुसार 5% की दर से रिआयती मूल सीमा शुल्क के लिए पात्र हैं जब उनका आयात भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंसशुदा किसी व्यक्ति द्वारा वी-सैट प्रणाली के माध्यम से मूल्यवर्द्धित सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो। शुल्क रिआयत इस बात को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है कि ऐसे उपकरण का देश में निर्माण नहीं होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ङ) और (च) के. यू. बैंड में प्रसारण के लिए वी-सैट उपकरण पर सीमा शुल्क में रियायतों के प्रश्न पर 2001-2002 के बजट की तैयारी के एक अंग के रूप में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

मैट्रो चैनल के लिए आचार-संहिता

5366. श्री शिवराज सिंह चौहान :
डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के प्राधिकारियों द्वारा मैट्रो चैनल और अन्य चैनलों के लिए कार्यक्रमों/विज्ञापनों से सम्बन्धित कोई आचार संहिता तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने बताया है कि मैट्रो चैनल सहित दूरदर्शन पर कार्यक्रमों/विज्ञापनों को क्रमशः 'प्रसारण संहिता' और 'दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन सम्बन्धी संहिता' के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 'प्रसारण संहिता' और 'दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन सम्बन्धी संहिता' की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. टेलीविजन प्रसारण संहिता

दूरदर्शन की प्रसारण संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का निषेध किया गया है :

(1) मित्र देशों की आलोचना;

(2) धर्मों या समुदायों पर आक्षेप;

(3) कुछ भी जो अश्लील या मानहानिकारक हो;

(4) हिंसा को प्रेरित करना अथवा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के विपरीत स्थिति;

(5) न्यायालय की आवगमानना सम्बन्धी स्थिति;

(6) राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दात्मक टिप्पणी;

(7) राष्ट्र की अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई स्थिति; और

(8) किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से आलोचना।

2. *दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन सम्बन्धी संहिता*

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन सम्बन्धी संहिता की मुख्य बातें:

1. विज्ञापन देश के कानून के अनुरूप ही तैयार किए जाएँगे तथा ये जनता की नैतिकता, मर्यादा और धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए।

2. ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी:

1. जिससे किसी वंश, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास होता हो,

2. जो किसी नीति-निर्देशक सिद्धान्त अथवा भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान के प्रतिकूल हो,

3. जो जनता को अपराध के लिए प्रेरित करता हो, जिससे अव्यवस्था अथवा हिंसा अथवा कानून का उल्लंघन होता हो अथवा जिसमें हिंसा या अश्लीलता की प्रशंसा की गई हो,

4. जिसमें अपराधिकता को वांछनीय दर्शाया गया हो,

5. जिससे विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

6. जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह अथवा संविधान के किसी भाग या किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रीय नेता के व्यक्तित्व अथवा राज्य की प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाया गया हो,

7. जो सिगरेट और तम्बाकू से निर्मित उत्पादों, मद्य, शराब, तथा अन्य मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देता हो,

8. जो महिलाओं के चित्रण में सभी नागरिकों को स्थिति एवं अवसर की बराबरी और व्यक्ति विशेष का प्रतिष्ठा जैसी सांविधिक गारंटियों का उल्लंघन करे। विशेषरूप से महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत करने वाले किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिलाओं को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनके अकर्मण्य, वश्य गुणों पर बल दिया जाए और उन्हें परिवार तथा समाज में आश्रित और गौण भूमिका का निर्वाह करने का प्रोत्साहन मिले। पुरुषों और महिलाओं के चित्रण से एक-दूसरे के प्रति अनादर की भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। प्रत्येक विज्ञापक यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं का चित्रण सुरुचिपूर्ण एवं सौन्दर्यपरक हो और अच्छी रुचि एवं शालीनता के सुस्थापित मानदण्डों के अनुरूप हो,

3. कोई विज्ञापन सन्देश किसी भी तरह समाचारों के रूप में प्रस्त नहीं किया जाएगा,

4. ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनका उद्देश्य पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से तथा धार्मिक अथवा राजनैतिक प्रकृति का हो, विज्ञापन का कोई धार्मिक अथवा राजनैतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए और उसका किसी औद्योगिक विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए,

5. विज्ञापित वस्तुओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उल्लेख किए गए अनुसार कोई दोष अथवा कमी नहीं होना चाहिए,

6. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो अथवा उनमें खराब आदतों के प्रति रुचि उत्पन्न होती हो या उन्हें भीख माँगते हुए अथवा असम्मानजनक या अशोभनीय रूप से चित्रित किया गया हो,

7. किसी विज्ञापन में ऐसी बातों का हवाला नहीं दिया जाएगा जिससे यह सम्भावना हो कि जनता यह अर्थ लगा लेगी कि विज्ञापित किए गए उत्पाद अथवा इसके किसी संघटक में कोई विशेष अथवा चमत्कारी अथवा अलौकिक शक्ति अथवा गुणता है जिन्हें साबित किया जाना कठिन हो जैसे कि गंजेपन का निदान, त्वचा को गोरा करना आदि,

8. विज्ञापन की पिक्चर और श्रव्य सामग्री अत्यधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए,

9. टेलीविजन प्रसारण संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

बैंकों में मितव्ययिता अभियान

5367. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धन को गैर-बैंकिंग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरम्भ किए गए अभियान के अनुरूप मितव्ययिता अभियान आरम्भ करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक प्रबन्धनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) व्यय विभाग द्वारा 'व्यय प्रबन्धन—राजकोषीय सावधानी एवं मितव्ययिता' पर जारी दिनांक 24.9.2000 के दिशानिर्देशों की एक प्रति सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको को सूचना और इनका कठोरता से अनुपालन करने हेतु दिनांक 8.11.2000 को भेजी गई थी।

(ख) व्यय विभाग द्वारा सुझाए गए मितव्ययिता के उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. सभी मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्त संस्थाओं के योजनोसार, गैर-वेतन व्यय के लिए बजट सम्बन्धी आवंटन में 10% कटौती अनिवार्य होगी।

2. स्टाफ गाड़ियों और सरकार वाहनों के प्रयोग में भरसक किफायत की जानी चाहिए। स्टाफ गाड़ियों के पेट्रोलियम, तेज और चिकनाई के पदार्थ पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय के लिए निधियों के आवंटन और उपयोग में 10% की कटौती की जाएगी।

3. नए वाहनों की खरीद पर एक वर्ष तक पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

4. पक्षों में 10% की कटौती और एक वर्ष से अधिक समय से खाली बड़े पदों के उन्मूलन से सम्बन्धित वर्तमान अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी मन्त्रालयों/विभागों/स्वायत्त संस्थाओं में एक वर्ष के लिए नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध रहेगा।

5. विदेश यात्रा केवल अनिवार्य सरकारी कार्य के लिए होनी चाहिए तथा अध्ययन दौरों, गोष्ठियों आदि के लिए विदेशी यात्रा पर प्रतिबन्ध रहेगा। विदेशी यात्रा अनिवार्य होने की स्थिति में सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के आकार को कम से कम तक सीमित किया जाएगा।

6. सभी देशों और सभी श्रेणियों, सरकारी/गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए विदेश यात्रा करने पर अनुमान दैनिक भत्तों में 25% तक की कटौती की जाएगी। वे अनुदेश स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होंगे।

7. सम्मेलनों/गोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन में वह मितव्ययिता अपनाई जानी चाहिए। ऐसे कार्यों का निष्पादन करने के लिए जारी वर्तमान दिशानिर्देशों और इनके लिए निर्धारित व्यय सीमा पर बल दिया जाना चाहिए।

(ग) बैंक इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

5368. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी और विदेशी बैंकों ने चालू वर्ष के दौरान कृषि और लघु उद्योगों को पिछले वर्षों की तुलना में कम प्रत्यक्ष ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और लघु उद्योगों को उपरोक्त वर्णित बैंकों द्वारा कुल ऋण में से कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया; और

(ग) निर्धारित मानदण्डों से यह किस सीमा तक कम है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1998, 1999 और 2000 की सूचना देने हेतु नियत अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र (कृषि उद्योग सहित जो लघु उद्योग मानदण्डों को पूरा करते हैं) को बकाया ऋण (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) निम्नानुसार है :

(i) *गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक*

	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
राशि (करोड़ रुपए में)	5849	6493	7313
निबल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	20.6	18.8	15.7

(ii) *विदेशी बैंक*

	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
राशि (करोड़ रुपए में)	2084	2460	2872
निबल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	10.31	11.02	10.23

(ग) जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने हेतु कोई लक्ष्य नहीं है, विदेशी बैंकों के मामले में निर्धारित लक्ष्य निबल बैंक ऋण 10 प्रतिशत है। समूह के रूप में विदेशी बैंकों ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उधार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उचित निवेश

5369. श्री जी.एस. बसवराज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा उचित निवेश किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश के मूल्यन से संबन्धित मार्गनिर्देशों को संशोधित किया है, ताकि उन्हें बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों के अनुरूप बनाया जा सके। ये मार्गनिर्देश मार्च 2001 को समाप्त छमाही से प्रभावी होंगे। मार्गनिर्देशों की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

निवेशों के वर्गीकरण और उनके मूल्यन के लिए दिशा-निर्देश

अ. वर्गीकरण :

1. वित्तीय संस्थाओं के समग्र निवेश संविधान की तीन श्रेणियों, अर्थात् 'अवधिपूर्णता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' में वर्गीकृत किया जाएगा।

[*परिभाषाएँ :* वित्तीय संस्थाओं द्वारा अवधिपूर्णता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियों को **अवधिपूर्णता तक धारित** शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा भाव/ब्याज दर में अल्पकालिक घट-बढ़ का लाभ उठाते हुए टेडिंग करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियों को **ट्रेडिंग के लिए धारित** शीर्ष अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। उक्त दो श्रेणियों में न आनेवाली प्रतिभूतियों को ***बिक्री के लिए उपलब्ध*** के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।]

2. वित्तीय संस्थाओं को निवेश की श्रेणी के बारे में निर्णय अर्जन के समय करना चाहिए तथा निर्णय को निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों पर दर्ज किया जाना चाहिए।

अवधिपूर्णता तक धारित

3. 'अवधिपूर्णता तक धारित' के अन्तर्गत शामिल निवेश वित्तीय संस्था के कुल निवेशों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्तीय संस्था अपने विवेक पर अवधिपूर्णता तक धारित श्रेणी के अन्तर्गत 25 प्रतिशत से भी कम प्रतिभूतियां रख सकते हैं।

4. निम्नलिखित निवेशों को 'अविधपूर्णता तक धारित' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, परन्तु उन्हें इस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट 25 प्रतिशत उच्चतम सीमा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा:

(क) सहयोगी सस्थाओं तथा संयुक्त उद्योगों में किए गए निवेश। [*संयुक्त उद्यम उसे कहा जाएगा, जिसकी इक्विटी का 25 प्रतिशत से अधिक भाग सहायक संस्थाओं सहित उस बैंक के पास हो।*]

(ख) उन डिबेंचरों/बाण्डों में निवेश, जिन्हें अग्रिम के स्वरूप का माना जाए।

डिबेंचरों/बाण्डों को उस स्थिति में अग्रिम के स्वरूप का माना जाए जब:

डिबेंचर/बाण्ड परियोजना वित्त के प्रस्ताव के भाग के रूप में जारी किया जाए तथा डिबेंचर की अवधि तीन वर्ष और अधिक हो।

अथवा

डिबेंचर/बाण्ड कार्यशील पूँजी वित्त के प्रस्ताव के भाग के रूप में जारी किया गया हो तथा डिबेंचर/बाण्ड की अवधि एक वर्ष से कम हो।

और

उस निर्गम में बैंक की हिस्सेदारी उल्लेखनीय हो, अर्थात् 10 प्रतिशत या अधिक की हो।

और

निर्गम निजी तौर पर आबंटन (प्राइवेट प्लेसमेन्ट) का एक अंग हो, अर्थात् ऋणकर्ता ने बैंक/वित्तीय संस्था से सम्पर्क किया हो तो वह सार्वजनिक निर्गम का अंग न हो, जिसमें बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अभिदान के लिए आमन्त्रण के प्रतिसाद (रिस्पांस)) में अभिदान किया जाता है।

अग्रिम के स्वरूप के माने गए डिबेंचरों/बाण्डों को अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्डों की शर्त पर जारी किया जाएगा।

5. इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ को हानि खाते में लिया जाएगा और उसके बाद उसका विनियोजन 'प्रारक्षित पूँजी खाता' में किया जाएगा। बिक्री से होने वाली हानि को लाभ और हानि खातें में दर्शाया जाएगा।

बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित ,

6. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों के अन्तर्गत धारिताओं की सीमा के बारे में निर्णय करने की स्वतन्त्रता बैंकों को होगी। वे प्रयोजन के आधार, व्यापारिक कार्य-नीतियों, जोखिम प्रबन्धन क्षमताओं, कर आयोजना, जन-बल की कुशलताओं, पूँजी की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लेंगे।

7. 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी के अन्तर्गत उन निवेशों को रखा जाएगा जिनसे वित्तीय संस्था को कब्जा दरों/बाजार दरों में घट-बढ़ द्वारा लाभ कमाने की आशा हो। इन प्रतिभूतियों को 90 दिन के भीतर बेचा जाना है। यदि वित्तीय संस्था चलनिधि की सख्त स्थितियों, या अत्यधिक अस्थिरता, या बाजार के एक ही दिशा में होने जैसी अपवादस्वरूप परिस्थितियों के कारण 90 दिन के भीतर प्रतिभूति की बिक्री करने में असमर्थ हो तो उस प्रतिभूति को निम्नलिखित मद 12 और 13 की शर्त पर 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाना चाहिए।

8. दोनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाएगा।

आ. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित करना :

9. वित्तीय संस्थाएँ, ' अवधिपूर्णता तक धारित' श्रेणी में/उससे निवेशों को निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरित कर सकती हैं। आमतौर पर लेखा वर्ष के प्रारम्भ में ऐसे अन्तरण की अनुमति दी जाएगी। उस लेखा वर्ष के शेष भाग में इस श्रेणी में से किसी और अन्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. वित्तीय संस्थाएँ, निदेशक मण्डल/आस्ति देयता प्रबन्धन समिति/निवेश समिति के अनुमोदन से 'बिक्री के लिए' श्रेणी से 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी में निवेश अंतरित कर सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संस्था के मुख्य कार्यपालक/आस्ति देयता प्रबन्धन समिति के प्रमुख के अनुमोदन से इस प्रकार का अन्तरण किया जा सकता है, परन्तु इसका अनुसमर्थन निदेशक मण्डल/आस्ति देयता प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

11. 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में निवेशों के अन्तरण की अनुमति आम तौर पर नहीं दी जाती। तथापि, सिर्फ उक्त मद 7 में उल्लिखित अपवाद की परिस्थितियों के अन्तर्गत इसकी अनुमति निदेशक मण्डल/आस्ति देयता प्रबन्धन समिति/निवेश समिति के अनुमोदन से अंतरण की तारीख को लागू मूल्यह्रास, यदि कोई ही, की शर्त पर दी जाएगी।

12. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्क्रिपों का अन्तरण सभी परिस्थितियों में अन्तरण की तारीख को अर्जन की लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य पर, जो भी सबसे कम हो, किया जाना चाहिए तथा ऐसे अन्तरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।

इ. मूल्यन

13. अवधिपूर्णता तक धारित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है तथा इसे अर्जन की लागत पर, अंकित मूल्य से अधिक न होने की स्थिति में, दर्शाया जाएगा। अर्जन की लागत अंकित मूल्य से अधिक होने पर प्रीमियम की राशि अवधिपूर्णता तक की शेष अवधि में परिशोधित की जानी चाहिए।

14. वित्तीय संस्थाओं को 'अवधिपूर्णता तक धारित' श्रेणी के अन्तर्गत शामिल सहायक कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में अपने निवेशों के मूल्य में हुई किसी भी कमी, अस्थाई कमी को छोड़कर, को हिसाब में लेते हुए उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। ऐसी कमी निर्धारित की जानी चाहिए और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाना चाहिए।

15. बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी की अलग-अलग स्क्रिपों को वर्ष की समाप्ति पर या उससे कम अवधि के अन्तराल पर बाज़ार भाव के अनुसार दर्शाया जाएगा। नीचे उल्लिखित प्रत्येक वर्गीकरण के अन्तर्गत शुद्ध मूल्यह्रास को हिसाब में लिया जागाए और नीचे मद 16 में बताए गए अनुसार उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा, परन्तु इन वर्गीकरणों के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि को नज़रंदाज किया जाएगा। पुनर्मूल्यन के बाद अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही-मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

निवेश का वर्गीकरण इस प्रकार होगा।

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

(iii) शेयर

(iv) डिबेंचर तथा बाण्ड

(v) सहायक/संयुक्त सहयोग

(vi) अन्य (सीपी, म्युच्युअल फण्ड, युनिट, आदि)

[नोट : इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों का स्क्रिपवार मूल्यन किया जाएगा और उपर्युक्त मद 1 में उल्लिखित प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई शुद्ध मूल्यह्रास आए तो उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। यदि कोई शुद्ध मूल्यवृद्धि हो तो उसे नज़रंदाज कर दिया जाएगा। किसी एक वर्गीकरण के लिए शुद्ध मूल्यह्रास के लिए अपेक्षित प्रावधान को किसी दूसरे वर्गीकरण में शुद्ध मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए।]

16. किसी वर्ष बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में मूल्यह्रास के कारण किए जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में नामे लिखा जाना चाहिए और उतनी ही राशि (यदि कर में कोई लाभ मिला हो तो उसे निकाल कर और सांविधिक प्रारक्षित निधि में अन्तरण के परिणामस्वरूप कमी करने के बाद शुद्ध राशि) या निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि खाते से लाभ और हानि खाते में अंतरित की जाएगी। यदि किसी वर्ष बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में मूल्यह्रास के कारण किए गए प्रावधान अपेक्षित राशि से अधिक हों तो अतिरिक्त राशि लाभ और हानि खाते में जमा लिखी जानी चाहिए और उतनी ही राशि (यदि कोई कर हो तो उन्हें घटाकर और ऐसे अतिरिक्त प्रावधान के लिए लागू सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण करने के बाद शुद्ध राशि) इस श्रेणी में निवेशों के लिए भावी मूल्यह्रास अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि खाते में विनियोजित की जानी चाहिए। प्रावधान करने के लिए लाभ और हानि खाते में नामे लिखी गई और अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तन के लिए लाभ और हानि खाते में जमा लिखी गई राशियाँ 'व्यय–प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ' शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः नामे और जमा लिखी जानी चाहिए। लाभ और हानि खाते से विनियोजित और निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि से लाभ और हानि खाते में अंतरित राशियों को वर्ष का लाभ निश्चित करने के बाद 'लाइन के नीचे' की मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

17. ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाली अलग-अलग स्क्रिपों का मासिक या कम अविध के अन्तराल पर पुनर्मूल्यन किया जाएगा और उपर्युक्त मद 1 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक वर्गीकरण में शुद्ध मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को आय खाते में हिसाब में लिया जाएगा। अलग-अलग स्क्रिप के बही मूल्य में पुनर्मूल्यन के बाद परिवर्तन हो जाएगा।

सामान्य

18. तीन में से किसी भी श्रेणी में शामिल जिन प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ब्याज/मूलधन बकाया हो, वित्तीय सस्थाओं को उन प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करनी चाहिए और निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान भी करना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास सम्बन्धी अपेक्षाओं को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में हुई मूल्यवृद्धि के प्रति प्रतितुलित (सेट ऑफ) नहीं करना चाहिए।

बाजार मूल्य

19. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यन के प्रयोजन के लिए 'बाजार मूल्य' उस स्क्रिप का वह बाज़ार भाव होगा जो शेयर बाजारों पर ट्रेड/कोट, एस जी एल खाते के लेनदेनों, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, समय-समय पर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ.आइ.एम.एम. डी.ए.) से उपलब्ध हो। कोट न की गई प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरेवार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

कोट न की गई प्रतिभूतियां

केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां

20. वित्तीय संस्थाओं को केन्द्र सरकार की कोट न की गई प्रतिभूतियों का मूल्यन पी.डी.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा आवधिक अंतरालों पर दिए जाने वाले भावों/अवधिपूर्णता पर प्रतिलाभ सम्बन्धी दरों के आधार पर करना चाहिए।

21. खज़ाना बिलों का मूल्यन करोबारी लागत पर किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियां

22. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्य पीडीए आई/एफ.आई.एम. एम.डी.ए. द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत समतुल्य अवधिपूर्णता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों से ऊपर 25 आधार अंक पर उसे मार्क करते हुए वाई टी एम पद्धति लागू कर दिया जाएगा।

अन्य 'अनुमोदित' प्रतिभूतियां

23. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन पी.डी.ए.आई./एफ.आई. एम.एम.डी.ए. द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली समान अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल के ऊपर 25 बेसिस पॉइन्ट द्वारा मार्किंग करके अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.) पद्धति लागू करके किया जाएगा।

डिबेंचर/बाण्ड

24. डिबेंचरों/बाण्डों से इतर अग्रिम स्वरूप वाले सभी डिबेंचरों/बाण्डों का मूल्यन अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ की दर पर किया जाएगा। इस प्रकार के डिबेंचर/बाण्ड विभिन्न कम्पनियों के और भिन्न-भिन्न दरों वाले हो सकते हैं। इनका मूल्यन पी.डी.ए.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली समान अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाई टी एम दरों के ऊपर उचित रूप से मार्कअप करके किया जाएगा। यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेंसियों द्वारा डिबेन्चरों/बाण्डों को दी गई श्रेणी के अनुसार ग्रेड रूप में दिया जाता है, जो निम्नलिखित बातों के अधीन होता है :

(क) श्रेणीबद्ध डिबेंचरों/बाण्डों के लिए अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान अवधि वाले भारत सरकार के ऋण के लिए लागू दर से कम से कम 50 बेसिस पॉइंट ऊपर होनी चाहिए।

(ख) बिना दर वाले डिबेंचरों/बाण्डों के लिए अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान अवधि के दरयुक्त डिबेंचरों/बाण्डों के लिए लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। बिना दर वाले डिबेंचरों/बाण्डों के लिए मार्कअप में वित्तीय संस्था द्वारा उठाए जाने वाले ऋण जोखिम को उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

(ग) जहाँ डिबेंचरों/बाण्डों पर ब्याज/मूलधन बकाया हो, वहां डिबेंचरों/बाण्डों के मामले के अनुसार डिबेंचरों के लिए किए गए प्रावधान को अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए। जहां ब्याज बकाया हो वहाँ मूलधन की नुकौती देय तिथि के अनुसार न की गई हो, वहाँ डिबेंचरों के लिए मूल्यह्रास/प्रावधान की अपेक्षा को डिबेंचरों/बाण्डों में होने वाली वृद्धि में से घटा कर प्रतुलित करने (सेट ऑफ करने) की अनुमति नहीं होगी।

जहाँ डिबेंचरों या बाण्डों की दरें दी जाती हैं और लेनदेन मूल्यन की तारीख से 15 दिन पहले किया गया हो, वहां अपनाया गया मूल्य शेयर बाजार में रिकार्ड किए गए लेनदेन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

अधिमान शेयर

25. अधिमान शेयरों का मूल्यन अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ की दर से होना चाहिए। अधिमान शेयर कम्पनियों द्वारा भिन्न-भिन्न दरों पर जारी किए जाएँगे। इनका मूल्यन पी डी ए आई/एफ आई एम एम डी ए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली समान अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाई ओ एम दरों के ऊपर उचित रूप से किया जाएगा। यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/बाण्डों को दी गई श्रेणी के अनुसार ग्रेड रूप में दिया जाता है, जो निम्नलिखित बातों के अधीन होता है :

(क) अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ की दर समान अवधि वाले भारत सरकार के ऋण के लिए कूपन दर/अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) बिना दर वाले अधिमान शेयरों के लिए अवधि पूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान अवधि के दरयुक्त अधिमान शेयरों के लिए लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। बिना दर वाले डिबेंचरों/बाण्डों के लिए मार्कअप में वित्तीय संस्था उछाए जाने वाले ऋण जोखिम को उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

(ग) परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में अधिमान शेयरों में निवेश का मूल्यन उत्पादन प्रारम्भ होने के दो वर्ष बाद अथवा अभिदान के 5 वर्ष बाद जो भी पहले हो, अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

(घ) जहाँ अधिमान शेयरों में निवेश पुनर्वास के एक भाग के रूप में है, वहाँ अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ की दर समान अवधिपूर्णता वाले भारत सरकार के ऋण के लिए कूपन दर/अवधि की तुलना में प्रतिलाभ से 1.5 प्रतिशत अधिक से कम नहीं होनी चाहिए।

(ङ) जहाँ अधिमान लाभांश बकाया हो वहाँ ऋण को प्रोद्भूत लाभांश के लिए नहीं लिया जाना चाहिए और अवधि की तुलना में प्रतिलाभ पर निर्धारित बकाया राशि यदि एक वर्ष के लिए हो तो मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की दर पर बट्टा दिया जाना चाहिए, और यदि बकाया राशि एक वर्ष से अधिक समय से हो तो इससे अधिक बट्टा दिया जाना चाहिए। जहाँ लाभांश बकाया है, वहाँ निष्क्रिय शेयरों के संबंध में उपर्युक्त ढंग से निकाले गये मूल्यह्रास/प्रावधान की अपेक्षा को आय देने वाले अन्य अधिमान शेयरों पर मूल्य वृद्धि में से प्रतितुलित (सेट ऑफ) करने की अनुमति नहीं होगी।

(च) अधिमान शेयर का मूल्यन उसके विमोचन मूल्य से अधिक पर नहीं किया जाना चाहिए।

इक्विटी शेयर

26. (i) परियोजना वित्त के रूप में इक्विटी शेयर में निवेश का मूल्यन उत्पादन आरम्भ होने के बाद 2 वर्ष की अवधि की लागत या अभिदान के बाद 5 वर्षों की अवधि, इसमें से जो पहले हो, पर मूल्यन किया जाएगा।

(ii) जहाँ तक इक्विटी शेयरों में अन्य निवेशों के मूल्यन का सम्बन्ध है उसका मूल्यन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार/उद्धृत भाव से उपलब्ध स्क्रेप के बाजार मूल्यों पर आंका जाएगा। ऐसे स्क्रेप जिनके चालू भाव उपलब्ध नहीं हैं या जिन शेयरों के भाव स्टॉक एक्सचेन्ज ने उद्धृत नहीं किए हैं, उनका मूल्य उस ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाए। आरक्षित निधियाँ यदि कोई हैं, के पुनर्मूल्यन को शामिल न करते हुए, और जिसे कम्पनी के उद्यतन तुलन-पात्र (जो मूल्यन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए) के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। यदि अद्यतन तुलन-पात्र उपलबध नहीं है तो शेयरों का मूल्यन एक रुपया प्रति कम्पनी के हिसाब से किया जाएगा।

म्युच्युअल फण्ड यूनिट

27. दर दिए जाने वाले म्युच्युअल फण्ड के निवेशों का मूल्यन शेयर बाज़ार की दरों के अनुसार किया जाना चाहिए। दरें न दिए जाने वाले म्युच्युअल फण्ड के यूनिटों में निवेश का मूल्यन प्रत्येक विशिष्ट योजना के सम्बन्ध में म्युच्युअल फण्ड द्वारा घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाना चाहिए। यदि निधियों के लिए रुद्धता अवधि हो तो उस मामले में पुनर्खरीद मूल्य/बाज़ार

दर उपलब्ध न होने पर यूनिटों का मूल्यन शुद्ध आस्ति मूल्य (एन. ए.वी.) पर किया जाना चाहिए। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध न हो तो इनका मूल्यन लागत पर तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि रुद्धता अवधि समाप्त न हो जाए। जहाँ पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध न हो वहाँ यूनिटों का मूल्यन संबन्धित योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य पर किया जा सकता है।

वाणिज्यिक पत्र

28. वाणिज्यिक पत्र का मूल्यन आगे ले जाई जाने वाली लागत पर किया जाना चाहिए।

गैर-सरकारी संगठनों को आयकर में छूट

5370. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक और आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को आयकर में छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने संगठनों को यह छूट प्रदान की गई है;

(ग) आयकर में छूट के लिए ऐसे संगठनों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धन के आवंटन, इसके उचित उपयोग तथा कर में छूट प्रदान करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-200) के दौरान आय कर छूट के लिए 244 संगठनों और उनकी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

(ग) पात्र परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए विभिन्न संस्थानों से प्राप्त आवेदन पत्र आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 कग के अन्तर्गत गठित सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अधिवृद्धि के लिए समिति को विचार हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रीय समिति, आयकर नियमावली के नियम 11 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों और समय-समय पर राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों के आधार पर पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए संघों और संस्थानों को अनुमोदित करती है। राष्ट्रीय समिति ऐसी पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों की सिफारिश केन्द्र सरकार को करती है। सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् अनुमोदित संघों और संस्थानों एवं पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों को आयकर अधिनियम की धारा 35कग के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है।

(घ) सरकार, अनुमोदित संघों अथवा संस्थानों को कोई निधि आवंटित नहीं करती है। आयकर अधिनियम की धारा 35 कग के अन्तर्गत पात्र परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित संघ अथवा संस्थानों के आदाता किए गए दान के सम्बन्ध में 100% कर छूट के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय समिति यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की निगरानी करती है कि एकत्रित दान का उपयोग समुचित रूप से किया जाता है।

स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव

5371. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मन्जूरी प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से जब कभी अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करती है। तथापि, प्रक्रिया के अनुसार जिन आवेदनों को प्रथम दृष्टया पात्र पाया जाता है, उनको सत्यापन और अनुशंसा के लिए सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेज दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावों को अनुदान की मन्जूरी के लिए अधिकार प्राप्त स्थाई समिति के समक्ष रखा जाता है। इस समय राज्य सरकारों के पास सत्यापन और अनुशंसा के लिए 555 प्रस्ताव लम्बित है, जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद आवेदनों का तत्काल निपटान कर दिया जाता है।

विवरण

उपभोक्ता कल्याण निधि में से वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के विभिन्न राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास सत्यापन/अनुशंसा के लिए लम्बित आवेदनों की सूची:

1.	आन्ध्र प्रदेश	144
2.	बिहार	78
3.	चण्डीगढ़	2
4.	दिल्ली	2
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	4
7.	कर्नाटक	54

8.	मध्य प्रदेश	26
9.	महाराष्ट्र	3
10.	मणिपुर	8
11.	मिजोरम	1
12.	नागालैण्ड	3
13.	उड़ीसा	53
14.	राजस्थान	2
15.	तमिलनाडु	39
16.	त्रिपुरा	1
17.	उत्तर प्रदेश	110
18.	पश्चिम बंगाल	18
	कुल	551

स्वतन्त्र प्रसारण प्राधिकरण

5372. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपग्रह टी.वी. के प्रवेश को विनियमित और अनुशासित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए एक स्वतन्त्र प्रसारण प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सरकार का संसद के समक्ष एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसारण के विभिन्न पहलुओं हेतु विनियामक तन्त्र की व्यवस्था होगी।

आयातित परेशित माल के कम बीजक बनाना

5373. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचने के लिए अधिकांश आयातित परेशित माल के लिए अल्प मूल्य वाले बीजक बनाए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों और समुद्री पत्तनों पर नियमित जांच के दौरान ऐसे कितने मामले पकड़े गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अल्प मूल्यन किए गए आयातित परेशित माल पर लगाए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और आर्थिक दण्ड के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) क्या विमानपत्तनों और समुद्री पत्तनों पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान इस कार्य में कितने अधिकारी संलिप्त रहे हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की चोरी

5374. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालगाड़ियों द्वारा चावल को केरल और तमिलनाडु ले जाते समय भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के कर्मचारियों द्वारा चावल की बोरियों की चोरी के कारण आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में बड़े पैमाने पर हुए घाटे की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी जिलों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से केरल और तमिलनाडु को भेजे गए चावल के परेषणों में पूरी बोरी की कमी होने के छिटपुट मामलों का पता चला है। इन कमियों को गोदामों में चोरी अथवा उठाईगिरी की बजाय मार्गस्थ कमियों के रूप में लिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में नियुक्त भारतीय खाद्य निगम के तीनों वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धकों को जिम्मेदारी निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ऐसी पूरी बोरी की मार्गस्थ कमियों की हानियों की रिकवरी की जाय।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सूचना केन्द्र

5375. डा. जसवन्त सिंह यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी हाँ। सरकार ने जिला सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए एक नई स्कीम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश हाल ही में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए हैं। इस स्कीम में प्रतिवर्ष 20% जिलों को कवर करते हुए पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक जिले में ऐसा एक केन्द्र स्थापित करने की संकल्पना की गई है। इस स्कीम को जिला परिषदों और/अथवा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभिनिर्धारित तथा अनुशासित प्रतिष्ठित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सहायता से कार्यान्वित किया जाना है। केन्द्रीय सरकार तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक केन्द्र को 5 लाख रु. की वित्तीय सहायता देगी, जिसके बाद संबन्धित जिला परिषद/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन केन्द्र का खर्चा स्वयं उठाएँगे। जिला उपभोक्ता केन्द्र उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपभोक्ता संरक्षण के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना का प्रसार करेंगे और उपभोक्ताओं से सम्बन्धित मामलों के आंकड़े रखेंगे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त खाद्यान्न

5376. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में, विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जन जातीय और पिछड़े क्षेत्रों में, खाद्यान्न और चीनी की काफी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्यों के इन क्षेत्रों में अतिरिक्त खाद्यान्न और चीनी की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित खाद्यान्नों और चीनी की मात्रा सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) *खाद्यान्न (चावल और गेहूँ)* : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्यों में मजदूरी के भाग के रूप में वितरण करने के लिए निशुल्क 50000 टन गेहूं और 20000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन करने की माँग की है। उन्होंने यह भी माँग की है कि सूखा क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 40 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया जाये।

छत्तीसगढ़ सरकार ने माँग की है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन कार्यक्रम (काम के बदले अनाज कार्यक्रम) में लगे श्रमिकों को 50 प्रतिशत मजदूरी के रूप में वितरण करने के लिए 7 महीनों (दिसम्बर 2000 से जून, 2001 तक) की अवधि के लिए 3.30 लाख टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाए। उन्होंने यह भी माँग की है कि 7 महीनों (दिसम्बर 2000 से जून, 2001 तक) की अवधि के लिए राज्य के 11 जिलों के सूखा प्रभावित परिवारों को वितरण करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू मूल्य पर 2.10 लाख टन चावल का विशेष अतिरिक्त आवंटन किया जाए।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सूख राहत के लिए अभी तक कोई विशेष अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है।

चीनी : मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से चीनी के अतिरिक्त आवंटन के लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से लाभार्जन

5377. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या वाणिज्य और उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से सरकार ने कितना लाभार्जन किया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उमर अब्दुल्ला): पिछले तीन वर्षों के दौरान इटपो द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से सृजित बेशी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	इटपो द्वारा सृजित बेशी के ब्यौरे (लाख रु. में)
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1998	1,083.35 रु.
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1999	1,300.62 रु.
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2000 (बजट अनुमान)	1,394.00 रु.

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र

5378. श्री आर. एस. पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के बदामी और जामाखण्डी क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की संस्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोल्लिखित केन्द्रों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा ये कब से काम करना शुरू कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) कर्नाटक में बदामी और जामाखण्डी में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्वीकृत किए गए थे। बदामी स्थित ट्रांसमीटर को जनवरी, 2000 में चालू किया गया था। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि क्योंकि राज्य प्राधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी स्थल उपलब्ध नहीं करवाया गया था, इसलिए जामाखण्डी में ट्रान्समीटर परियोजना को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

उड़ीसा में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

5379. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में जीवन बीमा और साधारण बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम के रूप में कितनी राशि संगृहीत की गई;

(ख) इन वर्षों के दौरान कुल कितने दावे किए गए और कितनों का निपटान किया गया, साथ कितने दावों का निपटान किया जाना अभी बकाया है तथा इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में कितना निवेश किया गया?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी चार अनुषंगी कम्पनियों द्वारा संग्रहित की गई प्रीमियम की कुल राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रु.)

वर्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम	भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी अनुषंगी कम्पनियां
1997-98	337.52	81.58
1998-99	411.99	96.84
1999-2000	505.66	102.79

(ख) जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित कुल दावे तथा निपटान किए नए दावों की संख्या, बकाया दावों तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि के साथ इस प्रकार हैं :

वर्ष	किए गए दावे	निपटाए गए दावे	बकाया दावे	बकाया दावों की अन्तर्ग्रस्त राशि
1997-98	113250	111646	1604	3.99
1998-99	127553	124046	3507	6.57
1999-2000	152138	145654	6484	10.55

जहां तक भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी अनुषंगी कम्पनियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु.)

वर्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम	भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी अनुषंगी कम्पनियां
1997-98	85-25	98.73
1998-99	312.85	23.91
1999-2000	184.85	42.24

'स्टेट बैंक आफ इन्दौर' की शाखाएँ

5380. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में नई शखाएँ खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव 'स्टेट बैंक आफ इन्दौर' के विचाराधीन; और

(ख) यदि हाँ, तो जिन स्थानों में शाखाएँ खोली जानी हैं, राज्यवार उनके नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तरांचल/उत्तर प्रेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा शाखाएँ खोले जाने के लिए कोई अनुमोदन लम्बित नहीं है। तथापि, स्टेट बैंक आफ इन्दौर को रोहिणी, दिल्ली में एक शाखा खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

'नाबार्ड' का इक्विटी-आधारांश

5381. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के इक्विटी आधारांश को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा किस सीमा तक किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म रोलों को डम्प किया जाना

5382. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, फोटो प्रभाग द्वारा कितनी धनराशि का व्यय किया गया;

(ख) क्या बड़ी मात्रा में फिल्मों के नेगेटिवों और रोलों को, बिना समुचित सुरक्षा और सावधानी के फोटो प्रभाग में डम्प किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुराने नेगेटिवों/फिल्म रोलों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) मुख्य लेखा कार्यालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997-98, 198-99 और 1999-2000 के दौरान फोटो प्रभाग द्वारा खर्च की गई राशि क्रमशः 200.39 लाख रुपए, 285.76 लाख रुपए और 381.58 लाख रुपए थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फोटो प्रभाग ने एक डिजीटल इमेज लाइब्रेरी सिस्टम की स्थापना की है। इन निगेटिवों का अंकीकरण किया जा रहा है और परिरक्षण हेतु इन्हें हार्ड डिस्क और सी.डी. में रखा जाता है।

सरकार की लेखा पुस्तिका और भा.रि.बैं. की लेखा पुस्तिका के आंकड़ों में अन्तर

5383. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार के जमा के सम्बन्ध में, केन्द्र सरकार की लेखा-पुस्तिका और भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा-पुस्तिका में निष्पन्न आंकड़ों के बीच काफी अन्तर है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अन्तर को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) 1999-2000 के अन्त में सरकार की लेखा पुस्तिका और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निवल रोकड़ शेष का अन्तर 137.88 करोड़ रु. (अनन्तिम) है। यह संचई अन्तर है, जो वर्षों से इन दो आंकड़ों के बीच रहा है। अन्तर के ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस अन्तर के मुख्य कारण हैं—सरकार की लेखा पुस्तिका और भारतीय रिजर्व बैंक में भिन्न-भिन्न समय में लेन-देनों को दर्ज किया जाना; और 'निष्पादन विवरणों'/सूचियों/भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनों आदि को प्राप्त करने में गलतियां/विलम्ब होना।

(घ) जैसे ही विभाग/मंत्रालय/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य महालेखाकार को विसंगति/गलती का पता लगता है वैसे ही उनके द्वारा मामले को संबन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जो भारतीय रिजर्व बैंक के अभिकरण के रूप में कार्य करता है), के साथ विसंगति को दूर करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उठाया जाता है।

विवरण

1999-2000 के अन्त में सरकार की लेखा पुस्तिका और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच रोकड़ शेष के अन्तर के ब्योरे

(करोड़ रुपयों में)

सिविल मन्त्रालय/विभाग	179.13 (नामे)	**
रेल मन्त्रालय	43.81 (नामे)	**
संघ राज्य क्षेत्र	190.67 (जमा)	***
महालेखाकार	400.88 (नामे)	**
अन्य	4.37 (नामे)	**
जोड़	437.88 (नामे)	

*अनन्तिम, क्योंकि लेखापरीक्षा का कार्य चल रहा है।

टिप्पणियाँ:

**'नामे' का अभिप्राय सरकार की लेखा पुस्तिका में अधिक शेष से है।

***'जमा' का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तिका में अधिक शेष से है।

सी.एफ.आर.टी.आई, मैसूर द्वारा धान की कुटाई सम्बन्धी रिपोर्ट

5384. श्री जे.एस. बराड़ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एफ.आर.टी.आई.), मैसूर द्वारा धान की कुटाई के सम्बन्ध में दी गई अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सी.एफ.आर.टी.आई. मैसूर की रिपोर्ट पर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) पंजाब सरकार की लगातार माँग पर सरकार ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर से कहा था कि वह पंजाब में उगाई जाने वाली धान की कुछेक प्रमुख किस्मों की मिलिंग उपज का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में अध्ययन करे। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट नवम्बर 2000 में प्राप्त हो गई है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) उचित औसत के रूप में एकत्रित किए गए धान के नमूनों की प्रयोगशाला मिलिंग के आधार पर कुटाई किए गए चावल की औसत उपज 74.6% है जिसमें कुटाई की गई चावल में टोटे का अनुपात 21.1% है। इसके विपरीत, 'औसत किस्म से नीचे' के नमूनों में कुटाई किए गए चावल की औसत उपज 74.0% है और कुटाई किए गए चावल में टोटे का अंश 19.6% था।

(ii) विभिन्न किस्मों में आई आर 8 किस्म अधिकतम मिलिंग उपज (75.2) देती है और इसमें सबसे कम भूसी तत्त्व (19.4%) होता है इसके बाद पूसा 44 (उपज 77.7%, भूसी तत्त्व 20.6%) का स्थान है और सबसे अन्त में पीआर 106 (उपज 74.3 और भूसी 21.0%) और पीआर 111 (उपज 74% और भूसी 21.1%) का स्थान है।

(iii) उपर्युक्त अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर और इस बात पर विचार करते हुए कि उचित औसत किस्म के रूप में एकत्रित किए गए धान के नमूनों में औसत प्रारंभिक नमी तत्त्व 15.6% था तथा प्रयोगशाला मिलिंग की तुलना में वाणिज्यिक चावल मिलों में धान की फील्ड मिलिंग पर 3.0% की कम प्राप्ति की अनुमति देकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंजाब में धान से प्राप्त होने वाले चावल की सम्भावित रिकवरी 70.2% होगी।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर के उपर्युक्त निष्कर्षों को क्रियान्वित करने हेतु पंजाब सरकार को भेजा रहा है।

बैंकों में अनियमितताएँ

5385. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को, 1999-2000 के दौरान, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक-मण्डलों के कार्यकरण में अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान उन्हें बैंक आफ राजस्थान लि. और बनारस स्टेट बैंक लि. के निदेशक मण्डलों के कार्यकरण से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितम्बर, 1999 को उन छः निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो बंगूर ग्रुप के मनोनीत व्यक्ति थे और बाद में दो निदेशकों को हटा दिया गया और चार निदेशकों को पुनर्निर्वाचित नहीं किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 अक्तूबर, 1999 को बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के चार निदेशकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया और तदनन्तर एक निदेशक को हटा दिया गया और सभी अन्य तीन निदेशकों ने 9 फरवरी, 2000 से अपना इस्तीफा दे दिया है।

आई.डी.बी.आई. की इक्विटी

5386. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) को इस हेतु निदेशित करने का विचार है कि वह एक सावधानीपूर्वक विचरित समय-सीमा के भीतर, अपनी इक्विटी को गैर-महत्त्वपूर्ण इकाइयों को दे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इक्विटी के रूप में आई.डी.बी.आई. की एक बड़ी रकम ऐसी इकाइयों में फँसी है;

(ग) क्या गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से अपने इक्विटी को बेचे जाने के लिए आई.डी.बी.आई. द्वारा कोई समय-सारिणी बनाई गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक कम्पनियों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के निवेश की राशि 1579.4 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार को वित्तीय सहायता

5387. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान बिहार सरकार ने राज्य में लघु कताई-मिलों को स्थापित करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन कताई मिलों के लिए सहायता मांगी गई है; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी सहायता मुहैया कराई गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। वित्तीय संस्थाएँ, अर्थात, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी.आई लि.) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आई.आई.बी.आई.) को राज्य में लघु कताई मिलों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता मांगते हुए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

छोटे निवेशकों का संरक्षण

5388. श्री किरीट सौमैया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे निवेशकों और 'स्माल इनवैस्टर्स फोरम' के अध्यक्ष की ओर से छोटी कम्पनियों के शेयरों के क्रय-विक्रय के मामले में 'ओवर द काउंटर एक्सचेन्ज ऑफ इंन्डिया' (ओ.टी.सी.ई.आई.) की भूमिका की जांच करने हेतु इस आशय से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छोटे निवेशकों ने शेयर-बाजार में 2500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया और उक्त संस्था ने निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सही है कि ओ.टी.सी.ई.आई. में सूचीबद्ध 114 कम्पनियों में से लगभग 30 कम्पनियों ने निवेशकों को शेयरधारिता-प्रमाणपत्र ही नहीं भेजे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय को निवेशक संघों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 'ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया' (ओ.टी.सी.ई.आई.) की कार्यप्रणाली के ब्यौरे मांगे गए हैं। इन अभ्यावेदनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक्सचेंज प्रवर्तकों पर सूचना, कारोबार की धनराशि, मुनाफे एवं घाटे के बारे में ब्यौरे, रिजर्व की स्थिति, एक्सचेंज द्वारा प्राप्त निवेशक शिकायतों इत्यादि से संबंधित सूचना मांगी गई है। मंत्रालय ने सेबी एवं ओटीसीईआई के परामर्श से इन अभ्यावेदनों की जांच की है और कुछ निवेशक संघों को अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणियां भेजी हैं। अभी तक, छोटे से लेकर मझौले स्तर तक 115 कंपनियों ने एक्सचेंज के मार्फत 342.52 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाई है और 114 कंपनियां अभी भी एक्सचेंज की सूची में बनी हुई हैं। इन कंपनियों का बाजार पूँजीकरण 31 अक्टूबर, 2000 को 388.64 करोड़ रुपए का है।

(घ) सेबी ने सूचित किया है कि ओ.टी.सी.ई.आई. में पहले तिजारत के लिए वैध दस्तावेज केवल काउंटर रसीद (सी.आर.) थी। अब एक्सचेंज ने विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुमति से 1 मार्च, 1999 से इस सी.आर. व्यापारिक प्रणाली को बदलकर भौतिक शेयर प्रमाणपत्र या व्यापार का 'डिमेट' रूप अपना लिया है। तद्नुसार, एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों को निवेशकों द्वारा धारित सीआर रद्द करने और इसके बदले में शेयर सर्टिफिकेट प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 18.12.2000 को 114 सूचीबद्ध कंपनियों में से 38 कंपनियों ने उक्त परिवर्तन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

(ङ) और (च) सेबी ने सूचित किया है कि रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट निवेशकों के रूपांतरण अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुख्यतः कंपनियों द्वारा शुल्कों का भुगतान न करने, रूपांतरण के लिए कंपनियों से प्राधिकार न मिलने और कुछ कंपनियों का पता न लगने के कारण वे सी.आर. के बदले में शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। एक्सचेंज इस मामले को हल करने के लिए इन कंपनियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। एक्सचेंज ने एक्सचेंज के रूपांतरण निर्देश को अब तक पूरा न करने वाली इन 38 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रारों से संपर्क किया है।

भारत-ईरान व्यापार-संबंध

5389. श्री ए. बद्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, नवंबर, 2000 में ईरान के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई चर्चा की गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विशेष ध्यान-योग्य मानकर किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईरान, लघु क्षेत्र में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमत हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य-दायित्व को पूरा करने के लिए यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई हो, तो वह क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) नवम्बर, 2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई व्यापार चर्चा नहीं हुई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

चीन और भारत के बीच व्यापार

5390. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, भारत और चीन के बीच म्यांमार के जरिए एक संपर्क सड़क बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि, हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय के द्वारा किसी उद्देश्य-विशेष को हासिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) फिलहाल चीन के साथ व्यापार लिपुलेख दर्रा (उत्तर प्रदेश) और शिपकिला दर्रा (हिमाचल प्रदेश) के जरिए हो रहा है। जहाँ तक केंद्रीय म्यांमार और चीन को जोड़ने वाली स्टिल वैल रोड़ गुवाहाटी से होकर कलकत्ता से संपर्क मार्ग बनाए जाने का संबंध है, सीमा व्यापार के लिए अतिरिक्त प्वाइंट खोलने की संभावना पर म्यांमार सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है। हालांकि म्यांमार सरकार सिद्धांत रूप में अतिरिक्त प्वाइंट खोलने के लिए सहमत है, लेकिन वे इस संबंध में कोई और निर्णय लेने से पहले भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह-तामू क्षेत्र के मौजूदा सीमा व्यापार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना चाहेंगे।

आंध्र प्रदेश को धनराशि

5391. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से उसकी वित्तीय समस्याओं के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) आवधिक अर्थोपाय समस्याओं और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट से लगातार जूझने वाले आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए थे। नकद असंतुलन और भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट से छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर सुसंगत अंतरणों के संयोजन के माध्यम से इन राज्यों को सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

भीमराव अंबेडकर के जीवन पर फिल्म

5392. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से डा. भीमराव अंबेडकर के जीवन पर एक फिल्म बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या फिल्म को प्रदर्शित किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो फिल्म के प्रदर्शन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस फिल्म को कब तक प्रदर्शित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) फिल्म के वितरण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारत सरकार (सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय) और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्म के संपूर्ण भारत में सिनेमाघरों में वितरण के लिए मैसर्स भाग्यश्री एंटरपाइजेज से अनुबंध किया है। यह फिल्म 15 दिसंबर, 2000 को महाराष्ट्र में प्रदर्शित की जा चुकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र में फिल्म 15 दिसंबर, 2000 को प्रदर्शित की जा चुकी है।

[अनुवाद]

असम के चाय उत्पादक

5393. **श्री बाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के अनेक चाय उत्पादकों ने अत्यधिक मात्रा में हरी पत्ती चाय को ब्रह्मपुत्र नदी में डाल दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बड़ी कंपनियों द्वारा हरी पत्ती चाय के मूल्य को अप्रत्याशित रूप से कम कर दिए जाने के कारण चाय उत्पादक संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा असम में इन चाय उत्पादकों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, नहीं। चाय की पत्तियों की कीमत गुणवत्ता और प्रचलित नीलामी कीमत पर निर्भर करती है। अगस्त, 2000 के दौरान हरी पत्तियों की बिक्री कीमत असम के डिबरूगढ़ तिनसुकिया, सिबसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में 8.50 रु. से 10.00 रु. प्रति कि.ग्रा. के बीच रही। तथापि, डिबरूगढ़ जिले में मोरन में 4/-रु. से 5/-रु. प्रति कि.ग्रा. पर हरी पत्तियों की बिक्री की कुछ छुट-पुट रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन पत्तियों की गुणवत्ता घटिया थी और गुणवत्ता विनिर्माताओं ने ऐसी घटिया पत्तियों को खरीदने से मना कर दिया।

चाय बोर्ड द्वारा अनेक लघु उत्पादक विकास योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनके तहत नए चाय बागानों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। चाय बोर्ड द्वारा लघु उत्पादकों को प्रशिक्षण देने और परामर्शी कार्यक्रमों इत्यादि का आयोजन करने के लिए असम कृषि विश्व विद्यालय/उपासी को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लघु उत्पादकों द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारियों का त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति

5394. **श्री पुष्प जैन :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उनके त्यागपत्र दिए जाने/सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद जिन कंपनियों और प्रतिस्पर्धी कंपनियों में पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के किन-किन निदेशकों ने अपने त्यागपत्र देने के बाद प्रतिस्पर्धी कंपनियों में पदभार ग्रहण किया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) दिनांक 25.1.2000 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मुख्य कार्यपालक सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कोई कार्यकारी निदेशक, जो सरकारी उपक्रम की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपनी सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष के भीतर किसी ऐसी भारतीय अथवा विदेशी फर्म या कंपनी में परामर्शी अथवा प्रशासनिक नियुक्ति या पद स्वीकार नहीं करेगा जिसके साथ उपक्रम-विशेष का व्यापारिक संबंध हो अथवा अतीत रहा हो। इन अनुदेशों को जारी किए जाने के बाद से लोक उद्यम विभाग को ऐसी अनुमति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) ऐसे विवरण का अनुरक्षण आवश्यक नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक की 'क्रेडिट' पॉलिसी

5395. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आने वाले समय में कारोबार में होने वाली तेजी को ध्यान में रखकर 'करेन्सी और क्रेडिट पालिसी' की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) क्या अनेक बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भारतीय रिजर्व बैंक के 'बिली सीजन' ऋण नीति में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में व्यावसायिक ऋणों के संबंध में अपनी मुख्य ऋण दरों (प्राईम लेडिंग रेट) में कटौती करने की घोषण करनी शुरू कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नीति से आर्थिक सुधारों में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा 10 अक्टूबर, 2000 को घोषित की गई।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात ऋण के मामले को छोड़कर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की उधार दरें निर्धारित नहीं करता है। निर्यात ऋण के अतिरिक्त, बैंक और वित्तीय संस्थाएँ ऐसे कारकों जैसे कि निधियों की लागत, लेन-देन की लागत आदि पर यथावत् विचार करने के उपरांत प्रधान उधार दर (पी.एल.आर.) सहित अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक निर्यात ऋण का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मध्यावधिक समीक्षा में ब्याज दर में किसी परिवर्तन की घोषणा नहीं की है।

(ङ) चूँकि आर्थिक सुधारों की सफलता के लिए दुरस्त वित्तीय और मौद्रिक नीतियां सहायक हैं; अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक एवं ऋण नीति की अपनी मध्यावधिक संवीक्षा में घोषित नीतिगत उपायों से आर्थिक सुधारों में मदद मिलेगी।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधिक संवीक्षा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक दस्तावेज (सी.पी.) के निर्गम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों से कंपनियों को सेवा-क्षेत्र में कार्यकारी पूँजी की अपनी अल्पावधिक जरूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, दोनों द्वारा जारी किए गए जमाराशि प्रमाण-पत्रों (सी.डी.) की अंतरणीयता अवधि पर प्रतिबंध को हटा दिया गया ताकि गौण बाजार को लचीला और सुदृढ़ बनाया जा सके।

- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि जमाराशियों के लिए निर्धारण को अनिवार्य बना दिया गया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के श्रेणीकरण और मूल्यांकन के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंको से अपेक्षा की जाती है कि वे समग्र निवेश पोर्टफोलियो (एस.एल.आर. प्रतिभूतियों एवं एस.एल.आर. भिन्न प्रतिभूतियों सहित) को तीन श्रेणियों में अर्थात् 'परिपक्वता तक धारित' 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'व्यापार हेतु धारित' के तहत वर्गीकृत करें। इनमें से 'परिपक्वता तक धारित' निवेश पोर्टफोलियों कतिपय मानदंडों के अधीन कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

- निर्यात संबंधी भुगतान शीघ्र किए जाने को सुगम्य बनाने और लेन-देने की लागतों को कम करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातोन्मुखी इकाइयां, निर्यात प्रसंस्करण जोन की इकाइयों, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ई.ई.एफ.सी.) खातों के संबंध में पूर्व हकदारिताओं को 14 अगस्त, 2000 से पूर्व प्रचलित स्तर अर्थात् 70 प्रतिशत (35 प्रतिशत से) पर पूर्णतः बहाल किया है। इसी प्रकार, अन्यों के मामले में आंतरिक प्रेषणों से संबंधित हकरदारिताओं को 50 प्रतिशत पर (25 प्रतिशत से) बहाल किया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयरों की इक्विटी और निवेश के लिए बैंक के वित्त पोषण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक संचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए बैंकों को अपने बोर्डों के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज दरें प्रभार्य करने के लिए पारदर्शी नीति तैयार करने की अनुमति दी गई है।

- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में सुधार, वसूली माहौल और बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उन्नयन जैसे कारकों की वजह से 'विगत की देय राशि' (पास्टड्यू) (90 दिन की अनुग्रह अवधि) की अवधारणा को 31 मार्च, 2001 से समाप्त कर दिया गया है।

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे वित्त मंत्री के दिनांक 29 फरवरी, 2000 के बजट भाषण का अनुपालन करते हुए लघु उद्योग शाखाओं को खेलने/उनके संचालन की प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2000 तक पूरी कर लें।

[अनुवाद]

दूरदर्शन में अनियमितता

5396. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामजी मांझी :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री जगदंबी प्रसाद यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन अधिकारियों द्वारा कथित रूप से बरती गई अनियमितता के कारण दूरदर्शन घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवंबर, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'दूरदर्शन डायग्नोजेज ब्वाई इट्स ब्लीडींग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रसार भारती के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए अनेक सुधारों के फलस्वरूप दूरदर्शन की वास्तविक आय 1998-99 में 419.99 करोड़ रु. से बढ़कर 1999-2000 में 496.23 करोड़ तक हो गई है।

सरकार को 26 नवम्बर, 2000 के *इंडियन एक्सप्रेस* में प्रकाशित समाचार 'दूरदर्शन डाएग्नोजेज ब्याई इट इज ब्लीडिंग' की जानकारी है। इस समाचार में किसी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है परंतु इसमें उस रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है जिस पर यह आधारित है। इसलिए ऐसी रिपोर्ट के संबंध में कोई विशेष टिप्पणी करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

यह सच है कि सी.बी.आई. ने दूरदर्शन अधिकारियों से संबंधित कुछ मामलों का पता लगाया है और इसके द्वारा हाल ही में प्रसार भारती के कुछ वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के निवासों तथा कार्यालयों पर छापे भी मारे हैं। सी.बी.आई. द्वारा जांच पूरी करने और निष्कर्षों के बारे में सरकार तथा/या प्रसार भारती को सूचित करने के बाद ही प्रसार भारती को सी.बी.आई. की जांच के निष्कर्षों का पता चलेगा और इसके द्वारा संबंधित अधिकारियों को आरोपित किया जाएगा। सी.बी.आई. की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर प्रसार भारती द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्रसारण की सुविधा से वंचित क्षेत्र

5397. डा. बलिराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों/कस्बों में दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रसारण सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर भी प्रसारण सुविधाओं को उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई और इन सुविधाओं को शीघ्रता से उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थानों की योजना शहर-वार/कस्बे-वार नहीं बनाई जाती है बल्कि यह योजना अब तक कवर न किए गये क्षेत्रों में अधिकतम कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन के संकेत क्रमशः 99.75% और 95.5% जनता तक पहुँचते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन का क्षेत्रवार कवरेज क्रमशः 99.3% और 88.5% है।

(ख) से (घ) दूरदर्शन की सेवा का और विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य में निम्नलिखित टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं :

डीडी-1 ट्रांसमीटर

1. उ.श.ट्रा.—बाँदा, लखीमपुर और फैजाबाद
2. अ.श.ट्रा—बिधूना, कासी और नरोरा।

डीडी-2 ट्रांसमीटर

1. उ.श.ट्रा.—गोरखपुर
2. अ.श.ट्रा.—बरेली, झाँसी, अलीगढ़

आकाशवाणी के संबंध में निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं :

3. अलीगढ़ में मौजूदा 2X250 कि.वा.शा. वे ट्रांसमीटर की प्रतिस्थापना।
4. नजीबाबाद में मौजूदा 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर की प्रतिस्थापना और उन्नयन।

[अनुवाद]

ए.बी.सी.एल. द्वारा आयकर का भुगतान

5398. श्री शिवाजी माने :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनरा बैंक ने ऋण वसूली अधिकरण में दायर अमिताभ बच्चन कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमे को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ए.बी.सी.एल. और अमिताभ बच्चन द्वारा व्यक्तिगत रूप से कितने आयकर का भुगतान किया गया है; और

(घ) ए.बी.सी.एल. और अमिताभ बच्चन दोनों के द्वारा पृथक्-पृथक् कुल कितने आयकर का भुगतान किया जाना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केनरा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मै. अमिताभ बच्चन कार्पोरेशन लिमिटेड (ए.बी.सी.एल.) ने बातचीत से तब समझौते के तहत बैंक की देयराशियों का निपटान कर दिया है और इसलिए बैंक ने मामले को वापस लेने के लिए ऋण वसूली अधिकरण, मुंबई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

(ग) राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ए.बी.सी.एल. द्वारा कोई कर अदा नहीं किया गया है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान श्री अमिताभ बच्चन द्वारा व्यक्तिगत रूप से अदा किए गए कर का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	आय की विवरणी के तहत	बकाया राशि की मांग के तहत
1997-98	62,37,920 रु.	शून्य
1998-99	42,35,000 रु.	11,73,667 रु.
1999-2000	शून्य	शून्य

तथापि, राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि मै. ए.बी.सी.एल. ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 (दिसंबर, 2000 तक) के लिए 1,29,41,876 रुपए का भुगतान किया है और श्री अमिताभ बच्चन ने स्वयं आय की विवरणी के तहत 90,65,000 रुपए और बकाया राशि के माँग के तहत 83,19,985 रुपए का भुगतान किया है।

(घ) मै. ए.बी.सी.एल. और श्री अमिताभ बच्चन के नाम बकाया आय कर की राशि क्रमशः 17,75,34,101 रु. और 12,67,32,941 रु. है।

[हिन्दी]

मनमल कासलीवाल एंड संस द्वारा कराया गया सर्वेक्षण

5399. श्री अशोक अर्गल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों के दौरान मनमल कासलीबाल एंड संस, इंदौर द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कंपनी के लिए कराए गए विभिन्न सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कंपनी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कंपनी द्वारा विभिन्न कंपनियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या अवैध धन प्राप्त करने के गलत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाने के संबंध में इस कंपनी के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. (यू.आई.आई.सी.) ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स मनमल कासलीवाल एंड संस, इंदौर द्वारा 27 सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) मैसर्स मनमल कासलीवाल एंड संस, इंदौर द्वारा दी गई सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर यू.आई.आई.सी. ने विभिन्न कंपनियों को 27,93,673/- रु. की राशि का भुगतान किया है।

(ग) यू.आई.आई.सी. ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चावल के भंडार का जमा होना

5400. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल का सड़ना के बारे में 24 फरवरी, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के भंडार के जमा होने और उनकी बिक्री न होने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी प्रत्येक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में घटिया गुणवत्ता वाले चावल और गेहूँ के भंडार सड़ रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम, लोनी में चावल स्टॉक के जमा होने और इसका निपटान नहीं करने से सम्बन्धित मामले की इस मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की गई है।

(ग) आंचलिक प्रबंधक (उत्तर), भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वे श्रेणी-II के चार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करें। इसके अलावा, श्रेणी-I के एक अधिकारी को भी गलतियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय, आंचलिक, क्षेत्रीय और जिला स्तर के सतर्कता स्क्वायड और गुण नियंत्रण स्क्वायड को निदेश दिए गए हैं कि वे गोदामों में चावल स्टाक के जमा होने और इनका निपटान नहीं करने पर कड़ी निगरानी रखें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरियाणा में एफ.सी.आई. डिपो

5401. **श्री सुबोध राय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में ठेका प्रणाली के अंतर्गत एफ.सी.आई. के कितने डिपो हैं और विभागीय डिपो की संख्या कितनी है;

(ख) विभागीय डिपो की भण्डारण क्षमता कितनी है और ठेका प्रणाली के अंतर्गत कैथल स्थित दांड डिपो की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) दांड डिपो को ठेके प्रणाली के अंतर्गत रखने के क्या औचित्य हैं;

(घ) सरकार का विचार उक्त डिपो को कब तक विभागीय डिपो बनाने का है;

(ङ) क्या सरकार उक्त एफ.सी.आई. डिपो में श्रमिकों को ठेके प्रणाली के शोषण से मुक्त करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों में क्या ठोस उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) हरियाणा क्षेत्र में प्रत्येक ठेका और विभागीय प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम के अपने 23 डिपो हैं।

(ख) हरियाणा क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के इन 23 विभागीय डिपुओं की कुल क्षमता 8.31 लाख टन (लगभग) है और ठेका प्रणाली के अधीन कैथल स्थिति दांड डिपो की क्षमता 0.80 लाख टन (लगभग) है।

(ग) 1985 में हरियाणा सरकार द्वारा ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने के लिए दांड डिपो पर विचार किया गया था जब राज्य सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध में इस कार्य के लिए सक्षम सरकार थी लेकिन ठेका श्रम समाप्त करने के लिए इसे न्यायोचित नहीं पाया गया था। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने 1986 में पुनः दांड डिपु पर विचार किया था जब यह ठेका श्रम (विभाजन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध में इस कार्य के लिए सक्षम सरकार बनी लेकिन ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने के लिए इसे पुनः न्यायोचित नहीं पाया गया था।

(घ) दांड डिपु सहित भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) दांड डिपु में श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध के कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर्थिक नीतियां

5402. **श्री जी.एस. बसवराज : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने आर्थिक नीतियों के धीमे क्रियान्वयन के लिए सरकार को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सी.आई.आई. ने इंगित किया है कि यह देश और विदेश दोनों में निवेशकों के लिए बाधा बन गया है;

(ग) यदि हाँ, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं, इसके विपरीत, भारतीय उद्योग परिसंघ का विश्वास है कि वर्ष, 2000 के दौरान सुधारों के सम्बन्ध में भारत सरकार का विगत रिकार्ड अत्यधिक सकारात्मक रहा है और वे उस सामाजस्य, आक्रमकता और पारदर्शिता से संतुष्ट हैं जिससे अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मामलों पर सरकार अग्रसर है। तथापि वे महसूस करते हैं कि अभी भी एक ऐसा एजेन्डा लम्बित है जिसे कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, पूंजीगत वस्तुओं, सीमेंट, इस्पात, दूर संचार, फार्मास्युटिकल और तेजी से गतिमान उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) उचित आर्थिक नीतियों का निर्माण करते समय सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक संघों और चैम्बर्स ऑफ कामर्स द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण

5403. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान उन्होंने एक पृथक विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है और राज्य सरकारों को उचित प्रतिनिधित्व देने का भी वादा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्राधिकरण की स्थापना कर ली गई है और प्रत्येक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट के भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार ने दिनांक 9 अगस्त, 1999 के एक संकल्प के माध्यम से औद्योगिक नीति एंव संवर्धन विभाग में एक विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) का गठन किया है। विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अनुमोदनों के कार्यरूप में परिणति को सुविधाजनक बनाएगा, विदेशी निवेशकों को उन्हें अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुकूल सक्रिय वन स्टाप आफ्टर केयर सर्विस की व्यवस्था करेगा, प्रचालनात्मक समस्याओं की पहचान और समाधान करेगा तथा समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न सरकारी अभिकरणों से संपर्क करेगा तथा साझेदारी दृष्टिकोण द्वारा अवसरों को यथासम्भव अधिकतम बनाएगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जिनसे प्रस्ताव सम्बन्धित है, विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भी कार्य करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाटनरोधी विषयों पर फिक्की का सम्मेलन

5404. **श्री राम मोहन गाइडे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा पाटन रोधी भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो बैठकों में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है, इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उन्होंने पाटनरोधी तथा सुरक्षोपाय के सम्बन्ध में भारतीय विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) जी, हाँ। सम्मेलन के दौरान, व्यापार प्रतिनिधियों को पाटनरोधी अवधारणाओं के बारे में जानकारी दी गई थी जो आजकल प्रचलन में है। यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार ने वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 9 क, 9 ख और 9 ग के अंतर्गत भारत में पाटनरोधी जांच करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति की हैं ताकि अनुचित व्यापार व्यवहारों से घरेलू उद्योग की सुरक्षा की जा सके और देश में सस्ते उत्पादों के पाटन से बचाव किया जा सके। पाटनरोधी जांच की शुरूआत तब की जाती है जब घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पूर्णतः प्रलेखित याचिका दायर की जाती है अथवा उसे पाटन, क्षति तथा आयातित वस्तु के पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक सम्बन्ध के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ किसी अन्य स्रोत से सूचना प्राप्त होती है।

खाद्यान्नों की खरीद

5405. **डा. जसवंत सिंह यादव :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूँ की खरीद, भण्डारण और वितरण पर किया जा रहा व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस व्यय को अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और व्यय में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बढ़ रहे व्यय को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) जी, हाँ। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की गेहूँ और चावल की आर्थिक लागत विवरण में दी गई है जिसमें वसूली, भण्डारण और वितरण लागत शामिल है। मदवार खर्च को वसूली प्रासंगिक खर्च और वितरण लागत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि वसूली संबधी खर्च में वृद्धि का मुख्य कारण प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जा रही निरंतर वृद्धि और राज्य सरकारों द्वारा यथा मूल्य आधार पर लगाए गए सांविधिक कर हैं जबकि वितरण लागत में वृद्धि का कारण भाड़े और ब्याज सम्बन्धी खर्च में वृद्धि होना है। 50 किलोग्राम की पैकिंग का प्रगामी क्रियान्वयन करने के कारण हैंडलिंग लागतों और बोरी की लागतों में भी वृद्धि हो रही है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत का मुख्य भाग इसके नियंत्रण के बाहर है क्योंकि यह नैक्ड अनाज की लागत और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सांविधिक प्रभार हैं। इस कारण आर्थिक लागत को केवल उसी सीमा तक कम किया जा सकता है जिस सीमा तक भारतीय खाद्य निगम अपने नियंत्रणयोग्य प्रभारों को नियंत्रित/कम कर सकता है जो आवश्यक रूप से हैंडलिंग लागत है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहा है :

(i) हालाँकि अनाज की वसूली मौसम होती है तथापि भण्डारण लागत में कमी करने के लिए 75% की औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करना।

(ii) भाड़े पर खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित 1 : 1.35 के वसूली और संचलन अनुपात मानदण्ड का अनुपालन करना।

(iii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में होने वाली हानियों को कम करने के लिए समत् प्रयास करना।

(iv) रेलवे डेमरेज प्रभारों की आवृत्ति रोकने के लिए प्रयास करना।

(v) मार्गस्थ और भण्डारण हानियों की घटना को रोकने के लिए पुराना स्टाक जारी करना, श्रेणी ग और घ के स्टाक का निपटान करना और उद्यान्नों के संचलन पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शुरू करना।

(vi) भण्डारण और मार्गस्थ हानि कम करने के लिए बोरियों की मशीन द्वारा सिलाई करना और 50 किलोग्राम की बोरियों में खाद्यान्नों की हैंडलिंग करना।

विवरण

1997-98 से 1999-2000 तक गेहूँ और चावल की आर्थिक लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

	1997-98	1998-99	1999-2000
गेहूँ :			
क. एकीकृत लागत	48.34	507.12	517.52
ख. भण्डारण प्रभारों सहित वसूली प्रासंगिक खर्च	108.99	110.08	132.10
ग. राज्यों के लिए रख-रखाव लागत	13.68	16.87	34.57
घ. अधिग्रहण लागत (क+ख+ग)	607.01	634.07	684.19
ङ. वितरण लागत (भण्डारण प्रभारों सहित)	179.34	163.09	140.55
च. आर्थिक लागत	786.35	797.16	824.74

	1997-98	1998-99	1999-2000
चावल: (चावल के रूप में धान सहित)			
क. न्यूनतम समर्थन मूल्य (भारित)	439.30	464.30	514.30
ख. भण्डारण प्रभारों सहित वसूली प्रासंगिक खर्च	112.74	116.27	127.6
ग. एक क्विंटल धान की लागत	552.03	580.57	641.91
घ. 67% आउट टर्न अनुपात पर एक क्विंटल चावल की लागत	823.94	866.52	959.87
ङ. बोरी की लागत और बोरी ह्रास	38.05	38.05	47.46
च. अधिग्रहण लागत	861.99	904.57	1007.33
छ. वितरण लागत (भण्डारण प्रभारों सहित)	170.88	170.88	170.88
ज. आर्थिक लागत	1032.87	1075.45	1178.21

उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायतें

5406. **श्री रामजी मांझी** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी कम्पनियां एक वर्ष की वारंटी/गारंटी देकर दोषपूर्ण एवं घटिया दर्जे की बैट्री, रेफ्रिजिरेटर, टेलीविजन इत्यादि उत्पाद बना रही हैं अथवा उनके इस तरह के उत्पादों में शीघ्र ही या वारंटी/गारंटी अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद ही खराबी आ जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित हैं और उनके निपटान में वर्षों लग जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) जिन उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुएँ बेची गई हैं, वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के तहत अधिनियम के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के पास जा सकते हैं। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियाँ उपभोक्ताओं के विवादों का यथाशीघ्र फैसला करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इन एजेंसियों के स्थापना काल से इनमें दायर शिकायतों में से अब तक 78.8% शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

विदेशी मुद्रा खाता सुविधा योजना

5407. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा खाता सुविधा योजना को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डालरों का आगम बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बाजार में मांग-आपूर्ति के बेमेल को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डालरों का आगम बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बाजार में माँग-पूर्ति के असंतुलन को दूर करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

1. आयात वित्त व्यवस्था पर उधार दर के 50 प्रतिशत पर ब्याज मुक्त दर अधिभार लगाना।

2. भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार के अस्थाई मांग-पूर्ति असंतुलनों को पूरा करने हेतु बाजार में आपूर्ति को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से निरन्तर डालर बेचता रहेगा।

3. निर्यातकों की देय तारीख की बाद निर्यात प्राप्तियों के वापस लौटाने में देरी नहीं करने की सलाह दी गई थी। किसी भी प्रकार की देरी को उतोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने बिलों के भुगतान के लिए देय तारीख से प्रतिवर्ष (न्यूनतम) 25 प्रतिशत ब्याज लगाने का निर्णय लिया है।

4. विदेशी संस्थागत निवेशक प्रचलित बाजार दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करने में स्वतंत्र थे। बाजार स्थितियों पर निर्भर होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक या तो विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से बेचेगा अथवा सम्बन्धित बैंक को इसे बाजार में खरीदने की सलाह देगा।

5. बैंकों को वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही विदेशी मुद्रा बाजार में लेन-देन करने की सलाह दी गई थी।

6. नकद आरक्षी अनुपात 29 जुलाई और 12 अगस्त, 2000 से प्रत्येक 0.25 प्रतिशतांक पर क्रमश : दो चरणों में 8.0 से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

7. 21 जुलाई, 2000 को कारोबार की समाप्ति पर ब्याज दर 7.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत कर दी गई थी।

8. बैंकों को उपलब्ध सामूहिक उधार सुविधा सहित पुनर्वित्त सुविधाओं की सीमाएँ 29 जुलाई, और 12 अगस्त, 2000 से क्रमशः दो चरणों में प्रति 25 प्रतिशत पात्र सीमाओं के 50 प्रतिशत तक कम कर दी गई थी।

9. निर्यात अर्जकों की शेष विदेशी करेंसी (इ इ एफ सी) ब्याज रहित चालू खाते में रखी जाएगी।

10. बैंकों द्वारा निर्यात अर्जकों की विदेशी करेंसी खाता के लिए कोई ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएंगी।

11. अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी निगमित निकायों से जमा राशियों के रूप में विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 अक्तूबर, 2000 को इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 5.51 बिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनरुद्धार

5408. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सामानों के निर्यात में घाटों का सामना करने वाले उद्योगों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे औद्योगिक क्षेत्र, जिनका निर्यात वर्ष 1996-97 से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता रहा है, कौन से हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका इन क्षेत्रों के कार्य निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) उद्योगों को निर्यात क्षमता वाले एककों सहित, आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करता है। जहाँ कहीं अपेक्षित होता है वहाँ उपयुक्त पुनर्संरचना पैकेजों, जिनमें ब्याजा का आस्थगन, चुकौतियों का पुनः निर्धारण करना, ब्याज की दरों में कमी इत्यादि के रूप में राहत/रियायतें उन एककों को सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है जिन्हें सम्भावित रूप से जीव्यक्षम समझा जाता है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1996-97 से विनिर्मित वस्तुओं के लिए, निर्यात की वृद्धि दर का विवरण, अमरीकी डालर में निम्नानुसार है :

विनिर्मित वस्तुएँ	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
चमड़े के जूते	-42.2	-16.5	4.4	1.8
रत्न और जवाहरात	-9.9	12.5	10.4	28.8
दवाइयाँ, औषध-भेषज, और बढ़िया रसायन	20.0	19.2	0.3	2.9
रंजक/इंटरमीडिएटस और कोयल तार रसायन	15.5	6.8	-21.0	23.8
धातुओं का विनिर्माण	10.5	12.0	5.7	19.5
मशीनरी व उपकरण	27.4	13.1	-4.3	0.1
परिवहन उपकरण	4.7	-4.1	-21.8	1.4
मूल और अर्ध-परिष्कृत लोहा व इस्पात	17.1	23.0	-34.2	51.8
इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ	16.9	-3.1	-34.3	12.7
सूती धागा, वस्त्र, तैयार वस्त्र इत्यादि	21.2	4.6	-15.0	13.2
सिले सिलाए वस्त्र	2.1	3.3	14.4	11.8
हस्तशिल्प	2.3	5.6	5.3	5.9

इन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में वृद्धि की कम दर, दक्षिण पूर्व एशियाई संकट अवसंरचनात्मक बाधाएँ, मूल्य वसूली की न्यून दर इत्यादि, जैसे अंतरराष्ट्रीय कारकों के परिणामस्वरूप है। औद्योगिक कार्य निष्पादन का निर्धारण अनेक कारकों द्वारा किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : घरेलू व अन्तरराष्ट्रीय नीति परिवेश, घरेलू और विदेशी मांग की परिस्थितियां/अवसंरचना का स्तर इत्यादि/निर्यात मांग से कतिपय क्षेत्रों का निष्पादन प्रभावित होता है लकिन इस सही प्रभाव को तत्काल विच्छिन्न और निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संतुलन योजना

5409. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संतुलन योजना के अधीन महराष्ट्र सरकार की कौन सी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कुल धनराशि कितनी है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) अब तक प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने किसी भी परियोजना के लागत में संशोधन किए जाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अंतर्गत अनुमोदित महराष्ट्र सरकार की परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत	सी.आई.बी. योजना के तहत जारी की गई राशि	कार्यान्वयन की स्थिति
उड़न-पनवेल राज्य राजमार्ग का सुदृढ़ीकरण	600.00 लाख	300.00 लाख	कार्यान्वयन के अधीन
क्षेत्रीय व्यापार सूचना केन्द्र, पुणे	10.33 लाख	5.165 लाख	पूर्ण

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दण्ड

5410. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, कलकत्ता 1983-96 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत 1.19 करोड़ रुपए के दण्ड की वसूली करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब इस राशि की वसूली कर ली गई है; और

(ग) समय पर धन की वसूली न करने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बकाया वसूली के लिए दर्शायी गई अर्थदण्ड की 1.19 करोड़ रु. की राशि 1963-1996 की अवधि से सम्बन्धित थी न कि 1983-1996 से सम्बन्धि थी। इस राशि में से 5.02 लाख रु. की राशि वसूल कर ली गई है।

(ग) केवल 1973 में जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से और प्रवर्तन निदेशालय के नियंत्रण के अंतर्गत माल की कुर्की और नीलामी द्वारा अर्थदण्ड की वसूली का प्रावधान, फेरा 1973 (जिसने फेरा 1947 का स्थान लिया था) में किया गया था। जिला राजस्व प्राधिकारियों के द्वारा वसूली के उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकले हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरम्भ किए गए मामले आम तौर से न्यायिक प्रक्रिया में फँस गए। तथापि विदेशालय ने अर्थदण्ड की अदायगी न होने के सभी मामलों की समीक्षा आरम्भ कर दी है और नए अधिनियम अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 जिसमें अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर कानूनी कैद का प्रावधान है, उसमें शामिल उपबन्धों के अनुसार बकाया अर्थदण्ड की राशि वसूल करने के लिए कार्रवाही की गई है।

कॉफी की फसल को प्रभावित करने वाले रोग

5411. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कॉफी की फसल में बहुत प्रकार के रोग लगने की सम्भावना रहती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हेमीलिया वस्तासीक्स चिन्ता का कारण रहा है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कॉफी की फसल को बचाए जाने के लिए उक्त रोग विशेषकर हेमीलिया वस्तासीक्स के नियंत्रण हेतु कोई अनुसंधान कार्य किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) कॉफी की फसल को उक्त प्रकार के रोगों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हाँ। कॉफी में फफूँद जनित कई रोग आसानी से लग जाते हैं। कॉफी को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग हैं—लीफ रस्ट, ब्लॉक रॉट, एथ्रैकनोज, रुट डिजीज, स्टेम डिजीज, कॉलर रॉट और ब्राउन आई स्पॉट इत्यादि।

(ग) काफी में लगने वाला फंगस हेमिलिया ब्रास्टैट्रिक्स एक विशिष्ट रोग है और यह अरेबिका कॉफी का एक ऐसा प्रमुख रोग है जो भारत समेत अनेक कॉफी उत्पादक देशों के समग्र कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी के रोग के प्रबन्धन समेत कॉफी के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

(च) कॉफी बोर्ड का अनुसंधान विभाग अरेबिका की लीफ रस्ट टालरेंट किस्में विकसित करने एवं नियंत्रण सम्बन्धी उपायों का मानकीकरण करने समेत कॉफी को प्रभावित करने वाले विभिन्न रोगों और उनके नियंत्रण के उपायों पर सतत रूप से अनुसंधान करता आ रहा है। अब तक अरेबिका की 12 किस्में जारी की जा चुकी हैं जिनमें लीफ रस्ट को सहन करने की भिन्न-भिन्न क्षमताएँ प्रदर्शित होती हैं। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा कॉफी उत्पादक समुदाय को अन्य प्रमुख रोगों के लिए नियंत्रण सम्बन्धी उपायों की भी जानकारी दी गई है। विभिन्न मालिकाना प्रतिपादनों के अनुसार छिड़काव कार्यक्रम, छिड़काव की मात्रा, रासायनिक खुराक इत्यादि के मूल्यांकन एवं मानकीकरण के सम्बन्ध में सतत अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

'भेल' द्वारा गैस पर आधारित संयंत्र स्थापित करना

5412. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के पास गैस पर आधारित एक बिजली संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संयंत्र को किस स्थान पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) 'भेल' द्वारा संयंत्र को शीघ्रातिशीघ्र चालू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ

5413. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन कर्मचारियों की बैंकवार संख्या कितनी है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार किया है;

(ख) इन कर्मचारियों को बैंकवार कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकारने वाले कई कर्मचारी भ्रष्टाचार एवं कदाचार के गम्भीर आरोपों का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन आरोपित कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ देने का है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) भारतीय बैंक संघ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 31.8.2000 को उनके विचार और स्वीकार करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना परिचालित की है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित/लम्बित है अथवा निलम्बनाधीन है, उन्हें योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होना चाहिए। हालांकि कतिपय बैंकों ने इस योजना को लागू करने के लिए पहले ही निर्णय ले लिया है, जबकि कुछ बैंकों के बोर्डों को इस सम्बन्ध में अभी निर्णय लेना है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों की संख्या और ऐसे कर्मचारियों को देय राशि की जानकारी योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के बाद ही मिल सकेगी।

स्मार्ट कार्ड एवं डेबिट कार्ड

5414. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अन्तर है;

(ख) इन कार्डों को जारी करने वाले बैंकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के किसी बैंक ने किसी गैर बैंकिंग संस्था के सहयोग से इन कार्डों को जारी किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे सहयोग के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही भुगतान सुविधाएँ हैं। तथापि, स्मार्ट कार्ड के मामले में स्वयं कार्ड पर बैंक खाते से राशि का पूर्व निधियन किया जाता है और खरीद के समय शेष राशि कार्ड से कम कर दी जाती है जबकि डेबिट कार्ड के मामले में सामानों और सेवाओं की खरीद के समय बैंक में खोले गए कार्डधारक के खाते में नामे डाले का प्राधिकार होता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन बैंक ऐसे हैं जिन्होंने स्मार्ट कार्ड शुरू किया है और 5 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने डेबिट कार्ड शुरू किया है।

(ग) और (घ) स्मार्ट/डेबिट कार्डों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश स्मार्ट/डेबिट कार्ड जारी करने हेतु गैर-बैंकिंग कम्पनियों के साथ बैंकों को तालमेल की अनुमति नहीं देते हैं।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन परिषद् की शाखा का खोला जाना

5415. **श्री राजो सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के भागलपुर और देश के अन्य स्थानों पर निर्यात संवर्धन परिषद् की कुछ और शाखाएँ खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) निर्यात संवर्धन परिषदें निजी उद्योग द्वारा स्थापित तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम/कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन हैं। सरकार ने भिन्न-भिन्न उत्पाद समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली 20 निर्यात संवर्धन परिषदों को मान्यता प्रदान की है। किसी विशेष निर्यात संवर्धन परिषद् की नई शाखाएँ खोलने के बारे में निर्णय अलग-अलग परिषद् द्वारा स्वयं लिए जाते हैं और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है।

[अनुवाद]

तम्बाकू सम्बन्धित निर्यात समिति

5416. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू से सम्बन्धित निर्यात समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समिति में तम्बाकू बोर्ड का कोई प्रतिनिधि है;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रतिनिधि की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस प्रतिनिधि ने देश के तम्बाकू किसानों के हितों को समुचित रूप से प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस निर्यात समिति में तम्बाकू बोर्ड के प्रनिनिधि के कमजोर पक्ष के क्या कारण हैं; और

(च) तम्बाकू बोर्ड के उक्त कर्तव्यों को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

भारत में नेपाली सामान

5417. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल में निर्मित होने वाले और नेपाल विनिर्मित सामानों को पुनर्परिभाषित करने का है;

(ख) क्या नेपाल द्वारा भारत को किए जा रहे निर्यात में नेपाली सामानों का 30 प्रतिशत घरेलू अंश अवश्य होना चाहिए;

(ग) यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में नेपाल द्वारा भारत को किए जा रहे निर्यात में 10 प्रतिशत नेपाली अंश भी नहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस मुद्दे पर नेपाल सरकार के साथ कोई चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) चालू भारत-नेपाल व्यापार संधि के संलेख के अनुच्छेद-V के तहत भारत सरकार तीन वस्तुओं की निषेधात्मक सूची को छोड़कर नेपाल में विनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में बिना सीमाशुल्क तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों को पहुंच प्रदान करती है। नेपाल से आयातों की अनुमति भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सरकारों के बीच परस्पर रूप से सहमत फारमेट में महामहिम नेपाल सरकार द्वारा पदनामित एसेंजी द्वारा किए गए मूलतः प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जाती है।

नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं के अधिमानी प्रवेश द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर दिसम्बर, 1999 में हुई भारत-नेपाल अंतः-सरकारी समिति की बैठक में वाणिज्य सचिव स्तर पर विचार किया गया था। इसके फलस्वरूप यह माना गया है कि किसी वस्तु को उत्पादित वस्तु तब माना जाएगा जब इसका वर्गीकरण हारमोनाईज्ड वस्तु विवरण तथा कोडिंग सिस्टम के चार अंकीय स्तर पर किसी ऐसे शीर्ष में किया गया हो जो ऐसे मद शीर्षों से भिन्न हो जिनमें तृतीय देश के मूल की सामग्री से उत्पादित वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है।

नशीली औषधियों का खतरा

5418. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर विकासशील देशों से नशीली औषधियों के खतरे को समाप्त कर देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत को कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महोदय, संविधान में प्रतिष्ठापित निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार, भारत सरकार नशीली औषधियों के दुरुपयोग के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ विषयक संयुक्त राष्ट्र अभिसयम, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ विषयक सार्क अभिसमय और 13 देशों के साथ द्विपक्षीय करारों का हस्ताक्षरी होने के कारण भारत ने विश्व स्तर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाया है।

बट्टे खाते में ऋण

5419. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अग्रवाद-रोधी कार्रवाई पर खर्च की गई 3491 करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग को 31.3.99 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार सभी राज्यों की ऋण स्थिति का आकलन करना और केन्द्र तथा राज्य दोनों ही के दीर्घ आवधिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाया जाना अपेक्षित था। तब से ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऋण राहत के उपायों समेत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारत सरकार ने वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट में राज्यों के ऋण राहत के सम्बन्ध में यथानिहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के लिए मुफ्त राहत, आई.आर. बटालियनों के गठन, पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण और हथियारों एवं गोला बारूद इत्यादि के साथ सुरक्षा सम्बन्धी मदों पर चिन्हित व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। एस.आर.ई. स्कीम के अंतर्गत 1999-2000 की अवधि के दौरान राज्य को 30.46 करोड़ रुपए की राशि की क्षतिपूर्ति की गई है।

पन्द्रहवां भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन

5420. श्री जी.एस. बसवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिनांक 26 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन में बड़े विदेशी और घरेलू निवेशकों को सम्बोधित करते हुए भारतीय एवं विदेशी निवेशकों से भारत के सामाजिक क्षेत्र हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए कहा था;

(ख) यदि हाँ, तो इस आर्थिक शिखर सम्मेलन में किन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) शिखर सम्मेलन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या शिखर सम्मेलन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने 26 नवम्बर, 2000 को भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह विचार प्रकट किया कि "सामाजिक क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में मदद करने क लिए सी.आई.आई. की चार हजार सदस्य कम्पनियों तथा यहां प्रतिनिधित्व करने वाली तीन सौ विदेशी कम्पनियों में से क्या प्रत्येक कम्पनी कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय और एक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का प्रभार सम्बन्धी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकती है? वास्तव में, सम्पूर्ण भारतीय उद्योग को प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को अवश्य बढ़ाना चाहिए।"

शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय 'विकास के लिए ज्ञान का प्रयोग' था। इस शिखर सम्मेलन में सुधार प्रक्रिया सहित अन्य क्षेत्रों की मूल्य शृंखला में आगे बढ़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रयोग करने और डब्ल्यू.टी.ओ. के आदेश को प्रबंधनीय बनाने के विषयों पर चर्चा की गई थी। शिखर सम्मेलन में प्रकट किए गए विचारों से सरकार को लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई है और यह सरकार की नीति निर्माण करने सम्बन्धी प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण योगदान है।

गरीबी मिटाने सम्बन्धी पहल के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

5421. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अत्याधुनिक सुविधायुक्त बंगलौर और कर्नाटक के सूदूर ग्रामीण स्थलों के बीच विशाल अन्तर को दूर करने के दृष्टिकोण से किए जा रहे कई गरीबी मिटाने सम्बन्धी पहलों के लिए 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस धन के जरिए कौन-कौन सी परियोजनाओं को मदद मिलने की सम्भावना है;

(ग) इस धन को कब तक प्राप्त किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में, यदि कोई हो, तो नियमों एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। तथापि, कर्नाटक में आर्थिक पुनर्संरचना और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम ऋण हेतु एक पोर्टफोलियो विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं :

1. आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम
2. समेकित ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता-चरण-II
3. व्यापक जलसम्भर विकास परियोजना
4. कर्नाटक सहभागिता तालाब सुधार परियोजना
5. कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना
6. कर्नाटक जल एंव शहरी प्रबन्ध परियोजना।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की परियोजनाएं प्रयोज्य सामान्य शर्तों और निबन्धनों के अनुसार तय की जाती हैं। तय की गई परियोजनाओं के अनुमोदित होने तथा करारों पर हस्ताक्षर के बाद निधियों का संवितरण किया जाता है जो निर्धारित परियोजना-अविध के दौरान सम्मत गतिविधियों पर किए गए व्यय पर निर्भर करता है।

म्यांमार से चावल का आयात

5422. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल के बफर स्टाक के मौजूद होने के बावजूद म्यांमार से 50,000 टन चावल का आयात करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सरकार ने 5.5.2000 को निर्णय लिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में राज्य की सावर्जनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए उस लैंडिड लागत, जो पंजाब और आन्ध्र प्रदेश के घरेलू स्रोतों से उत्तर पूर्व को की जा रही चावल की वर्तमान आपूर्ति के आधार पर ज्ञात की गई आर्थिक लागत के अन्दर हो, पर म्यांमार से भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के माध्यम से 50,000 टन चावल का आयात किया जाए।

उपर्युक्त निर्णय 27 मार्च, 1970 को हस्ताक्षरित इण्डो-म्यांमार द्विपक्षीय व्यापार समझौते और दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में दिनांक 21 जनवरी, 1994 को हुए इण्डो-म्यांमार सीमा व्यापार समझौते के अधीन लिया गया है।

महाजन समिति की रिपोर्ट

5423. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग से सम्बन्धित महाजन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने महाजन समिति की कुछेक सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लिया है जबकि अन्य सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है। चूँकि इन सिफारिशों में प्रमुख नीतिगत मुद्दे शामिल हैं इसलिए उन पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

ऋण प्रबन्धन कार्यालय

5424. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे ऋण प्रबन्धन के स्थान पर अपना स्वतंत्र ऋण प्रबन्धन कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आर्थिक पारदर्शिता लाने और अधिक प्रभावी मौद्रिक प्रबन्धन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) एक स्वतंत्र ऋण प्रबन्धन कार्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विदेशी एवं घरेलू ऋण दोनों के सरकारी ऋण प्रबन्धन हेतु एक समेकित 'मध्यस्थ कार्यालय' की आवश्यकता की जांच करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी समूह की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राजकोषीय नीति में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता और मौद्रिक प्रबन्धन की और अधिक कारगरता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कई पहलें शुरू की हैं।

ये उपाय हैं : स्वतः मुद्रीकरण युक्त पदर्थ राजकोषीय हुण्डियों के स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम शुरू करना, बाजार से सम्बन्धित ब्याज दरों पर उधार के माध्यम से राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण, ब्याज दरों का विनियत्रंण, मौद्रिक नीति के संचालन में खुले बाजार प्रचालनों जैसे अप्रत्यक्ष साधनों पर और अधिक निर्भरता, सरकारी प्रतिभूतियों, धन और विदेशी मुद्रा बाजारों के विनियमन और विकास हेतु एक उपयुक्त विधिक, संस्थागत और प्रौद्योगिकीय ढांचा और बाजार के भागीदारों को व्यापक आंकड़ों एवं सूचना का प्रसार।

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय प्रचालनों में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक, 2000 भी पेश किया है।

शून्य आधारित बजट

5425. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मृतप्राय योजनाओं को खत्म करने और अगले वित्तीय वर्ष से शून्य-आधारित बजट की प्रक्रिया शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मंत्रालयों को ऐसी योजनाओं की पहचान करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हाँ, तो मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जैसा कि वर्ष 2000-01 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, सभी चालू योजनाएँ सख्त शून्य आधारित बजट निर्माण संवीक्षा के अधीन होंगी। तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों को सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक कृतिक-बल की स्थापना करने की सलाह दी गई थी। अब तक लगभग 50 मंत्रालयों/विभागों ने शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।

(ङ) कृतिक बल की रिपोर्ट पर चालू योजना अथवा दसवीं योजनावधि के दौरान योजनाओं को जारी रखने/समाप्त करने/विलय करने के लिए वित्त-मंत्रालय में केन्द्रीय अनुवीक्षण समूह में विचार किया जा रहा है।

राज्यों पर ऋण

5426. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणी राज्यों की सूची में महाराष्ट्र का स्थान हमेशा ऊपर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1996-97 के बाद राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किए जाने वाले ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखने के उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के ऋण को कभी माफ किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि केन्द्र सरकार ने कई अन्य राज्यों के पूरे ऋण माफ कर दिए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। ऋणों के पुनरअदायगी की देनदारी बकाया ऋण तथा पुनर्भुगतान अनुसूची पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) राज्यों को ऋण राहत के मामलों में भारत सरकार सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा दिशा-निर्देशित होती है। अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार दसवें तथा ग्यारहवें वित्त आयोग को राज्यों की ऋण स्थिति का आकलन करना तथा केन्द्र तथा राज्य दोनों ही के दीर्घ आवधिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाया जाना अपेक्षित था। भारत सरकार ने ऋण राहत के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रतियों के साथ वित्त आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

ओ.टी.सी. एक्सचेंज को बन्द करना

5427. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एस.ई. ने 'ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया' को चलाना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया' के बन्द होने के कारण छोटे निवेशकों को अपनी बचत के हजारों करोड़ रुपयों की हानि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) ने सूचित किया है कि एन.एस.ई. ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओ.टी.सी.ई. आई.) का न तो प्रवर्त्तक है और न ही शेयरधारक। तथापि, ओ.टी.सी.ई. आई. के अनुरोध पर एन.एस.ई. ने ओ.टी.सी.ई.आई. की प्रणाली का पुनरुद्धार करने तथा प्रौद्योगिक उन्नयन करने हेतु एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था। इस विशिष्ट कार्यभार की समाप्ति के पश्चात् अधिकारी पुनः एन.एस.ई. में अपनी सेवाएँ दे रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह सूचित किया है कि ओ.टी.सी.ई.आई. को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब तक लघु से मध्यम पूँजीकरण वाली 115 कम्पनियों ने एक्सचेंज के माध्यम से 342.52 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाई है तथा 114 कम्पनियां अभी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार इन कम्पनियों का बाजार पूँजीकरण 388.64 करोड़ रुपए है।

भारतीय स्टेट बैंक की विदेशों में स्थित शाखाएँ

5428. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक की विदेशों में कितनी शाखाएँ चल रही हैं;

(ख) इन शाखाओं की देश-बार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इनमें से कुछ शाखाओं को बन्द करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि चौदह देशों में उसकी 22 शाखाएँ हैं। इन शाखाओं का देश-बार स्थान निम्नलिखित हैं:

देश का नाम	शाखाओं का स्थान
संयुक्त राज्य अमरीका	न्यूपार्क
	डी.टी.एस.बी
	फलशिंग
	शिकागो
	लास एन्जेल्स एजेन्सी
बहमास	नास्साऊ ओबू
यू.के.	लन्दन मुख्य
	साउथाल
	गोल्डर्स ग्रीन
फ्रांस	पेरिस

देश का नाम	शाखाओं का स्थान
जर्मनी	फ्रैंकफर्ट
बेल्जियम	एन्टवर्ष
बहरीन	बहरीन ओबू
बांग्लादेश	ढाका
चीन	हांगकांग
जापान	टोक्यो
	ओसाका
मालदीव	माले
सिंगापुर	सिंगापुर ओबू
श्रीलंका	कोलम्बो
	फेबू कोलम्बो
दक्षिण अफ्रीका	जोहान्सबर्ग

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

साधारण बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हेतु परीक्षा

5429. श्री शिवाजी माने : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में साधारण बीमा निगम द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस पद पर नियुक्तियां हो गई हैं;

(ग) साधारण बीमा निगम की चारों कम्पनियों में अलग-अलग परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, सफल हुए, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए और चयनित हुए;

(घ) क्या चयन के मामले में किसी अनियमितता की जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी ने सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित करने से कथित रूप से इन्कार कर दिया है; और

(छ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और मामले को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ। साधारण बीमा निगम की ओर से भारतीय बीमा संस्थान द्वारा 3 सितम्बर, 2000 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) के संवर्ग में प्रोन्नति हेतु एक केन्द्रीकृत लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था।

(ख) जी, नहीं। लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की जा चुकी है। तथापि, अन्तिम चयन की प्रक्रिया, अर्थात् साक्षात्कार, अन्तिम श्रेणीकरण सूची बनाना आदि अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) सूचना विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) वर्षान्त और क्रिसमस तथा रमज़ान के आगामी त्यौहारों को देखते हुए, यूनाइटेड इण्डिया सम्भवतः जनवरी, 2001 के दूसरे सप्ताह में साक्षात्कार आयोजित करेगा।

विवरण

साधारण बीमा निगम के स्वायत्त निकाय भारतीय बीमा संस्थान द्वारा 3 सितम्बर, 2000 को आयोजित की गई परीक्षा में पंजीकृत, अनुपस्थित, उपस्थित और सफल हुए अभ्यर्थियों की कम्पनीवार संख्या निम्नानुसार है :

कम्पनी	पंजीकृत	अनुपस्थित	उपस्थित	सफल
नेशनल	319	23	296	91
न्यू इण्डिया	468	30	438	132
ओरियन्टल	360	31	329	81
यूनाइटेड इण्डिया	350	24	326	62
जी.आई.सी.	10	0	10	4
जोड़	1507	108	1399	370

उपर्युक्त में छूट-प्राप्त मानदण्डों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भी शामिल हैं।

सावधि जमा पर ब्याज

5430. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वाणिज्यिक बैंकों को दूसरे स्थानों से धन से सम्बन्धित परिपत्रों के संग्रहण में विलम्ब के लिए दण्डस्वरूप 2 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के अलावा उन्हें दूसरे स्थानों के चैकों के संग्रहण में 10/14 दिनों से अधिक की विलम्ब अवधि के लिए सावधि जमा के समान दर पर ब्याज देने की सलाह दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश बैंक इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ग्राहक भी बैंकों को दिए गए ऐसे अनुदेशों से अवगत नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या प्रमुख ग्राहकों को ऐसे दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने हेतु बैंकों को निर्देश और इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने पर कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारतीयय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ब्याज का भुगतान, ग्राहकों से उसका दावा किए बिना ही कर दें। बैंकों ने इस सुविधा को अपने ग्राहकों की सूचना के लिए अपने सम्बन्धित सिटिजन चार्टर में सेवाओं के मद में सम्मिलित किया है।

बैंकों में बेदावा धनराशि

5431. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के पास भारी मात्रा में बेदावा धनराशि है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में बैंक-वार कुल कितनी बेदावा धनराशि पड़ी है; और

(ग) खाता धारकों की पहचान करने और उनकी धनराशि वापस करने हेतु बैंक क्या कदम उठाते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के पास 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार अदावी राशि के रूप में 535.42 करोड़ रुपए की कुल राशि पड़ी है, जिसका बैंक-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जमाराशियों के अदावी पड़े होने के कारण खातेदारों की मृत्यु, स्थान/राष्ट्र से उनका प्रवास, पारिवारिक विवाद, कानूनी जटिलताएँ आदि हो सकते हैं। यह जिम्मेदारी जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों की है कि वे बैंक को जमाकर्ताओं की मृत्यु की सूचना दें और दिवंगत जमाकर्ताओं के खाते में जमा पड़ी बकाया राशियों के सम्बन्ध में अपना दावा प्रस्तुत करें।

विवरण

31.12.1999 की स्थिति के अनुसार दावा रहित जमाराशियों की बैंक-वार स्थिति

क्र. सं.	बैंक का नाम	राशि (रु.)
स्टेट बैंक समूह		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	962397472.02
2.	स्टेट बैंक ऑफ बी.एंड. जय.	55507250.88
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	57475729.53
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	34962797.27
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	63002121.92
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	27881578.24
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	22225870.00
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	44080942.28
	भातीय स्टेट बैंक समूह का कुल	1267533762.14
राष्ट्रीयकृत बैंक		
1.	आन्ध्रा बैंक	110186212.55
2.	इलाहाबाद बैंक	58750093.92
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	198412125.55
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	208725410.52
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	89791034.13
6.	केनरा बैंक	517835773.74
7.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	208147732.00
8.	कार्पोरेशन बैंक	27788902.19
9.	देना बैंक	66362863.14
10.	इण्डियन बैंक	107375113.51
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	105869025.78
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	67974699.00
13.	पंजाब नेशनल बैंक	686118076.00
14.	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	103183739.00
15.	सिंडिकेट बैंक	170436020.76
16.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	426668201.67
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	116136310.82
18.	यूको बैंक	174975754.79
19.	विजया बैंक	99232757.00
	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	3543969846.07

क्र. सं.	बैंक का नाम	राशि (रु.)
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1.	बैंक ऑफ मदुरा लि.	3067349.26
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	40099494.45
3.	बरेली कार्पोरेशन बैंक	0.00
4.	बनारस स्टेट बैंक लि.	2288073.12
5.	भारत ओबरसीज बैंक	9642820.64
6.	कैथोलिक सीरियन बैंक	19743433.29
7.	सिटी यूनियन बैंक	16579945.17
8.	धनलक्ष्मी बैंक	6488434.00
9.	फैडरल बैंक	32359995.52
10.	जम्मू और कश्मीर बैंक	36930726.68
11.	कर्नाटक बैंक	21617387.77
12.	करूर वैश्य बैंक	7402516.48
13.	लक्ष्मी विलास बैंक	8122080.40
14.	लाई कृष्णा बैंक	300217.04
15.	नैनीताल बैंक	6367729.51
16.	नेदुनगडी बैंक	8114500.21
17.	पंजाब कोआपरेटिव बैंक	0.00
18.	रत्नाकर बैंक	5287502.23
19.	सांगली बैंक	31976827.77
20.	साऊथ इण्डियन बैंक	814004.90
21.	तमिलनाडू मर्केनटाइल बैंक	8495873.76
22.	युनाइटेड वैस्टर्न बैंक	2839790.98
23.	वैश्य बैंक	22185347.23
24.	एस.बी.आई.सी.आई. बैंक लि.	0.00
25.	गणेश बैंक ऑफ करूनवाड	514524.18
26.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1988.81
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	291240563.40
विदेशी बैंक		
1.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	0.00
2.	ए.बी.एन. आमरो बैंक	31691.00
3.	अमरीकन एक्सप्रैस बैंक	6195847.02
4.	ए.एन.जैड ग्रींडलेज बैंक	137577497.00
5.	बैंक ऑफ अमरीका	4718943.87
6.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	0.00
7.	मसरक बैंक	93570.00
8.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	0.00
9.	बैंक ऑफ टोक्यो	2152815.27
10.	क्रेडिट अग्रीकोल इंडोसज	98690.23
11.	बैंक नेशनल डी पेरिस	1680539.65
12.	बरकलेज बैंक	0.00
13.	ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट	0.00
14.	सिटी बैंक	190403.87
15.	क्रेडिट लियोनिस	0.00
16.	ड्यूस बैंक	0.00
17.	हांगकांग बैंक	21811071.29
18.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	0.00
19.	दि सकुरा बैंक	246871.30
20.	सानवा बैंक लि.	0.00
21.	सोसिएट जनरेल	0.00
22.	सोनाली बैंक	0.00
23.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	76682456.67
	विदेशी बैंकों का कुल	251480397.17

बासमती चावल का निर्यात

5432. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से मध्य पूर्व के देशों को सुगन्धित बासमती चावल के निर्यात की सम्भावनाएँ हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्भावना का पूरा दोहन किया है;

(ग) क्या सऊदी अरब सुगन्धित बासमती चावल का सबसे बड़ा आयातक है; और

(घ) यदि हाँ, तो खाड़ी देशों को भारत से सुगन्धित बासमती चावल के निर्यात की इस सम्भावना का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, हाँ।

(घ) खाड़ी देशों को बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछेक कदमों में शामिल हैं—प्रचार अभियान चलाना, विदेश में शिष्टमण्डल भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग

लेना, सम्भावित खरीददारों को बुलाना और गुणवत्ता, पैकेजिंग, सुधार, उत्पादों के ब्राण्ड संवर्धन तथा बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है।

आई.टी.पी.ओ. द्वारा साइबर मेलों का आयोजन

5433. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.टी.पी.ओ. की निजी क्षेत्र के सहयोग से साइबर मेलों का आयोजन करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो किन स्थानों पर उक्त मेलों के आयोजन की सम्भावना है;

(ग) क्या ऐसे मेले शुरू करने हेतु कोई लक्षित तिथि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में विदेशों से कोई लक्षित तिथि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) इटपो की निकट भविष्य में साइबर मेलों के आयोजन की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र की परियोजनाओं को वित्तीय संस्थानों से सहायता

5434. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों ने निजी क्षेत्र को ऋण दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 और 1996-97 में प्रदान की गई राशि से यह राशि कितनी अधिक है;

(ग) स्वीकृत ऋण के लिए क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं और स्वीकृत ऋण की सहायता से परियोजनाओं को किस प्रकार स्थापित किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग-अलग इस ऋण की सहायता से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (ए.आई.एफ. आई.) अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में औद्योगिक परियोजनाओं का गठन करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) किसी राज्य में किसी विशेष परियोजना को वित्तपोषित करने तथा अलग-अलग कम्पनियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित निर्णय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वयं लिया जाता है जो उनके वाणिज्यिक निर्णय/विवेक और उनसे सम्बन्धित बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण विनियमों के ढांचे के भीतर निर्धारित ऋण नीति और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक्सपोजर सम्बन्धी मानदण्डों पर निर्धारित होता है।

(घ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक में गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्यक्ष वित्त योजना के अधीन सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संस्था-वार और उद्योग-वार संख्या और स्वीकृत और संवितरित सहायता की राशि विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. तथा आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा निजी क्षेत्र को स्वीकृत और संवितरणों का संस्थावार एवं वर्षवार विवरण

	स्वीकृतियां					संवितरण				
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आई.डी.बी.आई	2748.43	1910.42	4077.80	5237.41	3554.99	1729.14	1728.56	2567.77	2432.08	2490.41
% परिवर्तन		-30.49	113.45	26.44	-32.12		-0.03	48.55	-5.28	2.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आई.एफ.सी.आई	1025.38	560.10	1438.28	1013.23	308.47	547.26	784.87	992.22	841.13	1016.57
% परिवर्तन		-45.38	156.79	-29.55	-69.56		43.42	26.42	-15.23	20.86
आई.सी.आई.सी.आई.	3152.09	2441.13	5296.04	8637.09	9581.07	1973.61	2623.86	4317.98	5018.26	5881.41
% परिवर्तन		-22.55	116.95	63.08	10.92		32.94	64.56	16.21	17.20

कर्नाटक राज्य में आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. तथा आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा निजी क्षेत्र को स्वीकृतियों और संवितरणों का संस्थावार एवं वर्षवार विवरण

	स्वीकृतियां					संवितरण				
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आई.डी.बी.आई.	949.96	664.16	993.95	1383.95	908.18	367.30	360.01	615.16	488.84	682.99
% पविरर्तन		-30.09	49.66	39.24	-34.52		2.01	75.75	-20.53	39.72
आई.एफ.सी.आई.	434.84	209.66	360.78	265.7	206.36	288.34	318.64	278.492	305.62	176.682
% परिवर्तन		-51.79	72.08	-26.35	-22.33		10.51	-12.60	9.74	-42.19
आई.सी.आई.सी.आई.	1124.44	537.59	1060.51	1257.21	2128.78	527.49	541.16	1044.34	691.86	1358.01
% परिवर्तन		-52.19	97.27	18.54	69.32		2.59	92.98	-33.75	96.28

विवरण-II

आई.डी.बी.आई. द्वारा महाराष्ट्र राज्य में निजी क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृति में उद्योगवार झुकाव–प्रत्यक्ष वित्त योजना

(रु. करोड़ में)

	1995-96		1996-97		1997-97		1998-99		1999-2000	
उद्योग	सं.	सहायता	सं.	सहायता	सं.	सहायता	सं.	सहायता	सं.	सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चीनी	1	4.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
खाद्य (अन्य)	9	58.36	4	51.46	3	41.00	4	113.00	0	62.00
सूती कपड़ा उद्योग	15	129.88	11	86.66	19	383.34	9	350.29	13	305.92
कागज एवं कागज उत्पाद	9	200.80	6	99.80	1	30.00	2	55.50	0	46.50
रबड एवं रबड उत्पाद	2	7.45	0	0.00	1	6.30	0	65.00	0	5.00
पेट्रो-केमिकल्स	2	112.50	0	0.00	0	40.00	0	25.00	2	349.70
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल्स	11	76.25	7	165.85	2	95.95	2	76.75	4	169.75
मौलिक औद्योगिक रसायन	5	72.00	3	18.60	1	17.00	2	10.70	0	0.00
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक सामान	11	85.78	3	41.00	2	66.25	2	84.50	2	29.00
रसायन (अन्य)	13	160.65	13	167.16	7	127.35	10	259.97	5	232.16
रिफाइनरीज एवं तेल खोज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	5.00	0	0.00
कृत्रिम रेशा	4	20.05	0	0.00	7	81.33	2	11.97	2	49.60
उर्वरक	0	0.00	1	11.23	1	14.00	0	9.20	0	15.00
सीमेंट	1	29.50	1	16.50	1	210.15	1	73.50	2	61.98
लौह एवं इस्पात	8	467.53	5	215.26	6	855.33	1	828.70	0	59.36
गैर-फेरस	3	38.80	2	19.00	0	10.00	0	.00	0	25.50
धातु उत्पाद	10	96.74	10	162.20	4	149.75	2	173.60	1	194.77
संयत्र	16	78.15	7	110.86	2	59.43	5	72.90	4	217.80
इले. एवं विद्युत उपकरण	27	536.63	4	81.75	3	113.65	9	507.75	3	271.00
परिवहन यंत्र	6	43.51	8	72.00	3	94.28	8	148.80	5	149.04
विद्युत सृजन	0	5.00	0	0.00	3	350.00	1	1840.00	2	570.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सूचना तकनीकी	10	35.19	2	6.67	2	35.40	3	49.40	2	19.25
होटल	2	7.30	4	81.50	4	338.90	7	118.45	5	89.43
अस्पताल	0	0.00	0	0.00	2	20.00	1	10.27	1	40.00
भूतल-परिवहन	0	0.00	0	0.00	1	14.00	1	10.00	0	0.00
दूरसंचार सेवा	1	118.00	7	359.40	4	371.96	1	60.00	1	190.00
सड़क/पुल	0	0.00	0	0.00	1	16.00	3	68.50	1	15.00
सेवाएं (अन्य)	12	143.94	4	43.90	5	81.60	4	55.56	2	166.16
अन्य उद्योग	10	220.17	13	99.62	20	454.83	7	153.10	5	221.09
कुल	188	2748.43	115	1910.42	105	4077.80	87	5257.41	62	3554.99
% परिवर्तन				-30.49		113.45		28.44		-32.12

महाराष्ट्र राज्य में आई.डी.बी.आई. द्वारा निजी–क्षेत्र के लिए सहायता संवितरण में उद्योगवार झुकाव–प्रत्यक्ष वित्त योजना

(करोड़ रु. में)

उद्योग	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
चीनी	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
खाद्य (अन्य)	51.02	37.45	39.18	50.58	45.45
सूती कपड़ा उद्योग	86.52	104.70	356.18	288.03	152.03
कागज एवं उत्पाद	42.57	155.29	80.77	47.03	47.15
रबड एवं रबड उत्पाद	2.00	2.25	0.25	40.00	10.00
पेट्रोकेमिकल्स	106.87	89.62	15.66	20.12	34.93
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल्स	57.25	47.87	103.02	61.71	154.57
मौलिक औद्योगिक रसायन	57.74	18.45	10.42	15.63	2.57
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक सामान	83.95	49.26	59.32	72.64	20.87
रसायन (अन्य)	67.35	107.63	139.76	239.89	167.60
तेल शोधन	2.38	0.00	0.00	5.00	0.00
कृत्रिम रेशा तेल खोज	36.28	4.19	45.57	11.53	29.55
उर्वरक	0.00	5.00	18.23	7.20	10.00
एस्बेस्टस सीमेंट	34.17	15.21	180.79	32.15	82.54
लौह एवं इस्पात	235.31	315.17	485.80	423.69	484.54
गैर फेरस	24.22	80.14	20.91	10.60	25.45
धातु उत्पाद	99.83	75.79	135.29	124.92	165.39
संयंत्र	65.14	42.36	79.06	52.51	53.83
इले. व विद्युत यन्त्र	263.45	41.95	95.46	327.68	245.42
परिवहन यन्त्र	43.15	116.75	31.62	82.80	95.69
विद्युत सृजन	0.11	59.33	61.92	63.30	156.17
सूचना प्रौद्योगकी	31.24	7.83	23.38	32.11	9.42
होटल	4.15	53.00	96.25	79.48	75.94
अस्पताल	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00
सड़क परिवहन	0.00	0.00	7.00	7.50	0.00
दूर संचार सेवा	96.00	23.95	42.96	220.59	92.50
सड़क/पुल	2.99	0.12	0.00	10.25	42.00
सेवाएँ (अन्य)	91.40	68.50	73.78	18.74	113.74
खनन एवं क्वेरींग	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य उद्योग	139.07	205.93	364.69	86.40	173.06
कुल	1729.14	1728.56	2567.77	2432.08	2490.41
% परिवर्तन		-0.03	48.55	-5.28	2.40

आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा महाराष्ट्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को उद्योगवार सहायता

(रुपये करोड़)

उद्योग	अनुमोदन			संवितरण		
	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98	1998-99	1999-00
खाद्य उत्पाद						
चीनी						
अन्य	6.00	88.00	67.00	6.76	31.91	47.77
कपड़ा	36.49	118.02	230.90	114.11	139.86	89.63
कागज एवं उत्पाद	8.24	210.25	142.00	16.35	71.27	127.93
रबड एवं रबड उत्पाद		123.00	81.68	—	72.00	56.14
रसायन व उत्पाद						
पेट्रो-केमिकल्स	129.35	16.00	30.00	70.62	108.17	100.00
ड्रग्स व फार्मास्यूटीकल्स	38.00	62.00	264.40	34.05	75.00	131.61
औद्यो. रसायन	99.20	84.60	167.05	34.85	58.92	121.55
अन्य रसायन	120.00	428.57	694.00	265.63	280.26	490.71
क्रूड पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम रिफानिंग	500.00	700.00	65.00	475.00	1000.00	1.75
उर्वरक		35.00	32.00	—	38.00	32.02
सीमेंट	50.00		116.00	10.00	39.00	120.10
लौह एवं इस्पात	318.83	557.87	128.90	715.68	448.23	249.87
नान फेरस	—	—	—	—	—	—
अन्य धातु उत्पाद	143.30	146.75	37.50	146.45	159.59	91.56
संयंत्र	248.13	368.00	208.50	242.99	240.82	188.69
विद्युत उपकरण	516.70	347.00	305.00	278.80	254.59	311.11
इलेक्ट्रानिक्स	350.50	227.00	233.00	333.80	213.91	113.21
परिवहन संयंत्र	519.08	319.85	467.40	237.28	315.11	316.50
मौलिक						
ऊर्जा	60.00	1728.39	289.00	46.76	24.27	378.09
दूर संचार	485.59	820.00	1955.00	166.00	100.00	499.00
सड़क/बन्दरगाह/रेलवे	152.25	162.00	30.02	32.82	91.62	37.00
खनन	—	—	—	—	—	100.00
अन्य मौलिक उत्पाद	—	300.00	—	—	—	—
सेवाएँ						
होटल		107.00	77.50	16.03	3.45	54.00
अस्पताल				3.50	4.00	1.00
नौवहन	365.31	275.07	398.22	160.78	311.59	147.20
अन्य	1061.57	925.33	3535.60	762.27	588.27	1909.87
अन्य उद्योग	86.50	387.29	135.50	127.65	349.27	185.10
कुल	5296.04	8637.09	9581.07	4317.98	5018.26	5681.41

महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता—जे.एफ.सी.आई. लि.

(मिलियन रु.)

उद्योग	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000		
	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित
	प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि	
कपड़ा उद्योग	3	217.06	194.11	6	147.98	255.13	6	132.30	400.95	3	682.90	571.73	3	195.00	152.10
आयरन एवं स्टील	6	5343.29	1528.76	4	437.50	2551.69	5	4305.20	2804.98	1	1497.85	3252.58	2	624.73	4034.51
पेट्रोलियम एण्ड शोधन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टील धातु उत्पाद	6	509.37	332.47	6	740.26	715.53	2	500.00	503.28	-	-	267.96	1	1041.00	1042.59
चीनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बेसिक रसायन	-	-	9.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.00	-
विविध रसायन	-	-	7.00	-	-	-	2	250.00	250.00	1	367.50	242.10	-	-	-
परिवहन उपस्कर	2	174.12	90.12	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिं. रेसिन/प्लास्टिक उत्पाद	6	1165.62	313.13	1	150.00	822.50	2	285.00	168.80	1	100.00	271.20	-	-	102.50
सिंथेटिक रेशे	1	1202.50	1723.13	1	411.50	1030.93	2	1017.17	127.29	-	-	945.47	1	96.70	131.70
कारोबार सेवाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊर्जा उत्पादन	-	-	-	1	851.04	-	2	3130.00	939.00	1	4190.00	546.36	1	375.00	3653.14
दूरसंचार सेवाएँ	3	45.00	30.00	3	130.00	85.00	1	240.00	265.00	2	1600.00	335.00	-	-	150.00
पत्तन	-	-	-	-	-	-	1	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-
सीमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250.00	125.00	1	250.00	331.75
एन.ई.एफ.सी. (लिजिंग एण्ड एच.पी.)	2	200.00	176.80	1	50.00	23.10	2	500.00	550.00	-	-	-	-	-	-
मशीनरी एण्ड उपस्कर	4	425.30	397.19	1	600.00	628.11	-	-	-	1	400.00	400.00	-	-	-
विद्युत मशीनरी	-	-	-	1	5.78	-	1	380.00	310.00	1	600.00	670.00	1	80.00	-
होटल	2	17.50	17.50	3	370.00	370.00	2	3293.30	3193.30	-	-	100.00	-	-	-
वेविध अधातु	1	12.50	1.60	2	821.50	724.31	3	106.00	21.50	-	-	12.00	1	200.00	55.00
खनिज उत्पाद	1	97.50	-	-	-	50.00	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-
कागज	1	120.00	27.22	1	245.40	274.39	2	103.80	129.59	1	20.00	141.90	-	-	-
अन्य	6	624.00	623.34	7	640.00	228.00	1	50.00	221.00	3	424.00	230.00	1	214.50	387.02
कुल	44	10253.76	5272.56	38	5800.96	7649.63	34	14302.77	9922.19	15	10532.25	8411.30	13	3064.73	10155.71

आई.डी.बी.आई. द्वारा कर्नाटक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए मन्जूर सहायता में उद्योगवार प्रवृत्ति

(करोड़ रु.)

उद्योग	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
	सं.	सहायता	सं.	सहायता	सं.	सहायता	सं.	सहायता	सं.	सहायता
चीनी	0	0.00	0	0.00	4	68.00	1	0.06	1	5.00
खाद्य (अन्य)	3	17.60	0	0.00	1	5.60	4	42.79	4	23.27
सूती कपड़ा उद्योग	5	63.95	4	26.72	3	48.70	1	20.60	6	102.89
जूट	1	2.50	0	0.00	0	0.00	0	10.00	0	7.00
कागज एवं कागज उद्योग	1	6.40	0	0.00	0	0.00	1	15.00	0	10.00
रबड एवं रबड उद्योग	0	0.00	1	7.00	1	6.80	0	0.00	0	0.00
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	5	28.25	2	12.50	1	13.50	1	13.00	1	30.25
बेसिक औद्योगिक रसायन	1	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	28.00
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक वस्तुएँ	1	3.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
रसायन (अन्य)	3	11.45	2	8.20	0	0.00	1	13.00	0	6.00
कृत्रिम रेशा	0	0.00	1	7.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00
सीमेंट	0	0.00	2	285.00	0	10.00	0	35.00	0	0.00
लौह व इस्पात	5	327.80	4	42.00	1	192.15	0	257.00	1	288.00
नान-फेरस	0	0.00	0	0.00	1	15.52	1	230.00	0	0.00
धातु उत्पाद	3	9.10	0	0.00	1	5.75	2	34.00	0	5.00
संयंत्र	2	9.00	1	4.50	1	8.20	0	00.00	0	0.00
इले. व विद्युत यंत्र	11	72.17	4	59.25	6	175.97	1	27.00	0	64.00
परिवहन संयंत्र	2	20.00	2	11.75	1	5.85	0	0.00	1	10.35
विद्युत सृजन	1	100.00	2	130.55	5	244.51	1	350.00	4	260.00
सूचना प्रौद्योगिकी	4	26.27	2	23.00	0	18.00	2	24.00	1	28.17
होटल	0	0.00	0	0.00	1	8.90	0	0.00	0	0.00
दूरसंचार सेवाएँ	0	0.00	2	8.00	1	75.00	1	250.00	0	10.00
सड़क/पुल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	15.00	0	0.00
सेवाएँ (अन्य)	0	0.00	2	12.00	0	0.75	0	4.50	1	9.00
अन्य उद्योग	13	251.90	3	26.15	5	90.75	0	43.00	1	19.25
कुल	61	949.96	34	664.16	33	993.95	17	1383.95	21	906.18
% परिवर्तन				-30.09		49.66		39.24		-34.52

प्रत्यक्ष वित्त योजना आई.डी.बी.आई. द्वारा कर्नाटक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए संवितरित सहायता की उद्योग-वार प्रवृति

(करोड़ रु.)

उद्योग	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
चीनी	0.00	0.00	0.00	26.50	24.33
खाद्य (अन्य)	12.83	0.00	3.94	8.38	11.49
सूती कपड़ा उद्योग	14.68	24.70	39.62	46.40	34.49
जूट	1.68	0.22	0.54	0.00	5.00
कागज एवं कागज उत्पाद	6.41	0.00	0.00	0.00	3.00
रबड एवं रबड उत्पाद	0.00	0.99	3.48	3.32	0.00
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	15.88	12.43	20.36	17.81	20.50
बेसिक औ. केमिकल्स	30.15	4.50	0.10	0.00	0.00
रसायन (अन्य)	7.83	2.81	3.85	9.35	2.45
कृत्रिम रेशा	0.00	3.15	2.00	2.44	0.00
सीमेंट	0.00	0.00	35.64	28.00	7.00
लौह व इस्पात	54.00	197.24	211.24	175.69	325.91
नान फेरस	2.05	0.00	15.52	0.00	0.00
धातु उत्पाद	9.84	11.05	0.00	18.09	20.10
मशीनरी	12.25	1.00	0.50	2.20	0.00
इले. व विद्युत यंत्र	73.55	45.04	127.08	57.85	44.33
परिवहन उपस्कर	10.00	1.75	7.00	2.70	0.00
विद्युत सृजन	0.07	2.75	69.30	5.00	20.53
सूचना प्रौद्योगिकी	18.23	10.27	21.26	0.33	19.28
होटल	1.12	0.37	4.58	2.53	1.93
टेलीकॉम सेवाएँ	0.00	1.18	0.44	0.00	110.00
रोड़/पुल	1.00	0.00	0.00	0.00	12.50
सेवाएँ (अन्य)	0.00	5.25	5.85	2.02	4.73
माइनिंग एण्ड क्वैरिइंग	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य उद्योग	83.28	25.31	42.36	80.23	15.42
कुल	357.30	350.01	615.16	488.84	682.99
% परिवर्तन		-2.04	75.75	-20.53	39.72

आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा कर्नाटक में गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को उद्योगवार सहायता

(करोड़ रु.)

उद्योग	अनुमोदन			संवितरण		
	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98	1998-99	1999-00
खाद्य उत्पाद	-	-	-	-	-	-
चीनी	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	29.80	-	-	15.00
कपड़ा	40.00	41.09	9.00	40.00		
कागज और कागज उत्पाद	-	20.00	34.50	-	10.00	5.68
रबड एवं रबड उत्पाद	-	-	-	-	-	-
रसायन एवं रसायन उत्पाद						
पेट्रोकेमिकल्स	-	-	-	-	-	-
ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	8.10	-	8.00	3.60	4.50	7.74
औद्योगिक रसायन	100.00	33.00	65.00	171.12	30.45	41.06
अन्य रसायन	-	-	-	0.01	-	-
कच्चा पेट्रोलियम एण्ड पेट्रोलियम शोधन	-	-	500.00	-	-	-
उर्वरक	-	-	-	-	-	-
सीमेंट	118.00	13.22	60.00	102.25	10.00	15.00
आयरन एण्ड स्टील	228.40	344.00	504.09	290.05	185.72	590.33
अलौह	40.00	40.00	41.55	5.30	41.00	80.99
अन्य धातु उत्पाद	-	-	-	2.50	0.65	-
मशीनरी	20.00	222.00	191.40	15.00	114.63	117.22
इलेक्ट्रिकल उपस्कर	56.00	69.53	30.00	28.78	82.63	26.60
इलेक्ट्रॉनिक्स	113.20	96.94	277.00	72.78	24.13	114.76
परिवहन उपस्कर	-	176.00	98.00	15.18	112.41	71.64
मूलभूत सुविधाएँ						
ऊर्जा	-	-	35.00	45.00	15.00	10.00
दूरसंचार	180.00	-	10.00	180.66	-	-
रोड़/पत्तन/रेलवे	48.00	5.00	2.00		15.30	20.10
माइनिंग	-	-	-	-	-	-
अन्य आधारभूत उत्पाद	-	-	-	-	-	-
सेवाएँ						
होटल्स	21.00	-	35.50	-	-	12.85
अस्पताल	8.75	-	10.50	-	-	-
शिपिंग	-	-	9.00	-	-	3.00
अन्य	80.06	187.43	170.44	72.11	65.44	225.07
अन्य उद्योग	-	-	28.00	-	-	1.00
कुल	1060.51	1257.21	2128.78	1044.34	691.86	1368.01

कर्नाटक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता—जे.एफ.सी.आई.

(मिलियन रु.)

उद्योग	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000		
	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित	मन्जूर		संवितरित
	प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि		प. की सं.	मंजूर राशि	
कपड़ा उद्योग	2	648.32	383.32	-	-	263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आयरन एण्ड स्टील	1	749.85	1097.80	-	-	338.85	3	1596.80	1526.25	2	910.00	1040.98	3	1203.26	1056.49
स्टील उत्पाद	1	31.50	31.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चीनी	2	87.50	87.50	-	-	1	1	14.00	-	2	395.00	57.00	2	150.00	100.00
बेसिक रसायन	1	-	-	1	496.11	-	1	1426.00	487.95	-	-	1230.97	1	475.30	143.48
वि. रसायन	1	225.00	185.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत सृजन	1	5.00	37.30	4	1394.27	877.24	1	145.19	208.83	1	880.00	351.48	-	-	80.00
दूरसंचार सेवाएँ	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
सीमेंट	2	675.00	87.50	1	-	607.50	1	97.00	97.40	1	97.00	97.00	2	97.84	0.04
मशीनरी एण्ड उपस्कर	2	80.00	1.80	2	106.20	138.50	-	-	17.40	-	-	30.50	-	-	-
इले. मशीनरी	1	785.75	271.90	-	-	479.50	1	16.40	54.60	1	150.00	75.00	-	-	75.00
इलेक्ट्रानिक्स	4	425.52	322.78	1	100.00	243.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
होटल्स	2	90.20	1.90	-	-	22.70	-	-	58.50	1	45.00	9.00	-	-	42.70
कागज	1	46.34	280.00	-	-	129.57	1	160.00	113.59	1	180.00	89.47	1	90.00	205.11
परिवहन उपस्कर	-	-	-	-	-	-	1	25.80	25.80	-	-	-	-	-	-
वि. अधातु	3	90.46	45.10	-	-	45.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खनिज उत्पाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	8	410.00	70.00	-	-	-	1	25.00	195.00	2	-	75.00	1	50.00	65.00
कुल	30	4348.42	2883.40	10	2096.31	12	3607.79	2784.92	11	2957.22	10	2063.22	10	2063.60	17666.82

सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए अन्य राज्य के लिए मन्जूर राशि दर्शायी गई है।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

5435. **श्री राजो सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वास्तविक रूप में कितना ऋण लिया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त ऋण राशि का कितना पुनर्भुगतान किया गया;

(ख) क्या विश्व बैंक का विचार आने वाले वर्षों में अधिक ऋण प्रदान करने का है;

(ग) देश को अधिक ऋण देने हेतु विश्व बैंक द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) आगामी वर्षों में ऋणों के माध्यम से कौन-सी प्रमुख योजनाएँ शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से आहरित किए गए ऋणों और उसे की गई मूलराशि की वापसी अदायगी से सम्बन्धित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु.)

	1997-98	1998-99	1999-00
संवितरण	4343.58	4966.43	5570.48
वापसी अदायगियाँ	3663.23	4294.19	4667.67

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई ऋण नहीं लिया गया था।

(ख) से (घ) मौजूदा देश-सहायता नीति (1997-2001) के अनुसार, विश्व बैंक साधारण सामान्य शर्तों और निबन्धनों पर प्रति वर्ष 3 बिलियन अमरीकी डालर तक की परियोजनाएँ शुरू कर सकता है। आगामी वर्षों के लिए देश सहायता नीति अभी विश्व बैंक से प्राप्त होनी शेष है। विशिष्ट योजनाओं की पहचान बाद में की जाएगी।

निर्यातकों की समस्याएँ

5436. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के सम्बन्ध में उनसे प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सरकार को मांगों और सुझावों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उनके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन सबकी जांच की है;

(ङ) यदि हाँ, उनको क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम और एम.एम.टी.सी. के बीच विदेशी बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उनके कार्यों की समीक्षा करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ इ.पी.सी/वस्तु बोर्डों/निर्यातकों के संगठनों इत्यादि से हमारे निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर नियमित रूप से सुझाव/विचार आमंत्रित करती है। विभिन्न निकायों से प्राप्त इन सुझावों/विचारों पर निर्यात नीति बनाते समय या उसमें संशोधन करते समय विचार किया जाता है। निर्यातकों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और एग्जिम नीति में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

(च) पूर्व में एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. के माध्यम से सरणीकृत अनेकों आयात एवं निर्यात मदों का सरणीयन समाप्त किए जाने के फलस्वरूप दोनों निगमों ने अपनी व्यापार सम्बन्धी कार्ययोजना को उदारीकृत अर्थव्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धी माहौल के अनुरूप फिर से नया रूप दिया है। इसलिए ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कारोबार और लाभप्रदत्ता में वृद्धि करने की कोशिश में कुछ ऐसे साँझा क्षेत्रों में व्यापारिक कार्यकलाप कर रहे हैं जो इनके प्रयासों में काफी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं।

प्रतिबन्धित दवाओं की बरामदगी

5437. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के पूर्वोत्तर भाग अर्थात् म्यांमार सीमा से होकर बड़ी मात्रा में प्रतिबन्धित दवा एम्फेटामाइन की गोलियाँ लाई जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस दवा की कितनी बरामदगी की गई और उसकी मात्रा तथा मूल्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इस दवा की तस्करी को रोकने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) महोदय, देश में म्यांमार सीमा के द्वारा एम्फीटेमाइन/मैथम्फीटैमाइन गोलियां लाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन सम्बन्धी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार, वर्ष, 2000 (नवम्बर तक) के दौरान जब्ती के 12 मामले हुए हैं जिनमें 1144 ग्राम अथवा 2140 गोलियां जब्त की गई हैं। जब्त करने वाली एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इनका निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य/सामान्य मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है।

(ग) देश में इस मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण उपायों में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत 'नियन्त्रित पदार्थ' के रूप में एम्फीटैमाइन/मैथम्फीटैमाइन गोलियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली एफीड्राइन और श्यूडोफिड्राइन रासायनिक कच्ची सामग्री को अधिसूचित करना, सतत् निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तन्त्र को चुस्त बनाना, सीमा पर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक औषधियों की मांग को कम करने और उनके अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा म्यांमार की सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना समन्वय सम्बन्धी तिमाही बैठक का आयोजन करना जिसमें उच्च स्तर पर मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन से जुड़ी सभी प्रवर्तन एजेंसियां भाग लेती हैं, मादक पदार्थ खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना और म्यांमार के कुत्तों के दस्तों की देख-रेख करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त परियोजनाएँ

5438. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि भारत में कुछ परियोजनाएँ असफल हो गई हैं क्योंकि पुनर्वास समस्याएँ अब भी अनसुलझी हैं और आम ग्रामीणों को उनकी कठिनाइयों के लिए क्षतिपूर्ति दी जानी शेष है;

(ख) यदि हाँ, तो विश्व बैंक अधिकारियों ने किन मुख्य दोषों को स्वीकार किया है;

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं के दोषों की किस हद तक समीक्षा की है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई ठोस उपाए किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने गंवाई गई भूमि अथवा अन्य परिसम्पत्तियों के लिए दी गई कम क्षतिपूर्ति और आजीविका के अवसरों के समाप्त होने की स्थिति में पुनर्वास हेतु दी गई कम क्षतिपूर्ति अथवा अपर्याप्त सहायता के कारण बन्द हुई दो परियोजनाओं को असन्तोषजनक घोषित किया। ये परियोजनाएँ ऊपरी कृष्णा और एन.टी.पी.सी./सिंगरौली परियोजनाएँ हैं।

(ग) से (ङ) सरकार सम्बन्धित प्राधिकरणों और राज्य सरकारों से सूचना एकत्र कर रही है।

शेयरों पर रोक

5439. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कुछ कम्पनियों के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है, जिनके शेयरों का मूल्य शेयर उपलब्ध न होने के कारण बढ़ गया था क्योंकि इनके शेयर डीमैट करने के लिए कम्पनियों द्वारा रोक कर रखे गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी कम्पनियां कौन-कौन सी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को योजनागत सहायता

5440. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से इन बात का आग्रह किया है कि राज्य को प्राप्त योजनागत सहायता अनुदान सम्बन्धी वर्तमान अनुपात को बढ़ाकर 50.50 कर दिया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) मौजूदा अनुपात में बदलाव केन्द्र के राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों और तदनुसार राज्यों की योजना सहायता पर विपरीत प्रभाव डालेगा। ऋण/अनुदान का मौजूदा अनुपात केन्द्र की समग्र संसाधन स्थिति और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) के निर्णय पर आधिरित है।

विदेशी मुद्रा विनियमन एपलाइड बोर्ड

5441. श्री अशोक अर्गल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन एपलाइड बोर्ड के पास आज तक कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) वे कम्पनियां/उद्योग कौन से हैं जिनके विरुद्ध मामले लम्बित हैं और इन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) दिनांक 1.6.2000 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के समक्ष लम्बित सभी अपीलें उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण को अन्तरित कर दी गई हैं। दि. 31.5.2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के पास लम्बिल 5401 मामले विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण को अन्तरित कर दिए गए हैं। विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण को अभी तक 272 अपीलें प्राप्त हुई हैं।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 52 (4) के अन्तर्गत स्वतः अथवा अन्यथा दाखिल की गई निम्नलिखित याचिकाएँ सम्बन्धित कम्पनियों/उद्योगों के विरुद्ध लम्बित हैं :

1. श्री विनोद मेहता, मैसर्स इन्टरनेशनल, मुम्बई के विरुद्ध 341/91

2. मैसर्स धवन इन्टरप्राइजेज (पी) लि. नई दिल्ली के विरुद्ध 344/91

3. श्री एस. खन्ना, प्रबन्धक, मैसर्स अबिरामी टैक्सटाइल्स, चैन्नई के विरुद्ध 595/2000

(ग) इन मामलों पर न्याय प्रक्रिया के माध्यम से न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण

5442. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी टी.वी. कम्पनियां विशेषकर उन देशों में जहां भारत के लोग पर्याप्त संख्या में हैं, हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे देशवार स्थानों विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन स्थित स्थानों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों की पहुँच लोगों तक कितनी है;

(ग) सरकार इन कार्यक्रमों को और अधिक लोकप्रिय और आकर्षक बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये कार्यक्रम समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत और प्रौद्योगिकी में भारत के विकास को दर्शाए; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) विदेशी टेलीविजन कम्पनियों को विदेशों में हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए इस मंत्रालय से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अपने डीडी– इन्टरनेशल चैनल में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है और भारत की संस्कृति, मूल्यों, परम्पराओं, आधुनिकता, विविधता, प्रौद्योगिकीय विकास आदि को प्रदर्शित करता है। ये कार्यक्रम हिन्दी और अंग्रेजी में तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिजली के बिल के भुगतान हेतु त्रिपक्षीय समझौता

5443. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बिलों के भुगतान हेतु एक ओर अमरीकी विद्युत उत्पादक कम्पनी एनएन और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के साथ कोई त्रिपक्षीय समझौता किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) दाभोल विद्युत कम्पनी (डी.पी.सी.) द्वारा संवर्धित की जा रही दाभोल विद्युत परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए महराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एम.एस.ई.बी) और दाभोल विद्युत कम्पनी के बीच एक करार निष्पन्न किया गया। इस करार से उत्पन्न होने वाले एम.एस.ई.बी. की देयताओं के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी। भारत सरकार ने डी.पी.सी. को भुगतान करने में महाराष्ट्र सरकार के असफल होने की स्थिति में क्षमता और ऊर्जा भुगतानों तथा समापन भुगतानों के सम्बन्ध में डी.पी.सी. को प्रति-गारंटी प्रदान की है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके जरिए भारत सरकार को मुख्यतया महाराष्ट्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के पास महाराष्ट्र सरकार के खाते से नामे डालकर प्रति-गारंटियों के तहत किए गए सभी भुगतानों की वसूली करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

(ग) और (घ) सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 1997 में भारत के उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (1997 का सं. 7734) दायर की है। सीटू ने मुख्यतया के प्रश्न उठाए हैं अर्थात् (1) परियोजना की वैधता और (2) इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की जवाबदेही। यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

पद्मिनी पॉलीमर्स को 'बायफर' को सौंपना

5444. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद्मिनी टेक्नोलॉजी (पहले पद्मिनी पॉलीमर्स) को रुग्ण घोषित करने के पश्चात 'बायफर' (बी.आई.एफ.आर.) को सौंप दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में 'बायफर' ने क्या कार्यवाही की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) पद्मिनी टेक्नोलॉजी या पद्मिनी पॉलीमर्स को बाइफर के साथ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 क उपबंधों में अन्तर्गत रुग्ण कम्पनी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

'द न्यूज टुनाइट' का प्रसारण

5445. श्री ए. नरेन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने 6 नवम्बर, 2000 को 'द न्यूज टुनाइट' का प्रसारण रद्द कर दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती के सूचित किया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम 6.11.2000 को दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

छोटे निवेशकों को संरक्षण

5446. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 में आज की तिथि तक नई आर्थिक कम्पनियों के शेयरों के चढ़ाव और उतार पर निगरानी रखने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बाजार नियमकों (सेबी) की भूमिका संदिग्ध रही है;

(ख) क्या सरकार बढ़े दामों से लोभ में आने वाले छोटे निवेशकों की सुरक्षा हेतु इस खतने को हमेशा के लिए दूर करने पर गंभीरता से विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) शेयर बाजारों में मूल्यों में उतार-चढ़ाव एक बाजार संवृत्ति है तथा यह अनेक कारकों, जिनमें घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ, आर्थिक सूचक, बाजार संवेदनशीलताएँ, कार्पोरेट क्षेत्र तथा सामान्यतः अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन, सरकार की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में निवेशकों की प्रत्याशाएं, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों की गतिविधियां आदि शामिल हैं, पर निर्भर करता है। वाणिज्य के वैश्वीकरण ने विश्व भर के बाजारों में उतार-चढ़ाव में सहसम्बन्ध सृजित किया है। अमरीकी बाजारों में, विशेषतः नई अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के शेयरों में हाल में हुई गिरावट ने विश्व के अन्य बाजारों को प्रभावित किया है तथा विश्वभर में बाजारों में ह्रासमान प्रवृत्ति है।

(ख) और (ग) सरकार तथा बाजार विनियामक सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूँजी बाजार व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित तथा उचित तरीके से कार्य करे। इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सेबी ने पूँजी पर्याप्तता, मार्जिन प्रणाली, एक्सपोजर नियंत्रण तथा मूल्य वर्ग जैसे अनेक निगरानी एवं जोखिम नियंत्रक उपाय लागू किए हैं। क्रियान्वित किए गए निगरानी उपायों में स्टॉक निगरानी प्रणाली शामिल है जिससे निगरानी क्षमताओं के वर्धन की सम्भावना है। जोखिम नियंत्रण उपायों में आधार तथा अतिरिक्त पूँजी के रूप में अपफ्रंट मार्जिन तथा मार्क टू मार्केट मार्जिन, उतार-चढ़ाव मार्जिन तथा अग्रेनीत मार्जिन लगाना तथा उनका संग्रहण शामिल है।

अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना

5447. श्री बसुदेव आचार्य : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्थित इन्सट्रुमेंटेशन लिमिटेड में 117 कर्मकार पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से अस्थायी रूप से बहुत ही कम मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य एककों में भी उपर्युक्त स्थिति व्याप्त है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समान कार्य के लिए समान वेतन संवैधानिक उपबन्ध है;

(च) यदि हाँ, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इन कर्मचारियों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) हुए समझौते के अनुसार, 20 वर्ष से 26 वर्ष की अवधि के बीच बोकारो स्थिति इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की साइट पर मजदूरी पर कार्य कर रहे अस्थायी कामगारों की संख्या 113 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) बोकारो स्थित अस्थायी कामगारों ने समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपील की थी। न्यायालय ने अस्थायी कामगारों द्वारा निष्पादित कार्य को नियमित कामगारों के कार्य के समान नहीं माना।

(छ) बोकारो स्थित अस्थायी कामगारों की वर्तमान क्षमता का लाभप्रद रूप से उपयोग करने के लिए बिजनेस की कमी है और उनके लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा विद्युत-परियोजनाओं का वित्तपोषण

5448. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 2000 के 'दि स्टेट्स मैन' में 'वाट पावर्स बैंकों कोंडापल्ली पॉवर प्रोजेक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है, जिसमें इस घोर अनियमितता पर प्रकाश डाला गया है कि आंध्र प्रदेश की लैंकोज कोंडापल्ली विद्युत-परियोजना का वित्तपोषण, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने केवल इस आधार पर किया कि इस समूह की एक कम्पनी, जिसकी नेटवर्क पर 42 करोड़ रुपए का है, उसने 700 करोड़ रुपए की निगमित गारन्टी दी थी और इस मामले में अन्य गम्भीर अनियमितताएँ भी बढ़ती गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हाँ। आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और विदेशी निवेशकों द्वारा इस परियोजना का वित्तपोषण किया गया है। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को कम्पनी प्रतिभूतियां सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के माध्यम से प्रतिभूत किया गया है। ये कम्पनी प्रतिभूतियां अतिरिक्त समपार्श्विक प्रतिभूतियों के माध्यम से हैं और ये वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पास उपलब्ध एकमात्र प्रतिभूति नहीं हैं जैसाकि समाचार पत्र में आरोप लगाया गया है। इस परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया गया है। अग्रणी वित्तीय संस्थाओं के अनुसार इन उधारकर्ताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में किसी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं पाई गई हैं।

तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों के साथ-साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुरूप अलग-अलग संघटकों से सम्बन्धित और जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है।

चाय उत्पादन निदेशक के पास नकद राशि

5449. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-98 के दौरान चाय उत्पादन निदेशक लन्दन के पास चालू खाते में आवश्यकता से बहुत अधिक नकद शेष या जिसके कारण देश को 25.95 लाख रुपए के ब्याज का घाटा उठाना पड़ा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मामले की जांच की गई है और कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) चाय बोर्ड के कार्यकलापों के व्यापक स्वरूप को देखते हुए विदेशी कार्यालय के कार्यालय प्रभारी को वेतन, किराया, टेलीफोन बिलों, मेलों एवं प्रदर्शनियों, विज्ञापन और अन्य संवर्द्धनात्मक व्यय इत्यादि के लिए वचनबद्धताओं के अनुसार आवश्यक नकदी शेष रखना अपेक्षित है। नकदी शेष रखना इस कारण से भी जरूरी है कि चाय बोर्ड को सरकार द्वारा तिमाही आधार पर निधियां जारी की जाती हैं और विदेशी मुद्रा अनुमति-पत्रों, निधियों में अन्तरण इत्यादि की प्रक्रिया में समय लगता है।

मुख्य लेखा-परीक्षा निदेशक, लन्दन से इस बारे में एक मसौदा लेखा-परीक्षा पैरा प्राप्त हुआ था। तथापि, सरकार ने ऊपर उल्लिखित कारणों से मुख्य लेखा परीक्षा निदेशक से इस पर पुनर्विचार करने और पैरा को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

सूची से हटाई गई कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई

5450. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने बीएसई और एनएसई की सूची से कई कम्पनियों को हटा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों को कितना घाटा हो रहा है; और

(घ) इस घाटे को किस तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) शेयर बाजारों से कम्पनियों का असूचीकरण नहीं करता। कम्पनियों की प्रतिभूतियों का सूचीकरण शेयर बाजार तथा कम्पनियों के बीच सूचीकरण करार द्वारा शासित किया जाता है। शेयर बाजार द्वारा किसी कम्पनी का असूचीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है :

(i) सूचीकरण करार के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन;

(ii) कम्पनी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई;

(iii) विलयन, परिसमापन, न्यायालय आदेश, बांडों के मोचन, आदि के कारण;

(iv) सेबी (पर्याप्त अधिग्रहण तथा अर्जन) विनियम, 1997 के अन्तर्गत।

इसके अलावा, कम्पनियां सेबी द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक असूचीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करके स्वयं शेयर बाजार से अपनी प्रतिभूतियों का असूचीकरण कर सकती हैं।

(ग) और (घ) चूँकि असूचीकरण के कारण निवेशक को नकदी की समस्या हो सकती है, असूचीकरण के पश्चात् ऐसी स्क्रिकों में नकदी प्रदान करने के उद्देश्य से स्टाक एक्सचेंस प्रतिभूतियों का असूचीकरण करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमत श्रेणी के तहत प्रतिभूतियों में कारोबार अनुमत करते हैं। इसके अतिरिक्त असूचीकरण से पहले शेयर बाजारों द्वारा निवेशकों को किसी प्रतिभूति के असूचीकरण सम्बन्धी नोटिस दिए जाते हैं तथा ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों को निकासी का अवसर प्रदान किया जाता है।

ऑडियो टेप्स पर उत्पाद शुल्क

5451. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान ऑडियो मैगनेटिक टेप की निर्माण इकाइयों से सरकार द्वारा कितने उत्पाद शुल्क का अर्जन किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऑडियो मैगनेटिक टेप के आयात से सरकार ने सीमा शुल्क के रूप में कितनी धनराशि अर्जित की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की वित्तीय स्थिति

5452. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2000-2001 हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा देय ब्याज को माफ करने और अगले पांच वर्षों के लिए ऋण की देनदारी के स्थगन की भी घोषणा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा में 1999 में आए महाचक्रवात और वर्ष 2000 के भयंकर सूखे से उत्पन्न हुई संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति के मद्दे नजर वर्ष 2000-2001 हेतु सभी केन्द प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों के उपयुक्त हिस्से का भुगतान किए जाने के लिए राज्य सरकार की सहायता करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग को 31.3.99 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्यों की ऋण स्थिति का आकलन करना और केन्द्र तथा राज्य दोनों ही के दीर्घ आवधिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाया जाना अपेक्षित था। तब से ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऋण राहत के उपायों समेत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारत सरकार ने वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट में राज्यों के ऋण राहत के सम्बन्ध में यथानिहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(ग) और (घ) संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों स्वायत्तशासी हैं और राज्य का वित्त प्रबन्धन प्रथमतः राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। तथापि उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रतिपूरक वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना के लिए 43 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। इसके अलावा सरकार ने विशेष राहत के उपाय के तौर पर नवम्बर 1999 से मार्च 2000 की अवधि के ब्याज समेत ऋणों के पुनर्भुगतान को पुनः निर्धारित कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी राज्य सरकार की अर्थोपाय सीमा में 31 मार्च 2000 तक ढील दे रखी है।

विदेशी प्रबन्धन परामर्शदात्री फर्मों का प्रवेश

5453. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लेखा एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए विदेशी प्रबन्धन परामर्शदात्री फर्मों को देश में उन्मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउटेंट ऑफ इण्डिया ने इन फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्तमान में प्रवृत्त नीति, जो परामर्शी क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी का अनुमत करती है, के अनुसार 1.8.1991 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान कुल 479 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें 2058.25 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परिकल्पित है। लेखाकरण तथा विधिक सेवाओं के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्फोटेक कम्पनियां

5454. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साफ्टवेयर में तब्दील हुई कम्पनियां 1992 में गायब हुई फाइनेंस कम्पनियों की तरह गायब हो रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने नामों को इन्फोटेक में परिवर्तित किया है और अपना व्यापार बन्द कर के निवेशकों को ठगा है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कम्पनियों का पता लगाया है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन कम्पनियों द्वारा निवेशकों से कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है और छोटे निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) कम्पनी कार्य विभाग ने मई, 1999 में कम्पनी रजिस्ट्रारों को सलाह दी है कि भविष्य में वे कम्पनियों को अपने नाम परिवर्तन की अनुमति तभी दें जब उनका आय का एक पर्याप्त भाग साफ्टवेयर कारोबार से प्राप्त होता हो।

सेबी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाभप्रदता के 3 वर्षीय ट्रैक रिकार्ड की अपेक्षा के माध्यम से ऐसी कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक/राईट्स इश्यु के लिए प्रविष्टि मानदण्ड कठोर कर दिए हैं तथा प्रैस विज्ञप्तियों के जरिए निवेशकों को चेतावनी दी है, ऐसी कम्पनियों के शेयरों के सम्बन्ध में कारोबार तथा अन्य घटनाक्रमों की सन्निकट निगरानी करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों को कहा है; तथा ऐसी कम्पनियों के लिए त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्टों में साफ्टवेयर कार्यकलाप के निष्पादन तथा परिणाम पृथक से दर्शाना अनिवार्य कर दिया है।

अर्थव्यवस्था पर निजीकरण का प्रभाव

5455. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजीकरण की चल रही प्रक्रिया पर निजीकरण का और विश्व के बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य के अन्तर्गत सरकार की नियंत्रक के स्थान पर सहयोगी की भूमिका का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) हमारी अर्थव्यवस्था पर निजीकरण का प्रभाव कब तक महसूस किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) चालू आर्थिक सुधारों में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया है। कार्यक्रम को नए सिरे से बल प्रदान करने तथा विनिवेश और निजीकरण के प्रति एक व्यवस्थित नीतिगत दृष्टिकोण स्थापित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा हाल ही में एक नए विनिवेश विभाग की स्थापना की गई है जो चिन्हित सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की अनुकूल बिक्री पर जोर देगा। इसके अलावा, 2000-2001 के बजट में यह घोषणा की गई है कि कम महत्त्व वाली सभी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में सरकार की इक्विटी हटा कर 26 प्रतिशत अथवा उससे भी कम कर दी जाएगी और कामगारों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। विनिवेश और निजीकरण से होने वाली समग्र प्राप्ति का उपयोग सामाजिक क्षेत्रकों में किए जाने वाले व्यय की पूर्ति करने, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का पुनर्गठन करने और सरकारी ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी

2. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में आई गिरावट के कारण देश के तेल पूल घाटे पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त के मद्देनज़र सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे किस तारीख से लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) यदि मूल्य कुछ समयावधि तक सतत आधार पर न्यूनतर स्तर पर स्थिर रहते हैं तो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी से तेल पूल घाटा कम करने में मदद मिलेगी।

(ग) से (ङ) तेल पूल खाते से तेल कम्पनियों के संचित बकाया भुगतान समाप्त हो जाने के बाद ही पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करने पर विचार किया जा सकता है।

(...व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 481। डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय।

(...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.0½ बजे

(इस समय श्री सुरेश पाती और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (योधक पशु चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000, जो दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 477 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3132/2000]

(2) (क) (एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपरोक्त मद संख्या 2 की मद संख्या (क) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3133/2000]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3134/2000]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3135/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं डा. सी.पी. ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लिखे।

(2) महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3136/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री एन.टी. षणमुगम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सिंगरेनी कॉलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोथागुडम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कॉलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोथागुडम के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3137/2000]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (भाग एक और दो)।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग एक और दो) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3138/2000]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3139/2000]

(ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3140/2000]

(ग) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3141/2000]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3142/2000]

(ङ) (एक) नेशनल बाइसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3143/2000]

(च) (एक) साईकिल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बार में विवरण।

(दो) साईकिल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां;

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3144/2000]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटी के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3145/2000]

(ज) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3146/2000]

(झ) (एक) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3147/2000]

(ञ) (एक) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3148/2000]

(ट) (एक) भारत लैदर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लैदर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3149/2000]

(ठ) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवदेन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3150/2000]

(2) (एक) फ्ल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष के 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) फ्ल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष के 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3151/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) महर्षि संदीपणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदीपणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3152/2000]

(2) (एक) इण्डिन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3153/2000]

(4) (एक) कालिकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालिकट के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालिकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालिकट के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3154/2000]

(5) (एक) सरदार वल्लबभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापारीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लबभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3155/2000]

(6) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3156/2000]

(7) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3157/2000]

(8) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, सिलचर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, सिलचर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3158/2000]

(9) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3159/2000]

(10) नेशनल काउंसिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3160/2000]

(12) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3161/2000]

(14) (एक) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3162/2000]

(15) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3163/2000]

(16) (एक) आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकार की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3164/2000]

(17) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3165/2000]

(18) (एक) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3166/2000]

(20) (एक) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3167/2000]

(21) (एक) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3168/2000]

(23) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3169/2000]

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3170/2000]

(27) (एक) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3171/2000]

(28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, राँची के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, राँची के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3172/2000]

(30) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3173/2000]

(32) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3174/2000]

(34) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम, 2000 जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3175/2000]

(35) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, सूरतकल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, सूरतकल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3176/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3177/2000]

(2) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3178/2000]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ का वर्ष 1999-2000 का वाषिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3179/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3180/2000]

(2) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3181/2000]

(3) (एक) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3182/2000]

(4) (एक) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3183/2000]

(5) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3184/2000]

(6) (एक) खेलकूद वस्तुएँ निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेलकूद वस्तुएँ निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3185/2000]

(7) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3186/2000]

(8) (एक) ओवरसीज कंसट्रक्शन काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कंसट्रक्शन काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3187/2000]

(9) (एक) जेम एण्ड ज्वैलरी सक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3188/2000]

(10) (एक) इण्डियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3189/2000]

(11) (एक) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3190/2000]

(12) एम.एम.टी.सी. और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3191/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3192/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अस्पताल सेवा परामर्शदात्री निगम (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अस्पताल सेवा परामर्शदात्री निगम (इण्डिया) लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3193/2000]

(3) (एक) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3194/2000]

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 25 अगस्त, 2000 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(4) हास्पिटल सर्विसेस कंस्लटेंसी कॉरपोरेशन (इण्डिया) लिमिडेट और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3195/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3196/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 725(अ) जो 3 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (36क) में यथापरिभाषित सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को व्यक्तियों का ऐसा वर्ग होने के नाते आयकर अधिनियम के अध्याय XIX-ख के प्रयोजनार्थ एक आवेदन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2000 जो 3 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ 726(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 775 (अ), जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को स्थायी खाते के नियतन के लिए कर निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2000, जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयकर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2000, जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 777(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2000, जो 6 सितम्बर, 20000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 806(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 890(अ), जो 26 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के प्रयोजनार्थ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों अथवा सेवाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2000 जो 27 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 892(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2000, जो 27 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 893(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2000, जो 27 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 894(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2000, जो 3 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 909(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2000, जो 15 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1019(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2000, जो 15 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1020(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 1048(अ), जो 24 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 (18) के प्रयोजनार्थ शौर्य पुरस्कारों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2000, जो 24 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1049(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3197/2000]

(2) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अन्तर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2000, जो 6 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3198/2000]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 915 (अ), जो 12 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सीमा शुल्क टैरिफ (पाटिल वस्तुओं पर अपवंचन रोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण तथा वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के प्रयोजनार्थ वाणिज्य विभाग ने पदनामित प्राधिकारी के रूप में अपर सचिव की नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3199/2000]

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्त के पश्चात् निजी क्षेत्रों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000, जो 30 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडीः आईआरः ओएसआर संशोधनः 402 : 2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्त के पश्चात् निजी क्षेत्रों में नौकरियों की स्वीकृत) विनियम, 2000 जो 18 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स्टाफ/ओएसआर/2000 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3200/2000]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत उल्लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :

(क) (एक) यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3201/2000]

(ख) (एक) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3202/2000]

(ग) (एक) न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3203/2000]

(घ) (एक) ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरियन्टल इन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3204/2000]

(ङ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3205/2000]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 199-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3206/2000]

(7) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 और 23 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3207/2000]

(8) (एक) भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 तथा 24 की उपधारा (5) कि अंतर्गत भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3208/2000]

(9) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1995 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण), लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.–3209/2000]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3210/2000]

(दो) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3211/2000]

(तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3212/2000]

(चार) केनरा बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेख परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3213/2000]

(पांच) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3214/2000]

(छह) इंडियन बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3215/2000]

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3216/2000]

(आठ) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3217/2000]

(नौ) यूको बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3218/2000]

(दस) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3219/2000]

(ग्यारह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3220/2000]

(बारह) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3221/2000]

(तेरह) विजया बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3222/2000]

(11) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 38 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3223/2000]

(12) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3224/2000]

(13) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद के 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3225/2000]

(14) राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3226/2000]

(15) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक (अनुज्ञापन, वृत्तिक अपेक्षाएँ एवं आचरण संहिता) विनियम, 2000, जो 24 नवम्बर, 2000 के भारतीय राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आई.आर.डी.ए./रेगु./11/2000 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3227/2000]

(16) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :

(एक) मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गंगा कार्य योजना के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) (2000 की संख्यांक 5क)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3228/2000]

(तीन) मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऑर्डिनेंस सेवाओं में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पुनरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2000 की संख्यांक 7क) (रक्षा सेवाएँ)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी.–3229/2000]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2000, जो 10 नवंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 861 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3230/2000]

(दो) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा (3) की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सा.का.नि. 902 (अ)/ए.एस.काम./सूगरकेन, जो 29 नवंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 2000-2001 के चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने की देय कानूनी दर को अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2000, जो 29 नवंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903/एस.काम./सूगरकेन में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3231/2000]

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3232/2000]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 816 (अ), जो 8 सितंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के अहमदाबाद-मुंबई सेक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(दो) का.आ. 1009(अ), जो 10 नवंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर जदेश्वर में नर्मदा नदी पर बने मौजूदा और नए पुलों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क का उद्ग्रहण करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3233/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3234/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचंद्रन) : महोदय, मैं श्री बालासाहिब विखे पाटील की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3235/2000]

अपराह्न 3.04½ बजे

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का किराए के संबंध में निरर्थक व्यय के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 3.05 बजे

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री कड़िया मुण्डा (खूँटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा उन्हें उपलब्ध कराई गई आवासीय सुविधाओं के बारे में शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' से संबंधित समिति के दसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 3.05½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) वित्तीय संस्थाएँ—उद्देश्य, कार्यकरण और भविष्य संभाव्यता पर आठवां प्रतिवेदन।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी समिति (2000-2001) के चौथे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.05¾ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दक्षिण दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौड़ा/लालकोट का विकास—*सभा पटल पर रखा गया*

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, दक्षिण दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौड़ा/लालकोट के विकास के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ :

इस प्रतिष्ठित सभा के एक सम्माननीय सदस्य ने 19 दिसंबर, 2000 को शून्य काल के दौरान दक्षिण दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौड़ा के विकास तथा उसके लिए निर्धारित भूमि पर कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण गोल्फ कोर्स द्वारा लिए जाने का मामला उठाया था। तदोपरांत, कल, मुझे लगभग पच्चीस संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन मिला।

इस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार इस परियोजना तथा किला राय पिथौड़ा कांप्लेक्स के विकास को बहुत महत्त्व देती है। इसकी संकल्पना नवंबर, 1999 में की गई थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था।

दिल्ली के प्रवेश द्वारा पर अरावली शृंखला के महत्त्वपूर्ण भाग पर स्थित यह किला भारत के इतिहास के अनेक उत्थानों और पतनों का साक्षी है। यह मोटे अनगढ़े पत्थरों से निर्मित है और लाल कोट के नाम से भी जाना जाता था जो वस्तुतः दिल्ली का पहला शहर है। किले की प्राचीरें 30 फुट चौड़ी और किले के चारों ओर बनी खाई से 60 फुट ऊँची थीं। खाई की चौड़ाई भिन्न-भिन्न स्थानों पर 18 से 35 फीट के बीच थी।

किला राय पिथौड़ा/लाल कोट हमारे इतिहास की प्रेरक गाथा है। यहां ईंटों और टूटे पत्थरों से इतिहास बयां होता है। भारी परंतु टूटी और धँसी हुई दीवारों से विरासत टकटकी लगाए दिखती है और यहां हमारी पिछली गलतियों की आती हुई आवाजें सुनी जा सकती हैं। जब हमें याद नहीं रहा था कि यदि हम सुसंगत तथा चिंतित नहीं रहे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रबल और महान् तानेबाने के बावजूद स्थिति विपरीत बन सकती है।

परियोजना के दो मूलभूत उद्देश्य हैं। पहला, हमारी वास्तुशिल्पीय तथा सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना और सुदृढ़ करना। दूसरा, इतिहास और विरासत को नए शहरी तानेबाने से जोड़ना जो कि वर्तमान में दिल्ली बनाया जा रहा है और किला राय पिथौड़ा/लाल कोट कांप्लेक्स के चारों ओर एक बड़े पार्क को विकसित करना और उसके अनुकूल राजपूताना शैली में भव्य बाग की पृष्ठभूमि का सृजन करना। यह पूरे देश के लाखों लोगों, विशेषतः युवा वर्ग को आकर्षित करेगा और उन्हें हमारे नेताओं के महान् साहसिक कारनामों से अवगत कराएगा।

कन्जर्वेशन सेंटर के चबूतरे पर चार फुट ऊँचे मंच पर घोड़े पर सवार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 18 फीट ऊँची प्रतिमा लगाई जा रही है जो परिसर के समग्र विकास का एक हिस्सा है। इस परिसर का आस-पास में रहने वाली निम्न और मध्यम आय वर्ग की एक बड़ी आबादी के लिए व्यापक सामुदायिक हरित क्षेत्र के रूप में भी उपयोग होगा।

यह खेदजनक है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ वरिष्ठ पदासीन व्यक्तियों ने मुझे सूचित किए बिना, गोल्फ कोर्स को बनाने तथा विस्तार करने हेतु पार्क के लिए निर्धारित भूमि की काफी बड़ी भूमि पर कब्जा करवा दिया है, जिसका उन्हें, विशेषकर 'दिल्ली में भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण विकास तथा निपटान' योजना के तहत आवर्ती कोष द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मामले के कोई अधिकार नहीं था।

9-होल्स गोल्फ कोर्स के क्षेत्र को छोड़कर मैं भी वित्त मंत्रालय के परामर्श से अलग से जांच करवा रहा हूँ, मैंने पूरे क्षेत्र को शामिल करने का आदेश दे दिया है।

अपराह्न 3.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाए।

...(व्यवधान)

(एक) महाराष्ट्र में नासिक और दहानु के बीच रेल लाइन शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री चिंतामन वनगा (दहानु) : थाणे जिला के दहानु, तेलासाना, विकग्रमागाद, वड़ा, जवाहर, मोरूड़ा ताल्लुक और नासिक ज़िले में त्रिमबकेश्वर ताल्लुका, जनजातीय ताल्लुक अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। इन ताल्लुकों से हर साल जनजातीय लोग रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, इसलिए इनके बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में रह गए लोग कुपोषण के शिकार होते हैं।

दहानु और नासिक रेल लाइन का निर्माण बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि यह थाने और नासिक ज़िलों की सबसे अधिक पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों से गुजरती है। वहाँ की जनजातीय जनता, विभिन्न संगठनों, सभी राजनैतिक दलों और प्रतिनिधियों की यह लंबे समय से मांग रही है। इस नई रेल लाइन के निर्माण की निरंतर मांग के कारण रेल मंत्रालय ने सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है।

इस रेल लाइन के निर्माण से तारापुत, दहानु, अंबरगांव वापी और दादर नगर हवेली की औद्योगिक पट्टी, नासिक, इगाटपुरी और उत्तरी महाराष्ट्र की औद्योगिक पट्टी से जुड़ जाएंगी। नासिक और त्रिमबकेश्वर जाने-माने तीर्थस्थल हैं और प्रतिदिन संपूर्ण भारत से वहाँ लाखों भक्त आते हैं।

मैं सरकार से दहानु और नासिक के बीच रेल लाइन के निर्माण का अनुरोध करता हूँ।

(दो) उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। बिहार राज्य का कुल औद्योगिक क्षेत्र 173.8 लाख हैक्टेयर का लगभग 68.8 लाख क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से 44.47 लाख हैक्टेयर उत्तर बिहार में पड़ता है जबकि उत्तर बिहार का क्षेत्रफल 53.5 लाख हैक्टेयर है। बिहार पुनर्गठन के बाद कृषि ही बिहार का भविष्य है। इसकी रोकथाम की जब तक व्यवस्था नहीं होगी। कृषि कठिन कार्य हो गया। बाढ़ का प्रमुख कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जिसका अधिकतर भाग नेपाल में हैं। भारत सरकार का कार्य है नेपाल से बातचीत के लिए सार्थक कदम उठाए।

(तीन) भैसाझाल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर विधान क्षेत्र तखतपुर के भैसाझाल सिंचाई परियोजना 10 वर्ष पहले से करोड़ों रुपयों की कालोनी बन चुकी है तथा समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी थे। कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। बाद में उक्त योजना बंद कर दी गई है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण कर दूर डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है। कई कर्मचारियों को भेज चुके हैं जिससे उक्त योजना ठप्प पड़ गई है। लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीन ली गई है। किसानों की दस हजार एकड़ भूमि सिंचाई होने से वंचित है। किसानों की माली हालत खराब है। छत्तीसगढ़ सहित

*सभा पटल पर रखे गए।

जिला बिलासपुर सूखा, अकाल पड़ने से किसान दाने-दाने को मोहताज है। राहत कार्य तथा सिंचाई कार्य ठप्प है।

अतः केंद्र सरकार से मांग है कि मैसाझाल योजना को शुरू करने तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को समुचित धन दिया जाए ताकि बिलासपुर के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले तथा मजूदरों को काम मिले।

(चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में बुद्धिस्ट सर्किट को रेल, सड़क और वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : जनपद सिद्धार्थ नगर जनपद बस्ती से काट कर बनाया गया है। इस जनपद में बुद्ध धर्म का तीर्थस्थल कपिलवस्तु स्थित है। जहां लुम्बिनी मात्र 10 मिलोमीटर पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष हजारों बुद्ध धर्म के अनुयायी श्रीलंका, जापान, मलेशिया इत्यादि से आते हैं और सारनाथ कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, श्रीवस्ती स्थलों का दर्शन करते हैं। स्थानों को मिला करके एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है। बुद्धिस्ट परपथ के निर्माण के लिए जापान सरकार ने काफी सहायता भारत सरकार को दी थी जिससे इस पथ का निर्माण तो हो गया है लेकिन विगत 2 वर्षों से निरन्तर बाढ़ आने के कारण यह परपथ बहुत स्थिति में है। यात्रियों की सुविधा के लिए बुद्ध सर्किट को वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क से सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, श्रावस्ती को जोड़ना नितान्त आवश्यक है, जिससे प्रत्येक प्रकार के यात्री आ-जा सकें। इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी और भारत का सम्मान भी बढ़ेगा। इस क्षेत्र में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है जिससे पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में आ सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिले।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बुद्ध सर्किट को महत्व दे करके इसे हवाई, रेल, सड़क मार्ग से जोड़ा जाए तथा सुविधायें प्रदान की जायें।

(पांच) बिहार में सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : मैं सदन का ध्यान सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों में अविकसित क्षेत्रों में बिजली पैदा करना एवं सिंचाई उपलब्ध करवाना था तथा इस परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं परंतु कार्य को धन के अभाव में बीच में छोड़ दिया है, जिसके कारण कई गाँव पानी में डूब जाते हैं। अभी तक विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की सुविधा भी नहीं मिल पाई है। जबकि उनकी जमीन अधिग्रहीत हो गई हैं जो उनकी जीविका का साधन थी एवं जो गाँव डूबते हैं उनको अभी तक मुआयजा नहीं दिया गया है। लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अविलंब विस्थापित परिवारों के लोगों को नौकरी दी जाए एवं अनियमितताओं की जांच सांसदों की कमेटी बनाकर कराई जाए।

(छह) आंध्र प्रदेश के कुडप्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुद्दानूर और कुडप्पा के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी (कुड्डपा) : महोदय, रॉयलसीमा थर्मल पॉवर प्लांट के विस्तार, सीमेंट के पांच प्लांटों और एक स्टील प्लांट के मद्देनजर गुंटकल-रेनीगुंटा लाइन पर मुदानूर-कुडप्पा सैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्लांटों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के परिवहन की समस्या इन प्लांटों के विकास और नए उद्यमों को लगाए जाने की बड़ी बाधा है। इस सैक्शन की रेल लाइन का दोहरीकरण केवल रेलवे के दृष्टिकोण से बल्कि आंध्र प्रदेश के पिछड़े रॉयलसीमा क्षेत्र की जनता को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आने वाले वित्त वर्ष 2001-2002 में गुंटकल-रेनीगुंटा लाइन पर मुड्डानूर-कुडप्पा सैक्शन की रेल लाइन को दोहरीकरण के लिए शामिल किए जाने के लिए कार्य प्रारंभ करने हेतु औपचारिक मंजूरी दी जाए और बजट में कम से कम और 100 करोड़ रु. आवंटित किए जाएं।

[अनुवाद]

(सात) केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रावणकोर लि. का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : मैं अभियांत्रिकी-परामर्शदात्री-सेवा में उर्वरकों और कैप्रोलेक्टम के उत्पादन और विपणन तथा उपकरणों के निर्माण में जुटे केरल के सबसे पुराने और बड़े सरकारी क्षेत्र के (फैक्ट) उपक्रम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सामने आ रही समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1984-98 के दौरान 'फैक्ट' सतत् लाभ अर्जित करता रहा है। तथापि, हाल ही में इसमें हुई कुछ घटनाओं ने इसे अवांछनीय और विषम स्थिति में डाल दिया है। फैक्ट में घाटा होने के कारण हैं। इसका पहला कारण पिछले दो वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों में तेजी से वृद्धि होना है। दूसरा कारण केंद्र सरकार के माध्यम से जापान की ओ.ई.सी.एफ. से परियोजना ऋण के लिए ब्याज के भुगतान से संबद्ध घाटा है। इसका तीसरा कारण सरकार द्वारा फैक्टमॉस और अमोनियम सल्फेट के निर्धारित अलाभकारी विक्रय मूल्य है और चौथा कारण पिछले कुछ वर्षों में केप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क में भारी कमी करना है। बहुत ही कम कीमत पर विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं

से केप्रोलेक्टम प्राप्त होने के कारण फैक्ट के केप्रोलेक्टम उत्पादित करने वाली पेट्रोकेमिकल शाखा की सक्षमता भी खतरे में पड़ती जा रही है।

(आठ) अरुणाचल प्रदेश में स्टिलवेल इंटरनेशनल रोड को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री राजकुमार वांग्चा (अरुणाचल पूर्व) : अरुणाचल प्रदेश देश का पूर्वोत्तर भाग है, जिसकी सीमाएँ भूटान, चीन और म्यांमार से लगती हैं। विषम भू-भाग होने के कारण आर्थिक विकास और प्रगति के अवसर कम हैं। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत् विद्रोही गतिविधियों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। लाभकारी और ठोस विकास सुनिश्चित करने के कुछेक मौजूदा संभावित संसाधनों में से एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग है जिसे आमतौर पर स्टीलवैल रोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी तक यह अनुपयुक्त पड़ा हुआ है ' यह सड़क असम के लेडो स्थान से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के चांगलोग जिले से होती हुई बार्डर के साथ लगती हुई अंतिम भारतीय चौकी पोग्स, पास से होती हुई म्यांमार में प्रवेश करती है और अंततः चीन गणराज्य तक जाती है। इस 1079 मील लंबी इस अद्वितीय सड़क का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान के विरुद्ध लड़ते हुए चीन तक पूर्ति-मार्ग के रूप में किया गया था और यह अभी भी अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा यह व्यापार मार्ग पुरानी वर्मा सड़क और अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इत्यादि को जोड़ते हुए चीन तक बढ़ाई जा सकती है। अतः द्विपक्षीय व्यापार के लिए इस सड़क को पुनः शुरू करने हेतु म्यांमार सरकार के साथ इस संबंध में बातचीत शुरू करने हेतु तत्काल पहल करने की आवश्यकता है।

(नौ) केरल में मछुआरों को मिट्टी के तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : परंपरागत मछुआरों को मिट्टी के तेल की पूर्ति काफी कम की जा रही है। यह महीने में केवल 10 दिन के लिए ही पर्याप्त है। बाजार मूल्य बहुत अधिक है। मछुआरों में उसे खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। उनमें से अधिकांश बिचौलियों और साहूकारों की दया पर निर्भर करते हैं। मैं सरकार से तत्काल मिट्टी के तेल की पूर्ति बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ।

(दस) उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समीप सफेदाबाद रेलवे क्रासिग पर ओवर ब्रिज न होने से लखनऊ फैजाबाद वाया बाराबंकी राष्ट्रीय मार्ग घंटों जाम रहता है, आए दिन यहाँ भीषण दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मैं भारत सरकार से सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर यथाशीघ्र ओवर ब्रिज निर्माण की मांग करता हूँ।

(ग्यारह) चेन्नई एयर टर्मिनल का यथाशीघ्र उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर) : हमारे देश का पर्यटन और व्यवसाय की संभावना भारी संख्या में विदेशी यात्रियों को आकर्षित करती है। भारत अनेक देशों के यात्रियों के लिए आवागमन का स्थान बन रहा है परंतु अपर्याप्त हवाई टर्मिनल सुविधाएँ इसमें समस्या उत्पन्न करती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्षभर में लगभग 11 मिलियन यात्री भारत में हवाई जहाज से यात्रा पर आते हैं। परंतु हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे मिलकर केवल 5 मिलियन यात्रियों की आवागमन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

सामरिक स्थान पर तकनीकी रूप से विकसित अत्याधुनिक हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः यदि समुद्रीय तट के निकट स्थित चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डे से अधिक विकसित किया जाए, तो उचित होगा। इससे हवाई यातायात से निपटने की हमारी क्षमता काफी सीमा तक बढ़ जाएगी। चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर हवाई-अड्डों का उन्नयन त्रिकोणीय मेगा हवाई परियोजना के रूप में शुरू किया जाए। इसे चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

हैदराबाद और बंगलौर के विपरीत चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का विस्तार तुरंत करना संभव है क्योंकि मौजूदा चेन्नई हवाई अड्डे के तरमक-क्षेत्र के नजदीक पोरूइ के निकट 200 एकड़ से भी अधिक भूमि तुरंत उपलब्ध है और तमिलनाडु सरकार 'बाट' अथवा 'बॉल्ट' निर्माण-योजना के लिए लगभग 1200 रुपए निवेश की विदेशी निवेशकों की पहले ही पहचान कर चुकी है। भारत सरकार को इन तीनों को समवेत करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पहले चेन्नई हवाई अड्डा परियोजना को पूर्ण करने का निर्णय लेना चाहिए।

(बारह) बिहार में आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिहेटा रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विहटा एक महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक इलाका बड़ा व्यावसायिक जगह है। कई एक महाविद्यालय हैं। कृषि बाजार समिति है और अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थान हैं। मुगल सराय से पटना होकर अनेक रेल गाड़ियां इस स्टेशन से होकर जाती हैं। साथ ही रांची, डालटेनगंज, औरंगाबाद, पालीगंज, बारून, अखल, पाली होकर सैंकड़ों बसें, छोटी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी विहटा रेलवे क्रासिंग से होकर पटना की ओर जाती हैं। रेलगाड़ियों का भारी संख्या में आवागमन के कारण रेलवे गुमटी बंद रहती है।

यात्रियों और वाहनों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। फलस्वरूप कभी-कभी अप्रिय घटना हो जाती है।

अतः मैं भारत सरकार के माननीया रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस क्रासिंग गुमटी पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए।

(तेरह) नई वस्त्र नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, कपड़ा उद्योग देश में वह क्षेत्र है जहाँ खेती के बाद दूसरे स्थान पर नागरिकों को रोजगार मिलता है और वे अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बाहुल्य है वहाँ उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग ही लाभकारी है। कपड़ा उद्योग इसी श्रम प्रधान तकनीक के आधार पर देश के अधिकतम परिवारों का पालन करता है। अभी सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए नई कपड़ा नीति घोषित की है जिसके तहत विदेशी पूँजी निवेश को स्वीकृति दी गई है। इसने लघु उद्योग के मौजूदा स्वरूप को बदल दिया गया है। सभापति जी, विदेशी पूँजी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के साथ पूँजी प्रधान तकनीक की घुसपैठ भी हो जाती है जिसमें लोगों को रोजगार देने की क्षमता तक और उत्पादन अधिकतम पूँजी के बल पर किए जाने की क्षमता होती है। यह तकनीक भारत जैसे देश के लिए हानिकारक है। अतः मेरा आग्रह है कि नई कपड़ा नीति पर पुनः विचार किया जाए और इसमें पूँजी प्रधान तकनीक की घुसपैठ पर प्रतिबंध लगाया जाए और श्रम प्रधान तकनीक के आयोग को बढ़ाकर देने के लिए अवश्य इसमें विकास और विस्तार के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए।

(चौदह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में थोप्पर और होसूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 को चार लेन बनाने संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.डी. एलानगोवन (धर्मपुरी) : राष्ट्रीय राजमार्ग-7 ठोप्पर से होसर तक संपूर्ण धर्मपुरी जिले से होकर गुजरता है जो यात्री और माल यातायात दोनों ही दृष्टियों से व्यस्त है। इस राजमार्ग से लगभग 10,000 भारी वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। इस राजमार्ग के कई स्थानों पर संकरे होने के कारण भारी ट्रैफिक जाम होता है। अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर चार लेन बनाने के काम में तेजी लाए और धर्मपुरी, कृष्णागिरि और होसर जैसे शहरों में हर जगह सर्विस लेन भी प्रदान करे।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को पर्यटक स्थल घोषित करने और इसके विकास के लिए निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : सुंदरबन की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय और मनोरम है। यह एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। केंद्र सुंदरबन को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर चुका है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर और विश्व की सबसे बड़ी कच्छत वनस्पति भूमि के लिए भी प्रसिद्ध है। इस सुंदर डेल्टा को पर्यटक स्थल के रूप में बदला जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे अपितु भारत-सरकार भी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है। परंतु संसाधनों की कमी के कारण विकास के अभाव से सुंदरबन की पर्यटन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। परंतु वे पर्याप्त नहीं हैं।

घरेलू और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में कलकत्ता आते हैं। परंतु यदि हम सड़कमार्गों, जलमार्गों को विकसित कर सकें और कुछ अच्छे होटल बना सकें, तो उन्हें सुंदरबन की ओर आकर्षित किया जा सकता है। मैंने अनेक बार सुंदरबन की नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की मांग की है। परंतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मैं सरकार से सुंदरबन को अंतर्राष्ट्रीय स्थल घोषित करने का अनुरोध करता हूँ। इससे स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन से केंद्र सरकार को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 5.45 पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 5 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.45 बजे

लोक सभा अपराह्न 5 बजकर 45 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

विदाई-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, तेरहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र 20 नवंबर, 2000 को शुरू हुआ था, और आज उसका समापन हो गया है। इस सत्र में 25 बैठकें हुईं जो 112 घंटे और 45 मिनट तक चलीं।

इस सत्र के दौरान व्यवधान के कारण कई दिन सभा स्थगित होने के बावजूद भी सभा ने महत्त्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य निपटाए। सभा ने वर्ष 2000-2001 की अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) और अनुपूरक अनुदानों की माँगे (रेल) पारित की।

लोक सभा ने मानव अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2000, माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2000, कर्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999, कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000, कोल

इंडिया (अंतरण और विधिमान्यकरण का विनियमन) विधेयक, 2000, अप्रवास (वाहक-देयता) विधेयक, 2000 और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 सहित 17 विधेयक पारित किए।

अध्यादेशों के स्थान पर तीन विधेयक अर्थात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000, भारतीय विश्व कार्यकलाप, परिषद विधेयक, 2000 और केंद्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000 पारित किए गए।

इस सभा ने हाल ही में उत्पादन लागत में हुई वृद्धि और कृषिगत मूल्यों की लागत के भार के कारण किसानों पर आए संकट के संबंध में विपक्ष के नेता द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की। इस प्रस्ताव पर लगभग 7 घंटे चर्चा चली, जिसमें 28 सदस्यों ने भाग लिया। सभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया।

[अनुवाद]

लोक सभा ने नियम 193 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामलों पर चर्चा की। वे निम्नलिखित हैं :

(i) देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक विपदाओं के कारण हुई जान-माल की हानि; और

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश।

लोक सभा ने नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पर चर्चा की और उसे अस्वीकृत किया इसमें प्रधानमंत्री ने कहा गया था कि वे अपने तीन मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से हटा दें। इस प्रस्ताव पर 13 घंटे से भी ज्यादा चर्चा हुई और इसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा पांच महत्त्वपूर्ण मामलों को उठाया गया और उस पर संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए, इसके साथ, विभिन्न मामलों पर मंत्रियों ने आठ वक्तव्य दिए। सभा में आधे घंटे की दो चर्चाएँ भी हुईं।

अब प्रश्न काल पर आते हैं। 500 तारांकित प्रश्नों की सूची में से, 61 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए, जबकि 5,455 अतारांकित प्रश्नों और दो अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया।

जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का प्रश्न है, छः विधेयक पुरःस्थापित किए गए। एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक जो पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था, पर चर्चा की गई और सभा की अनुमति से वापस लिया गया, दूसरे विधयेक पर चर्चा अधूरी रही। दो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी चर्चा की गई और तत्पश्चात् सभा की अनुमति से वापस लिए गए, एक संकल्प पर चर्चा अधूरी रही।

नियम 377 के अंतर्गत 188 मामले उठाए गए, जबकि 'शून्य काल' में 190 लोक महत्त्व के मामलों को उठाया गया। विभागों से संबंधित स्थाई समितियों ने 28 रिपोर्टें पेश कीं।

कई दिनों तक सभा के स्थगित रहने से सभा के कार्य संचालन पर बहुत असर पड़ा। जबकि बाबरी मस्जिद मामले के कारण लोक सभा की कार्यवाही करीब 39 घंटे तक रुकी रही। महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक दलों में मतभेद होने के कारण भी सभा स्थगित हुई जिससे सभा के 6 घंटे 49 मिनट बर्बाद हुए।

कुल मिलाकर इस सत्र के दौरान 60 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हालांकि, महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा करने के सभी प्रयत्न किए गए। इस उद्देश्य के लिए लोक सभा की बैठक कई दिनों तक देर तक चली जिससे 24 घंटे और 30 मिनट का अतिरिक्त कार्य हुआ।

मैं सभा के कार्य-संचालन में सहयोग देने के लिए सभा के प्रत्येक सदस्य का आभारी हूँ।

मैं सभा के माननीय नेता, माननीय विपक्ष के नेता, सभा के विभिन्न दलों और गुटों के नेता और साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों के सचेतकों और मुख्य सचेतकों को मुझे और अपने सहयोगियों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सभापति तालिका के सदस्यों का उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूँ।

अब मैं सभी को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। हम सब मिलकर अपने देश के लोगों की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने के एक माध्यम के रूप में संसद को और मज़बूत करने के लिए कार्य करें।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष, महोदय, जिस कुशलता और धैर्य से आपने इस सभा के पांचवें सत्र का संचालन किया उसकी मैं कॉंग्रेस पाटी की ओर से प्रशंसा करती हूँ। हमारे और आपके कार्य को सरकार द्वारा नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की मंजूरी देने में की गई रहस्यात्मक देरी ने अधिक कठिन बनाया है।

इस सत्र में बहुत अधिक व्यवधान हुए। इस व्यवधान के लिए सरकार जिम्मेदार है। यदि उन्होंने इस प्रस्ताव पर पहले ही दिन जिसके लिए वह बाद में सहमत हुई, चर्चा को मंजूरी दे दी होती, तो वह व्यवधान कभी नहीं होता।... *(व्यवधान)*

ठीक एक वर्ष पूर्व, प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे महिला आरक्षण विधेयक पर सहमति जुटाने के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए किए गए प्रयत्न का कोई सबूत नहीं है। इस सत्र के अंत में कल एकदम जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक, इस बात का सबूत है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। मैं पुनः एक बार महिलाओं के आरक्षण के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराती हूँ, और सरकार से निवेदन करती हूँ कि वे इस बहानेबाजी को समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी इस महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करती है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, आपके मार्गदर्शन में, सभा कई महत्त्वपूर्ण मामलों पर बहस कर सकी। कांग्रेस पार्टी और अन्य सदस्यों ने देश भर के किसानों और खेत मज़दूरों की समस्याओं और बाढ़ और सूखे के कारण तबाही और दुर्दशा को उठाया है।

दो संवैधानिक संशोधनों के पारित किए जाने के बावजूद भी, अनूसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति को लागू न किए जाने पर ध्यान आकर्षित किया गया। इसलिए मैं, सरकार से निवेदन करती हूँ कि इन मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें।

असम में हुई जनहानि और पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही हिंसा का हमने व्यवहार्यतः विरोध किया है। हम इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के अपने सार्थियों द्वारा चिंता का पूर्ण समर्थन करते हैं, और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

मुझे आशा है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कुछ विधेयकों को पारित करने में मदद की है उसे नोट किया होगा... *(व्यवधान)* यह सच है। आप इससे इंकार नहीं कर सकते।

परिसीमन संबंधी संविधान इक्यानवें संशोधन विधेयक भी एक ऐसा विधान है जिस पर हमारे समेत सभी दलों, जिसमें सत्तारूढ़ पक्ष भी शामिल है, को सावधानी से विचार करने की और मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है चूँकि इसका परिणाम बड़ा व्यापक होगा।

महोदय, तथापि मैं यह कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो इस सत्र के दौरान कुछ प्रारूप कानून प्रस्तुत किए हैं उस पर हमारी ओर से ऐसा सहयोग नहीं मिला है। इनमें से अधिकांश कानूनों पर हम जनता की ओर से चिंता और हमारी ओर से कड़ी आपत्ति व्यक्त करेंगे।

इसी दौरान, चूँकि हम शीतकालीन अवकाश के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएँगे, हमें कुछ भारी उत्तरदायित्वों को पूरा करना है।

बहुत कुछ कार्य किया जाना बाकी है, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जो प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हैं।

इस सभा के हम सभी सदस्यों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे सरकार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सत्र के दौरान सभा के बाहर दिए गए वक्तव्यों के कारण अनावश्यक रूप से भड़की सांप्रदायिक भावनाओं को शांत करें।

अंतरसत्रावधि के दौरान, संसदीय और विभाग से संबंधित स्थाई समितियों की बैठकें होंगी। मैं पुनः सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगी कि वह इन बैठकों में दिए जाने वाले सुझावों पर अधिक ध्यान दें। ये विचार, न केवल हमारे हैं, बल्कि अन्य दलों तथा आपके पक्ष के अन्य सहयोगियों के भी हैं। बार-बार निवदेन करने के बाद भी हमारी इस मांग को नहीं माना गया है। अंतरसत्रावधि के दौरान हम सब सरकार के जम्मू-कश्मीर की स्थिति से निपटने के तरीके को देखेंगे। हम घाटी में शांति के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली पहल का समर्थन पहले ही कर चुके हैं, साथ ही हम आशा करते हैं कि यदि युद्ध-विराम के दौरान कोई बाधा आती है तो सरकार के पास कोई आकस्मिक योजना होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : भाषण खत्म नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : खत्म होने वाला है। चूँकि नई सहस्राब्दी का पहला वर्ष समाप्त होने वाला है इसलिए यह उचित होगा कि हम अपना आत्म-विश्लेषण करें, ताकि वह हमारी राजनीति के सभी चिरस्थाई पहलुओं पर परिलक्षित हो। यह हमारा सौभाग्य है कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। अतः यह प्रत्येक का दायित्व है कि वह देश की सेवा में अपना सर्वोत्तम न्यौछावर करें। हम न तो अपने विचारों को सीमित रखें और न ही अपना दृष्टिकोण संकुचित रखें, इससे हमारे देश की बहुविविधता और धर्मनिरपेक्ष-लोकतंत्र को बल मिलेगा।

महोदय, अंत में मैं आपको, प्रधानमंत्री जी को, उनकी सरकार को और इस सभा के सभी सदस्यों को सुखी और समृद्ध नववर्ष के लिए अपनी हार्दिक शुभकामना देती हूँ।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, तेरहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। सत्र के साथ यह वर्ष भी समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे, तो नई शताब्दी में मिलेंगे, नई सहस्राब्दि में मिलेंगे। आपने जो तथ्य सामने रखे हैं, उससे हमारा पूरा लेखा-जोखा सामने आ जाता है।

सायं 6.00 बजे

इतनी बड़ी संख्या में बिल पास हुए, नए बिल पेश किए किए, सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर चर्चा के लिए वक्त मिला और टोका-टाकी के बावजूद बड़ी गर्म चर्चा हुई। यह उज्जवल पक्ष है जो भारतीय लोकतंत्र की प्राणवत्ता को प्रकट करता है। लेकिन आपने यह भी बताया कि कितने दिन काम नहीं हो सका। शायद उनकी संख्या 11 है। क्या नई शताब्दी में, अगले वर्ष में, हम इस चीज को बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं पहले भी इस बात पर बल दे चुका हूँ और फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि संसद समय का दर्पण है, समाज की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसलिए लोगों का आक्रोश, उनकी शिकायतें, उनके अभाव, यदि अन्याय है तो अन्याय अवश्य प्रतिबिंबित होते हैं और होने चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि संसदीय लोकतंत्र में यह किस तरह से किया जाए। क्या यह जरूरी है कि प्रश्नकाल न हाने दिया जाए?

श्री मुलायम सिंह यादव : लोकतंत्र में प्रश्न काल रोकने के लिए भी कभी-कभी मजबूरी होती है। कुछ समय के लिए यह जरूरी होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला पहले भी उठ चुका है और इसको मैं आज फिर उठाना चाहता हूँ कि जब अगला अधिवेशन शुरू होगा तो उससे पहले सबकी एक बैठक बुलाकर इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। आज हम 11 बजे ही काम शुरू कर देते हैं, वह 12 बजे तक रुक सकता है, कोई घाटा नहीं होगा। अगर ठान ली है कि सत्र नहीं चलने पाएगा तो सत्र नहीं चलेगा। लेकिन सत्र चलते हुए भी अगर प्रश्न पूछे जा सकें और सरकार को उनका उत्तर देने के लिए विवश किया जाए—प्रतिपक्ष वाले तो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मंत्रियों के लिए प्रश्न टाल दिया जाए, किसी दिन प्रश्न टल जाए, जिसके नाम से प्रश्न है, वह सदस्य सदन में न आए तो बड़ी राहत की सांस ली जाती है कि चलो बच गए, पता नहीं क्या हाल होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न काल तो चलेगा लेकिन होने कहां दिया जाता है? इसलिए क्या आवश्यकता है कई दिनों तक सदन बंद रहे।

अब नेता प्रतिपक्ष के लिए यह सरल है कि आज के दिन जब हम गिले-शिकवे नहीं करते, गिले-शिकवे हम सब छोड़कर जाते हैं तो जो उज्ज्वल पक्ष है उसी पर बल देते हैं और भविष्य में हम अपने लोकतंत्र को किस तरह से बलशाली बनाएँगे और यह संसद किस तरह से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी, इसका ख्याल करते हैं, तब भी उन्होंने आज हमें छोड़ा नहीं है—ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष अभी सदन में आई हैं, मैं पिछले 40 साल से संसद में हूँ और विरोधी दल में रहा हूँ। लेकिन हर समय मैंने मान मर्यादा का ख्याल रखा है। अगर सरकार के खिलाफ शिकायतें करनी हों और उसके लिए आखिरी दिन ढूँढ़ा जाए तो पता नहीं अभी तक क्या दृश्य उपस्थित होता। आज तक इस मर्यादा का पालन हुआ है लेकिन आज इसे तोड़ा गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : शैम-शैम कहकर भी मर्यादा तोड़ी गई है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक सीमा तक...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुलायम सिंह जी संयम का आचरण कर रहे हैं और उसे सब लोग देख रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुलायम सिंह जी कभी इधर झुक जाते हैं और कभी उधर झुक जाते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम न इधर झुकते हैं और न उधर झुकते हैं। हम सत्य पर अटल रहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कलियुग में आप ही एक सत्यवादी हैं।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र एक जीवंत प्रक्रिया है। परिपाटियां हैं कि संसद ठीक चल सके, चर्चा के लिए अवसर दिए जा सकें और उसमें निंदा प्रस्ताव आ सकता है। काम रोको प्रस्ताव आया और उस पर चर्चा हुई। दूसरे सदन, जहां हमारा बहुमत नहीं है, वहां मतदान पर बल दिया गया। वहां सरकार अल्पमत में है, यह बात साबित हो गई लेकिन हम लोक सभा में बहुमत में हैं यह बात भी साबित हो गई। उस पर किसी को कोई शिकायत नहीं है, मगर जो काम हो, वह ढंग से होना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया के अन्तर्गत होना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक रास्ता दिखाने वाला काम होना चाहिए। किसानों की समस्याओं से सरकार भी चिंतित है। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता पहले कर लिया गया था, जिससे हमारे हाथ-पांव बँधे थे और हमें उत्तराधिकार में जो समझौता मिला था, उसके कई परिणाम हैं, जिन परिणामों का हमें सामना करना होगा। हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं लेकिन यह करते हुए अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जिनसे लोकतंत्र दुर्बल हो और आपस में कटुता बढ़े, वह ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो स्थिति है, उसमें कुछ कार्रवाई की जाए लेकिन दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं है। यहाँ हमारी सीमाएँ हैं और यहाँ सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी सहयोग मिलता भी है। पहले ज्यादा मिलता था। अब कुछ कम हो गया है। जैसे-जैसे चुनाव निकट आएगा, उग्रता बढ़ेगी। मैं इसके लिए दोष नहीं देता। जो आँकड़ों का खेल है, जो संख्या का खेल है, वह स्पष्ट है लेकिन प्रक्रिया का और हम बात क्या कहते हैं, इसका महत्त्व है लेकिन उसे किस तरह कहते हैं, इसका और भी ज्यादा महत्त्व है। अपनी बात कही जाए, अपनी नीतियां स्पष्ट की जाएँ, उनके अनुरूप उचित कदम उठाए जाएँ, लेकिन सदन की एक मर्यादा रहे।

अध्यक्ष महोदय, आपके साथ हमारी गहरी सहानुभूति है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों होता है? आपने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमसे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कभी-कभी आपसे सवाल पूछना अच्छा रहता है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ। वर्ष की समाप्ति पर और शताब्दी के अंत में जब नई चुनौतियों का हमें सामना करना है तो संसद ठीक तरह से चले, इस पर एक बार फिर मिल-बैठकर विचार करने की जरूरत है।

महिला आरक्षण का सवाल लीजिए। सत्ता पक्ष तैयार था कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो। अगर एक रास्ते से नहीं होता है तो हमने दूसरा रास्ता भी सुझाया था लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। अब किस को दोष दिया जा रहा है? क्या मैं भी नाम लेकर दोष देना शुरू करूँ? जो दूसरा सुझाव आया था, उसे क्यों नहीं स्वीकार किया गया? अगर

महिलाओं की शक्ति संवर्धन का हमारा उद्देश्य है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है तो दूसरे तरीके से वही उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था। एक तरफ प्रतिपक्ष का एक भाग अड़ा है और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का पूरा भाग अड़ा है। बात हुई नहीं, फिर भी दोषारोपण किया जा रहा है। मैं दोषारोपण के फेर में नहीं पड़ना चाहता। हमने अधिवेशन समाप्त किया है। हम अगले अधिवेशन में मिलेंगे। बीच में क्रिसमस का त्यौहार है। उसकी बधाई। हम ईद मनाएँगे। वह सबको मुबारक हो। नई शताब्दी में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यह देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहे जैसा आज खड़ा है, मैं समझता हूँ कि उसमें हम सहायक हों, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं मानता हूँ कि यह सदन उसमें योगदान दे रहा है।

[अनुवाद]

सायं 6.09 बजे

राष्ट्र-गीत

(राष्ट्र-गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सांय 6.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०–48/13/25/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008 द्वारा मुद्रित।